वार्षिक रिपोर्ट

1982-83

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9363
Date 5-12-96

संस्थान के उद्देश्य

संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. केंद्रीय तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारियों के लिए सेवा पूर्ति तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशालाएं, बैठकों, संगोष्ठियों तथा जानकारी सत्रों का आयोजन करना;

2. अध्यापक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से संबंधित विश्वविद्यालयों तथा कॉलिज के प्रशासकों के लिए अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना;

3. केंद्रीय राज्य सरकारों में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीति-निर्माण के कार्य से संबद्ध विधायकों सहित अन्य सभी शीर्षस्थ व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा चर्चा-समूहों का आयोजन करना;

4. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य करना, तत्संबंधी अनुसंधान में सहायता करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा इस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान कार्य को समन्वित करना। साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों की योजना तकनीकों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना;

5. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के काम में लगे विभिन्न अभिकरणों, संस्थाओं तथा कार्मिकों का शैक्षणिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से मार्गदर्शन करना;

6. आग्रह किए जाने पर राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श-सेवा प्रदान करना;

7. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सेवा तथा तत्संबंधी अन्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी सभी प्रकार के विचारों तथा सूचनाओं के समाशोधन-गृह के रूप में काम करना;

8. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में लेखों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के लेखन, मुद्रण और प्रकाशन की व्यवस्था करना, विशेषकर एक शैक्षिक योजना तथा पत्रिका का प्रकाशन करना;

9. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रबंध तथा प्रशासन संस्थाओं और भारत तथा विदेश स्थित अन्य सहबद्ध संस्थाओं सहित अन्य अभिकरणों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग करना;

10. संस्थान के उक्त उद्देश्यों में संवर्धन करने की दृष्टि से अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा शैक्षणिक पुरस्कार देना;

11. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणमान्य शिक्षाविदों को सम्मानार्थ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना;

12. अन्य देशों, विशेष कर एशियाई प्रदेश के देशों को, आग्रह किए जाने पर शैक्षिक योजनजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा उक्तउक्त प्रकार के कार्यक्रमों में उनके साथ सहयोग करना ।

आभार ज्ञापन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्यीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संस्थान, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की सरकार तथा ग्रेटर बंबई की नगरपालिका के संस्थान के क्रियाकलापों में सहयोग तथा रुचि लेने के लिए आभार प्रकट करता है।

संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, राष्ट्रीय ब्रिज अंध कन्या विद्यालय, सिंप्रगडेल स्कूल, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजौरीगार्डन तथा सरोजनी नगर, सेंट स्टीफन कॉलिज, विवेकानंद महिला कॉलिज, लेडी श्रीराम कॉलिज, लक्ष्मीबाई कॉलिज, किरोड़ीमल कॉलिज, दिल्ली विश्वविद्यालय, सावित्री गर्ल्स कॉलिज, अजमेर, कनौडिया महिला कॉलिज, जयपुर तथा एस डी ए कॉलिज, अलीगढ़ के विविध स्कूल और कॉलिज के प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों के क्षेत्र वीक्षणों के दौरान उनका स्वागत करने के लिए भी आभार प्रकट करता है।

संस्थान अपने उन अतिथियों का भी आभारी है जिन्होंने उसके विविध कार्यक्रमों के संचालन में अतिथि वक्ताओं/विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में अपना बहुमूल्य समय दिया।

संस्थान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान, पेरिस, यूनेस्को का सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस एशिया तथा ओशेनिया में, शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का आकस्मिक निधि कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र एशिया तथा पैसिफिक विकास केंद्र, क्वालालमपुर, एशिया तथा पेसिफिक शिक्षा का राष्ट्रीय शोध तथा भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान, तकनीकी सहयोग के लिए कॉमन वैल्थ निधि, लंदन तथा स्विडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, स्टाकहोम, द्वारा संस्थान के कुछ कार्यक्रमों के संचालन में दिए गए सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

संस्थान, अफगानिस्तान, बंगला देश, भूटान, इथोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मालद्वीप, मोरिसस, नेपाल, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, श्री लंका, थाईलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संस्थान के क्रियाकलापों में ली गई रुचि तथा सहयोग के लिए इन सब का आभारी है।

नीपा के संकाय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अध्ययन दौरों को आयोजित करने के लिए संस्थान जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य, फिलीपाइन, सोवियत रूस के प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

विषय सूची

उद्देश्य	iii
आभार ज्ञापन	v
विहंगावलोकन	1
भाग एक	
प्रशिक्षण कार्यक्रम	10
भाग दो	
अनुसंधान और अध्ययन	24
भाग तीन	
सलाहकारी, परामर्शकारी तथा सहायता सेवाएं	40
भाग चार	
अन्य अकादमिक क्रियाकलाप	47
भाग पांच	
अकादमिक यूनिटें	52
भाग छः	
अकादमिक आधारिक संरचना	59
भाग सात	
प्रशासन और वित्त	67

अनुबंध

अनुबंध एक	
प्रशिक्षण कार्यक्रम	79
अनुबंध दो	
अनुसंधान अध्ययन	115
अनुबंध तीन	
संकाय का अकादमिक योगदान	130
अनुबंध चार	
अभ्यागत	146

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक
नीपा के परिषद के सदस्यों की सूची 151

परिशिष्ट दो
नीपा की कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची 154

परिशिष्ट तीन
नीपा के वित्त समिति के सदस्यों की सूची 155

परिक्षिष्ट चार
नीपा की कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची 156

परिशिष्ट पांच
नीपा की प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची 157

परिशिष्ट छः
नीपा के संकाय तथा अनुसंधान स्टाफ की सूची 158

परिशिष्ट सात
वार्षिक लेखा तथा परीक्षा रिपोर्ट 161

विहंगावलोकन

शिक्षा आयोग (1964-66) तथा योजना आयोग के शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा मूल्यांकन कार्य्यकारी दल की सिफारिश 31 दिसंबर, 1970 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। इससे पूर्व इस संस्थान का शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। संस्थान के उद्देश्य हैं : शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना तथा राज्यों और केंद्र के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना और अन्य देशों, विशेषकर एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करना।

यह संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संस्थान है। मूलत: इसका पंजीकरण 31 दिसंबर, 1970 को एन एस सी ई पी ए के नाम से किया गया था। 31 मई 1979 को इसे दोबारा नए नाम से पंजीकृत कराया गया।

इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय संस्थान की अप्रैल 1982 से मार्च, 1983 तक की अवधि की प्रमुख गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

परिप्रेक्ष्य

परिप्रेक्ष्य योजना में संस्थान के उन क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों के चरणवार विकास की रूपरेखा दी गई है जिनकी सातवीं पंचवर्षीय योजना तक विकसित होने की संभावना है। परिप्रेक्ष्य योजाना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- जिला शिक्षा अधिकारियों के पूर्व-आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संस्थान के मुख्य कार्यक्रमों के रूप में गठित किया जाना;
- संस्थान के क्रियाकलाप के अनुसंधान-घटक तथा अनुसंधान को प्रशिक्षण से जोड़ने पर अधिकाधिक बल दिया जाना;
- राज्य सें राज्य सरकारों तथा चुनी हुई अनुसंधान संस्थानों के साथ लागत बांटने के आधार पर त्रिदलीय व्यवस्थाएं स्थापित कर राज्य स्तर के क्षेत्रीय यूनिटों का विकास;
- संस्थान में अच्छे प्रलेखन केंद्र का निर्माण जहां राज्य अधिनियमों, संहिताएं, न्यायिक निर्णयों तथा अन्य कानूनी प्रलेखों के साथ साथ नीतियां तथा कार्यक्रमों से संबंधित प्रलेखों को संदर्भ के लिए एकत्रित तथा सुरक्षित रखा जा सके;
- संस्थान के सूचना तथा अनुभव के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए संस्थान में 'उपराष्ट्रीय पद्धतियों' का निर्माण;
- जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पत्रिका सहित इस संस्थान का संवर्धित कार्यक्रम; तथा
- उपरोक्त कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए संस्थान की शैक्षिक आधारिक संरचना का सुदृढ़ करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों, कार्यक्रम दिवसों की संख्या के संदर्भ में संस्थानों के प्रशिक्षण क्रियाकलापों में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है, भाग लेने वालों तथा कार्यक्रम व्यक्ति दिनों का विवरण इस प्रकार है :

वर्ग	1981-82	1982-83
कार्यक्रमों की संख्या	29	44
कार्यक्रम दिवसों की संख्या	512	711
भाग लेने वालों की संख्या	664	809
कार्यक्रम व्यक्ति दिवस	5,830	9,987

संस्थान ने अपने प्रशिक्षण क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की और शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रबंध, शैक्षिक नीति, लाभवंचित विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का प्रबंध, तथा जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्षेत्रों में अनेक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। दीर्घकालिक कार्यक्रम भी वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए।

स्कूलों के योजना तथा प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा स्कूलों के संस्थानीय प्रबंध कार्यक्रमों, दोनों को मिलाने पर भाग लेने वालों की संख्या अत्यधिक पाई गई जो भाग लेने वालों की कुल संख्या का 28 प्रतिशत था तथा वर्ष के दौरान कार्यक्रम व्यक्ति दिवस की संख्या का 42 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन पर मुख्य बल दिया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई।

उपरोक्त कार्यक्रमों में देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों तथा 13 विदेशों ने भाग लिया। भाग लेने वालों की सबसे अधिक संख्या 115 (14 प्रतिशत) संघ शासित राज्य दिल्ली से थी, तत्पश्चात महाराष्ट्र से 98 (12 प्रतिशत) तथा राजस्थान से 77 (9.5 प्रतिशत व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों से भाग लेने वालों की संख्या 150 (18 प्रतिशत) थी। भाग लेने वालों में महिलाओं तथा पी-एच डी की उपाधि प्राप्त व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 130 (16 प्रतिशत) तथा 144 (17 प्रतिशत) थी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(क) दीर्घकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारंभ होना पिछले वर्षों से चल रहे कार्यक्रमों में मुख्य भिन्नता थी। इन कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

1. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में 6 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी ई पी ए)। वर्ष के दौरान पहली जुलाई 1982 को जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए छ: माह की अवधि का प्रथम पूर्व-आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें 13 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से 29 व्यक्तियों ने भाग लिया।
2. पपूआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल प्रतिष्ठान (सी एफ टी सी) के सहयोग से 1 अगस्त से 30 अक्तूबर 1982 तक पपूआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में तीन माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पपूआ न्यू गिनी के शिक्षा विभाग के पांच वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

3. श्री लंका के अधिकारियों के लिए 2.5 माह की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम;

श्री लंका सरकार के अनुरोध पर समुद्रपारीय विकास के लिए स्वीडिश निधि एजेंसी के सहयोग से यह कार्यक्रम 28 नवंबर 1982 से 6 फरवरी 1983 तक संचालित किया गया। श्री लंका से 10 व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की 'सह-सदस्यता'।

वर्ष के दौरान क्षेत्र अभ्यागमनों तथा शोध पत्र के प्रस्तुती की अवधि सहित दो अकादमिक सत्रों की समयावधि में नीपा द्वारा संस्थान की 'सह-सदस्यता', प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। डा. सेंग जिन रीह, सह आचार्य लोक प्रशासन विभाग, विधि तथा व्यापार, जिआंग सेंग राष्ट्रीय जे आई एन, जे यू, साऊथ कोरिया, ने 1 नवंबर 1982 से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (यू जी सी द्वारा अनुसंधान-वृत्ति दिए जाने पत्र के अंतर्गत इस कार्यक्रम में वाचस्पति की उपाधि के पूर्व अनुसंधान के लिए कार्य किया।

(ख) अन्य नए कार्यक्रम

1. **थाईलैंड में अध्यापक प्रशिक्षण कॉलिज के महाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम थाईलैंड की सरकार के अनुरोध पर यूनेस्को के सहयोग से बैंकाक में 12 दिन की अवधि के लिए 13 से 24 दिसंबर 1982 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 36 व्यक्तियों ने भाग लिया।
2. **नेत्रहीनों के स्कूलों का प्रबंध** : संस्थान द्वारा 16-18 नवंबर, 1982 को आयोजित यह प्रथम कार्यक्रम अपने ही प्रकार का था। इस कार्यक्रम में नेत्रहीनों के स्कूलों की योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें भाग लेने वाले स्वयं कुछ नेत्रहीन थे।
3. **विषयगत कार्यशालाएं संगोष्ठियां** : शैक्षिक योजना और प्रशासन में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा प्रारंभ करने के लिए संस्थान ने कुछ विषयगत कार्यशालाओं संगोष्ठियों का आयोजन किया। इसमें शैक्षणिक भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा पर कार्यशाला सम्मिलित है।
4. **जनसंख्या शिक्षा के प्रबंध में प्रशिक्षण** : संस्थान ने 'जनसंख्या शिक्षा' पर एक परियोजना प्रारंभ की तथा राज्यों तथा भारत के संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए जनसंख्या शिक्षा के प्रभावी नियोजन और प्रशासन में शृंखलाबद्ध विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। जनसंख्या-शिक्षा योजना के भाग के रूप में संस्थान ने अनेक शोध पत्र तथा कुछ अन्य सामग्रियां प्रकाशित कीं जिनमें (i) भारत में जिला-पार्श्वचित्र--आंकड़ों पर आधारित तथा (ii) भारत में शैक्षिक वृद्धि---आंकड़ों पर आधारित, शोधपत्र सम्मिलित हैं।
5. **शैक्षणिक प्रबंध में केस विकास के लिए कार्यशाला** : संस्थान द्वारा शैक्षणिक प्रबंध में केस विकास के लिए पहली कार्यशाला पांच दिन के लिए 22-26 नवंबर, 1983 को आयोजित की गई।

(ग) पहले से चले आ रहे कार्यक्रम

1. **कालिज के प्रधान आचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** : संस्थान ने वर्ष के दौरान कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजनाएं और प्रबंध में शृंखलाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित पांच कार्यक्रमों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से तीन राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम थे और शेष दो बंबई विश्वविद्यालय तथा हरियाणा सरकार के अनुरोध पर तथा इनके सहयोग से आयोजित किए गए।
2. **वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** : वर्ष के दौरान राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें प्राथमिक। प्रारंभिक शिक्षा के कुछ निदेशक तथा शिक्षा के संयुक्त उपनिदेशक भी सम्मिलित हुए।
3. **स्कूलों के मुख्याध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** : ये कार्यक्रम संघ शासित क्षेत्र, गोआ, दमन और दिऊ तथा पांडिचेरी के प्रशासन व राजस्थान की राज्य सरकार के अनुरोध पर आयोजित किए गए। इनका आयोजन अपने अपने संघ शासित क्षेत्रों राज्यों में किया गया।
4. **संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक विज्ञान पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या विशेषज्ञों के लिए कार्यशाला** : भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के शैक्षिक प्रतिष्ठान के सहयोग से किया गया।

अनुसंधान अध्ययन

वर्ष की अवधि के दौरान संस्थान के अनुसंधान क्रियाकलापों पर तथा अनुसंधान को प्रशिक्षण से संबद्ध करने पर मुख्य बल दिया गया। 11 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं तथा 21 विविध प्रावस्थाओं में हैं।

1980-81 तक संस्थान के अनुसंधान क्रियाकलाप बहुत सीमित पैमाने पर किए गए थे तथा इनका संचालन संकाय-स्टाफ काडर द्वारा उनके अन्य प्रशिक्षण उत्तरदायित्वों के साथ किया जाता था। अनुसंधान कार्य पर बहुत कम व्यय किया जाता था तथा 1980-81 तक इसके लिए अलग से किसी परियोजना स्टाफ की व्यवस्था नहीं के बराबर थी। 1981-82 की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा अनेक अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किए गए जिसमें 2·13 लाख रुपए का व्यय हुआ इस वर्ष के अन्त तक 28 परियोजना कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। तथापि अनुसंधान क्रियाकलाप में मुख्य प्रयास 1982-83 की अवधि के दौरान किया गया, जिसमें इन क्रियाकलापों पर किया जाने वाला व्यय 7·17 लाख रुपए तक पहुंच गया जो केवल एक वर्ष की अवधि में 2.37 प्रतिशत वृद्धि को सूचित करता है। वर्ष 1982-83 के अंत तक परियोजना कर्मचारियों की संख्या भी 66 तक पहुंच गई।

अनुसंधान अध्ययन या तो नीपा संकाय के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रतिबिंबत करते हैं अथवा वैकल्पिक रूप से ये अध्ययन केंद्र अथवा राज्य सरकारों अथवा राष्ट्रीय संगठनों जैसे आई सी एस एस आर अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनेस्को द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। कुछ अध्ययनों के परिणामों से शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में समस्याओं को पहचानने तथा राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय स्तर पर नीति के प्रभावी उपायों को प्रारम्भ करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

शोध कार्यक्रम

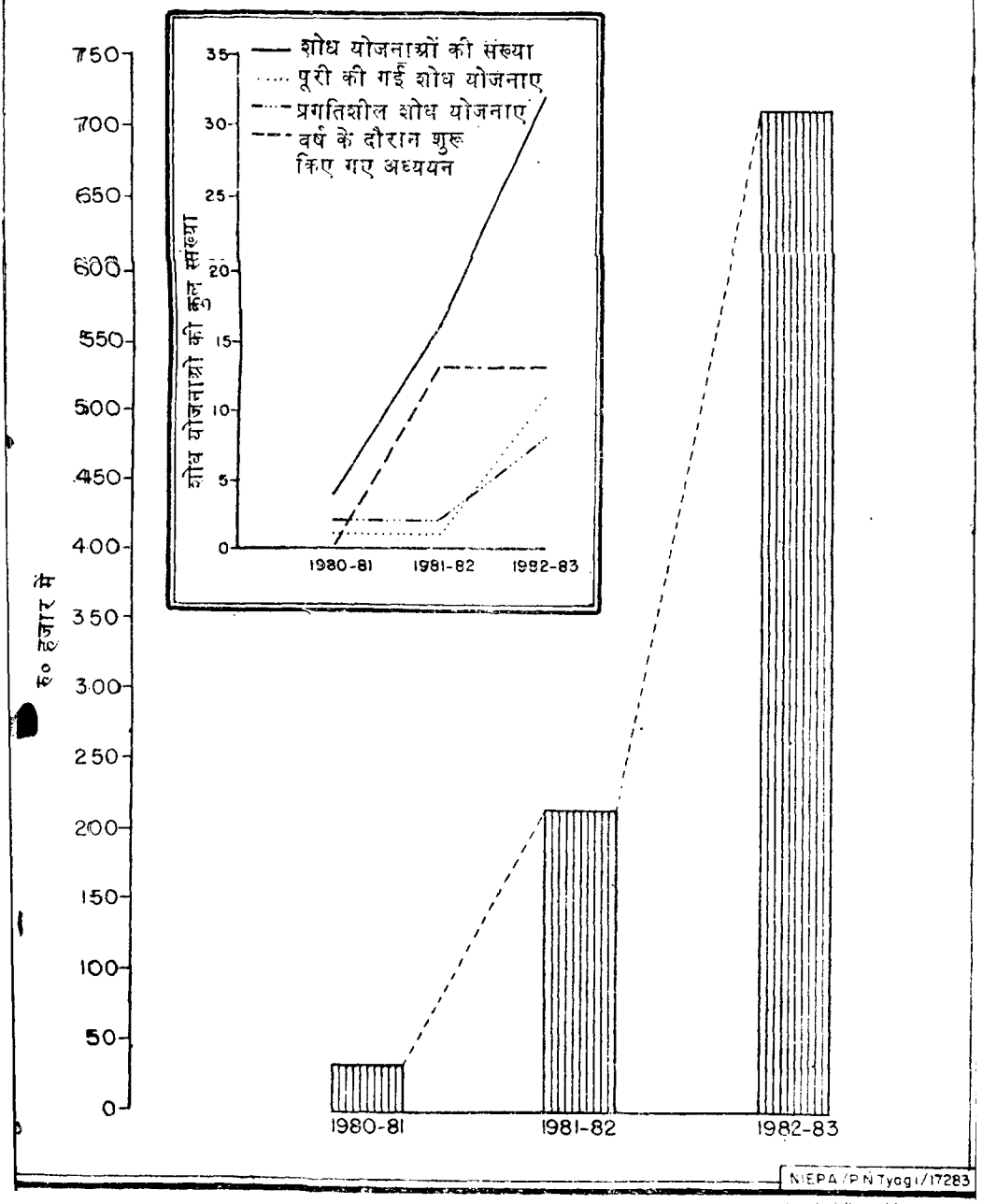

NIEPA/P.N.Tyagi/17283

गृह मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई। वर्ष के दौरान अध्ययन यूनिट ने निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए :

1. उच्च शिक्षा (1964-77) में अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के नामांकन की प्रवृतियां।
2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जतियों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति : संघ शासित क्षेत्र में किया गया एक प्रारंभिक अध्ययन
3. ए आई आई एम एस तथा आई आई टी में पुस्तक बैंक योजना की कार्य प्रणाली-संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में किया गया एक प्रारंभिक अध्ययन।

स्वीकृत अध्ययन

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अध्ययन भी स्वीकृत किए गए :

1. केरल में शिक्षा विकास के इतिहास से संबंधित अध्ययन।
2. शैक्षिक क्रियाकलाप पृष्ठभूमि के लिए स्थान संबंधी व्यवस्था।
3. कॉलिज के मुख्याध्यक्षों की भूमिका-निष्पादन से संबंधित अध्ययन।
4. भारत में शैक्षिक नीति तथा योजना से संबंधित अध्ययन-योजना आयोग की भूमिका वर्तमान प्रस्थिति तथा भविष्य के परिप्रेक्ष्य।

परामर्शकारी, सलाहकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं

संस्थान ने केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर तथा उनके सहयोग से अनेक अनुसंधान अध्ययन तथा कार्यक्रम प्रारंभ किए। इसके अतिरिक्त संस्थान केंद्रीय तथा राज्य सरकारों और शैक्षिक योजना और प्रशासन में लगी हुई संस्थाओं और कार्मिकों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक सहायता प्रदान करता रहा है। संस्थान ने केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर विविध उच्च स्तरीय सम्मेलनों, समितियों तथा कार्मकारी समूहों में भाग लिया। यह शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन सी ई आर टी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, यूनेस्को, यू एस ई एफ आई आदि से शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सहयोग करता रहा है।

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रबन्ध से संबंधित कार्यक्रम में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे एशिया तथा पेसिफिक में यूनेस्को का शिक्षा से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक, शैक्षिक योजना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस, भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान (यू एस ई एफ आई), यू एन डी पी, यूनिसेफ, तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि (सी एफ टी सी) तथा स्वीडिश, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस आई डी ए) आदि ने सहयोग किया। संस्थान ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा बैठकों आदि में भाग लिया। संस्थान ने भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत वियतनाम, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस तथा सोवियत रूस के साथ शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व भी निभाया।

अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे

 तमिलनाडु सरकार द्वारा शिक्षा की 2 अवस्था पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के कार्यक्रम के

कार्यान्वयन से प्रभावित होकर संस्थान ने अपने अंतर्राज्यीय दौरों के कार्यक्रम के अंतर्गत भाग लेने वालों को शिक्षा के व्यवसायीकरण के तमिलनाडु के अनुभव पर दृष्टिपात करने तथा उनकी आलोचनात्मक जांच करने के दृष्टिकोण से तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण, जिसकी प्रगति देश में दुर्भाग्य से धीमी है, से संबंधित अति वांछित शैक्षिक सुधारों के कार्यान्वयन की समस्याओं से निपटने में प्राप्त अनुभवों पर विचारों के आदान-प्रदान करने के लिए भारत सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के सहयोग से शिक्षा के व्यवसायीकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी कोम्बतूर में 12-15 फरवरी 1983 को आयोजित की। इस संगोष्ठी में विविध राज्यों के 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शिक्षा के व्यवसायीकरण में तमिलनाडु के अनुभवों का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला एक मोनोग्राम तैयार किया जा रहा है।

शैक्षिक मामलों पर सूचना प्रदत्त परिचर्चाएं

वर्ष के दौरान श्रंखलाबद्ध परिचर्चाएं प्रारंभ की गईं जिसमें संकाय के सदस्यों के अतिरिक्त शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में बाह्य विशेषज्ञों विख्यात शिक्षाविदों तथा बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। परिचर्चित महत्वपूर्ण विषयों में 'समवर्तिता के संदर्भ में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति' 'भारतीय शिक्षा के लिए एक वैकल्पिक योजना' 'मॉडल शिक्षा' 'प्रौद्योगिकी तथा विकास,' 'शिक्षा में असमरूपताएं, तथा 'विश्वविद्यालय समुदाय तथा उसकी स्वयतत्ता', आदि सम्मिलित हैं। ये परिचर्चाएं' साप्ताहिक आधार पर आयोजित की गईं।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी विचारों तथा अभ्यासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

वर्ष के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी विचारों तथा अभ्यासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ संस्थान के शैक्षिक क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। डा. (श्रीमती) टी. राजमल स्कूल निरीक्षिका, कांचीपुरम, तमिलनाडु को 1000 रुपए का पुरस्कार तथा 'उच्चतर माध्यमिक अवस्था पर व्यवसायी पाठ्यक्रम के विशेष संदर्भ में समुदाय विकास कार्यक्रम में सामाजिक एजेंट के रूप स्कूल का अध्ययन' शीर्षक से उनके नवाचारी शोध पत्र के लिए एक प्रमाण पत्र दिया गया।

शैक्षिक यूनिटें

संस्थान के शैक्षिक कार्य को शैक्षिक यूनिटों के रूप में पुनर्गठन को, जो अक्तूबर 1981 को पूरा किया गया था, वर्ष के दौरान स्थिरता प्रदान की गई। इससे संस्थान को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विकास करने में सहायता प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप शैक्षिक, योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक नीति, स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, उपराष्ट्रीय पद्धतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के क्षेत्रों में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुसंधान में अधिक शैक्षिक अंतर्भाविता तथा आगत प्रकट होने लगी।

शैक्षिक आधारिक संरचना

संस्थान के नवनिर्मित इलैक्ट्रोनिक डेटा प्रोसैसिंग तथा रीप्रोग्राफिक यूनिट (ई डी पी आर) में वर्ड प्रासेसर के प्राप्त होने तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक उपस्करों जैसे फोटोकोपियर, मलटिलिथ मशीन, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर तथा इलेक्ट्रोनिक स्टेंसिल कटर आदि के अंशदान से संस्थान को

अब अनुसंधान-शोधपत्र, पाठ्यक्रम सामग्री, रिपोर्ट तथा अन्य कार्यक्रम सामग्री को गुणता तथा गति से अत्याधुनिक पुर्नरुत्पादन की आधारिक संरचना प्राप्त हो गई है।

हिंदी सैल के बनाये जाने से हिंदी में प्रशिक्षण और अनुसंधान की सामग्री तैयार करने के क्षेत्र में संस्थान की शैक्षिक आधारिक संरचना में जो जटिल कमी थी वह भी पूरी हो गई है।

वर्ष के दौरान पुस्तकालय में भी सर्वांगीण विकास और वृद्धि दिखाई दी है। पुस्तकालय में शैक्षिक योजना और प्रशासन के विशेष क्षेत्र तथा अंतः शास्त्रीय विषयों में न केवल अधिक पुस्तकें तथा प्रलेखों का योगदान हुआ है बल्कि उसने फरवरी 1983 से राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़ कर वर्ष के शेष समय में पुस्तकालय खुला रखकर अनावरुद्ध पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाएं प्रदान कर प्रशंसनीय कार्य किया है। पुस्तकालय स्टाक में भी वृद्धि करके उसे सुदृढ़ किया गया है और वर्ष के दौरान पुस्तकालय को पुनः सज्जित तथा आधुनिक बनाया गया है।

संस्थान के प्रकाशन

संस्थान ने पहली बार निम्नलिखित मूल्यवाले प्रकाशनों को प्रकाशित किया है :

1. शिक्षा तथा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (अंगरेजी में)
   श्री जे वीराराघवन द्वारा संपादित;
2. भारत में स्कूल कांपलैक्सों की पुनःसक्रियता (अंगरेजी में)
   डा. आर पी सिंहल

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुलेखित्र अनुसंधान प्रकाशन भी प्रकाशित किए गए :

1. आई टी आई एस में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां—पांच राज्यों का एक अध्ययन।
2. आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन।
3. अनुसूचित जातियों की शिक्षा से संबंधित एक सटिप्पण ग्रंथ सूची।
4. उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों के नामांकन की प्रवृत्तियां (1964-77)।

संस्थान ने वर्ष के दौरान आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं प्रत्येक पर एक साइक्लोस्टाइल रिपोर्ट भी प्रकाशित की है।

यू जी सी के वेतनमान

1 अप्रैल 1982 से संस्थान के संकाय के लिए यू जी सी के वेतनमान को लागू करना वर्ष के दौरान संस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण सीमा चिह्न है।

शक्तियों का प्रत्यायोजना

संस्थान के गठन की उभरती हुई पद्धति में अधिक कार्यकारी तथा विकेंद्रित आधार पर शक्तियों के पुनः प्रत्यायोजन के व्यापक विस्तार की ओर प्रथम चरण बढ़ाने तथा संस्थान की कार्य प्रणाली को सुप्रवाही तथा सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से निदेशक के पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार कार्यकारी निदेशक तथा रजिस्ट्रार को तथा रजिस्ट्रार से प्रशासनिक अधिकारी को पुनः प्रत्यायोजित किए गए। फलस्वरूप विविध शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीन तथा शैक्षिक यूनिटों के मुख्याध्यक्षों को वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए गए। मुद्रण तथा प्रकाशन कार्यों के लिए प्रकाशन अधिकारी को भी पर्याप्त वित्तीय अधिकार सौंपे गए हैं।

स्टाफ

वर्ष के दौरान संस्थान में शैक्षिक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास में रुपए 1500-2500 के वेतनमाव में दो वरिष्ठ अध्येताओं के पद तथा अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में रुपए 1200-1900 के वेतनमान में एक अध्येता के पद का निर्माण कर संकाय को सुदृढ़ बनाया गया।

31 मार्च 1982 को कैडर तथा परियोजना स्टाफ की संख्या क्रमश: 139 तथा 28 थी, इसकी तुलना में 31 मार्च 1983 को कैडर तथा परियोजना स्टाफ की कुल स्वीकृत संख्या क्रमश: 148 तथा 66 हो गई।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

संस्थान की मानव संसाधन विकास की नीति के अनुपालन के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारी सदस्यों तथा संकाय के अनेक सदस्यों ने आवश्यकतानुसार पहचाने गए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करना पसंद किया।

नीपा परिसर

नीपा के संकाय तथा स्टाफ के अन्य सदस्यों की लंबी समय से चली आ रही आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 16-ए टाइप क्वार्टर, 8-ई टाइप क्वार्टर वाले दो आवासीय यूनिटों का अगस्त 1982 को निर्माण किया गया और साथ ही साथ उनको बसा भी दिया गया।

आवासीय यूनिटों के निर्माण, छात्रावास का उच्च श्रेणीकरण तथा बढ़ता हुआ आवास, वर्ष भर पुस्तकालय सुविधाओं का प्रदान किया जाना, बागवानी स्थान का विकास तथा संवर्द्धित परिवेश के कारण संस्थान का पूर्णरूपेण नीपा परिसर के रूप में विकास हुआ है तथा उसके क्रियाकलापों में संकाय तथा स्टाफ के सदस्यों का अधिक से अधिक योगदान हुआ है।

निदेशक के निवास तथा टाइप II तथा III के क्वार्टरों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है तथा दो ट्यूबवेल की बोरिंग प्रारम्भ हो चुकी हैं। दूसरी मंजिल पर व्याख्यान हाल के नवीकरण तथा विस्तार की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।

वित्त

वर्ष 1981-82 के दौरान संस्थान को शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त होने वाली राशि 45.84 लाख (रुपए 20.39 लाख योजना इतर तथा 25.55 लाख योजना के अंतर्गत) की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान 55.47 लाख (25.29 लाख गैर योजना तथा रुपए 29.48लाख योजना के अंतर्गत) की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त संस्थान को अनुसंधान अध्ययनों के संचालन के लिए गृह मंत्रालय, आई सी एस एस आर तथा यूनेस्को से विशिष्ट अनुदान सहायता प्राप्त हुई है।

भाग : एक

प्रशिक्षण कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान ने देश तथा विदेश के विभिन्न शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यक्रम कैडर तथा साथ ही साथ विषयों पर आधारित थे। उनमें शिक्षा के विविध क्षेत्रों जैसे स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य प्रयास शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों की क्षमताओं की सुदृढ़ बनाने की ओर था।

वर्ष 1981-82 की अवधि के दौरान आयोजित 39 कार्यक्रमों की तुलना में वर्ष 1982-83 की अवधि में 44 कार्यक्रम आयोजित किए गए। विषयों, स्तरों तथा क्षेत्रों के अनुसार कार्यक्रमों का विस्तृत वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

1. शैक्षिक योजना	2 कार्यक्रम
2. शैक्षिक प्रबंध	1 कार्यक्रम
3. स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन।	5 कार्यक्रम
4. संस्था संबंधी प्रबंध (स्कूल)	4 कार्यक्रम
5. उच्चतर शिक्षा की योजना और प्रशासन	7 कार्यक्रम
6. शैक्षिक वित्त का प्रबंध	3 कार्यक्रम
7. शैक्षिक नीति	1 कार्यक्रम
8. वंचित विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का प्रबंध	1 कार्यक्रम
9. प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रशासन	1 कार्यक्रम
10. विशेष कार्यक्रम	8 कार्यक्रम
11. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	11 कार्यक्रम

उपरोक्त वर्गीकरण कुछ यूनिटों द्वारा उसी वर्गीकरण के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के एकीकृत चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष के दौरान सम्पन्न कार्यक्रमों का सारांश नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	दिनांक अवधि	भाग लेने वालों की संख्या	कार्यक्रम दिवस दिन
1	2	3	4	5
	शैक्षिक योजना			
1.	शैक्षिक योजना में आगत-निर्गत तकनीकों के प्रयोग पर कार्यशाला	22-24 सितंबर 1982 (3 दिन)	26	78
2.	बंबई में भारत के महानगरीय शहरों के नगर निगमों के शिक्षा अधिकारियों के लिए शिक्षा की परिप्रेक्ष्य योजना पर कार्यशाला (ग्रेटर बंबई के नगर निगम के सहयोग से)	13-17 दिसंबर 1982 (5 दिन)	54	270
	कुल योग	8 दिन	80	348
	शैक्षिक प्रबंध			
3.	केस अध्ययन पर कार्यशाला	22-26 नवंबर 1982 (5 दिन)	19	95
	स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन			
4.	शैक्षिक योजना और प्रबंध में चौथे पत्राचार पाठ्यक्रम का संपर्क कार्यक्रम	24-29 मई, 1982 (6 दिन)	18	108
5.	जिला शिक्षा अधिकारियों (डी ई पी ए) के लिए पूर्व-आगमन कार्यक्रम	1 जुलाई-30 सितंबर 1982 (90 दिन)	29	2610
6.	वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	6-24 दिसंबर 1982 (17 दिन)	16	272
7.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पूर्व-आगमन कार्यक्रम की दूसरी प्रावस्था	24-28 जनवरी 1983 (6 दिन)	29	145
8.	वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	7-25 फरवरी 1983 (19 दिन)	14	266
	योग	137 दिन	125	3401
	संस्था संबंधी प्रबंध (स्कूल)			
9.	गोआ में संचालित प्रधानाचार्यों के लिए संस्था संबंधी प्रबंध में कार्यशाला।	18-29 जून 1982 (12 दिन)	37	444
10.	जयपुर के जिला अधिकारियों तथा स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए जयपुर में आयोजित संस्था संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन की सक्रियात्मक समस्याओं पर कार्यशाला।	2-6 नवंबर, 1982 (5 दिन)	10	50

1	2	3	4	5
11.	अजमेर के जिला अधिकारियों तथा स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए अजमेर में आयोजित संस्था संबंधी योजताओं के कार्यान्वयन की संक्रियात्मक समस्याओं पर कार्यशाला	8-10 नवंबर, 1982 (3 दिन)	41	123
12.	पांडिचेरी में माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	18-23 जनवरी 1982 (6 दिन)	35	210
	योग	26 दिन	123	827
	उच्च शिक्षा की योजना और प्रशासन			
13.	हरियाणा के गैर सरकारी कॉलिजों के प्रधानाध्यापकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	14-23 जून. 1982 (10 दिन)	18	180
14.	कॉलिज-प्रशासन की समस्याओं पर कॉलिज प्रधानाचार्यों की एक दिन की संगोष्ठी	15 अक्तूबर 1982 (1 दिन)	12	12
15.	लोनावाला में बंबई विश्वविद्यालय के कॉलिजों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।	1-10 नवंबर, 1982 (10 दिन)	20	200
16.	कॉलिज प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से)	8-27 नवंबर 1882 (20 दिन)	29	580
17.	महिला कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (यू जी सी के सहयोग से)	2-22 दिसंबर, 1982 (21 दिन)	20	420
18.	कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (यू जी सी के सहयोग से)	2-23 मार्च, 1983 (22 दिन)	21	462
19.	संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ई एफ आई) को प्रस्थान करने वाले कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए पूर्व प्रस्थान अभिविन्यास कार्यक्रम	24-25 मार्च, 1983 (2 दिन)	8	16
	योग	86 दिन	128	1870
	शैक्षिक वित्त का प्रबंध			
20.	शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन के जुटाव पर संगोष्ठी	27-31 जुलाई 1982 (5 दिन)	11	55

1	2	3	4	5
21.	शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम।	4-14 जनवरी, 1983 (11 दिन)	12	132
22.	दिल्ली में शिक्षा के अतिरिक्त संसाधनों के जुटाव पर अनुसंधान अध्ययन पर कार्यशाला।	9 फरवरी, 1983	33	33
	योग	17 दिन	56	220
	शैक्षिक नीति			
23.	आश्रम स्कूलों की सुविधाओं तथा कार्यप्रणाली का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाने पर कार्यशाला।	10-18 मई, 1982 (9 दिन)	6	54
	वंचित विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का प्रबंध			
24.	नेत्रहीनों की शिक्षा की योजना और प्रशासन की समस्याओं को पहचानने पर राष्ट्रीय कार्यशाला।	16-18 नवंबर, 1982 (3 दिन)	10	30
	प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा योजना तथा प्रशासन			
25.	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रबंध और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम।	14-18 फरवरी 1982 (5 दिन)	30	150
	विशेष कार्यक्रम			
26.	जिला सहायक शिक्षा अधिकारियों के लिए जनसंख्या शिक्षा की योजना तथा प्रबंध से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम।	3-6 मई, 1982 (4 दिन)	19	76
27.	निरीक्षण परियोजना के जिला शिक्षा अधिकारियों के संपर्क अधिकारियों के अभिविन्यास कार्यशाला।	19-21 जुलाई 1982 (3 दिन)	5	15
28.	एस सी ई आर टी तथा एस आई ई एस के निदेशकों के लिए योजना और प्रबंध से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम।	30 अगस्त-2 सितंबर, 1983 (4 दिन)	19	76
29.	स्कूलों के लिए अधिकतम अध्यापक—छात्र अनुपात पर कार्यशाला।	29 सितंबर, 1982 (1 दिन)	29	29
30.	राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा योजना पर कार्यशाला	7 अक्तूबर 1982 (1 दिन)	31	31

1	2	3	4	5
31.	दिल्ली और पूना में आयोजित अध्यापक-छात्र अनुपात पर अध्ययन करने वाले अनुसंधान सहायकों का अभिविन्यास	19-20 जनवरी 1983 (2 दिन)	8	16
32.	कौम्बतूर में आयोजित शिक्षा के व्यवसायीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	12-15 फरवरी 1983 (4 दिन)	20	80
33.	विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए जन संख्या शिक्षा से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम ।	14-17 मार्च 1983 (4 दिन)	21	84
	योग	23 दिन	152	407

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

34.	आई आई ई पी ए के एशियाई प्रशिक्षणार्थियों का अध्ययन व दौरा।	31 मई-6 जून (7 दिन)	7	49
35.	संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययनों के पाठ्यचर्या विकास अधिकारियों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कार्यशाला ।	1-16 जुलाई तथा 5-7 अगस्त, 1982 (19 दिन)	15	285
36.	पपुआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम	1 अगस्त 30 अक्तूबर, 1982 (90 दिन)	5	450
37.	इथोपिआई अधिकारियों का स्कूलों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की योजना से संबंधित अध्ययन दौरा	1-16 अगस्त 1982 (16 दिन)	1	16
38.	स्कूलों के लिए शैक्षिक सुविधाएं की योजना से संबंध इथोपिअन अधिकारियों का अध्ययन दौरा ।	9-21 अगस्त, 1982 (13 दिन)	1	13
39.	श्री लंका के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 नवम्बर-6 फरवरी (70 दिन)	16	1120
40.	यू जी सी के सहयोग से डा. सैंग जिन रीह, सह आचार्य, लोक प्रशासन विभाग कोरिया गण राज्य, का अध्ययन दौरा	1 नवम्बर 1982 से जुलाई 1983 (151 दिन)	1	151
41.	शैक्षिक प्रबंध तथा संसाधनों के पद्धतिबद्ध जुटाव पर बैंकांक में थाईलैंड के अध्यापक प्रशिक्षण कॉलिज प्रशासन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	13-24 दिसम्बर, 1982 (12 दिन)	36	432
42.	शिक्षा के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ।	27-31 दिसंबर 1982 (4 दिन)	10	50

1	2	3	4	5
43.	शैक्षिक योजना तथा स्कूल मानचित्रण पर छः यूनेस्को अफगान अध्येताओं का अध्ययन दौरा ।	17-18 फरवरी, 1983 (2 दिन)	6	12
44.	श्री सी कुमसा, अध्यक्ष, योजना विभाग, शिक्षा मंत्रालय, इथोपिया का अध्ययन दोरा	10-16 मार्च 1983 (7 दिन)	1	7
	योग	392 दिन	99	2585

रिपोर्टाधीन वर्ष में आयोजित उपरोक्त कार्यक्रमों में 809 भाग लेने विशेषज्ञ थे जिनमें शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, केंद्र तथा राज्य स्तरों पर वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, एस सी ई आर टी के निदेशक, कॉलिजों के आचार्य तथा प्रधानाचार्य, वित्तीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, स्कूलों के प्रधानाचार्य तथा मुख्याध्यक्ष आदि सम्मिलित थे । कार्यक्रमों के विविध वर्गों में भाग लेने वालों तथा कार्यक्रम व्यक्ति दिवस का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ग	भाग लेने वालों की संख्या	कार्यक्रम दिवसों की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिवस
1. शैक्षिक योजना (2 कार्यक्रम)	80 (9.88 प्रतिशत)	8	348 (3.48 प्रतिशत)
2. शैक्षिक प्रबंध (1 कार्यक्रम)	19 (12.35 प्रतिशत)	5	95 (0.95 प्रतिशत)
3. स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन (5 कार्यक्रम)	106 (13.10 प्रतिशत)	137	3401 (34 05 प्रतिशत)
4. संस्थान संबंधी प्रबंध (स्कूल) (4 कार्यक्रम)	123 (15.20 प्रतिशत)	26	827 (8·28 प्रतिशत)
5. उच्चतर शिक्षा की योजना और प्रशासन (7 कार्यक्रम)	128 (15.82 प्रतिशत)	86	1870 (18.72 प्रतिशत)
6. शैक्षिक वित्त का प्रबंध (3 कार्यक्रम)	56 (6.92 प्रतिशत)	17	220 (2.20 प्रतिशत)
7. शैक्षिक नीति (1 कार्यक्रम)	6 (0.74 प्रतिशत)	9	54 (0.54 प्रतिशत)
8. वंचित विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का प्रबंध (1 कार्यक्रम)	10 (1.24 प्रतिशत)	3	30 (0.30 प्रतिशत)

9. अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा की योजना तथा प्रशासन (1 कार्यक्रम)	30 (3.17 प्रतिशत)	5	150 (1.50 प्रतिशत)
10. विशेष कार्यक्रम (8 कार्यक्रम)	152 (18.79 प्रतिशत)	23	407 (4.07 प्रतिशत)
11. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (11 कार्यक्रम)	99 (12.23 प्रतिशत)	302	2585 (25.88 प्रतिशत)
योग	809	711	9987

संस्थान ने अपने प्रशिक्षण क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है और निम्नलिखित क्षेत्रों में नए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं—शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रबंध, शैक्षिक नीति, वंचित विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का प्रबंध तथा जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा तथा शिक्षा का व्यवसायीकरण। गहन प्रशिक्षण के लिए लम्बी अवधि के कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान किया गया अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जैसे, शैक्षिक योजना और प्रशासन में 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी ई पी ए), पपूआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा श्री लंका के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा श्री लंका के अधिकारियों के लिए स्कूल प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम। तथापि स्कूल शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना में लगातार मुख्य स्थान पाते रहे। स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन तथा दोनों को मिला कर इनके स्कूलों के संस्था संबंधी प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या सबसे अधिक थी यथा 229 भाग लेने वाले व्यक्ति जो कुछ भाग लेने वालों के 28 प्रतिशत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वर्ष के दौरान सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 4,223 कार्यक्रम व्यक्ति दिवस थे। तथापि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन पर मुख्य रूप से बल दिया गया जिसमें 99 विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा 2, 585 कार्यक्रम व्यक्ति दिवस माने गए जब कि पिछले वर्ष की अवधि में भाग लेने वालों की संख्या 38 तथा कार्यक्रम व्यक्ति दिवस 580 थे। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी नियमित रूप से महत्वपूर्ण स्थान पाता रहा।

भाग लेने वाले व्यक्तियों मे उच्चतम संख्या संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से थी यथा 115 (14 प्रतिशत) व्यक्ति। इसके पश्चात महाराष्ट्र से 98 (12 प्रतिशत) तथा राजस्थान से 77 (9.5 प्रतिशत) व्यक्तियों ने उपरोक्त कार्यक्रमों में भाग लिया।

उपरोक्त कार्यक्रमों में 21 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों से भाग लेने वालों की संख्या 150 थी जो कुल संख्या का 18 प्रतिशत है। भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या 130 थी जो कुल संख्या के 16 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। वाचस्पति की उपाधि प्राप्त भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 144 थी जो कुल संख्या का 17 प्रतिशत है।

13 विदेशों यथा अफगानिस्तान, बंगला देश, भूटान, चीन, इथोपिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, पपुआ न्यू गिनी, थाईलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका से 95 व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए कार्यक्रमों में भाग लिया। विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नए कार्यक्रमों,

पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया :

(क) लम्बी अवधि वाले नए कार्यक्रम

(i) **शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम** : शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को देश में नए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक नियमित पद्धतिबद्ध : व्यवस्था माना गया। इस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता लम्बे समय से अनुभव की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा में अच्छा प्रबंध सरकार की योजनाओं तथा नीतियों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किए जाने में मुख्य भूमिका निभाता है। नए भरती किए गए पदोन्नति प्राप्त जिला शिक्षा अधिकारियों अथवा जिनकी पदोन्नति होने वाली है उनके लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण पाठ्क्रम राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्मिकों एक कैडर बनाने में काफी सीमा तक सहायक सिद्ध होगा। कुल 6 माह में से 3 माह प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नीपा में गहन पाठ्यचर्या कार्य पर व्यतीत किए जाते हैं और शेष तीन जॉब से संबंधित पर्यवेक्षित परियोजना पर। नीपा में पाठ्यचर्या कार्य द्वारा निम्नलिखित विषयों पर बल दिया जाता है—शिक्षा का सामाजिक संदर्भ; स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शैक्षिक विकास; स्कूल शिक्षा में वर्तमान; शैक्षिक योजना की संकल्पना, नींव तथा उपागम; शैक्षिक योजना की मात्रात्मक विधियां I तथा II; जिला स्तर पर शैक्षिक योजना; प्रबंध के संगठनात्मक पक्ष; प्रबंध के व्यवहारात्मक पक्ष, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रबंध; तथा उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन। पाठ्यक्रम में क्षेत्र दौरे, व्यवहारिक अभ्यास तथा समूह कार्य आदि भी सम्मिलित हैं।

शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में पहला डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी ए पी ए) जुलाई, 1983 को आयोजित किया गया। निम्नलिखित 13 राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों से 29 व्यक्तियों ने भाग लिया।

राज्य संघ शासित क्षेत्र	भाग लेने वालों की संख्या
अंडमान तथा निकोबार	1
आंध्र प्रदेश	2
आसाम	2
दिल्ली	4
गोआ, दमण और दिऊ	1
जम्मू तथा कश्मीर	1
कर्नाटक	4
मध्यप्रदेश	5
महाराष्ट्र	3
मनीपुर	1
नागालैंड	2
राजस्थान	2
अरूणाचल प्रदेश	1
योग	29

पाठ्यक्रम में 30 गण्यता वाले 12 माड्यूल सम्मिलित किए गए थे। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या निदेशों से संबंधित कार्य प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित ब्योरा इस उद्देश्य के लिए निर्मित कार्यशक्ति की शृंखलाबद्ध बैठकों में तैयार किया गया था। पाठ्यक्रम के प्रारंभ से डिप्लोमा पाठ्यक्रम की एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमें पाठ्यचर्या तथा अन्य ब्यौरों को वर्णन किया गया है।

यह पाठ्यक्रम अपने ही प्रकार का पहला कार्यक्रम था और वस्तुतः अधिक सफल सिद्ध हुआ। चूंकि यह पाठ्यक्रम नए पदोन्नति प्राप्त नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारियों अथवा जिनकी जिला शिक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नति की जाने वाली है, के लिए तैयार किया गया था अतः यह उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ तथा पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले बहु विविध कार्यों के विभिन्न पक्षों पर सूझ-बूझ प्राप्त हुई। यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि जिन व्यक्तियों ने अपनी पदोन्नति के पूर्वापेक्ष में पाठ्यक्रम में भाग लिया था, उनकी पदोन्नति हो चुकी है तथा उन्हें जिला शिक्षा अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। यह भी हर्ष का विषय है कि पहले पाठ्यक्रम की सफलता के कारण कुछ विद्वानों ने भी जुलाई 1983 को प्रारंभ होने वाले दूसरे पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले भारतीयों के साथ अपने देश के व्यक्तियों के भाग लिए जाने में रुचि का प्रदर्शन किया है।

(ii) **पपुआ न्यू गिनी के लिए कार्यक्रम** : कामनवैल्थ फाउंडेशन फार टैक्नीकल को ओपरेशन (सी एफ टी सी) लंदन के अनुरोध तथा सहयोग से नीपा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पी एन जी के शिक्षा विभाग के 5 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(iii) **श्री लंका के लिए कार्यक्रम** : श्री लंका के शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर तथा एस आई डी ए जो समुद्रपारीय विकास के लिए स्वीडिश निधि सहायक एजेंसी है, के सहयोग से श्री लंका के शैक्षिक कार्मिकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस पाठ्यक्रम में द्वीप के विभिन्न भागों के स्कूलों के 16 प्रधानाचार्यों ने भाग लिया तथा इसका आयोजन 28 नवंबर, 1982 से 6 फरवरी, 1983 तक किया गया। भाग लेने वाले अधिकतर स्कूलों के वरिष्ठ प्रधानाचार्य थे। श्री लंका अपनी स्कूल-पद्धति को नया अभि-विन्यास प्रदान करने तथा उसको विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रम को प्रारंभ करने की तैयारी में है, इसलिए अपने वर्तमान प्रशासन तथा प्रबंध संरचनाओं को सुदृढ तथा सुप्रवाही बनाने तथा विविध स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधकों, विशेष रूप से स्कूलों के मुख्याध्यक्षों, के जो शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने के कार्य में सबसे बड़ा तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण समृद्ध माना जाता है, व्यवसायिक कौशलों को ऊंचा उठाने के लिए अधिक इच्छुक है।

श्रीलंका ने स्कूलों के शैक्षिक प्रबंध में परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करने तथा स्कूलों के प्रधानाचार्यों, उप-प्रधानाचार्यों, क्षेत्रीय मुख्याध्यक्षों तथा क्षेत्र के सरकट शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए अपने अपनें क्षेत्रीय शिक्षा विभागों में प्रबंध सेवा अधिकारियों का एक नया काडर बनाने का प्रस्ताव किया है। यह इस विचार से किया गया कि श्रीलंका सरकार के स्कूलों के कुछ वरिष्ठ प्रधानाचार्यों को प्रबंध सेवा अधिकारियों का एक नया काडर तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

उपरोक्त उद्देश्यों की ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार पाठ्यक्रम को नियोजित किया गया। नीपा के एक संकाय सदस्य को, जो श्रीलंका की शैक्षिक संस्थाओं तथा नीतियों से परिचित थे, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए उस देश में नियुक्त किया गया। उन्होंने श्रीलका सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों तथा कुछ संभावी प्रशिक्षणार्थियों से विस्तृत परिचर्चाएं कीं। संकाय-सदस्य ने स्कूलों की कार्य पद्धति की सूचना प्राप्त करने के लिए कोलोम्बो

तथा केगला जिलों के कुछ स्कूलों का दौरा किया।

इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित किए गए कार्य समूह ने काफी विचार-विमर्श के पश्चात पाठ्यचर्याप्रशिक्षणात्मक कार्य प्रणाली, क्षेत्रीय दौरे, संलग्नक कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रियाओं आदि को सम्मिलित कर पाठ्यक्रम का एक डिजाइन तैयार किया।

भाग लेने वाले सभी 16 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया तथा नीपा द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की सराहना न केवल भाग लेने वालों ने की बल्कि श्री इकमन, जो एस आई डी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा कार्यक्रम के अंतिम मूल्यांकन के समय दिल्ली में उपस्थित थे, ने भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। श्रीलंका सरकार ने भी अपनी शैक्षिक कार्मिकों के लिए नीपा द्वारा संचालित इस कार्यक्रम पर संतोष तथा अपनी हार्दिक प्रशंसा की अभिव्यक्ति की। इससे भी अधिक उन्होंने नीपा से वर्ष 1983-84 की अवधि में भी समान रूपरेखा अपने शैक्षिक कार्मिकों के लिए तीन माह के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अनुरोध किया तथा वर्ष 1983-84 के दौरान जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए 6 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने कुछ अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव भी किया।

(iv) **नीपा की 'सह-सदस्यता' प्रदान किया जाना** : वर्ष के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा नवाचारों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्था की सह-सदस्यता प्रदान करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे ही व्यक्ति लिए जा सकते हैं, जो मानविकी, सामाजिक विज्ञानों अथवा नैसर्गिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हों तथा जिन्होंने गुणतापूर्ण अनुसंधान कार्य किया हो अथवा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया हो अथवा जिन्हें अपेक्षित प्रशासनिक व्यवसायिक अनुभव प्राप्त हो।

क्षेत्र-दौरों तथा शोध-प्रबंध के प्रस्तुत करने की अवधि को सम्मिलित कर 'सह-सदस्यता' के कार्यक्रम की अवधि 2 अकादिमक सत्र होते हैं।

विद्यार्थी के अनुसंधान कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक द्वारा एक अनुसंधान पर्यवेक्षण समिति नियुक्त की गई है। संकाय सदस्य, जिसके साथ अनुसंधान कार्य करने के लिए विद्यार्थी को संलग्न किया गया हैं इस समिति के संचालक का कार्य करता है।

अनुसंधान कार्य के मूल्यांकन के लिए निदेशक द्वारा एक परीक्षा (जांच) समिति गठित की गई है जो विद्यार्थी के शोध-प्रबंध की जांच करती है तथा मौखिक परीक्षा का संचालन करती है। उसकी सिफारिशें अंतिम मानी जाती हैं।

डा. सेंग जिन रीह, सह आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, विधि और व्यापार कॉलिज, जिओंग सांग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिन जू, दक्षिणी कोरिया को आदान-प्रदान कार्यक्रम (यू जी सी की अध्येता वृत्ति के साथ) के अंतर्गत। नवंबर, 1982 को संस्थान के संलग्न किया गया। उन्होंने अपनी वाचस्पति की उपाधि के बाद के अनुसंधान कार्य के लिए नीपा की 'सह-सदस्यता' प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया। उनका शोध पत्र का विषय है —'भारतीय उच्चतर शिक्षा में निर्णय निर्माण —भारत के चुने हुए 13 विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में।'

(ख) अन्य नए कार्यक्रम

(i) **थाईलैंड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम** : थाईलैंड के अध्यापक प्रशिक्षण कॉलिजों,

बैंकाक के महाचार्यों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अवधि, 13-24 दिसंबर, 1982 तक 12 दिन की थी। 'शैक्षिक संसाधनों के पद्धतिबद्ध जुटाव पर फोक्स करते हुए शैक्षिक प्रबंध' इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य विषय था। यह कार्यक्रम यूनेस्को के सहयोग से थाईलैंड सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रो. मुनीसर, निदेशक नीपा ने पाठ्यक्रम निदेशक की भूमिका अदा की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 26 थी। इस पाठ्यक्रम की महत्ता इस कारण बढ़ गई कि थाईलैंड सरकार ने यह अनुभव किया कि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलिजों के महाचार्य उन अध्यापकों में से भरती किए जाते थे जिनके पास शैक्षिक प्रबंध तथा शैक्षिक संसाधनों के जुटाव के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव नहीं होता था। नीपा के कुछ संकाय सदस्यों ने पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से कुछ प्रशिक्षणात्मक सामग्री तैयार की थी। नीपा ने सभी भाग लेने वालों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। भाग लेने वालों ने पाठ्यक्रम को अति उच्च कोटि का पाया। थाईलैंड सरकार ने इस पाठ्यक्रम के संचालन तथा नीपा के संकाय सदस्यों द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए अपनी प्रशंसा अभिव्यक्त की है।

(ii) **नेत्रहीनों के स्कूलों का प्रबंध** : चूंकि नेत्रहीनों की संस्थाओं की आवश्यकताएं नेत्रवान विद्यार्थियों की संस्थाओं से भिन्न होती हैं, इसलिए नेत्रहीनों की शिक्षा की योजना और प्रबंध की समस्याओं को पहचानने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करना आवश्यक माना गया। कार्यशाला का आयोजन दिसंबर 1982 को किया गया। इस कार्यशाला में उन व्यक्तियों ने भाग लिया जो नेत्रहीनों के स्कूलों मे संबद्ध समस्याओं तथा मामलों से परिचित थे। भाग लेने वालों में से कुछ तो स्वयं नेत्रहीन थे। उनके पास नेत्रहीनों की शिक्षा की संस्थाओं के प्रबंधन का समृद्ध अनुभव था। यह कार्यशाला ऐसी संस्थाओं की योजना तथा प्रबंध संबंधी समस्याओं को पहचानने तथा 1983-84 की अवधि में नेत्रहीनों के स्कूलों के अध्यक्षों के लिए नीपा में होने वाले अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या करने में उपयोगी सिद्ध हुई। भाग लेने वालों द्वारा चुने गए सभी विषयों को सम्मिलित कर पठन-सामग्री तैयार की गई।

(iii) **विषय संबंधी कार्यशालाएं : संगोष्ठियां** : रिपोर्टाधीन अवधि में नीपा द्वारा शैक्षिक योजना और प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर परिचर्चा करने के लिए कुछ विषयवार कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित की गईं। इनमें शिक्षा के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा योजना पर कार्यशाला सम्मिलित है।

(iv) **जनसंख्या के प्रबंध में प्रशिक्षण** : भारत में शिक्षा की औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धति के विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या संबंधी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए नीपा ने जनसंख्या शिक्षा पर एक परियोजना प्रारंभ की तथा भारत के राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए जनसंख्या शिक्षा के प्रभावी नियोजन तथा प्रशासन में शृंखलाबद्ध विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जनसंख्या शिक्षा के प्रबंध पर निम्नलिखित विशेष कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

कार्यक्रम	सम्मिलित लक्ष्य समूह
(क) प्रौढ़ों के लिए जनसंख्या शिक्षा की योजना और प्रबंध संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम।	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी।

कार्यक्रम	सम्मिलित लक्ष्य समूह
(ख) स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा की योजना और प्रबंध संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम।	एस सी इ आर टी, तथा एस आई ई के निदेशक
(ग) उच्चतर शिक्षा में जन संख्या शिक्षा की योजना और प्रबंध संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम।	कॉलिज प्रधानाचार्य

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा वर्ष के दौरान नीपा के पहले से चले आ रहे विविध कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा के प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया।

संस्थान ने पिछले वर्ष भी जनसंख्या की योजना तथा प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। ये सब कार्यक्रम यूनेस्को यू एन एफ पी ए तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किए थे। इन कार्यक्रमों का मुख्य प्रयास जनसंख्या शिक्षा को विकास से संबद्ध करने की ओर था क्योंकि यह अनुभव किया गया कि जनसंख्या शिक्षा को न केवल छोटे परिवार की संकल्पना तक ही सीमित किया जाए बल्कि इस पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे का स्वास्थ्य, महिलाओं की प्रस्थिति, पर्यावरणीय परिरक्षण तथा संरक्षण, ग्रामीण तथा शहरी स्थानांतरण, शैक्षिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव आदि सम्मिलित हैं। जनसंख्या शिक्षा की संकल्पना के उचित मूल्यांकन के अतिरिक्त विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की आधुनिक प्रबंध तकनीकों से परिचित करवाया गया जिससे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की, जो अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उचित योजना बनाई जा सके तथा उसे क्रियान्वित किया जा सके। जनसंख्या शिक्षा परियोजना के एक भाग के रूप में नीपा ने अनेक शोध पत्र तथा अन्य सामग्रियां प्रकाशित कीं जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण आगत का कार्य किया। तैयार किए गए निम्नलिखित प्रलेखों का यहां विशेष उल्लेख किया जा सकता है :

(क) भारत का जिला-पार्श्व चित्र	आंकड़े-आधार
(ख) भारत में शैक्षिक वृद्धि	आंकड़े-आधार

(v) **शैक्षिक प्रबंध में केस विकसित करने पर कार्यशाला** : संस्थान ने 22-26 नवंबर, 1982 को शिक्षा प्रबंध में केस विकसित करने से संबंधित पांच दिन की प्रथम कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में दिल्ली के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों से लिए गए 12 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला की योजना अनिवार्यत: शैक्षिक प्रबंध के लाभ के लिए संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान केस लिखने के लिए बनाई गई थी। कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चा की गई : (1) प्रयोगात्मक सीखने की विधियां; (2) शैक्षिक प्रबंध में केस; (3) केस लिखने की कला, (4) केस का प्रस्तुतीकरण, कॉलिज-प्रधानाचार्य प्रो. आचार्य; (5) केस परिचर्चा का नेतृत्व : प्रक्रिया तथा विधि।

(ग) पहले से चले आ रहे कार्यक्रम

(i) **कॉलेज-प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** : गत समय की तरह संस्थान ने कॉलिज प्रधानाचार्यों के लाभ के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में श्रृंखलाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। आयोजित पांच कार्यक्रमों में से तीन कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से आयोजित किए गए थे। इन तीन कार्यक्रमों में से एक भारत में महिला कॉलिजों के प्रधानाचार्यों के लिए तथा दूसरा उन कॉलिजों के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित

किया गया था जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या सकेंद्रित थी। ये कार्यक्रम प्रति तीन सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित किए गए थे। चौथा कार्यक्रम बंबई, विश्वविद्यालय के अनुरोध पर तथा उसके सहयोग से संबद्ध विश्वविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए 10 दिन की अवधि के लिए लोनावाला (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया। इस पाठ्क्रम के संचालन में नीपा के कुछ संकाय सदस्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के कॉलिज-प्रधानाचार्यों में से नीपा द्वारा पहले प्रशिक्षित विशेषज्ञ व्यक्तियों ने भी सहायता प्रदान की।

संस्थान ने हरियाणा के गैर-सरकारी कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए 10 दिन की अवधि वाला एक अन्य अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उच्चतर शिक्षा में नीजी प्रबंध की भूमिका तथा शैक्षिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सरकार के साथ उनकी साझेदारी पर विशेष बल दिया गया।

अत्यधिक उपयोगिता के कारण कॉलिज-प्रधानाचार्यों के कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए। इन पाठ्यक्रमों से कॉलिज के प्रधानाचार्य ने द्रुतगति से होते हुए शैक्षिक विकासों का संग्रहण ही नहीं किया बल्कि उन्हें संख्या संबंधी योजना तथा प्रबंध की आधुनिक तकनीकों से भी अवगत कराया गया।

(ii) **वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जिसमें प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक तथा संयुक्त उप-शिक्षा निदेशक भी सम्मिलित हैं, दो कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रत्येक कार्यक्रम तीन सप्ताह की अवधि का था। इन कार्यक्रमों द्वारा अधिकारियों को शैक्षिक नीति तथा योजना के विविध महत्वपूर्ण मामलों जैसे शैक्षिक योजना और प्रशासन की बहु-स्तरीय पद्धति; शिक्षा में इक्यूटि, समानता तथा गुणता; समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा, शैक्षिक विकास के लिए गैर-मौद्रिक आगत; तथा शिक्षा को प्राप्त समुदाय की सहायता से अवगत करवाया गया। उन्हें शैक्षिक प्रशासन की आधुनिक संकल्पनाओं तथा तकनीकों से भी परिचित करवाया गया। परिवीक्षण तथा मूल्यांकन, समन्वय तथा संबद्धता संचार, प्रभावी निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, विभागीय जांच का संचालन, सूचना पद्धति का प्रबंध आदि विषयों पर अत्यधिक बल दिया गया। भाग लेने वालों ने दोनों कार्यक्रमों की अत्यधिक सराहना की। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रमों के शृंखलाबद्ध भाग के रूप में संचालित किए जाते हैं।

(iii) **स्कूल अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** : ये कार्यक्रम संघ शासित क्षेत्रों गोवा, दमन, दिऊ तथा पांडिचेरी के प्रशासकों के अनुरोध पर आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम मारगो, मोपास, गोआ तथा पांडिचेरी के कराईकल जिले में उच्चतर तथा माध्यमिक स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के लिए आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में प्रधान अध्यापकों की प्रशासनिक क्षमताओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधान अध्यापक ने भी अपनी संस्थाओं के विकास के लिए एक कार्यकारी योजना तैयार की। पांडीचेरी में कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा स्कूल कॉम्पलेक्स में नवाचारी कार्यक्रम भी तैयार किया गया।

(iv) **अमरीकी कार्मिकों के लिए यू एस ई एफ आई कार्यक्रम** : यू एस ई एफ आई के सहयोग से नीपा द्वारा वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन में पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या विशेषज्ञों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर कार्यशाला आयोजित करने के पहले से चले आ रहे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(घ) प्रशिक्षण में अनुसंधान का निवेश

प्रशिक्षण को नीपा की अनुसंधान परियोजना से संबद्ध करने का प्रयत्न किया गया। शैक्षिक रूप से कुछ विकसित तथा पिछड़े हुए राज्यों में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण संबंधी अभ्यास तथा निष्पत्तियां, शिक्षा प्राप्ति की लागत, आश्रम स्कूलों का अध्ययन तथा आई टी आई में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सुविधाएं, अधिकतम अध्यापक-छात्र अनुपात पर अध्ययन, शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं पर अध्ययन, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना, परिवीक्षण तथा सांख्यिकी की समस्याओं का अध्ययन, हरियाणा के लिए शैक्षिक सेवाओं के अनुरक्षण तथा विकास के लिए मानकों का अध्ययन; आदि अनुसंधान परियोजनाओं ने नीपा द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान किया। ये नीपा के भविष्य कार्यक्रमों में भी सहायक सिद्ध होंगे।

(ङ) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन

नीपा द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन एक अनिवार्य भाग है। इसका निर्माण कार्यक्रम की योजना तैयार करते समय किया जाता है। लघु-सत्रीय पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम के समापन दिवस पर भाग लेने वालों द्वारा किया जाता है। दीर्घ सत्रीय पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों द्वारा पाठ्यक्रम के विभिन्न माड्यूल के लिए निरंतर आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए एक संकलित मूल्यांकन भी किया जाता है।

भाग लेने वालों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक संरचित प्रश्नावलि दी जाती है जिससे वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पृष्ठभूमि सामग्री, पाठ्यक्रम विषय वस्तु, प्रयोग की जाने वाली कार्य प्रणाली, आयोजित क्षेत्र दौरों सहित कार्यक्रम के विविध पक्षों पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। इन प्रश्नावलियों में दिए गए प्रश्न सामान्यतः 3 से 5 पाइंट वाली मूल्यांकन मापनी पर आधारित होते हैं। यह प्रश्नावलि भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है और पाठ्यक्रम के समापन से पहले उसे इस प्रश्नावलि को भरकर वापिस करना होता है। प्रश्नावलियों को भरते समय उसे अपनी पहचान देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वह अपने विचारों को स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है। भाग लेने वालों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रश्नावालियों के प्रति उत्तरों को समेकित किया जाता है और पाठ्यक्रम के समापन दिवस पर आयोजित एक मूल्यांकन सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। इस सत्र में भाग लेने वालों द्वारा किए गए निरीक्षणों तथा सुझावों पर चर्चा की जाती है और जिन मुद्दों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है उन पर ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोजित विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लिए भाग लेने वालों की प्रतिकियाएं उत्साहजनक थीं तथा उन्होंने पाठ्यक्रमों की प्रशंसा भी की। चूंकि मूल्यांकन उन भविष्य कार्यक्रमों के लिए प्रतिपुष्टि का कार्य करता है जो दोहराए जाते हैं, इन प्रतिक्रियाओं पर कार्यक्रम के समाप्त होने के तुरंत बाद सबद्ध कार्यकर्ताओं द्वारा भी विचार किया जाता है। कार्यकारी स्थितियों में कुछ कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।

भाग दो

अनुसंधान तथा अध्ययन

अपने 'परिपेक्ष्य योजना' के अनुसरण में संस्थान ने शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में मूल तथा प्रयोज्य अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए ज्ञान प्रदान करने तथा उसकी उत्पत्ति में प्रतीकात्मक संबंध बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसंधान अध्ययनों के परिणामों से निरंतर उर्वर होते रहे हैं। यह इस तथ्य के प्रकाश में अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि तीसरे विश्व के अधिकांश देशों में शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए संकल्पनात्मक फ्रेम (ढांचा) तथा सैद्धांतिक आधार सामान्यता उनके अनुभवों का अमूर्तिकरण नहीं है बल्कि एक विकसित देश अथवा अन्य से बहिर्जात योग है। सिद्धांत तथा व्यवहार के बीच इस अंतराल के कारण पहले में निष्फलता तथा दूसरे में दिशाहीनता दिखाई देती है। संस्थान अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलाप इस अंतराल को भरने में अपना योगदान दे रहे हैं।

संस्थान के अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में आनुभविक परिस्थिति की कमियों और अपर्याप्तताओं का निदान करना तथा उनके लिए उपचारात्मक क्रियाओं का सुझाव देखा हैं। यद्यपि सैद्धांतिक आधार आवश्यक है और उन्हें निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, परंतु प्रयोज्य अनुसंधान पर अधिक बल दिया गया है।

अनुसंधानिक अध्ययन या तो नीपा सकाय के स्वयं के प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रतिबिंबित करते हैं अथवा वैकल्पिक रूप से इन्हें केंद्रीय तथा राज्य सरकारों अथवा आई सी एस एस आर जैसे राष्ट्रीय संगठनों अथवा यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कुछ अध्ययनों के परिणाम शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में समस्याओं की पहचानने तथा राष्ट्रीय उप-राष्ट्रीय स्तरों पर नीति से संबंधित उपायों की पहल करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

प्रत्येक परियोजना में एक कार्य-दल होता है जिसमें संस्थान के स्थाई संकाय के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए भरती किए हुए अनुसंधानकर्ता भी सम्मिलित किए जाते हैं। यह कार्य-दल इस संस्थान के तथा बाहर से बुलाए गए विद्वानों तथा व्यावसायिकों की परियोजना परामर्शकारी समिति के मार्ग दर्शन के अंतर्गत कार्य करता है।

वर्ष 1982-83 के दौरान अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों पर मुख्य बल दिया गया है तथा इन क्रियाकलापों पर किया गया खर्च वर्ष 1981-82 के दौरान किए गए खर्च रुपए 2-13 लाख से बढ़कर 7.11 लाख हो गया जो केवल एक वर्ष की अवधि के दौरान 23.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 1982-83 के अंत में परियोजना कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ कर 66 तक हो गई। 11 अध्ययन पूरे किए गए और 21 विविध अवस्थाओं में हैं।

पूरे किए गए अध्ययन

1. हरियाणा में स्कूल शिक्षा सुविधाओं के विकास तथा अनुरक्षण के लिए मानकों पर अध्ययन

हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर संस्थान द्वारा जुलाई 1979 को उपरोक्त अध्ययन प्रारंभ किया गया। इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे :

राज्य सरकार को स्कूल खोलने तथा उनको उन्नत करने; स्कूल भवन, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुविधाओं सहित फर्नीचर तथा उपस्कर की व्यवस्था, अध्यापन तथा अध्यापन इतर स्टाफ और पर्यवेक्षणकारी कार्मिकों के संबंध में वर्तमान स्थिति मानकों में संशोधन करने में सहायता प्रदान करना।

स्कूल पद्धति के विभिन्न पक्षों से संबंधित मानकों को समेकित करके एक ही प्रलेख में प्रस्तुत करना जिससे कार्यावयन से संबंधित प्रभारी अधिकारी इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके और तुरंत सदर्भ के लिए इन्हें उपयोग कर सके।

कार्य प्रणाली तथा आंकड़े आधार : इस अध्ययन का डिजाइन हरियाणा के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा अशिक्षण परिषद गुड़गांव के सहयोग से तैयार किया गया था। अध्ययन छः प्रावस्थाओं में किया गया था।

वर्तमान स्थित अभ्यासों के अध्ययन के लिए एक प्रश्नावलि का विकास किया गया और उसे स्कूलों के अध्यक्षों के बीच प्रचालित किया गया। प्रश्नावलि में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की गई थीं--स्कूल भवनों की व्यवस्था; स्कूलों का फर्नीचर तथा उपस्कर; प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय सुविधाएं; अध्यापन तथा अध्यापन इतर स्टाफ की व्यवस्था तथा उनकी संख्या तथा स्कूलों के पर्यवेक्षण की आवृत्ति। स्कूल भवन प्रश्नावलि केंद्रिय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा तैयार की गई थी।

नमूना सर्वेक्षण के लिए साक्षरता दर तथा नामांकन कारकों के आधार पर राज्य में से तीन जिलों को चुना गया। चुने गए जिलों में से एक जिला अधिक विकसित जिलों से, दूसरा कम विकसित जिलों से तथा तीसरा औसत विकसित जिलों से था। ये जिले क्रमशः अंबाला, नारनौल तथा गुड़गांवा थे। सर्वेक्षण के लिए जिलों में से बिना किसी प्रविस्थान के यादच्छिक आधार पर स्कूलों को चुना गया। इनमें प्राथमिक स्कूलों का 10 प्रतिशत, मिडिल स्कूलों का 2 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्कूलों का 15 प्रतिशत भाग लिया गया था। समग्र रूप से सभी प्रकार के स्कूलों के 12 प्रतिशत स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया। चुने गए 266 स्कूलों में से 204 स्कूलों ने ही प्रतिउत्तर दिया। नारनौल में प्रतिउत्तर की दर 97 प्रतिशत थी जबकि अंबाला और गुड़गांव में क्रमशः केवल 69 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत।

अन्य राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों के शैक्षिक मानकों की तुलना भी की गई। इस उद्देश्य के लिए आंकड़े या तो राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए गए अथवा वर्ष 1976-77 में नीपा द्वारा संचालित शैक्षिक प्रशासकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा संस्थान द्वारा संचालित विविध राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों में 'योजना' सांख्यिकी तथा 'परितीक्षण पर अध्ययन' द्वारा एकत्रित सूचना पर आधारित थे।

वर्तमान स्थित मानकों के विभिन्न पक्षों के विषय में मुख्यालय के शिक्षा विभागों के पर्यवेक्षण में संबंधित कार्मिकों तथा अधिकारियों के मत जानने के विशेष उद्देश्य से एक प्रश्नावलि का विकास किया गया। इसके अतिरिक्त प्रश्नावलि का उद्देश्य राज्य में प्रचलित मानकों के

विषय में अधिकारियों की जानकारी का पता लगाना तथा स्कूलों के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के संबंध में वर्तमान स्थिति को जानना भी था।

तीन जिले के 35 पर्यवेक्षण अधिकारियों ने क्षेत्र के निरीक्षण और पर्यवेक्षण अभ्यासों के संबंध में अपेक्षित सूचना प्राप्त कारवाई थी। तथा स्कूल पद्धति के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रचलित मानकों की पर्याप्तता के विषय में अपना मत भी प्रकट किया।

संस्थान में 2-4 अप्रैल, 1981 को शैक्षिक मानकों पर तीन दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के निम्न दो उद्देश्य थे :

- विविध पक्षों पर तैयार किए गए प्रयोजनबद्ध शोध पत्रों पर चर्चा; तथा
- हरियाणा सरकार की सिफारिशों के लिए मानकों को अंतिम रूप देना।

इस कार्यशाला में हरियाणा सरकार, एस सी ई आर टी गुड़गांव, एन सी ई आर टी, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय योजना आयोग, दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग सी वी आर ई रुड़की, सी बी एस ई नई दिल्ली के प्रतिनिधियों ने तथा पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों और नीपा के संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

स्कूल भवनों के निर्माण के मानकों पर और अधिक चर्चा, तत्पश्चात केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की में आयोजित एक बैठक (6 जुलाई, 1981) में की गई जिसमें सी बी आर आई के विशेषज्ञों तथा नीपा के प्रतिनिधि के अतिरिक्त हरियाणा सरकार के शिक्षा निदेशक, प्रधान वास्तुकार, वरिष्ठ वास्तुकार तथा विभागीय इंजिनियर ने भी भाग लिया।

इसी प्रकार निरीक्षण और पर्यवेक्षण के मानकों पर एक छोटे कार्यकारी समूह में चर्चा की गई (4 मई, 1981)। कार्यकारी समूह की बैठकों में हुई परिचर्चाओं तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ की गई परिचर्चाओं के आधार पर एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट को निम्न सात अध्यायों में विभाजित किया गया है :

स्कूल संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मानक; स्कूल में फर्नीचर तथा उपस्कर, स्कूल का स्थान तथा जुड़नार, अध्यापन कौशल; अध्यापन इतर स्टाफ; निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण; अध्यापकों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण !

प्रारूप रिपोर्ट पर राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त की गई और संस्थान द्वारा उनका स्पष्टीकरण किया गया। राज्य सरकार के साथ हुई बैठक के पश्चात रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आई टी आई की सुविधाओं का प्रभावन :

पांच राज्यों का एक अध्ययन : यह अध्ययन गृह-मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था और निम्न पांच राज्यों में समस्याओं का मौके पर अध्ययन करने के पश्चात सितंबर 1981 को इस अध्ययन पर कार्य प्रारंभ किया गया। यह राज्य इस प्रकार थे—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य को इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

विविध प्रशिक्षण सुविधाओं का विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों द्वारा अल्प प्रयोग किए जाने की सीमा तथा उनके कारणों से संबंधित अध्ययन;

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध विविध प्रोत्साहन योजनाओं को पहचानना; उनके कार्यान्वयन का प्रतिरूप; इन योजनाओं द्वारा अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले लाभों की सीमा;
क्या इन योजनाओं में परिवर्तन अथवा उनका विस्तार करने की आवश्यकता है ? यदि ऐसा है तो किस प्रकार विस्तार अथवा परिवर्तन किया जाए; तथा
आदिम क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए विशेष तकनीकी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पहचानना।

कार्य प्रणाली तथा आंकड़े का आधार : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उपलब्ध विविध प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं के एक मूल्यांकन अध्ययन में केंद्रीय आदिम जाति बेल्ट के पांच राज्यों – आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र को अध्ययन के लिए चुना गया। प्रत्येक राज्य से तीन जिलों—एक प्रगतिशील जिले से, दूसरा औसत तथा तीसरा पिछड़े हुए क्षेत्रों से लेकर, उन्हें साक्षरता के आधार पर वर्गीकृत करके गहन अध्ययन के लिए चुना गया। रोजगार तथा प्रशिक्षण प्रबंध महानिदेशालय (डी जी ई एण्ड टी) के अप्रकाशित रिकार्डों से देश के सभी राज्यों के गौण आंकड़े एकत्रित किए गए।

भिन्न भिन्न अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समूहों द्वारा आरक्षित स्थानों के उपयोग, उनकी सापेक्षत: पूर्तिदर, उनके रोजगार पैटर्न तथा आई टी आई में लाभवंचित समूहों को उपलब्ध प्रोत्साहनों और सुविधाओं की प्रकृति तथा उनके कार्यान्वयन पक्षों के संबंध में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए गए। इस उद्देश्य के लिए चार कार्यक्रमों सूचियों का विकास किया गया। प्रत्येक में संस्था संबंधी रिकार्डों से प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों; विद्यार्थियों तथा भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों से सूचना प्राप्त करनी होती है।

तत्पश्चात राज्य स्तर पर परियोजना अधिकारियों द्वारा आवश्यक सूचना एकत्रित की गई। संस्थान में दूसरे गौण स्रोतों से सूचना एकत्रित की गई। रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्यों ने आंकड़े एकत्रित करने, उनका सारणीबद्ध करने तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य पूरा कर लिया है। 10-18 मई, 1982 को नीपा द्वारा आयोजित कार्यशाला में सभी भारतीय सारणियों के फार्मेट बनाने तथा रिपोर्ट का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने के लिए परियोजना निदेशकों को आमंत्रित किया गया। कार्य से संबंधित एक राष्ट्रीय रिपोर्ट दिसंबर 1982 को पूरी की गई तथा उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अध्ययन के मुख्य परिणाम

1. यद्यपि अधिकांशत: सभी जिलों में आई टी आई सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा अनुसूचित जातियों द्वारा सुविधाओं का उपयोग निकटत: पूर्ण है, अनुसूचित जन जातियों द्वारा उनका उपयोग बहुत कम है।
2. जिन राज्यों से यह आंकड़े एकत्रित किए गए थे उनमें सुविधाओं के उपयोग के विषय में कुछ अंतरजातीय तथा जनजातीय अंतर दिखाई दिए। बिहार में अनुसूचित जातियों के चमार, दुसुधा और धोबी समूहों तथा अनुसूचित जन जातियों के ओरोन और मुंडा समूहों ने इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया। गुजरात, अनुसूचित समूहों में परमार (समूह) ने इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के मेहरों ने अधिक स्थानों का उपयोग किया, जबकि अनुसूचित जनजातियों के महादेव कोली समूह ने चुने हुए आई टी आई में 80 प्रतिशत से अधिक नामांकन प्राप्त किया।
3. कुछ राज्यों जैसे आसाम, कर्नाटका, मेघालय तथा नागालैंड में आई टी आई में पास

प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम था। प्रत्येक बार पास प्रतिशतों में कमी होना अत्यधिक चिंता का विषय है। वर्ष 1975-76 के 80 प्रतिशत की तुलना में आई टी आई में नामांकित 66 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया।

4. प्रशिक्षण बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न थी जैसे आंध्र प्रदेश के एक संस्थान में 5 प्रतिशत जबकि गुजरात के एक आई टी आई में 40 प्रतिशत। तथापि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों में प्रशिक्षण बीच में छोड़ चले जाने वालों की दर में कोई विशेष अंतर न था। सत्र के पहले दो माह की अवधि में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या अधिक थी जिसका कारण यह तथ्य है कि पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों में से अधिकांशों को वैकल्पिक पाठ्यक्रस में दाखिला प्राप्त हो गया जो कि अधिकांशतः सामान्य माध्यमिक शिक्षा है।
5. बेरोजगारी की दर में गैर-अनुसूचित समूह के 7 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के 13 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के 20 प्रतिशत तक भिन्नता पाई।
6. सभी प्रशिक्षणार्थियों में स्वनियोजन की दर अत्यधिक निम्न पाई गई। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में बहुत कम अंतर पाया गया।
7. सभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को वज़ीफा उपलब्ध है परंतु उनके वितरण में सदैव विलंब होता रहा है।
8. अधिकांश स्थानों पर अनुसूचित समूह के लिए छात्रावास की सुविधाएं निम्न स्तरीय पाई गईं।
9. सभी संस्थाओं में अनुसूचित समूहों के लिए आरक्षण तथा छूट है परंतु इसका अभ्यास यंत्रवत ही किया जाता है।

अध्ययन द्वारा उभर कर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं :

10. क्या वजीफा आर्थिक सहायता है अथवा रखरखाव अनुदान ?
11. क्या छात्रावास रहने के स्थान हैं अथवा सीखने के पर्यावरण ?

इस अध्ययन के परिणामस्वरूप दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है :

1. यदि अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के निर्धन व्यक्तियों को वास्तव में सहायता करनी है तो वजीफे की राशि में काफी संशोधन करना होगा तथा आर्थिक सहायता के बांटने में विलंब को दूर करना होगा।
2. धन के शीघ्र बंटन के लिए सत्र के प्रारंभ में ही संस्थान को धन राशि प्राप्त हो जानी चाहिए।
3. इन संस्थानों में प्रशासकों को सुग्राही प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
4. छात्रावास में सुधार की बहुत आवश्यकता है। मिश्रित छात्रावास (जहां अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित समूह साथ रहते हैं) अधिक वांछनीय हैं। वे ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
5. अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित समूह दोनों के अच्छे विद्यार्थियों को आई टी आई की ओर आकर्षित करने के लिए समस्तरीय गतिशीलता—आई टी आई यों से सामान्य माध्यमिक स्कूल तक जाना; तथा ऊर्ध्वाधर गतिशीलता—आई टी आई से व्यावसायिक संस्थाओं तक जाना—प्रदान करने की आवश्यकता है।
6. प्रशिक्षणार्थियों को उचित स्वनियोजन के लिए तैयार करने के दृष्टिकोण से पाठ्यचार्या में संशोधन करने की आवश्यकता है।

7. अनुसूचित समूहों को विशेष रूप से व्यवसायिक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है क्योंकि वे सीखने वालों की पहली संतति हैं। पद्धति के अंदर भी कुछ नम्यता उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
8. चूंकि आई टी आई प्रशिक्षणार्थियों का लगभग 2/5 भाग पहली बार औद्योगिक संस्थानों में शिक्षु का कार्य करता है, इसलिए औद्योगिक संस्थानों को विशेषज्ञता के रूप में आई टी आई में आगत की व्यवस्था करनी चाहिए अथवा औद्योगिक संस्थानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।
9. आई टी आई में नए कामों को प्रारंभ करने से पहले क्षेत्रों का नियमित व्यवसायिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
10. आदिम जाति आई टी आई, जो भौतिक रूप से सुसज्जित है के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध अध्यापकों की आवश्यकता हो सकती है। आदिम जाति क्षेत्रों में काम करने वालों को अतिरिक्त पारिश्रमिक तथा पदोन्नति के अवसर दिए जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

3. आश्रम स्कूलों का गहन विश्लेषण :

यह अध्ययन गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया तथा सितंबर, 1981 को इस अध्ययन पर कार्य प्रारंभ किया गया। समस्या के प्रारंभिक अध्ययन के पश्चात पांच राज्यों को यथा-आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र जिनमें आदिमजाति जनसंख्या का अधिकतम सकेंद्रण था, तथा अनेक आश्रम स्कूलों को अध्ययन के लिए चुना गया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

- आश्रम स्कूल जिन क्षेत्रों में स्थित हैं उनके आदिम जाति के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की ये स्कूल किस सीमा तक पूरा कर पाते हैं।
- ऐसे स्कूल किस सीमा तक आदिमजाति के बच्चों को सामाजिक-आर्थिक जीवन की मुख्य धारा तक पहुंचा पाए हैं ?
- इन स्कूलों की लागत-प्रभाविता इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य औपचारिक प्राथमिक तथा बेसिक स्कूलों की तुलना में कितनी है !

कार्य-प्रणाली तथा आंकड़े-आधार : यह अध्ययन इन पांच राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से किए गए। इस अध्ययन में सहयोग देने वाली संस्थाएं इस प्रकार हैं : (क) भूपाल विश्वविद्यालय, भूपाल (ख) राजनैतिक आर्थिक स्थिति के अध्ययनों की संस्था, पटना, (ग) सरदार पटेल सामाजिक तथा आर्थिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, (घ) भारतीय शिक्षा संस्थान पूना तथा (ङ) आदिमजाति अनुसंधान तथा कल्याण संस्थान, हैदराबाद। इन संस्थानों के राज्य स्तरीय परियोजना निदेशकों की पहचान की गई तथा उन्हें अपने अपने राज्य में अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। अध्ययन के प्रारंभ करने से पहले विशेषज्ञों तथा राज्य स्तर के परियोजना निदेशकों की श्रृंखलाबद्ध बैठकें आयोजित की गईं। राज्य स्तर के अध्ययन की समाप्ति पर नीपा में राज्य स्तर के परियोजना निदेशकों की एक बैठक की गई तथा अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों पर विशेषज्ञों तथा शिक्षा और गृह मंत्रालय के व्यक्तियों से विचार विनिमय किया गया। संस्थान में एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई और फरवरी 1983 में इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

परिणाम तथा सिफारिशें : इस रिपोर्ट में उल्लिखित परिणामों तथा इसकी सिफारिशों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

1. आश्रम स्कूल 6-11 वर्ष की आयु के केवल 4 प्रतिशत आदिम जातियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूरा कर सके।
2. चूंकि आश्रम स्कूल सामान्यत: दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं, वे उस जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी कर पाए हैं जो अन्यथा शिक्षा से वंचित रह जाती।
3. चूंकि आश्रम स्कूल रहने और खाने की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करते हैं, वे समाज के निर्धन वर्गों के हित में संसाधनों का स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार वे उन लोगों की शिक्षा के अवसरों में समानता लाने का प्रयत्न करते हैं जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से असमानता लिए हुए हैं।
4. यह भी देखने में आया कि साक्षरता की निम्न दर वाली तथा निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाली आदिम जातियों के बहुत कम विद्यार्थियों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया गया था। चूंकि यहां पर जिन स्कूलों की चर्चा की गई है उनकी संख्या बहुत कम है, अत: इस पक्ष से संबंधित कोई सामान्यीकरण नहीं निकाला जा सकता परंतु विद्यार्थियों के दाखिले मे संबंधित भविष्य नीति में ऐसी आदिम जातियों के बच्चों को अधिमान्यता प्रदान की जानी चाहिए।
5. यद्यपि आश्रम स्कूल आदिम जाति जनसंख्या को सामान्य शिक्षा प्रदान कर सामाजिक-आर्थिक जीवन की सामान्य धारा में लाने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु आदिम जातियों के लिए पृथक स्कूल होने के कारण गैर-आदिमजाति जनसंख्या से साथ उनका एकीकरण स्कूलों में नहीं हो पाता। आदिमजातियों के बच्चों का गैर आदिमजातियों के बच्चों के साथ एकीकरण में सहायता की दृष्टि से गैर-आदिमजाति के बच्चों का कुछ प्रतिशत इस स्कूलों में अवश्य होना चाहिए।
6. कम नामांकन वाले स्कूलों में उनकी वास स्थिति पर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रदान करने की यूनिट लागत अत्यधिक है। इसलिए नामांकन संख्या को 20-60 से 150 तक तथा अध्यापक संख्या को 2-3 से 5 तक बढ़ाने की तीव्र आवश्यकता है।
7. इन स्कूलों मे आधारिक संरचनाओं तथा अध्यापन सीखने की सुविधाओं में सुधार लाने की भी आवश्यकता है जिससे इन स्कूलों के विद्यार्थी अच्छे ग्रामीण अथवा शहरी स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ होड़ लगा सकें।
8. यद्यपि गैर आदिम स्कूलों सापेक्षत: इन आश्रम स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की संख्या कम है तथापि उनका विस्तार अधिक है। पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर में कमी होनी चाहिए। इस अपव्यय की कम करने के लिए अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।
9. उन क्षेत्रों में संस्था संबंधी व्यवस्था में विस्तार किया जाना चाहिए जहां आदिम जातियों में साक्षरता की दर कम हैं तथा जहां आदिम जातियों की जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण है।

हरियाणा के गुड़गांव जिले में शिक्षा प्रदान करने का लागत मूल्य

संस्थान द्वारा दिसंबर 1981 को सोहना खंड में एक प्रारंभिक अध्ययन निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया :

(i) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की यूनिट-लागत की गणना करना;

(ii) यूनिट लागत के तत्वों तथा निर्धारकों की जांच करना;
(iii) शिक्षा पद्धति के कार्य कुशलता स्तर को बनाए रखकर विविध स्तर पर शिक्षा दिए जाने की यूनिट लागत को कम करने के तरीकों का सुझाव देना;
(iv) उपलब्ध आधारिक संरचना सुविधाओं की उपयोगिता के तरीकों तथा साधनों का तथा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित अतिरिक्त लागतों का पता लगाना।

कार्य-प्रणाली तथा आंकड़े आधार : खेड़ला शिक्षा समूहों से संबंधित अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों पर एक पत्र तैयार किया गया तथा इसे चियांग-मिन, बैंकाक में 13-16 सितम्बर, 1982 को आयोजित 'लागत अध्ययन' पर एक आई आई ई पी क्षेत्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में सरकारी उच्च स्कूल खेड़ला तथा घामड़ौज अलीपुर, सरकारी मिडिल स्कूल गढ़ी वाजिदपुर तथा सरकारी प्राथमिक स्कूल, मेलपा, अभयपुर, दमदमा, हरियाहेड़ा तथा रायसीना से विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की पृष्ठभूमि से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए तथा उनको सारणीबद्ध और विश्लेषित किया गया।

इस प्रारंभिक अध्ययन की रिपोर्ट तीन शैक्षिक समूहों तक ही सीमित है यथा-हरियाणा के गुड़गांव जिले के सोहना शैक्षिक खंड के खेड़ला शैक्षिक समूह, घामड़ौज, लक्षीपुर शैक्षिक समूह तथा रीठौज शैक्षिक समूह। इसके अतिरिक्त सोहना शैक्षिक खंड से संबंधित अनौपचारिक शैक्षणिक तथा अध्यापन में सहायक सामग्री की लागत का भी विश्लेषण किया गया। इस प्रारंभिक अध्ययन में विश्लेषण केवल शिक्षा की संस्था संबंधी आवर्तक लागतों तक ही सीमित था। इन तीनों शैक्षिक समूहों का एक संक्षिप्त सामान्य पार्श्वचित्र तैयार किया गया। जिसने बाद के विश्लेषण के लिए एक सामान्य पृष्ठभूमि का कार्य किया। शिक्षा की यूनिट लागत चार वैकल्पिक तरीकों से परिभाषित की गई : (i) प्रत्येक नामांकित बच्चे पर लागत (सामान्य यूनिट लागत); (ii) शिक्षा के एक दिए हुए स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने वाले बच्चे पर लागत (प्रभावी यूनिट लागत); (iii) संबद्ध आयु-समूह के एक बच्चे पर लागत; (iv) प्रति व्यक्ति लागत को समूहवार विश्लेषित किया गया तथा कुल योग भी प्रस्तुत किया गया। अध्ययन में सहसंबंध गुणांक की सहायता से अत: समूह विविधताओं पर भी मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया। उन महत्वपूर्ण चरों को पहचानने का प्रयत्न किया गया जो संभवत: शिक्षा की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। विचार-विमर्श के लिए चुने गए विषयों में अनौपचारिक शिक्षा भी सम्मिलित की गई थी।

परिणाम : इस अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त हुए उनको सूत्र रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है :

1. इस अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि शैक्षिक खंड में भी सभी विभाओं-नामांकन, व्यय आदि, में शैक्षिक विसंगतियां निरंतर बनी हुई हैं। यदि हम और गहराई में जाएं तो यह पाते हैं कि छोटे शैक्षिक समूह में भी अंत: स्कूल असमानताएं स्थित हैं।
2. अध्ययन ने इस सामान्य धारणा की पुष्टि की कि शैक्षिक व्यय का अधिकांश भाग अध्यापकों के वेतन पर खर्च किया गया तथा अध्यापक इतर आगत पर व्यय बहुत कम है। तथापि यदि हम स्तरों द्वारा इसका विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक इतर आगत न के बराबर है।
3. सभी चरों में से विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसका यूनिट लागत के साथ उच्च नकारात्मक संबंध पाया गया।
4. स्कूल का आकार दूसरा महत्वपूर्ण चर हैं। वह भी यूनिट लागत के साथ प्रतिलोमत:

संबंधित था।

5. प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की सामान्य यूनिट लागत उच्चतर स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा की सामान्य यूनिट लागत से कम है। इस आधार पर प्राथमिक स्कूल तथा उच्चतर स्कूल को अलग अलग किया जाना ही उचित होगा। यदि हम प्रभावी लागत के आधार पर योजना बनाते हैं तो प्राथमिक (एक से पांच कक्षाएं) तथा उच्च स्कूल (छः से दस कक्षाएं) दोनों की अलग अलग योजना बनाने के स्थान पर एक उच्चतर स्कूल (एक से दस तक कक्षाएं) की योजना बनाना ही उचित है।
6. यह भी पाया गया कि जैसाकि सामान्यतः लोगों की धारणा है कि अनौपचारिक शिक्षा की लागत औपचारिक शिक्षा की लागत से काफी कम है।

इस पर ध्यान देना अनिवार्य है कि इस अध्ययन का नमूना इतना छोटा है कि कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अध्ययन के सभी निष्कर्षों तथा परिणामों को वस्तुतः अस्थाई ही समझना चाहिए। अधिक विस्तृत तथा अधिक प्रतिनिधित्व वाले नमूने से कदाचित काफी भिन्न परिणाम सामने आएं। तथापि सूक्ष्म-स्तर क्षेत्र आंकड़ों पर आधारित यह अध्ययन समस्या का कुछ ज्ञान प्राप्त करवाता है तथा मुख्य अध्ययन जो अभी जारी है सापेक्षतः समस्या के विषय में अधिक निश्चित ज्ञान प्रदान करने की संभावना रखता है।

5. शैक्षिक रूप से आगे बढ़े हुए तथा पिछड़े हुए राज्यों में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण अभ्यासों और निष्पत्तियों से संबंधित अध्ययन

यह अध्ययन शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया तथा मार्च 1982 को प्रारंभ हुआ। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

(अ) नमूना अध्ययन में लिए गए राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली निरीक्षण की पद्धति, अभ्यासों तथा निष्पत्तियों की अच्छाइयों तथा कमियों का पता लगाना; तथा
(ब) कमजोरियों को दूर करने के तरीकों तथा साधनों का सुझाव देना और आधुनिक संकल्पनाओं का प्रचलन किया जाना जिससे शिक्षा की गुणता को ऊपर उठाया जा सके।

कार्यप्रणाली तथा आंकड़े का आधार : अध्ययन का नमूना निम्न चार राज्यों से लिया गया था – आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा तामिलनाडु। इनमें से दो राज्य शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के हैं और शेष दो प्रगतिशील राज्य माने जाते हैं। राज्य का चुनाव करते समय उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया था। यादृच्छिक नमूने द्वारा राज्यों के सभी जिलों में से बीस प्रतिशत जिले अध्ययन के लिए चुने गए। प्रत्येक जिले से एक एक खंड चुना गया। जिला शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी से यादृच्छिक नमूना आधार पर अपने क्षेत्राधिकार से 10 माध्यमिक। प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल को पहचानने के लिए अनुरोध किया गया। इस प्रकार अंतिम नमूने में 46 जिले तथा 46 खंड और उनके 920 प्रधान अध्यापक तथा 288 अध्यापक सम्मिलित किए गए।

कार्यदल द्वारा निरीक्षण अधिकारियों तथा अध्यापकों दोनों के लिए अलग अलग प्रश्नावलियां बनाई गईं। इन प्रश्नावलियों पर नीपा में जुलाई, 1982 को आयोजित संपर्क अधिकारियों तथा चुने हुए जिला शिक्षा अधिकारियों की एक संगोष्ठी तथा कार्यशाला में परिचर्चा की गई। स्कूलों तथा जिलों को भेजी जाने वाली प्रश्नावलियों के अलावा विख्यात शिक्षाविदों को दी जाने वाली एक तीसरी प्रश्नावलि भी तैयार की गई। समग्र रूप से निरीक्षण से संबंधित अधिकारियों से प्राप्त 5 प्रश्नावलियों सहित पूरी की गई 293 प्रश्नावलियां प्राप्त हुईं।

विषय विश्लेषण की तकनीक का प्रयोग करके इन प्रश्नावलियों का विश्लेषण किया गया। जहां तक प्रश्नावलि के भाग 2 का संबंध था विशेष मद के महत्व तथा उपलब्धि के स्तर के अनुसार 3 पाइंट मापनी पर प्राप्तांक नियत किए गए। शिक्षाविदों के लिए प्रश्नावलि पर भी विषय विश्लेषण की तकनीक का उपयोग किया गया।

संबंधित साहित्य के द्रुत सर्वेक्षण के अलावा निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण और पी-एच डी तथा एम एड शोध पत्रों से संबंधित साहित्य पर भी ध्यान दिया गया। परियोजना की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा।

6. भारत में शिक्षा के संसाधनों के जुटाने से संबंधित एक अध्ययन संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का एक प्रारंभिक अध्ययन :

संस्थान द्वारा यह अध्ययन अप्रैल 1982 को प्रारंभ किया गया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(अ) समग्र रूप से तथा चुने गए दस राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के लिए भारत में शिक्षा के वित्त के विभिन्न स्रोतों द्वारा किए गए अंशदान का पता लगाना राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र इस प्रकार हैं—आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा केरल।

(ब) वर्ष 1950-51 से शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए प्रत्येक स्रोत के सापेक्ष महत्व की प्रवृत्तियों की जांच करना।

(स) किसी नए कर जैसे उपकर अथवा समुदाय सहायता के विशेष प्रयत्न, जैसा कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में किए गए हैं, का विशेष अध्ययन किया जाना;

(द) शिक्षा के वित्तीय भार को बहन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिकों अथवा पंचायतों से संसाधनों के निर्माण की संभावना की खोज करना;

कार्यप्रणाली तथा आंकड़े का आधार : संसाधनों के जुटाव प्रयत्नों की भौतिक विस्तार तथा इन प्रयत्नों के शैक्षिक महत्व दोनों के संदर्भ में राज्यों के संसाधन जुटाव प्रयत्नों के अध्ययन के मूल उपागम पर भारत के शिक्षा आयोग ने बहुत बल दिया है। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग संबंधी तथा अन्य परिवर्तकों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के जुटाव से संबंधित समस्या से निपटने तथा इसके तरीकों और साधनों की खोज करने के लिए एक तुलनात्मक परिपेक्ष्य तैयार किया गया। यह प्रारंभिक अध्ययन संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में प्रचलित किया गया। प्रारंभिक अध्ययन पूरा कर लिया गया और 9 फरवरी, 1983 को आयोजित एक संगोष्ठी में इस अध्ययन की रिपोर्ट पर परिचर्चा की गई। शिक्षा के लिए बड़े संसाधनों के बंटन पर इसका मुख्य फोक्स था। इस संबंध में भारत के आठवें वित्त आयोग के लिए एक ज्ञापन तैयार किया गया जिसमें योजना इतर व्यय के कारण शिक्षा के लिए राज्य को संसाधनों के अधिक बंटन से संबंधित केस तैयार किया गया। अध्ययन में दिल्ली में शिक्षा से संबंधित योजनापूर्ण, योजना-इतर व्यय, उसके उपयोगिता पैटर्न तथा शिक्षा के लिए वर्तमान संसाधनों का किस प्रकार जुटाव किया जा रहा है, आदि का विस्तार से विश्लेषण किया गया।

परिणाम : इस अध्ययन से जो परिणाम निकले हैं उन्हें हम सूत्र रूप में नीचे दे रहे हैं :

(i) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली शिक्षा पर अपनी राष्ट्रीय आय का 7 प्रतिशत व्यय कर रहा है।

(ii) सरकारी निधि 1951-52 में 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 1970-71 में 68.7 प्रतिशत हो गई।

(iii) शिक्षा में संबंधित वेतन यद्यपि निरपेक्ष संदर्भ में बढ़ रहा है, परंतु प्रतिशतता में कमी हो रही है। उसका हिस्सा दूसरी योजना के दौरान 35.2 प्रतिशत से घटकर छठी योजना में 9.7 प्रतिशत हो गई।

(iv) उच्चतर शिक्षा में आर्थिक सहायता की मात्रा बढ़ रही हैं तथा फीस का हिस्सा कम हो रहा है।

इस अध्ययन के परिणामस्वरूप निम्न कुछ मुख्य सुझाव दिए गए हैं :

(क) अतिरिक्त संसाधनों के जुटाव के लिए संस्थानों को स्थानीय प्राधिकरणों तथा स्वेच्छिक संगठनों से घनिष्ठ रूप से सहयोग करना चाहिए।

(ख) सभी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर संसाधनों के उच्चतम जुटाव को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं का सम्मिलित उपयोग किए जाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

7. भारत में शैक्षिक व्यय की प्रवृतियां : एक क्षेत्रीय अध्ययन

यूनेस्को, पेरिस द्वारा प्रायोजित यह अध्ययन संस्थान ने जनवरी, 1982 को प्रारंभ किया। अध्ययन के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

(i) शैक्षिक व्यय में अंतर्राज्यीय विविधताओं की मुख्य विशेषताओं की जांच करना, तथा

(ii) शैक्षिक व्यय के अस्थाई व्यवहार तथा अन्य कुछ संकेतकों के बीच संबंधों को सुनिश्चित करना।

कार्य प्रणाली तथा आंकड़े का आधार : इस अध्ययन में वर्ष 1968-69 से वर्ष 1978-79 तक की अवधि में शिक्षा पर किए गए व्यय के विश्लेषण पर विचार किया गया था। शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य सरकारी प्रकाशनों से आंकडे प्राप्त किए गए। अध्ययन की प्रथम अवस्था में शिक्षा पर व्यय की व्यापक विशेषताओं की जांच की गई थी। अनुवर्ती विश्लेषण में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अंतर्राज्यीय विविधताओं की जांच की गई थी। अंत में परिणाम के लिए अध्ययन की व्यापक विशेषताएं तथा संक्षेप प्रस्तुत किए गए और अंतिम रिपोर्ट यूनेस्को कार्यालय बैंकाक को भेज दी गई।

परिणाम : अध्ययन के आधार पर जो नतीजे निकले हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. यद्यपि अध्ययन की अवधि के दौरान शिक्षा एक राज्य विषय था, अध्ययन ने इस तथ्य पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला है। शैक्षिक व्यय की प्रवृत्तियों के संबंध में राज्यों के अंदर असमानताएं होते हुए भी उनकी प्रवृत्तियों में एक निश्चित व्यापक समानता है।
2. शिक्षा के आवंटित कुल संसाधनों से उत्तरोत्तर उन्नति होने के बावजूद भी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के हिस्से काफी समय से स्थाई बने हुए हैं।

8. शिक्षा वित्तीयन तथा ईक्यूटी ? हरियाणा तथा केरल का तुलनात्मक अध्ययन।

यह अध्ययन यूनेस्को द्वारा प्रायोजित तथा संस्थान द्वारा जनवरी, 1982 को प्रारंभ किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. दिए गए दो वर्षों में वित्तीय प्रवाहों का विश्लेषण करना;

National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9363
Date 5-12-96

2. इक्यूटी के संभाव्य निहितार्थों को जानने के लिए और विशेष रूप से यह देखने के लिए कि क्या बंटन में परिवर्तन इक्यूटी मे परिवर्तन से संबंधित है, स्तरों वस्तुओं आदि द्वारा आवंटनों की जांच करना;
3. संस्थानों की स्थापना के लिए अथवा छात्रवृत्ति या क्षतिपूर्ति वित्त द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी सहायता की नीतियों तथा प्रक्रियाओं की जांच करना।

कार्यप्रणाली तथा आंकडे आधार : अध्ययन विविध सरकारी तथा अर्ध-सरकारी प्रकाशनों से एकत्रित किए गए उपलब्ध गौण आंकडों के विश्लेषण पर आधारित था।

पहली प्रावस्था में अध्ययन की विषयवस्तु तथा फार्मेट पर चर्चा की गई तथा कार्य को संबद्ध अनुसंधान स्टाफ में बांटने का निर्णय किया गया। दूसरी प्रावस्था में आंकडे एकत्रित तथा विश्लेषित किए गए तथा अध्यायों के प्रारूप तैयार किए गए। आर ओ ई ए पी द्वारा जुलाई, 1982 को बैंकाक में आयोजित एक बैठक में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया।

परिणाम : इस अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर निकाले गए मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं :

1. केरल तथा हरियाणा दोनों, ने ही शैक्षिक वृद्धि का चित्र प्रस्तुत किया। समूहों के बीच असमानताओं में भी काफी कमी पाई गई।
2. अप्रत्यक्ष व्यय में समग्र रूप से कमी होने के एक भाग के रूप में छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों पर व्यय के अंश में भी कमी हुई है। इससे असमानता पर बुरा प्रभाव पड़ा है।
3. अध्यापक इतर व्यय बहुत कम है जो यह संकेतित करता है कि स्कूलों में आवश्यक उपस्करों के बिना काम चलाया जा रहा है।
4. शिक्षा में निजी उद्यम कम होता जा रहा है इस प्रकार वित्तीयन का एक महत्वपूर्ण स्रोत सूखता जा रहा है, जिसका शिक्षा के विस्तार पर काफी प्रभाव पड़ेगा।
5. हरियाणा में आवंटन और व्यय में प्रारंभिक शिक्षा के हिस्से में काफी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।
6. अनुदान सहायता के नियम उदार बनाने चाहिए विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के संबंध में।
7. आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर मूल अनुदान दिए जाने चाहिए।
8. इक्यूटी पर निःशुल्क शिक्षा का सीमित प्रभाव होता है। इक्यूटी में परिवर्तन लाने के लिए क्षतिपूर्ति वित्त की अधिक ठोस नीति को अपनाना आवश्यक है। समानता पर ध्यान दिया जाना भी समान रूप से अनिवार्य है।

9. शिक्षा तथा ग्रामीण विकास योजना और प्रशासन तंत्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन :

यह अध्ययन जनवरी, 1982 को यूनेस्को, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा प्रायोजित किया गया। अध्ययन का उद्देश्य दो खंडों में निम्न मामले की खोज करना था—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा शिक्षा और स्कूल शिक्षा सहित शिक्षा के समान क्रियाकलापों के बीच वर्तमान तथा संभाव्य संबद्धता।

कार्यप्रणाली तथा आंकड़े-आधार : दो खंडों – एक हरियाणा तथा दूसरा राजस्थान से—दो ग्रामों को चुनकर एक केस अध्ययन उपागम अपनाया गया। ग्रामों में दौरा करके, संबंधित कार्मिकों से परिचर्चा तथा साहित्य की समीक्षा करके समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा चुने हुए अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रचालन के संबंध में एक अध्ययन किया गया।

परिणाम : विकास तथा शैक्षिक क्रियाकलापों में प्रभावी संबद्धता की आवश्यकता को पहचाना गया। अध्ययन में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षा के महत्व पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया तथा यह सुझाव दिया गया कि स्कूल तथा अन्य शैक्षिक केंद्रों जैसे अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को विकासात्मक एजेंसियों के कार्यकर्ताओं, सुविधाओं की सहायता से अपने आपको विकासशील केंद्र के रूप में बदल देना चाहिए। इसी प्रकार विकासशील केंद्रों को स्कूलों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की सहायता से अपने आपको शैक्षिक केंद्रों में बदल देना चाहिए तथा आई आर डी पी को ऐसे समन्वित प्रभावों के लिए विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए। निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करते हुए अध्ययन में आई आर डी पी में शिक्षा और साक्षरता के एकीकरण से संबंधित कुछ वैकल्पिक मॉडलों का सुझाव प्रस्तुत किया गया :

आवश्यकताओं की पहचान; पाठ्यचर्या तथा सामग्री का विकास; आयु-समूह; अध्यापक तथा प्रशिक्षणकर्ता; प्रशिक्षण तथा अध्यापकों का अभिविन्यास; उपस्कर तथा सामग्रियों के लिए व्यवस्था; मूल्यांकन और परिवीक्षण तथा संगठनात्मक व्यवस्थाएं।

तीन मॉडल खोज निकाले गए : (क) शिक्षा के विकास केंद्र कार्यक्रम, (ख) ग्रामीण विकास के शिक्षा केंद्र कार्यक्रम, (ग) शिक्षा और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम मॉडल।

10. भारत में खंड तथा संस्था स्तरों पर क्षेत्रिक प्रशासन की विधियां तथा समस्याएं :

संस्थान द्वारा यह अध्ययन यूनेस्को, आर ए ओ इ ए पी, बैंकाक के अनुरोध पर अप्रैल 1982 को प्रारंभ किया गया। यह अध्ययन विभिन्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के संगठन तथा विधियों से संबंधित मोनोग्राफ की श्रृंखला के एक भाग के रूप में किया गया था। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

1. भारत में खंड तथा संस्था संबंधी स्तर पर शिक्षा किस प्रकार दी जाती है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना;
2. शिक्षा के प्रशासन में खंड शिक्षा अधिकारियों तथा प्राथमिक मिडिल तथा उच्च स्कूलों के अध्यक्षों द्वारा अनुभव की गई मुख्य समस्याओं की पहचान करना।

अध्ययन के मुख्य परिणाम इस प्रकार थे :

1. योजना निर्माण तथा योजना क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र की कमी है।
2. ब्लाक खंड, उप-विभाग तथा जिला स्तरों पर कार्य कर रहे क्षेत्र-अधिकारी तथा प्राथमिक, मिडिल और उच्च स्कूलों के अध्यक्ष भी नीति योजना निर्माण से संबंधित नहीं हैं।
3. खंड शिक्षा अधिकारियों अथवा प्राथमिक स्कूल के अध्यक्ष को उसके प्रशासनिक कार्य में सहायता करने के लिए दिया जाने वाला स्टाफ पर्याप्त नहीं है।
4. खंड शिक्षा अधिकारियों तथा संस्था-अध्यक्षों और अन्य विकास एजेंसियों के बीच संबद्धता बहुत कम है।
5. खड शिक्षा अधिकारियों, संस्था के अध्यक्षों को दिए गए अधिकार उनके कर्तव्यों के अनुसार नहीं हैं।

प्रगतिशील अध्ययन : संस्थान द्वारा किए गए निम्नलिखित अध्ययन प्रगति की विविध अवस्थाओं में हैं।

(क) पहले से चले आ रहे अध्ययन

1. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संगठनात्मक व्यवस्था तथा शैक्षिक योजना, परिवीक्षण तथा सांख्यिकी की पद्धति का अध्ययन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के कहने पर जनवरी, 1980 को संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया।
2. पुनः विचार विकास अध्ययन आई सी एस एस आर द्वारा प्रायोजित तथा जुलाई 1980 को प्रारंभ किया गया।
3. भारतीय राज्यों में उच्च शिक्षा के वित्तीयन का गहन अध्ययन आई सी एस एस द्वारा प्रायोजित तथा अप्रैल 1981 को प्रारंभ किया गया।
4. अच्छे जीवन स्तर के लिए आकांक्षा और कार्य यूनेस्को, पेरिस द्वारा प्रायोजित यह अध्ययन जनवरी, 1982 को संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया।
5. विश्वविद्यालय समुदाय की स्वायत्तता पर अध्ययन आई सी एस एस आर द्वारा प्रायोजित किया गया तथा संस्थान द्वारा फरवरी 1982 को प्रारंभ किया गया।

(ख) नए अध्ययन

1. शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं (भारतीय शिक्षा का मानचित्र) संबंधित अध्ययन अप्रैल, 1982 को संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया।
2. शिक्षा मंत्रालय के संगठनात्मक इतिहास से संबंधित अध्ययन। संस्थान द्वारा मई 1982 को प्रारंभ किया गया।
3. स्कूल अध्यापकों पर लागू स्थानान्तरणों तथा अनुशासनिक कार्यवाही के नियमों से संबंधित मामलों का अध्ययन। संस्थान द्वारा जुलाई 1982 को प्रारंभ किया गया।
4. स्कूलों के लिए अधिकतम अध्यापक-छात्र अनुपात से संबंधित अध्ययन संस्थान द्वारा जुलाई 1982 को प्रारंभ किया गया।
5. शैक्षिक प्रशासन के तुलनात्मक परिपेक्ष्य में माध्यमिक स्कूल अध्ययन संस्थान द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की आई ओ डब्लू ए विश्वविद्यालय के शिक्षा कॉलिज के अनुरोध पर जुलाई 1982 को प्रारंभ किया गया।
6. एक मॉडल वित्तीय कोड के विकास से संबंधित अध्ययन संस्थान द्वारा अगस्त 1982 को प्रारंभ किया गया।
7. भारतीय उच्च शिक्षा में नीति निर्माण, भारत के 13 चुने हुए विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में अध्ययन दक्षिणी कोरिया, जिन ज्यू, जिओंग सांग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विधि और व्यापार कॉलिज के लोक प्रशासन विभाग के एक अनुसंधान-विद्वान द्वारा किया गया जो आदान-प्रदान कार्यक्रम (यू जी सी की अध्येतावृत्ति के साथ) के अंतर्गत 1 नवम्बर, 1982 से संस्थान से संबद्ध था।
8. भारत में सामान्य शिक्षा का कानूनी आधार विषयक अध्ययन दिसम्बर 1982 को प्रारंभ किया गया।
9. भारत में सामाजिक विज्ञानों के लिए निधि का प्रबंध संबंधी अध्ययन आई सी एस एस आर के कहने पर जनवरी 1983 को प्रारंभ किया गया।
10. भारत में शिक्षा के अवसर बराबर बराबर दिए जाने तथा अवसरों की समानता के विशेष संदर्भ में शैक्षिक योजना से संबंधित एक अध्ययन---केरल और उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा का एक केस अध्ययन। आई सी एस एस आर के कहने पर संस्थान द्वारा मार्च 1983 को

प्रारंभ किया गया।

(ग) अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर अध्ययन यूनिट

गृह मंत्रालय के कहने पर तथा उसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से संस्थान में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के लिए एक अध्ययन यूनिट स्थापित किया गया। अध्ययन यूनिट ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित अध्ययन किए :

1. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों के नामांकन की प्रवृत्तियां (1964-77) अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

1. राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर नामांकन की विहंगम प्रवृत्तियों का पता लगाना।
2. उच्चतर शिक्षा में नामांकन के क्षेत्रों में विहंगम असमानता का विश्लेषण करना;
3. नामांकन के संदर्भ में अंतर्राज्यीय विसंगतियों का पता लगाना।
4. अनुसूचित जातियों, स्त्री तथा पुरुष के नामांकन के बीच विसंगति का पता लगाना; तथा
5. विभिन्न राज्यों में उपलब्ध समानता के स्तर का पता लगाना।

कार्यप्रणाली तथा आंकड़े का आधार : नामांकन की प्रवृत्तियां जानने के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशनों में उपलब्ध नामांकन आंकड़ों, तथा वर्ष 1964-65 से 1977-78 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा में प्रगति का विश्लेषण किया गया।

एक मोनोग्राफ प्रकाशित किय गया है जिसमें विभिन्न राज्यों तथा अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के बीच विसंगतियों पर फोक्स किया गया है। इसमें प्रतिगमन, सहसंबंध, स्थानिक गुणांकों, समानता गुणांकों आदि के प्रयोग से तथा कुछ रेखा चित्रों और कार्टोग्राफ की सहायता से सांख्यिकी तकनीकी द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करके उभरती हुई प्रवृत्तियों का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

परिणाम : अध्ययन के महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार हैं :

1. वर्ष 1972-76 के दौरान शिक्षा के सभी सैक्टरों में अनुसूचित जाति के नामांकन की वृद्धि की दर में कमी आई है। गैर-अनुसूचित जाति के नामांकन में भी यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।
2. वर्ष 1972-76 के दौरान व्यवसायिक तथा अन्य शिक्षा (कॉलिज स्तर की) में अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जातियों में भी नामांकन में नकारात्मक वृद्धि दर पाई गई।
3. राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जातियों की नामांकन वृद्धि की दरों में अत्यधिक असमानता पाई गई।
4. एक विशेष क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के सकेंद्रण तथा उनके नामांकन सकेंद्रण में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं पाया गया।
5. शिक्षा की प्रत्येक अवस्था में अनुसूचित जाति अन्य समुदायों से काफी पिछड़ गई है। शिक्षा के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तथा माध्यमिक से उच्च स्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य समुदायों के बीच शैक्षिक असमानताएं अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही हैं।
6. शैक्षिक सीढ़ियां चढ़ने पर गतिरोध तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। गतिरोध तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर गैर अनुसूचित जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जातियों में अधिक है।
7. उच्च शिक्षा में नामांकन स्थिति के संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अन्य समुदायों के बीच

विहंगम असमानता 13 वर्ष की अवधि में कम हुई हैं।

8. प्रत्येक राज्य द्वारा नामांकन के संदर्भ में समानता की स्थिति प्राप्त करने की समयावधियों में व्यापक विविधाएं हैं।
9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जवजातियों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना एक प्रारंभिक अध्ययन।
10. पुस्तक बैंक योजना की कार्यप्रणाली : एक प्रारंभिक अध्ययन।

स्वीकृत अध्ययन : वर्ष के दौरान निम्नलिखित अध्ययन स्वीकृत किए गए :

1. केरल में शैक्षिक विकास के इतिहास का अध्ययन।
2. शैक्षिक क्रियाकलाप पृष्ठभूमि के लिए स्थान संबंधी व्यवस्था का एक अध्ययन।
3. कालिजों के अध्यक्षों द्वारा भूमिका निर्वाह से संबंधित एक अध्ययन।
4. भारत में शैक्षिक नीति तथा योजना से संबंधित एक अध्ययन—योजना आयोग की भूमिका—वर्तमान प्रस्थिति तथा भविष्य का परिपेक्ष्य पहले से चल रहे अध्ययनों तथा स्वीकृत अध्ययनों के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, आंकड़े-आधार तथा वर्तमान स्थिति अनुबंध—II में दी गई है।

भाग तीन

सलाहकारी, परामर्शकारी तथा सहायता सेवाएं

संस्थान का एक महत्वपूर्ण कार्य शैक्षिक योजना, और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा भारत में अन्य मुख्य स्वायत्त संगठनों तथा अन्य देशों की सरकारों तथा संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सलाहकारी, परामर्शकारी तथा अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना है।

वर्ष के दौरान संस्थान ने केंद्र, राज्यों तथा अन्य संगठनों को निम्न प्रकार से विविध सेवाएं प्रदान कीं—शैक्षिक योजना और प्रशासन की नीति को प्रभावित करने वाली समस्या अभिविन्यासी एक अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ करना, स्कूल अवस्था पर शैक्षिक सुविधाओं के लिए मानकों का विकास करना, शैक्षिक विकास के भिन्न-भिन्न पक्षों के परिवीक्षण की आसान, सरलता में उपयोग की जाने वाली पद्धति तैयार करना, प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता से संबंधित केंद्र के कार्यक्रम की गति को तेज करने में सहायता प्रदान करना, अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर आंकड़े-आधार तैयार करना तथा अन्य महत्वपूर्ण संगठनों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शिक्षा की गुणता संवर्धन के लक्ष्य को अपनाए हुए अन्य क्रियाकलापों के लिए संकाय के संसाधन उपलब्ध करवाना। संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन में लगे सभी कार्मिकी तथा केंद्र और राज्य सरकारों का अकादमिक तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन करता रहा है। संस्थान ने केंद्र तथा राज्य स्तरों पर विविध उच्च स्तरीय सम्मेलनों, समितियों तथा कार्यकारी समूहों में भाग लिया। संस्थान शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के निकट सहयोग से कार्य करता रहा है तथा गृह-मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन सी ई आर टी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से सबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबद्ध रहा है।

अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ कर, परामर्शकारी सेवाएं प्रदान कर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करके संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सहयोग किया। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के अनुरोध पर प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करके संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सहयोग किया है।

इस संबंध में संस्थान के क्रियाकलापों को व्यापक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कहने पर किए गए अनुसंधान, अध्ययन तथा परियोजनाएं।
(ख) संगोष्ठियों, कार्यशालायों तथा समितियों और कार्य दलों में किया गया योगदान।
(ग) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में संकाय की सहायता।
(घ) सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम,
(ङ) अध्ययन दौरे; तथा

(च) अन्य सलाहकारी तथा परामर्शकारी सेवाएं।

राष्ट्रीय

अध्ययन और परियोजनाएं

शिक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के कहने पर संस्थान ने निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए जिसका विस्तृत ब्यौरा उसके अनुसंधान क्रियाकलापों की समीक्षा के अंतर्गत दिया गया है :

(i) योजना, परिवीक्षण तथा सांख्यिकी की संगठनात्मक स्थापना से संबंधित अध्ययन।
(ii) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन।
(iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को प्रशिक्षण सुविधाओं का दिया जाना।
(iv) शैक्षिक रूप विकसित तथा पिछड़े हुए कुछ राज्यों में निरीक्षण पद्धति, अभ्यासों तथा निष्पत्तियों से संबंधित अध्ययन।
(v) शिक्षा मंत्रालय के संगठनात्मक इतिहास से संबंधित अध्ययन।
(vi) स्कूलों के लिए अधिकतम अध्यापक—छात्र अनुपात से संबंधित अध्ययन।
(vii) अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास से संबंधित अध्ययन परियोजना।

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास से संबंधित अध्ययन यूनिट

गृह मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर एक अनुसंधान अध्ययन यूनिट की स्थापना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इसका वित्तीय प्रबंध गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था तथा इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के संबंधित आंकड़े-आधार तैयार करने तथा परिवीक्षण की एक पद्धति के डिजाइन करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे विविध योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष के दौरान अध्ययन यूनिट ने निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए :

(i) उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के नामांकन की प्रवृत्तियां (1964-77) (समाप्त)।
(ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए मैट्रिक के पश्चात छात्र-वृत्ति योजना (प्रगति में)।
(iii) दिल्ली में आई आई टी तथा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान में पुस्तक बैंको को कार्य प्रणाली (प्रगति में)।

सम्मेलनों, संगोष्ठियों, समितियों, कार्यदलों तथा अन्य सहकारी सेवाओं में योगदान

संस्थान ने उच्च स्तरीय अखिल भारतीय सम्मेलनों, समितियों तथा संगोष्ठियों में भाग लिया। इस संबंध में संस्थान द्वारा किए गए मुख्य योगदान निम्नलिखित क्षेत्रों में थे :

1. **प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता** : वर्ष के दौरान आसाम, जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा पर कार्य दलों की बैठकों में संस्थान के संकाय के सदस्यों ने भाग लिया। इस योगदान के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से राज्य के एक खंड में सूक्ष्म स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की सर्व-व्यापकता की योजना तथा प्रशासन में एक सहयोगी परियोजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में भी प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए सूक्ष्म स्तर पर

परिवीक्षण की पद्धति विकसित करने की समान परियोजना प्रारंभ की गई। हरियाणा राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा में लागत प्रभाविता में सुधार लाने के लिए संस्थान द्वारा गुड़गांव के जिले के मेवात क्षेत्र में शिक्षा की लागत का गहन अध्ययन प्रारंभ किया गया।

2. **पद्धतियों में सुधार** : शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5-6 जनवरी, 1983 को आयोजित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के एक सम्मेलन में संस्थान ने विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन को सुप्रवाही बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए तथा विशेष रूप से जिला तथा संस्थान स्तरों पर प्रशासकों और योजनाकारों आदि 'शैक्षिक कार्मिकों' के प्रशिक्षणों के महत्व पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला। इस संबंध में संस्थान ने राज्य सरकारों से कार्मिकों की नीतियों का पुनरावलोकन करने के लिए तीव्र आग्रह किया।

3. **राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में कार्य** : शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अधुनातन विकासों के संबंध में सूचना पद्धति को सुदृढ़ करने तथा विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान में सहायता करने के लिए संस्थान ने विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य संवाददाता, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित प्रलेखों तथा पत्रिकाओं तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों से ऐसे विकासों से संबंधित सूचना एकत्रित की। संस्थान ने यह सूचना 'राज्यों के समाचार' के रूप में इ पी ए बुलेटिन द्वारा प्रसारित की है।

4. **वार्षिक योजना परिचर्चाएं** : संस्थान ने नवंबर तथा दिसंबर, 1982 को आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के संबंध में योजना आयोग में आयोजित वार्षिक योजना परिचर्चाओं में भाग लिया।

5. **अध्यापकों के राष्ट्रीय आयोग में तकनीकी आगत—II (उच्चतर शिक्षा)** : संस्थान ने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा 25-26 मार्च 1983 को आयोजित अध्यापकों के राष्ट्रीय आयोग-II (उच्च शिक्षा) की बैठक में भाग लिया। नीपा के निदेशक के तत्वावधान में उन अनुसंधान अध्ययनों के निरूपण के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना पर सहमति प्रकट की गई जो आयोग के कार्य में आगत की भूमिका निभा सके।

6. **शिक्षा मंत्रालय की बैठकें** : संस्थान ने वर्ष के दौरान शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ब्यूरो अध्यक्षों की बैठकों में भाग लिया। संस्थान ने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा 8 फरवरी, 1983 को आयोजित 'खुला विश्वविद्यालय' से संबंधित समिति की बैठक में भाग लिया तथा 26 फरवरी 1983 को आयोजित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड से संबंधित बैठक में भी भाग लिया।

7. **अंतःशास्त्रीय सम्मेलन, बैठकें आदि** : संस्थान द्वारा निम्नलिखित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा बैठकों में भाग लिए जाने का उल्लेख यहां किया जा सकता है :

(i) आई आई पी ए में 22-24 अप्रैल, 1982 को आयोजित केस अध्ययतों पर कार्यशाला।

(ii) संजिव्या संस्थान दिल्ली में 25-26 अप्रैल, 1982 को आयोजित आरक्षण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(iii) शैक्षिक योजना और प्रशासन के भारतीय संघ का 12-13 जून, 1982 को आयोजित पहला राष्ट्रीय सम्मेलन।

(iv) दिल्ली में 2-10 अक्तूबर, 1982 को आयोजित भारतीय नृ-विज्ञान संबंधी संघ का अंतर्राष्ट्रीय परसंवाद।

(v) मई दिल्ली में अक्तूबर, 1982 कों आयोजित शब्दकोश विज्ञान की समस्याओं

पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(vi) नई दिल्ली में अक्तूबर, 1982 को आयोजित 'स्वनियोजन के लिए शिक्षा' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(vii) चंडीगढ़ में 28 फरवरी से मार्च, 1983 तक आयोजित भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी (सी ई एस आई) का वार्षिक सम्मेलन।

(viii) जवाहर लाल विश्वविद्यालय तथा भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 8-10 मार्च, 1983 को आयोजित सामाजिक वर्गीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(ix) एन सी ई आर टी द्वारा 21-23 मार्च, 1983 को आयोजित भविष्य—अभिविन्यासी अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

उप-राष्ट्रीय

अध्ययन और परियोजनाएं

राज्य सरकारों के अनुरोध पर अथवा स्वयं अपने उद्यम पर संस्थान ने उप-राष्ट्रीय स्तरों पर नीति के प्रभावों वाले निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए जिनका विस्तृत ब्यौरा अनुसंधान क्रियाकलापों के पुनरावलोकन में दिया गया है।

(i) हरियाणा के लिए शैक्षिक सेवाओं के अनुरक्षण तथा विकास के लिए मानकों से संबंधित अध्ययन।

(ii) हरियाणा के गुड़गांव जिले में शिक्षा दिए जाने की लागत—सोहना खंड एक प्रारंभिक अध्ययन।

(iii) भारत में शिक्षा के संसाधनों की उपयोगिता पर एक अध्ययन-संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का एक प्रारंभिक अध्ययन।

(iv) केरल में शैक्षिक विकास के इतिहास से संबंधित एक अध्ययन इस अध्ययन पर कार्य प्रारंभ करना शेष है।

संरचनाओं में सुधार लाने के लिए राज्यों को सलाह देना

जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सरकार के अनुरोध पर संस्थान ने उनके शिक्षा विभागों के पुनर्गठन परामर्शकारी सेवाएं प्रदान कीं। जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन पर रिपोर्ट फरवरी, 1983 को प्रस्तुत की गई।

राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में संकाय द्वारा दी गई सहायता

राजस्थान ने संघ शासित क्षेत्र गोआ के शिक्षा विभाग को स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए संस्था संबंधी प्रबंध पर 18 से 26 जून, 1982 को आयोजित कार्यशाला के संचालन में सहायता प्रदान की। उसने 17 से 22 जनवरी, 1983 को आयोजित माध्यमिक स्कूलों के अध्यक्षों के लिए स्कूल प्रबंध पर एक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन करने तथा उसका संचालन करने में पांडिचेरी सरकार की सहायता की। संस्थान ने संघ शासित क्षेत्र कराईकल में स्कूल कॉम्प्लैक्स के निर्माण तथा स्कूल निरीक्षण प्रोफार्मा तैयार करने में सहायता की।

संस्थान ने लोनावाला में बंबई विश्वविद्यालय के कॉलिज प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम, पूना में यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित शैक्षिक नवाचार पर संगोष्ठी, अजमेर

जिले के स्कूल प्रधानाचार्यों तथा कार्यालयों के लिए संस्था संबंधी योजना के क्रियान्वयन की संक्रियात्मक समस्याओं पर अजमेर में आयोजित कार्यशाला तथा बंबई में आयोजित भारत के महानगरीय शहरों के नगर निगमों के शिक्षा अधिकारियों के लिए शिक्षा की भविष्य योजना से संबंधित कार्यशाला के संचालन में सहायता प्रदान की।

संस्थान ने डिबरुगढ़ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलिजों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तथा उसी विश्वविद्यालय में एक योजना और अनुसंधान यूनिट की स्थापना करने के लिए परामर्शकारी सेवाएं पदान कीं।

अंतर्राष्ट्रीय

अध्ययन तथा परियोजनाएं

संस्थान ने यूनेस्को तथा आई ओ डब्लू ए विश्वविद्यालय के साथ एक संविदा के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए जिनका विस्तृत ब्यौरा अनुसंधान क्रिया-कलापों के पुनरावलोकन के अंतर्गत दिया गया है।

(i) भारत में शैक्षिक व्यय की प्रवृत्तियां—एक क्षेत्रीय विश्लेषण (यूनेस्को)।
(ii) हरियाणा तथा केरल में शैक्षिक वित्तीयन इक्यूटी पर तुलनात्मक नीति अध्ययन (यूनेस्को)।
(iii) ग्रामीण विकास, योजना तथा प्रशासन तंत्र के लिए शिक्षा के घटक तथा संबद्धता में कुछ प्रयोगों का तुलनात्मक अध्ययन (यूनेस्को)।
(iv) खंड तथा संख्या संबंधी स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की विधियां तथा समस्याएं—भारत (यूनेस्को)।
(v) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना, परिवीक्षण तथा सांख्यिकी की संगठनात्मक व्यवस्था तथा पद्धति का अध्ययन (यूनेस्को)।
(vi) तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्कूलों के शैक्षिक प्रशासन का अध्यक्ष (आई ओ डब्लू ए)।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रबंध से संबंधित कार्यक्रमों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कार्य किया है जैसे एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक, शैक्षिक योजना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस (आई आई ई पी), भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान (यू एस ई एफ आई), यू एन डी पी, यूनिसेफ, तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्र मंडल निधि (सी एफ टी सी) तथा स्विडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आदि। इनका विस्तृत ब्यौरा शिक्षण कार्यक्रमों के पुनरावलोकन में दिया गया है।

ये कार्यक्रम शैक्षिक योजना तथा प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से आरंभ किए गए थे। संस्थान ने यू एस ई एफ आई तथा एस आई डी एफ के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए।

संस्थान ने वर्ष के दौरान अनेक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त नीपा ने दक्षिणी एशिया में 1980 को शैक्षिक योजना और प्रशासन की समस्याओं तथा शैक्षिक भविष्य पर एक क्षेत्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की जिसमें क्षेत्र के देशों के अनेक

व्यक्तियों ने भाग लिया। निम्न 15 देशों से लगभग 100 व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इन कार्यक्रमों में भाग लिया— अफगानिस्तान, बंगला देश, भूटान, इथोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, कोरिया गण राज्य, माल द्वीप, मोरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, श्री लंका, थाईलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान

वियतनाम, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस तथा यू एस एस आर के साथ भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्थान ने 10 दिन से 4 सप्ताह की अवधि के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व ग्रहण किया— शैक्षिक योजना और प्रशासन की शैक्षिक नीति तथा पद्धति, शैक्षिक पद्धतियों तथा नीति का विकास तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन आदि का कार्यान्वयन।

वर्ष 1981-82 की अवधि के दौरान भारत-रूस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत एन सी ई आर टी के उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में श्री जे वीरराघवन, कार्यकारी निदेशक ने 14 सितंबर, 1982 को दो सप्ताह की अवधि के लिए यू एस एस आर का दौरा किया। श्री के जी विरमानी अध्येता, नीपा ने भारत सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान के उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में ड्रेस्डेन में 'डी डी आर अकादमी आफ पेडागोजिकल साइंसिज' के प्रबंध तथा संगठन संस्थान में वरिष्ठ प्रशासकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में 3 जनवरी, से 18 फरवरी 1983 तक 47 दिन की अवधि के लिए भाग लिया।

अध्ययन दौरे

संस्थान ने भिन्न भिन्न देशों से निम्नलिखित कार्मिकों के अध्ययन दौरों की व्यवस्था की :

1. प्रो जे एस ए वालीन, (कनाडा) का अध्ययन दौरा	2 से 6 अप्रैल, 1982, पांच दिन के लिए
2. सात आई आई ई पी प्रशिक्षणार्थियों के समूह का अध्ययन दौरा।	31 मई से 6 जून, 1982 एक सप्ताह के लिए
3. श्री तये डेमाईसिस, शिक्षा मंत्रालय इथोप्यिा का अध्ययन दौरा।	1 अगस्त से 16 अगस्त, 1982 13 दिन के लिए
4. श्री सियोंम, गोंशु शिक्षा मंत्रालय इथोपिया का अध्ययन दौरा	9 अगस्त से 16 अगस्त, 1982 एक सप्ताह के लिए
5. श्री निरिपोर्न चांजोंत, शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी, थाईलैंड का अध्ययन दौरा	13 अगस्त, 1982 एक दिन के लिए
6. मलेशिया तथा वियतनाम के दो प्रतिनिधियों के समूह का अध्ययन दौरा	9 सितंबर, 1982 एक दिन के लिए
7. चीन में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम पर यूनेस्को दल का अध्ययन दौरा	15 सितंबर, 1982, एक दिन के लिए
8. श्री सईद अहमद तथा श्री एस एन हुसैनी, शिक्षा मंत्रालय, अफगानिस्तान	10-17 नवम्बर, 1982 एक सप्ताह के लिए

9. प्रौढ़ शिक्षा पर मलावी का एक शिष्टमंडल	22 दिसंबर, 1982 एक दिन के लिए
10. श्री तथा श्रीमती हेरल्ड फरॉडमैन, अमरीका का अध्ययन दौरा	13-18 जनवरी, 1983, तथा 10-17 फरवरी, 1983, 13 दिन के लिए
11. अफगानिस्तान से यूनेस्को अध्येतावृत्ति प्राप्त समूह का अध्ययन दौरा	15-16 फरवरी, 1983 दो दिन के लिए
12. श्री जी कूम्सा, शिक्षा मंत्रालय इथोपिया का अध्ययन दौरा	10-16 मार्च, 1983 एक सप्ताह के लिए
13. डा. सांग जिन रीह, कोरिया गण राज्य का अध्ययन दौरा	नवंबर 1982 से 10 माह की अवधि के लिए। यह कार्यक्रम अभी तक चल रहा है

अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा अध्ययन दौरों में योगदान

संस्थान ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा अध्ययन दौरों में भाग लिया :

1. पेरिस (फ्रांस) में 25 से 29 अक्तूबर, 1982 को आयोजित बजट संसाधन जुटाने तथा शैक्षिक नीति पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।
2. शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में क्षेत्रीय स्टाफ विकास कार्यशाला : एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक (थाईलैंड) में तीन प्रावस्थाओं में कार्यान्वयन क्षमताओं में सुधार (पहली प्रावस्था जून-सितंबर, 1982, दूसरी प्रावस्था 4 से 17 अक्तूबर, 1982 तथा तीसरी प्रावस्था 18-25 अक्तूबर, 1982)।
3. एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक (थाईलैंड) में 30 नवंबर, 1982 से 14 दिसंबर, 1982 तक प्रलेखन में शिशिक्षुता कार्यक्रम।
4. नई दिल्ली में 24 जनवरी को नेपाल के रायल शिक्षा आयोग के साथ बैठक।
5. एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा 23-26 फरवरी, 1983 को आयोजित उच्चतर शिक्षा कार्यकारी समूह की बैठक।
6. एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा के विकास से संबंधित विशेष अनुसंधान अध्ययनों पर बैठक तथा थाईलैंड की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा 28 फरवरी से 5 मार्च 1983 को आयोजित ए एस एस आर ई सी परियोजना निदेशकों की बैठक में एशियाई सामाजिक विज्ञान, अनुसंधान परिषदों के संघ का भाग लिया जाना।
7. एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा 16-18 मार्च, 1983 को आयोजित 'संवर्धित प्रबंध तथा योजना के द्वारा शिक्षा में कुशलता' बढ़ाने पर क्षेत्रीय कार्यकारी समूह की बैठक।
8. एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मार्च 16-18, 1983 को आयोजित "दूरी के अध्यापन तथा अन्य तकनीकों का प्रयोग करते हुए योजना तथा प्रबंध में शैक्षिक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय सहयोग" पर मूल्यांकन कार्यशाला।

भाग चार

अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप

शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शकारी तथा सलाहकारी सेवाएं संस्थान के मुख्य क्रियाकलाप हैं। संस्थान के अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप में मुख्यत: निम्न सम्मिलित हैं :

(क) वरिष्ठ शैक्षिक योजनाकारी तथा प्रशासकों द्वारा अनुभवों के आदान-प्रदान करने तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी प्रयोगों का निरीक्षण तथा गहन अध्ययन करने के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों का आयोजन जिसमें विचारों का आदान-प्रदान हो सके तथा सफल प्रयोगों तथा नवाचारों का अन्य राज्यों में विस्तार तथा उनकी प्रयोज्यता की संभावनाओं का मार्ग खुल सके।

(ख) संकाय को अपने संप्रत्ययीकरण को तीव्र करने, अपने सैद्धांतिक आधार को सुदृढ़ करने तथा शैक्षिक नीति के मूल मुद्दों तथा उद्देश्यों के विषय में देश में अधिक स्पष्टत: लाने में योगदान करने के लिए परिचर्चाओं में पहल करना।

(ग) शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संप्रत्ययों तथा अभ्यासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना;

(घ) अन्य संगठनों के क्रियाकलापों तथा उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में संकाय के सदस्यों का शैक्षिक योगदान।

(ङ) शिष्ट मंडलों तथा अभ्यागतों की अगवानी। वर्ष के दौरान आयोजित इन शैक्षिक क्रियाकलापों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे

भारत में शिक्षा के द्रुत विस्तार ने देश भर में शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की हैं। विविध राज्यों में समय समय पर अनेक प्रयोगों तथा नवाचारी परियोजनाओं को सफलता की विभिन्न मात्रा में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयोग किया गया है। सफल प्रयोगों/परियोजनाओं का निकट से अध्ययन करने तथा अन्य राज्यों में इन्हें शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के नोटिस में लाने के लिए संस्थान, देश के विविध भागों के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक प्रयोगों का अध्ययन करने के लिए अंतर्राज्यीय दौरों की व्यवस्था करता हैं। वर्ष 1982 में महाराष्ट्र में सौहार्द पर आधारित स्कूल प्रबंध के कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए संस्थान ने विविध राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों की व्यवस्था की।

तमिलनाडु राज्य द्वारा शिक्षा की + अवस्था पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए किए गए प्रयत्नों से प्रभावित होकर संस्थान ने अपने अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों के कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

तथा तमिलनाडु राज्य सरकार के सहयोग से 12-15 फरवरी, 1983 को कोम्बतूर में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी के उद्देश्य इस प्रकार थे :

(i) भाग लेने वालों को +2 अवस्था पर शिक्षा के व्यवसायीकरण से संबंधित तमिलनाडु राज्य के अनुभव का निरीक्षण तथा जांच करने के अवसर प्रदान करना; तथा

(ii) शिक्षा के व्यवसायीकरण जैसे अत्यंत आवश्यक शैक्षिक सुधार के कार्यान्वयन की समस्याओं में निपटने से संबंधित अनुभवों पर विचारों का आदान प्रदान। दुर्भाग्य से देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रगति बहुत धीमी है।

इस संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चाएं की गईं। +2 अवस्था पर शिक्षा का व्यवसायीकरण—तमिलनाडु का अनुभव, क्षेत्र। जिला सर्वेक्षण स्थानियोजन/जॉब की संभावन। शिशिक्षु प्रशिक्षण, उद्योगों तथा उत्पादन यूनिटों से संबद्धता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अंत: तथा अंतर विभागीय समन्वय आदि। संगोष्ठी में समूह कार्य तथा औद्योगिक/कृषि संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी यूनिटों तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्कूलों में संवीक्षणों का भी प्रबंध किया गया। इस संगोष्ठी के फलस्वरूप जिला के व्यवसायीकरण में तसिलनाडु राज्य के अनुभव का विस्तृत ब्यौरा देने वाला एक मोनोग्राम भी तैयार किया गया।

दो चुने हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र में प्रतिवर्ष—अंतर्राज्यीय अध्ययन के दो कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा से संबंधित केंद्रीय एजेंसियों जैसे शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, योजना आयोग, एन सी ई आर टी, नीपा तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों से 20 व्यक्ति भाग लेने वाले होंगे। विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में किए गए सफल तथा नवाचारी प्रयोगों की एक सूची तैयार की गई। सूचना के विस्तृत प्रसार के लिए दौरों की रिपोर्टों के आधार पर एक प्रकाशन निकालने का भी प्रस्ताव किया गया।

शैक्षिक मुद्दों पर सूचना प्रदत्त परिचर्चाएं

यद्यपि संस्थान का मुख्य संबंध व्यवहारिक प्रकार की समस्याओं से है, यह इन शैक्षिक उत्तरदायित्वों का भार वहन उस सीमा तक कर सकता है कि उसका संकाय अपने संप्रत्ययीकरण को तीव्र, अपने सैद्धांतिक आधार को दृढ़ तथा देश में शैक्षिक नीति के मूल मुद्दों तथा उद्देश्यों को अत्यधिक स्पष्टता प्रदान करने में सहयोग करने के योग्य हो सके। इस देश में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की समस्याएं प्राय: संकल्पनात्मक अपर्याप्तता से ही उत्पन्न होती हैं।' इसलिए उस ज्ञान के केंद्र के रूप में संस्थान के विकास के लिए यह न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी है कि सैद्धांतिक विचार उसके अकादमिक क्रियाकलापों में उचित स्थान पा सके।

वर्ष के दौरान शृंखलाबद्ध परिचर्चाओं की पहल की गई जिसमें संकाय के सदस्यों, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में बाह्य विशेषज्ञों, विख्यात शिक्षाविदों तथा बौद्धिकजनों ने भाग लिया। ये परिचर्चा-समूह साप्ताहिक आधार पर संगठित किए गए थे। परिचर्चा के मुख्य विषय इस प्रकार हैं—'अपनी समवर्तिता के संदर्भ में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति,' 'तुलनात्मक शिक्षा में प्रकृत्तियां,' 'भारतीय शिक्षा के लिए एक वैकल्पिक योजना मॉडल,' 'शिक्षा में असमानताएं', 'शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा विकास,' तथा 'विश्वविद्यालय समुदाय और उसकी स्वायत्तता।' वक्ताओं के नाम सहित विविध विषयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. विश्वविद्यालय समुदाय तथा उसकी स्वायत्तता डा. जे एस कौल	12 मई, 1982

2. शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा विकास श्री बिमन सैन	19 मई, 1982
3. शिक्षा विषय की समवर्तिता के संदर्भ में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति : डा. डी सेनगुप्ता	26 मई, 1982
4. चीन में उच्च शिक्षा : परिवर्तित होता हुआ दृश्य डा. के आर शर्मा	9 जून, 1982
5. शीघ्रता से परिवर्तित होते हुए प्रौद्योगिकी संसार में शिक्षा प्रो. पी एन माथुर	11 अगस्त, 1982
6. शिक्षा के अर्थशास्त्र के कुछ पक्ष। प्रो. श्रीप्रकाश।	17 अगस्त, 1982
7. बंबई की भाषा विकास परियोजना का मूल्यांकन : नीति के प्रभाव। डा. फ्रेंकलिन सी	18 अगस्त, 1982
8. जाम्बियन शिक्षा श्री ग्रेगोरी फीरी	25 अगस्त, 1982
9. पपुआ नयू गिनी प्रो. एम अनास	1 सितंबर, 1982
10. शिक्षा के प्रति लाभ में असमानता डा. जे बी जे तिलक	8 सितंबर, 1982
11. भारतीय शिक्षा के लिए वैकल्पिक योजना मॉडल सुश्री असफ अहमद	15 सितंबर, 1982
12. जनविज्ञान अभियान-अनौपचारिक शिक्षा में प्रयोग डा. सुलभा ब्राह्मी	22 सितंबर, 1982
13. दक्षिणी एशिया में अंतर्राजातीय शांति के लिए संरचनात्मक व्यवस्था श्री बी के राय बर्मन	29 सितंबर, 1982
14. दक्षिणी एशिया : एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य डा. उर्मिला भाडनिस।	6 अक्तूबर 1982
15. विश्वविद्यालय प्रबंध के नये उपागम प्रो. एम आर भिडे	8 अक्तूबर, 1982
16. दक्षिणी एशिया में राजनैतिक पद्धति। डा. उर्मिला भाड़निस	13 अक्तूबर, 1982
17. अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा-यांडिस डा. के सुजाथा।	20 अक्तूबर, 1982
18. उच्चतर शिक्षा तथा राष्ट्रीयता के	3 नवंबर, 1982

प्रति मिशनरी अभिवृति श्री ए मैथ्यू।	
19. पांडिचेरी में शिक्षा पद्धति श्री जौन लूयिस	10 नवंबर, 1982
20. चीन—एक परिप्रेक्ष्य डा. पी सी जोशी	24 नवंबर, 1982
21. शिक्षा विकास का अंत डा. एस सी शुक्ला	8 दिसंबर, 1982
22. शिक्षा में असमानताएं डा. अंड्रे बटाइले	15 दिसंबर, 1982
23. विकास पुर्नविचार प्रो. एस सी दूबे	22 दिसंबर, 1982
24. संचार, शिक्षा और परिवर्तन प्रो. अश्कांत निम्बार्क	25 जनवरी, 1983
25. भारत में प्रतिनिधि नौकरशाही श्री भगवानदास	2 फरवरी, 1983
26. भारत में सहयोग ले. कर्नल डा. जी पी एच वरेचा	9 फरवरी, 1983
27. तुलनात्मक शिक्षा की प्रवृत्तियां डा. वुल्फ गेंग मित्तर	25 फरवरी, 1983
28. शिक्षा, भूमि सुधार तथा कमजोर वर्गों में इसका प्रभाव श्री बी के सरकार	9 मार्च 1983
29. इथोपिया में शिक्षा श्री जी कुम्सा।	16 मार्च, 1983
30. शिक्षा, संसाधन जुटाव तथा विकास : शैक्षिक योजना तथा नीति के लिए एक ढांचा। प्रो. एस एम दुबे।	24 मार्च, 1983

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संकल्पनाओं तथा अभ्यासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संकल्पनाओं तथा अभ्यासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष के दौरान संस्थान के मुख्य शैक्षिक क्रियाकलापों में से एक था। वर्ष के दौरान शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में नवाचारी संकल्पनाओं तथा अभ्यासों पर जिला स्तर पर कार्य कर रहे शिक्षा अधिकारियों के लिए पहली अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

निम्नलिखित उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रयत्न किया गया :

(i) व्यष्टि स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी अभ्यासों की संवृद्धि।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारियों को नवाचारी प्रयोगों के अनुभवों का वर्णन तथा उनको अर्थपूर्ण सामान्यीकरण संक्षेप निकालने के लिए प्रेरित करना तथा तत्पश्चात उनके सर्जनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना;

(iii) जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयोगों, अनुसंधानों तथा उनके सर्जनात्मक चिंतन से प्राप्त होने वाले परिणामों को उनके अन्य सहयोगियों की उपलब्ध करवाने के लिए साधनों की व्यवस्था करना।

राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार के लिए चुने गए शोध पत्रों के लिए 1000 रु. प्रतिशोध पत्र वाले अधिकतम 10 पुरस्कारों की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र भी दिए गए।

प्रतियोगिता के उद्देश्यों, योग्यताओं, नियमों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाली एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई तथा सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों तथा लोक प्रशिक्षण निदेशकों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई।

डा. (श्रीमती) टी राजमाल, स्कूल निरीक्षका, कांचीपुरम, तमिलनाडु को वर्ष 1982-83 में आयोजित पहली अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया। उन्हें पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पहला छः माह की अवधि वाले पूर्व आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा करने पर डिप्लोमा दिए जाने के अवसर पर दिल्ली में आमंत्रित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें अपने नवाचारी पत्र 'उच्च माध्यमिक अवस्था पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम के विशेष संदर्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्कूल का एक सामाजिक एजेंट के रूप में अध्ययन' के लिए दिया गया।

विशेषता वाले क्षेत्रों में संकाय का अकादमिक योगदान

संस्थान संकाय अन्य अकादमिक तथा व्यवसायिक निकायों के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों में अकादमिक योगदान देता है। वह अकादमिक तथा सरकारी समितियों में सदस्यों शिष्टमंडल का कार्य करना है तथा विशेषज्ञता वाले अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान-पत्र और पुस्तकों का प्रकाशन करना है। संकाय की ऐसी अकादमिक क्रियाकलापों का संक्षिप्त वर्णन अनुबंध में दिया गया है।

शिष्टमडल तथा अभ्यागत

संस्थान में देश तथा विदेश के भिन्न भिन्न भागों से शिष्टमंडल आते हैं। वर्ष के दौरान मंत्रियों सहित प्रमुख शिष्टजन, योजना आयोग के सदस्यों, विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा शिक्षा अनुदान आयोग तथा योजना आयोग से प्रमुख शिक्षाविदों तथा वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षा सचिवों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों ने संस्थान का दौरा किया। अभ्यागतों की सूची अनुबंध 4 में दी गई हैं।

भाग पांच

अकादमिक यूनिटें

संकाय को विशेष अध्यापन के लिए क्षेत्रों/समस्याओं में वैयक्तिक रूप से रत 'अकादमिक तथा शैक्षिक प्रशासकों के एक दल' के रूप में जाना जाता है और साथ ही उसे समय समय पर विशेष कार्यों पर समूह के रूप में काम करना पड़ता है। अक्तूबर 1981 को अकादमिक कार्य को निम्नलिखित अकादमिक यूनिटों में पुनर्गठन करने से संस्थान को विशेष योग्यता वाले क्षेत्रों में विशेषता का विकास करने में सहायता प्राप्त हुई है जिसके फलस्वरूप विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुसंधान में अधिकाधिक अकादमिक अंतर्भाविता तथा आगत हुई है :

1. शैक्षिक योजना यूनिट
2. शैक्षिक प्रशासन यूनिट
3. शैक्षिक वित्तीय यूनिट
4. शैक्षिक नीति यूनिट
5. स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा यूनिट
6. उच्च शिक्षा यूनिट
7. उप-राष्ट्रीय पद्धतियां यूनिट
8. अंतर्राष्ट्रीय यूनिट

ऊपर जिन आठ यूनिटों का उल्लेख किया गया है उनके द्वारा प्रचालित कार्यों की प्रकृति का व्यापक वर्णन नीचे किया गया है :

1. शैक्षिक योजना यूनिट

शैक्षिक योजना के दो बड़े आयाम हैं। पहला यह है कि यह शिक्षा के अन्य सामाजिक-आर्थिक सैक्टरों से द्वि-निदेशात्मक संबद्धताओं से संबंध रखती है; दूसरा, यह शैक्षिक सैक्टर की निस्पत्ति का स्व-मूल्यांकन करने में सहायता करती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाली युक्तियों को निर्धारित करती है। शैक्षिक योजना यूनिट दोनों पक्षों के नीति प्रभावों को समेकित रूप में उभर कर आने के विचार से इनका विस्तृत अध्ययन करने का प्रयत्न करता है तथा शिक्षा मंत्रालय और योजना आयोग के बीच संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करने के लिए शैक्षिक योजना यूनिट दृश्य निर्माण के क्षेत्र में और मॉडलिंग के अत्यधिक कठिन क्षेत्र में और साथ ही शिक्षा पद्धति को सामाजिक पद्धति की रूप-पद्धति मानकर पद्धतियों का विश्लेषण करने के क्षेत्र में विशेषज्ञता का विकास करने में सहायता करती है।

शैक्षिक योजना के क्षेत्र में अध्ययन और प्रशिक्षण-शिक्षा और जनसंख्या अध्ययन, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, शिक्षा और रोजगार के बीच संबद्धता तथा विश्लेषण का प्रयत्न करते हैं तथा समाज में अंतर-क्षेत्रीय संबद्धता की कुशलतापूर्वक ढंग से व्यवस्था करते हैं तथा शैक्षिक योजना में मानव शक्ति की आवश्यकताओं को दर्शाने तथा शैक्षिक जगत में क्षेत्रीय तथ

शैक्षिक योजना का प्रयत्न करते हैं। यूनिट के क्रियाकलापों का फोकस योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा, बहुस्तरीय योजना तथा मात्रात्मक मॉडलों तथा तकनीकों पर आधारित भविष्य में किए जाने वाले लंबे विस्तार वाले अध्ययनों पर होता है। यूनिट सातवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के संबंध में राज्यों के वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकों से परिचर्चाओं के आयोजन में पहल करता है।

वर्ष के दौरान शैक्षिक योजना यूनिट ने पपुआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक योजना के संदर्भ में आगत-निर्गत तकनीकों पर एक कार्यशाला, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा पर परामर्शकारी बैठक तथा महानगरीय शहरों में दीर्घ कालिक शैक्षिक योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

2. शैक्षिक प्रशासन यूनिट

वर्तमान उत्तरदायित्वों तथा समय समय पर उभर कर आने वाले नए कामों की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रशासन को आधुनिक बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि प्रशासनिक पद्धति में संरचनात्मक सुधार करने के प्रयत्न किए जाने आवश्यक हैं, वर्तमान पद्धति में कार्यात्मक सुधार करने से निकट भविष्य में शीघ्र परिणाम प्राप्त हो सकते हैं तथा ऐसा मुख्यत: कार्मिक प्रबंध और संस्थानों के नैतिक बल में सुधार करने से ही हो सकता है।

शैक्षिक प्रशासकीय की व्यवसायिक वृद्धि के द्वारा शैक्षिक प्रशासन की कुशलता में सुधार करने से संस्थान का मुख्य संबंध है। शैक्षिक प्रशासन यूनिट अपने प्रशिक्षण अनुसंधान कार्यक्रमों तथा अन्य क्रियाकलापों द्वारा संस्थान संबंधी स्तर तथा परा संस्था संबंधी स्तर दोनों पर शैक्षिक प्रशासकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करता है। जबकि एक ओर वह शैक्षिक प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक बनाने का प्रयत्न करता है, तो दूसरी ओर यह शैक्षिक प्रशासकों में अपेक्षित प्रबंधकीय कौशलों का विकास करने का प्रयत्न करना है जिससे वे सामान्यत: समाज की और विशेषत: शैक्षिक विकास की नई आवश्यकताओं तथा नई चुनौतियों का सामना कर सकें। निम्नलिखित क्षेत्रों, जो शिक्षा के क्षेत्र से संबद्ध हैं, पर विशेष बल दिया गया है— संस्था संबंधी प्रबंध, संचालन, नेतृत्व, निर्णय निर्माण, अभिप्रेरण, संचार, संघर्षों का प्रबंध, समय प्रबंध, मानवीय संसाधन विकास, नवाचारों तथा परिवर्तन का प्रबंध कार्मिक मूल्यांकन, संस्था संबंधी मूल्यांकन आदि।

वर्ष के दौरान, यूनिट ने दो कार्यशालाएं आयोजित कीं। एक शैक्षिक प्रबंध में केस का विकास करने के लिए तथा दूसरी गोवा के स्कूलों के प्राधानाचार्यों के लिए स्कूल प्रबंध में कार्यशाला। यूनिट ने आई ओ डब्लू ए विश्वविद्यालय से, भारत सहित चुने हुए राष्ट्रों में माध्यमिक स्कूलों की विशेषताओं की जांच करने के लिए "तुलनात्मक परिपेक्ष्य में माध्यमिक स्कूलों के प्राधानाचार्यों" शीर्षक पर एक अध्ययन में सहयोग किया।

3. शैक्षिक वित्तीय यूनिट

भारत जैसे देश में तेजी से जनसंख्या वृद्धि तथा सभी अवस्थाओं में शिक्षा के सांस्कृतिक विस्तार ने शिक्षा के वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर गंभीर रोक लगा दी है। छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास में वर्तमान सुविधाओं तथा संसाधनों के जुटाव, अतिरिक्त संसाधन के जुटाव तथा शिक्षा से संबंधित अपव्यय को कम करने पर बल दिया गया है।

तदानुसार शैक्षिक वित्त यूनिट राज्य शिक्षा विभागों तथा विश्वविद्यालयों में वित्तीय

अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा उनकी क्षमताओं को दृढ़ करने में लगा हुआ है। वह उनको शिक्षा में अधुनातन विकासों तथा वृत्तियों से परिचित करता है तथा वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विधियों तथा तकनीकों से अवगत कराता है। वह पी पी ई एस संसाधन की उपयोगिता, व्यय परिवीक्षण, शिक्षा के विकास के लिए गैर-मौद्रिक आगतों जैसे क्षेत्रों में उनके ज्ञान तथा कौशलों का विकास करता है।

वर्ष के दौरान शिक्षा वित्त यूनिट ने शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रशासन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 'शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग' विषय पर संगोष्ठी तथा 'दिल्ली में शिक्षा के अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग' विषय पर कार्यशाला आयोजित की।

यूनिट हरियाणा के "गुड़गांव जिले में शिक्षा देने की लागत पर तथा भारत में शिक्षा के लिए संसाधनों का जुटाव" पर अनुसंधान अध्ययन भी संचालित कर रहा है।

4. शैक्षिक नीति यूनिट

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में सरकार का मुख्य संबंध राष्ट्रीय प्रगति के मुख्य कारक के रूप में शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान दिए जाने से है। वह सभी के लिए शिक्षा, समाज की आवश्यकतानुसार शैक्षिक पद्धति में परिवर्तन तथा शिक्षा की गुणता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। ग्रामीण तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है तथा लड़कियां, अनुसूचित जातियों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा को भविष्य परिपेक्ष्य के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।

इसलिए शैक्षिक नीति यूनिट द्वारा भारत तथा तीसरे विश्व में शैक्षिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। इस यूनिट में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किए गए है—शिक्षा के सिद्धांत तथा लक्ष्य, शिक्षा तथा विकास—उनका अंतर्सहसंबंध, शिक्षा में क्षेत्रीय विसंगतियां, जीवन की शिक्षा तथा गुणता, शिक्षा और समानता आदि ! यह यूनिट शिक्षा में संसवर्तिता तथा राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर परिचर्चा आयोजिता करता है जिससे उन्हें, उचित परिपेक्ष्य में रखा जा सके। इस यूनिट में लाभ वंचित लोगों के लिए प्रोत्साहनों के कुशल प्रबंध पर बल दिया है तथा देश में अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर एक विशेष परियोजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष के दौरान शिक्षा नीति यूनिट ने निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान अध्ययन संचालित किए—'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आई टी आई सुविधाओं की व्यवस्था' 'आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन', 'इक्यूटी तथा वित्त—'दो राज्यों के तुलनात्मक नीति अध्ययन' तथा 'जीवन के अच्छे स्तर के लिए आकांक्षा तथा क्रिया'। यूनिट 'शिक्षा में स्थान संबंधी असमानताओं का मानचित्रण' तथा 'शिक्षा मंत्रालय का संगठनात्मक इतिहास' पर भी अध्ययनों का संचालन कर रहा है। यूनिट ने आश्रम स्कूलों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आई टी आई की सुविधाएं आदि विषयों पर कार्यशालायों का भी आयोजन किया है।

5. स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा यूनिट

स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा यूनिट ने स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रबंध की विभिन्न समस्याओं तथा मुद्दों से अपने आपको संबद्ध किया है तथा स्कूल प्रधानाचार्यों तथा स्कूल

और अनौपचारिक शिक्षा के संबद्ध अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करके इन समस्याओं के समाधान की वैकल्पिक युक्तियों की खोज की है। यह उनमें ज्ञान, कौशलों तथा अभिवृत्तियों का विकास करने तथा उनकी व्यवसायिक योग्यताओं को सुधारने का प्रयत्न करता है जिससे वे सुनियोजित तथा पद्धतिबद्ध तरीके से वांछित परिणाम प्राप्त करने योग्य हो सकें।

भारत में प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के कार्यक्रम की उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। लड़कियों तथा समुदाय के वंचित अनुभागों के बच्चों के विशेष संदर्भ में शिक्षा सुविधाओं का सभी के लिए विस्तार करने से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की अवधि में स्कूल शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। चूंकि औपचारिक स्कूल शिक्षा को अनौपचारिक, अंशकालिक तथा अपनी समयावधि की शिक्षा से अनुपूरित किया गया है, शिक्षा के प्रशासन ने नए आयाम प्राप्त कर लिए हैं। प्रौढ़ों की निरक्षरता को दूर करने के कार्यक्रमों पर भी अत्यधिक बल दिया गया है।

भारतीय राजनीति के एक प्रशासनिक यूनिट जिले में एक विशेष शक्ति है जो उसकी पारिस्थितिक समजातीयता, भाषायी समानता तथा ऐतिहासिक निरंतरता का कार्य है। जिले के कठिन स्तर पर शैक्षिक नियोजन और प्रशासन का प्रभारी अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी एक से अनेक अर्थों में भारत में शैक्षिक पद्धति का मुख्य अधिनायक है। तदानुसार यह यूनिट जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में छः माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करना है जिसमें तीन माह तक संस्थान में गहन पाठ्यचर्चा कार्य करना तथा तीन माह तक अपनी नियुक्ति के जिले में पर्यवेक्षित परियोजना कार्य करना सम्मिलित है। इसके साथ-साथ शिक्षा सचिवों, शिक्षा निदेशकों/उपनिदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लघुकालिक संगोष्ठियों तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा यूनिट ने शैक्षिक योजना और प्रबंध में चौथे पत्राचार पाठ्यक्रम का एक संपर्क कार्यक्रम, जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रथम छः माह पूर्व-आगमन कार्यक्रम, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा के प्रबंध और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। यूनिट ने जनसंख्या शिक्षा क्रियाकलापों, +2 अवस्था में शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा संख्या संबंधी योजना पर अनुसंधान अध्ययन भी प्रारंभ किए।

6. उच्च शिक्षा यूनिट

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा के प्रति लोगों की मांग और आकांक्षाएं बहुत बढ़ी है। विश्वविद्यालयों, कॉलिजों तथा उच्च ज्ञान के संस्थानों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। वे बहुतायत से प्रशिक्षित तथा शिक्षित मानवशक्ति का उत्पादन करते हैं। तथापि कॉलिज और विश्वविद्यालयों को ज्ञान प्राप्त करवाने के अतिरिक्त अब समुदाय को विकासात्मक क्रियाकलापों से संबद्ध होना चाहिए तथा विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की विस्तार सेवाओं द्वारा अपेक्षित सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कॉलिजों के प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार उच्च शिक्षा यूनिट ने उच्चतर शिक्षा कार्मियों जैसे कॉलिज के प्रधानाचार्यों, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयकों, रजिस्ट्रारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य निकायों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके उनकी क्षमताओं में सुधार करने पर अपने क्रियाकलापों को फोक्स दिया है। यह उच्च शिक्षा की संस्थाओं के प्रबंध की आधुनिक तकनीकों पर बल देता है तथा निम्न शीर्षकों से संबंधित है—'परिवर्तित होती हुई

परिस्थितियों में कॉलिज प्रधानाचार्यों की भूमिका, संस्था संबंधी योजना और प्रबंध की तकनीकें, विद्यार्थी सेवाओं का प्रबंध, संकाय-सुधार कार्यक्रम, कॉलिजों की स्वायत्तता-प्रस्थिति, कॉलिज तथा समुदाय, अन्य विकास विभागों तथा संस्थाओं से संबद्धता परीक्षाओं का प्रबंध कॉलिज का स्वमूल्यांकन तथा अन्य संबंधित मामले ।

यूनिट ने उच्चतर शिक्षा की योजना और प्रशासन के वर्तमान मुद्दों पर भी विचार किया तथा उन्हीं पर अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किए । काफी समय से यह यूनिट उच्च शिक्षा के लिए अध्यापकों के राष्ट्रीय आयोग के एक केंद्रीय तकनीकी यूनिट का कार्य कर रहा है तथा अध्यापकों और उच्च शिक्षा में उनकी प्रभाविता के विविध पक्षों पर भी ध्यान दे रहा है ।

वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा यूनिट ने बंबई विश्वविद्यालव के कॉलिजों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम यूनि. अनु. आयोग के सहयोग से कॉलिज प्रधानाचार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के तीन कार्यक्रमों तथा संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए पूर्व प्रस्थान पाठ्यक्रम, तथा संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययनों के पाठ्य-चर्या विकास अधिकारियों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृतिक पर कार्यशाला का आयोजन किया। यूनिट ने अध्यापक आयोग। (उच्च शिक्षा सेक्टर) के कार्य में आगत के रूप में आठ अध्ययन भी प्रारंभ किए ।

7. उप-राष्ट्रीय पद्धति यूनिट

शिक्षा के प्रभावी योजना और प्रशासन के लिए विशेष रूप से भारत जैसे देश, जहां विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास में अंतर अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, के संदर्भ में उसकी स्थान संबंधी विधाओं का अध्ययन अनिवार्य है । एक राज्य के अंदर भी कुछ जिले अथवा खंड हैं जो अन्यों सें कम विकसित हैं और उनकी समस्याएं तथा आवश्यकताएं अपने आप में अनोखी हैं। संस्कृति की बहुविधिता तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा इस कारण भी कि विकास और योजना को स्थानीय पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा नीतियों को ध्यान में रखते हुए एक विकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

तदानुसार उप-राष्ट्रीय पद्धति यूनिट जहां तक देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकास का संबंध है अपनी आंखें जमीन पर रखता है अर्थात् तथ्यों की जानकारी रखता है । यह निरंतर पांच क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्रीय अनुभव तथा ज्ञान का विकास कर रहा है । ये क्षेत्र इस प्रकार हैं—भारत के उत्तरीय, उत्तर-पूर्वीय, उत्तर-पश्चिमीय तथा दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र । उप-राष्ट्रीय पद्धति यूनिट जिला तथा राज्य के प्रलेखन के निर्माण के लिए प्रलेखन केंद्र की सहायता कर रहा है तथा सभी चारों विषयों के यूनिटों से अंतः सहसंबंधित है ।

क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श आयोजन के अतिरिक्त यह यूनिट अंतर्राज्यीय दौरों की व्यवस्था करके शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में विविध राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए सफल प्रयोगों और नवाचारों को अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को ध्यान में लाता है, इस प्रकार वह विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है । यह विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अपने शिक्षा विभागों का पुनर्गठन करने तथा अपने शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करता रहा है ।

वर्ष के दौरान उप-राष्ट्रीय पद्धति यूनिट में वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए दो अभिविन्यास कार्यक्रमों का संचालन किया तथा गोआ में स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए संस्था संबंधी प्रबंध पर कार्यशाला का आयोजन किया। यूनिट ने शैक्षिक रूप से प्रगतिशील तथा पिछड़े हुए कुछ

राज्यों में निरीक्षण अभ्यासों तथा कार्यक्रमों, अधिकतम अध्यापक छात्र अनुपात, शैक्षिक योजना की संगठनात्मक व्यवस्था तथा पद्धति, राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में परिवीक्षण तथा सांख्यिकी आदि विषयों पर अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया।।

8. अंतर्राष्ट्रीय यूनिट

शैक्षिक योजना और प्रशासन पर विशेष फोक्स करते हुए क्षेत्रीय सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का संवर्धन संस्थान के मुख्य उद्देश्यों मे से एक है। इसके लिए सूचना का आदान-प्रदान, वर्तमान संसाधनों की विशेषज्ञता तथा उनका बंटन, तीसरे विश्व के देशों में आत्म निर्भरता के साधन के रूप में सामूहिक आत्म निर्भरता के विकास के लिए आवश्यक चरण माना गया।

शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय शिखर संगठन के रूप में उभरकर आने पर संस्थान, यूनेस्को, यू एन डी पी यूनिसेफ तथा स्वयं-राष्ट्रीय सरकारों के अनुरोध पर अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को निरंतर सहयोग देता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यूनिट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करता है और विशेष रूप से तीसरे विश्व के देशों में शैक्षिक योजना और प्रशासन में विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

यह पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों तथा एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्र के अन्य देशों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करता है तथा उन्हें परामर्शता सेवाएं प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन देशों को शैक्षिक योजना और प्रशासन में निजी प्रशिक्षण क्षमताओं का विकास करने योग्य बनाना है और इसके लिए वरिष्ठ, शैक्षिक कार्मिक उनका लक्ष्य है जो अपने-अपने देशों में अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य कर सकते हैं और इस प्रकार प्रशिक्षण का बहुसंख्यक प्रभाव उत्पन्न होने में सहायक हो सकते हैं।

वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यूनिट ने श्री लंका के अधिकारियों तथा बैंकाक में थाईलैंड के अध्यापक प्रशिक्षण कॉलिज प्रशासन के लिए शैक्षिक प्रबंध तथा संसाधनों का विधिवत जुटाव करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया तथा शिक्षा के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। विभिन्न देशों से भाग लेने वाले विदेशियों तथा आई आई ई पी, पेरिस के ऐशियाई प्रशिक्षणार्थियों के अनेक अध्ययन दौरे भी यूनिट ने आयोजित किए।

अकादमिक यूनिटों की भूमिका

अकादमिक यूनिटों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पूरे उत्तरदायित्व से काम करें तथा संस्थान की नीतियों के अधीन तथा विधियों की उपलब्धता के अनुसार उसको सौंपे गए क्षेत्रों में परामर्शकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते रहे। यूनिटों सें निम्नलिखित की आशा की जाती हैं :

(i) विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रम की योजना तथा उनकी समय सूचिका;
(ii) सलाहकारी तथा परामर्शकारी सेवाओं के लिए प्रस्तावों पर विचार;
(iii) नियत किए गए अपने-अपने कार्य करने के क्षेत्रों में संस्थान के अंदर सभी कार्यक्रमों का समन्वय करना;
(iv) यूनिटों के विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम विषयवस्तु तथा अनुसंधान डिजाइन पर विचार विमर्श; तथा
(v) समय समय पर नियत किए गए कर्तव्यों का पालन।

यूनिटों के अध्यक्षों से यह आशा की जाती है कि वे अपने यूनिट के सदस्यों को नेतृत्व प्रदान करेंगे, उनके क्रियाकलापों को समन्वित करेंगे, तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में उनकी सहायता करेंगे, यूनिट के विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों पर विचार विमर्श करेंगे, उनकी योजना तथा सूचिका तैयार करने के लिए समय समय पर बैठक का आयोजन करेंगे। वे निदेशक/कार्यकारी निदेशक। प्रशिक्षण के लिए वे सामान्य पर्यवेक्षक के अंतर्गत संकाय तथा यूनिट के अन्य सदस्यों के कार्य का अनिवार्य पर्यवेक्षण भी करते हैं।

कार्यदल (समूह) तथा समितियां

अकादमिक यूनिटें दीर्घकालिक निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, विशिष्ट कार्यक्रमों के समय समय पर निदेशक द्वारा विशेष कार्य समूहों तथा समितियों का गठन किया जाता है। 'विशेषज्ञों' की सलाहकारी समितियां भी संस्थान द्वारा प्रारंभ की गई। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति का संवीक्षण करने, सलाह तथा सुझाव देने के लिए गठित की गई हैं। अकादमिक यूनिटों, कार्य-दलों तथा समितियों के कार्य का समन्वय तथा पुनरावलोकन निदेशक की अध्यक्षता के अन्तर्गत संस्थान की अकादमिक समिति द्वारा किया जाता हैं। यूनिटों के अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, डीन (प्रशिक्षण) रजिस्ट्रार तथा निदेशक द्वारा नामित अन्य कोई भी व्यक्ति इस समिति का सदस्य होता है।

भाग छः

अकादमिक आधारिक संरचना

वर्ष के दौरान संस्थान के बहुमुखी कार्यक्रमों तथा अनुसंधान क्रियाकलापों की वृद्धि की सहायता में पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र डेटा बैंक, कार्टीग्राफिक सेल तथा प्रकाशन यूनिट वाली अकादमिक आधारित संरचना की दिशा में अधिक विकास किया गया तथा एक इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग तथा रिपरोग्राफिक यूनिट (ई डी पी आर यूनिट) तथा एक हिंदी सेल की स्थापना की गई।

वर्ष के दौरान संस्थान के पुस्तकालय का सर्वोत्तमुखी विकास तथा वृद्धि की गई। पुस्तकालय में न केवल उसके शैक्षिक योजना पर प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्र तथा अंतः शास्त्रीय विषयों से संबंधित पुस्तकों की संख्या में वृद्धि की गई बल्कि 1 फरवरी, 1983 से राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़ कर वर्ष भर पुस्तकालय खुला रखकर अनावरुद्ध पुस्तकालय तथा प्रलेखन संबंध सेवाओं की व्यवस्था करके उसने एक अच्छा कदम भी उठाया है। अध्ययन कक्ष, पठन मेजें तथा अन्य कार्यकारी फर्नीचर की व्यवस्था करके तथा पुस्तकालय स्टाफ को सुदृढ़ कर गंभीर अध्ययन के लिए अधिक अच्छे परिवेश तथा उचित सुविधाओं के निर्माण द्वारा पुस्तकालय सेवाओं में बहुत अधिक सुधार किया।

वर्ष 1981-82 से कार्य कर रहे प्रलेखन केंद्र, डेटा बैंक, कार्टीग्राफिक सेल तथा प्रकाशन यूनिटों ने वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया तथा उपयोग अकादमिक सहायता प्रदान की। रिपरोग्राफी की पद्धति को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान कम्पयूटरस लिमिटिड से 2.20 लाख की लागत वाला एक वर्ड प्रोसेसर (कार्य शक्ति —4 पद्धति) खरीद कर टाइप सामग्री के जमा तथा उपयोजन की प्रक्रिया तथा डेटा विश्लेषण में सुधार किया गया तथा मशीन को चलाने के लिए विशेष व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ड प्रोफेसर की प्राप्ति तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपस्करों जैसे फोटोकापिअर, मल्टीगिथ मशीन, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर तथा इलेक्ट्रोनिक स्टैंसिल कटर को नये विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग तथा रिप्रोग्राफिक यूनिट (ई डी पी आर) में पूल करने से संस्थान के अब अनुसंधान पत्रों, पाठ्यक्रमों सामग्री, रिपोर्ट तथा कार्यक्रम की अन्य सामग्रियों का गणता तथा गति से अत्याधुनिकता पुर्नत्पादन करने के लिए अनिवार्य आधार संरचना है।

संस्थान की आधारिक संरचना में एक जटिल कमी हिंदी सेल का अभाव था जो कार्यक्रम में भाग लेने वालों तथा देश के हिंदी भाषा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री, रिपोर्ट तथा अनुसंधान पत्र तैयार कर सके। इस कमी को पूरा करने के लिए तथा संस्थान की अकादमिक क्रियाकलापों में हिंदी के प्रयोग का प्रसार करने के लिए वर्ष के दौरान एक हिंदी संपादक, एक हिंदी अनुवादक, तथा एक हिंदी टाइपिस्ट के पदों का अनुमोदन करके एक हिंदी सेल की स्थापना की गई। उपरोक्त यूनिट के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. पुस्तकालय

संस्थान शैक्षिक योजना तथा प्रशासन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में एक सेंग्रहित पुस्तकालय के रखरखाव की व्यवस्था करता है। एशिया क्षेत्र में शैक्षिक योजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध पुस्तकालयों में इस पुस्तकालय की गिनती की जा सकती है। यह न केवल संकाय के अनुसंधान विद्वानों तथा विविध कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की सेवा करता है बल्कि अंतर पुस्तकालय ऋण पद्धति द्वारा अन्य संगठनों की भी अपनी सुविधाएं प्राप्त करवाता है।

पुस्तकें

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 1823 पुस्तकों तथा 4000 प्रलेखों की वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में पुस्तकालय में लगभग 32,950 पुस्तकों का संग्रह है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यू एन ओ, यूनेस्को, ओ ई सी डी, आई एल ओ, यूनीसेफ आदि द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों की रिपोर्टों का भी एक समृद्ध संग्रह है।

पत्रिकाएं

पुस्तकालय में मुख्यत: शैक्षिक योजना प्रबंध, तथा प्रशासन और क्षेत्रों की 270 आवधिक पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। इन पत्रिकाओं में प्रकाशित महत्वपूर्ण लेखों को सूचिबद्ध किया जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष में इन पत्रिकाओं में से 3000 लेखों को सूचिबद्ध किया गया।

समाचार पत्रों की कतरनें

पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तकालय में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से संबंधित समाचार पत्र कर्तनों का एक विशेष संग्रह रखा जाता है।

अधुनातन ज्ञान सेवाएं

एक पखवाड़े के दौरान शिक्षा से संबंधित पत्रिकाओं की विषय सामग्री के संबंध में पाठक को अधुनातन ज्ञान सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्तकालय "अपना एक द्विमासिक अनुलेखित्र प्रकाशन" शिक्षा पर आवधिक पत्रिकाएं : प्राप्त शीर्षक तथा उनकी विषय वस्तु" भी निकालता है।

पाठकों के ज्ञान को अधुनातन करने के लिए उनकी रुचि के तथा नये प्राप्त महत्वपूर्ण लेखों की मासिक सूची भी तैयार की जाती है।

सूचना का प्रसार

पुस्तकालय संस्थान के कार्यक्रम यूनिटों तथा अनुसंधान परियोजना दलों को विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना के नए मदों का ज्ञान करवाता है जिससें वे उनकी रुचि के अनुकूल उपयोगी सिद्ध हो सकें।

ग्रंथ सूची

वर्ष के दौरान पुस्तकालय संस्थान द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम की ग्रंथ सूचियां तैयार करता है। कुछ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे शैक्षिक भविष्य और योजना, भारत में शिक्षा का वित्तीयन, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शैक्षिक प्रबंध, उच्च शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की

सटिप्पण ग्रंथ सूचियां तैयार की गईं।

2. प्रलेखन केंद्र

संस्थान द्वारा विशेष रूप से राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रभावी सूचना आधार की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान पुस्तकालय के अंदर एक अलग उपयूनिट के रूप में प्रलेखन केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र, उपराष्ट्रीय पद्धति यूनिट के निकट सहयोग से कार्य करना है। जिससे संस्थान सूचना तथा अनुभव के एक सूचना प्रसार केंद्र के रूप में कार्य कर सके।

यह केंद्र, राज्य / संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों, जिला प्राधिकारियों तथा उप-राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से संबंधित प्रकाशित शैक्षिक प्रलेखों तथा अन्य सामान सामग्री को संदर्भ के लिए प्रकाशित करता है। केंद्र का मुख्य बल जिला स्तर, तो सभी क्रियाकलापों का शिखर है, पर सूचना का संग्रह तथा उसका प्रसार करने पर है।

वर्तमान समय में केंद्र में लगभग 3500 प्रलेख उपलब्ध हैं। रुचि के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं—राज्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, शिक्षिक कोड तथा नियम, वित्तीय नियम, जिला जनसंख्या पुस्तिकाएं, जिला राजपत्र, जिला योजनाएं तथा जिला अनुसार शैक्षिक सांख्यिकी।

केंद्र विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के समाचार प्राप्त करवाने वाले 15 क्षेत्रीय समाचार पत्रों का अंशदायक है। सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में शैक्षिक समाचार देने वाले सभी समाचार पत्रों की प्रेस कर्तन फाइलें भी केंद में संदर्भ के लिए रखी जाती हैं।

3. डेटा बैंक

शैक्षिक योजना और प्रशासन की दीर्घकालिक डेटा आधार अपेक्षाओं की पूर्ति के विचार से वर्ष 1981-82 के दौरन नीपा में एक डेटा बैंक की स्थापना की गई है। इस डेटा बैंक के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(i) संस्थान के अनुसंधान कर्ताओं को डेटा संग्रह करने, उनके मूल्यांकन तथा विश्लेषण में सहायता प्रदान करना;

(ii) नीपा द्वारा लिए गए विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित डेटा के कम्पयूटेराइजेशन को सुलभ बनाना;

(iii) जिला स्तर पर शैक्षिक योजना के लिए पर्याप्त जिला स्तर आंकड़े-आधार का निर्माण करना;

(iv) कम्पयूटेराइजड डेटा की पद्धतिबद्ध तरीके से संग्रह करना जिससे यह भविष्य में प्रयोग करने योग्य बना रह सके।

कम्पयूटेराइजेशन के उद्देश्य से नीप राष्ट्रीय योजना केंद्र, नई दिल्ली में स्थिति साइबर पद्धति का प्रयोग करने वालों में से एक है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से पहले तो पर्याप्त आंकड़े-आधार के निर्माण का प्रयत्न किया गया और फिर पद्धति सोफ्टवेयर पैकेजिज़ के विकास का भी प्रयत्न किया गया जिसकी आवश्यकता प्रति दिन के अनुसंधान कार्य में पड़ सकती है।

वर्ष के दौरान 1981 से संबंधित जनसंख्या तथा साक्षरता लिंग तथा ग्रामीण शहरी उत्पत्ति के अनुसार आबंटित-जिलानुसार आंकड़े-आधार को कंप्यूटेराइजड किया गया। इसके अतिरिक्त नीपा के अनुसंधान स्टाफ की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की प्रश्नावलियां, सूचिकाएं तैयार करने तथा आंकड़े-विश्लेषण में सहायता की गई। कम्पयूटेराइजड डेटा प्रोसेसिंग में प्रयोग करने के लिए अनेक संख्या में पैकेजों का विकास किया गया है। आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों के दौरान डेटा बैंक उपरोक्त अनुमान के अनुसार अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभाता रहेगा।

4. कार्टोग्राफी सेल

संस्थान में क्षेत्रीय योजना तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण में कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्य के प्रयोग को सरल बनाने के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान एक कार्टोग्राफिक सेल की स्थापना की गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कार्टोग्राफिक सेल ने निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की :

(i) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य सामग्री के प्रदर्शन के लिए मानचित्र चार्ट तथा पारदर्शकों का निर्माण;
(ii) शैक्षिक योजना और प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर मानचित्रों का निर्माण;
(iii) सरल पुनः उत्पादन के लिए रेखाचित्र तथा अन्य संबंधित सामग्री का निर्माण;
(iv) शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं के एक मानचित्रावली का निर्माण;

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों के लिए लगभग 150 मानचित्र चार्ट तथा रेखाचित्र तैयार किए गए :

5. प्रकाशन यूनिट

संस्थान के विभिन्न प्रकाशन कार्यक्रमों को प्रभाविता से चलाने के लिए संस्थान ने वर्ष 1981-82 के दौरान एक प्रकाशन यूनिट की स्थापना की गई। 'शिक्षा तथा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' संपादन—जे वीरराघवन तथा 'भारत में स्कूल कॉम्पलेक्शी का पुनर्जीवन' संपादन डा. आर पी सिंघल मूल्य वाले इन दो प्रकाशनों का संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाना संस्थान के प्रकाशन कार्यक्रम की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यह यूनिट त्रैमासिक ई पी ए बुलेटिन निकालता रहा है। इस यूनिट ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन की रिपोर्टों हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया है। वर्ष के दौरान आधार स्तर—जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक पत्रिका शीर्षक से एक प्रकाशन निकालने की भी योजना बनाई गई।

(क) मूल्य वाले प्रकाशन

1. शिक्षा तथा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था

श्री जे वीरराघवन द्वारा संपादित
यह संस्थान तथा आई आई ई पी, पेरिस दोनों के सम्मिलित प्रयास से आयोजित जनवरी 1979 में शिक्षा तथा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए पत्रों का संग्रह है।

यह खंड नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति को निकट लाने में शिक्षा की मूलभूत भूमिका पर मुख्य रूप से प्रकाश डालता है। यह इस तथ्य की निंदा करता है कि शिक्षा की इस

भूमिका को पर्याप्त मान्यता प्राप्त नहीं हुई है तथा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर जाने में शिक्षा की भूमिका की संपूर्ण समर्थताओं को पूरा करने के लिए वह इस विषय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का अनुरोध करता है कि शिक्षा को किस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। (मूल्य 60 रु.)

2. भारत में स्कूल काम्प्लेक्सों का पुनर्जीवन

डा. आर पी सिंघल

इस प्रकाशन में भारत के शिक्षा आयोग 1966 में सुविचारित स्कूल कॉम्पलैक्स योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन दिया गया है तथा महाराष्ट्र के सौहार्द पर आधारित स्कूल कॉम्पलैक्स कार्यक्रम के तत्कालिक नवाचारी प्रयोग का ब्यौरा दिया गया है। यह प्रकाशन प्रारंभिक शिक्षा की सर्व व्यापकता कार्यक्रम तथा उपलब्ध संस्थानों के अधिकतम उपयोग के विशेष संदर्भ में नीति निर्धारकों, शैक्षिक योजनाकारों तथा शैक्षिक प्रशासकों और अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। (मूल्य 70 रु.)

(ख) निशुल्क प्रकाशन

1. प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित राज्यों के संबंध में किया गया है :

   मध्य प्रदेश
   राजस्थान
   उत्तर प्रदेश

2. वर्ष 1981-82 की संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण)।
3. त्रैमासिक ई पी ए बुलेटिन खंड 4 तथा 5 नं. 1 (अप्रैल 1982) खंड 5 नं. 2 (जुलाई 1982); खंड 5 नं. 3 तथा 4 (अक्तूबर 1982 तथा जनवरी 1983 प्रकाशन);

(ग) अनुसंधान प्रकाशन (अनुलेखित्र)

वर्ष के दौरान संस्थान के निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशन भी प्रकाशित किए गए :

1. **आई टी आई में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियां; पांच राज्यों का एक अध्ययन** : यह केंद्रीय आदिमजाति बेल्ट के पांच राज्यों के आई टी आई यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं का एक मूल्यांकित अध्ययन है यह अध्ययन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा तथा रोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है।
2. **आश्रम स्कूलों पर गहन अध्ययन** : यह प्रकाशन आदिमजाति जन संख्या के अधिकतम सकेंद्रण वाले पांच चुने हुए राज्यों में आश्रम स्कूलों की कार्य प्रणाली का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इससे अध्ययन से यह प्रकट होता है कि यद्यपि स्कूल जाने वाले बच्चों का 5-6 प्रतिशत भाग इन आश्रम स्कूलों में अध्ययन करता है फिर भी ये आदिमजातियों के बच्चों के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं क्योंकि ये स्कूल देश के बहुत दूर के भागों में स्थित हैं तथा ये समाज के इन वंचित वर्गों के बच्चों को निशुल्क, निवास तथा आवास की सुविधाएं प्रदान करते हैं :
3. **अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर एक सटिप्पण ग्रंथसूची** : यह प्रकाशन विश्वविद्यालय अनु-

संधान संस्थाओं तथा अनुसंधान संगठनों में संचालित अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करता है तथा कार्यालय रिपोर्टों तथा ग्रंथ सूची के मूल्यांकन पर विशेष बल देते हुए आंकड़ों के स्रोतों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

4. **उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों के मूल्यांकन की प्रवृत्तियां** (1964-77) : इस प्रकाशन में शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशनों में उपलब्ध नामांकन आंकड़े तथा वर्ष 1964-65 से 1977-78 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा में प्रगति का विश्लेषण नामांकन प्रवृतियों को प्रकाश में लाने तथा विभिन्न राज्यों के बीच तथा अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के बीच असमानताओं को फोक्स में लाने के लिए किया गया है।

(घ) कार्यक्रम की रिपोर्टें (अनुलेखित)

संस्थान के विभिन्न अकादमिक यूनिटों ने स्वयं द्वारा आयोजित प्रत्येक अभिविन्यास कार्यक्रम, संगोष्ठी तथा कार्यशाला की एक साइक्लोस्टाइल रिपोर्ट भी निकाली है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार की गई :

1. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जनसंख्या शिक्षा की योजना और प्रबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम, 3-6 मई, 1982।
2. हरियाणा के कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम 14-23 जून, 1982।
3. स्कूलों (मारगों) के अध्ययनों के लिए स्कूल प्रबंध में कार्यशाला, 18-25 जून, 1982।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका से सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास तथा सांस्कृति में कार्यशाला, 1-6 जुलाई, 1982 तथा 5-7 अगस्त, 1982।
5. संपर्क अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए संगोष्ठी एवं कार्यशाला, 19-21 जुलाई, 1982।
6. पपुआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1 अगस्त से 30 अक्तूबर, 1982।
7. शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों के उपयोग पर संगोष्ठी, 27-31 जुलाई, 1982।
8. अध्यापक शिक्षा योजना पर इथोपियन अधिकारियों का अध्ययन दौरा, 1-16 अगस्त, 1982।
9. स्कूलों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की योजना पर इथोपियन अधिकारियों का अध्ययन दौरा, 9-21 अगस्त, 1982।
10. एस सी ई आर टी/एस आई ई के निदेशकों के लिए जनसंख्या शिक्षा के प्रबंध तथा परिवीक्षण पर राष्ट्रीय अभिविन्यास संगोष्ठी 30 अगस्त 2 सितंबर, 1982।
11. शैक्षिक योजना में आगत-निर्गत तकनीकों के प्रयोग पर कार्यशाला 22-24 सितंबर, 1982।
12. स्कूलों के लिए अधिकतम अध्यापक-छात्र अनुपात पर कार्यशाला, 29 सितंबर, 1982।
13. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आई टी आई सुविधाओं के लिए प्रेरित करने पर कार्यशाला तथा आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन 10-18 मई, 1982।
14. आई आई ई पी के ऐशियाई प्रशिक्षणार्थियों का अध्ययन दौरा 31 मई से 6 जून, 1982।
15. शैक्षिक योजना और प्रबंध में चौथा पत्राचार पाठ्यक्रम, 24-29 मई, 1982।
16. राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा योजना पर कार्यशाला, 7 अक्तूबर, 1982।

17. कॉलिज प्रशासन की समस्याओं पर कॉलिज प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी, 15 अक्तूबर, 1982 ।
18. लौनावाला में बंबई विश्वविद्यालय के कॉलिजों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, 1-10 नवंबर, 1982 ।
19. जयपुर जिले के स्कूल प्रधानाचार्यों तथा अधिकारियों के लिए जयपुर में आयोजित संस्था संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन की संक्रियात्मक समस्याओं पर कार्यशाला, 2-6 नवंबर, 1982 ।
20. अजमेर जिले में स्कूल प्रधानाचार्यों तथा अधिकारियों के लिए अजमेर में आयोजित संस्था संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की सक्रियात्मक समस्याओं पर कार्यशाला, 8-10 नवंबर, 1982 ।
21. कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, 8-27 नवंबर, 1982 ।
22. नेत्रहीनों की शिक्षा की योजना तथा प्रबंध की समस्याओं की पहचान पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 16-18 नवंबर, 1982 ।
23. शैक्षिक प्रबंध में केस अध्ययनों के लिए कार्यशाला, 22-26 नवंबर, 1982 ।
24. श्री लंका के शिक्षा कार्मिकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 नवंबर, 6 फरवरी, 1983 ।
25. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से कोरिया गणराज्य के लोक प्रशासन विभाग के सह-आचार्य डा० सेंग जिन फी का अध्ययन दौरा 1 नवंबर से 10 माह तक, 1982 ।
26. कॉलिज प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम 2-22 दिसंबर, 1982 ।
27. बंबई में भारत के महानगरीय शहरों के नगर निगम शिक्षा अधिकारियों के लिए शिक्षा की भविष्य योजना पर कार्यशाला 13-17 दिसंबर, 1982 ।
28. शिक्षा प्रबंध तथा संसाधनों के पद्धतिबद्ध उपयोगों पर बैंकाक में थाईलैंड के अध्यापक प्रशिक्षण कॉलिज प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13-24 दिसंबर, 1982 ।
29. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, 6-24 दिसंबर, 1982 ।
30. 1980 में शैक्षिक योजना और प्रशासन की समस्याएं तथा शैक्षिक भविष्य पर क्षेत्रीय संगोष्ठी 27-31 दिसंबर, 1982 ।
31. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रथम छः माह पूर्व—आगमन कार्यक्रम 1 जुलाई-31 दिसंबर, 1982 ।
32. शिक्षा अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम, 1-14 जनवरी, 1983 ।
33. पांडिचेरी में मिडिल स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 17-22 जनवरी, 1983 ।
34. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम, 7-25 फरवरी, 1983 ।
35. +2 अवस्था पर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 12-15 फरवरी, 1983 ।
36. उच्च स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए योजना तथा प्रशासन में राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम 14-18 फरवरी, 1983 ।
37. कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम 2-23 मार्च, 1983 ।

38. उच्च शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की योजना और प्रबंध की समस्याओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यशाला (यूनेस्को यू एन एफ पी ए परियोजना के अंतर्गत) 14-17 मार्च, 1983 ।
39. संयुक्त राज्य अमरीका प्रस्थान करने वाले कॉलिज प्रधानाचार्यों तथा शैक्षिक प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 24-25 मार्च, 1983 ।
40. इथोपिया के शिक्षा मंत्रालय के योजना विभाग के अध्यक्ष श्री जी कुमसा का अध्ययन दौरा (10-16 मार्च, 1983) ।

भाग सात

प्रशासन और वित्त

संस्थान का वित्तीय प्रबंध पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका प्रबंध एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा नामित होता है। निदेशक, जो संस्थान का शैक्षिक (अकादमिक) तथा कार्यकारी अध्यक्ष होता है, की सहायता प्रशासन तथा वित्त कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। प्रशासन विभाग तथा लेखा अनुभाग कार्यकारी निदेशक के संपूर्ण प्रभार के अंतर्गत क्रमशः रजिस्ट्रार तथा वित्तीय अधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं।

नीति ढांचे के अंग

संस्थान का शीर्ष निकाय परिषद है जिसका मुख्या भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष होता है। संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना तथा संस्थान के सभी मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण करना परिषद के कार्य होना चाहिए।

नीपा का निदेशक इस परिषद का उपाध्यक्ष होता है। परिषद के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :

(i) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(ii) भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, योजना आयोग, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)
(iii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
(iv) 6 शिक्षा सचिव (5 राज्यों से तथा एक संघ शासित क्षेत्र से)
(v) 6 शिक्षा निदेशक (5 राज्यों से तथा एक संघ शासित क्षेत्र से)
(vi) 6 प्रमुख शिक्षाविद
(vii) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य
(viii) नीपा के संकाय का एक सदस्य
(ix) संस्थान का रजिस्ट्रार परिषद के सचिव का कार्य करता है।

30 जून 1982 को अपनी तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर परिषद का जुलाई 1982 को पुनर्गठन किया गया। प्रो. नूरुल हसन, उपाध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष प्रो. डी टी लक्कड वाला द्वारा अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ने पर नीपा की परिषद के अध्यक्ष का पद संभाला। पुर्नगठित परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 1 में दी गई है।

कार्यकारी समिति

संस्थान के प्रशासन तथा प्रबंध से संबंधित मामले संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा चलाए जाते हैं। संस्थान का रजिस्ट्रार कार्यकारी समिति के सचिव का कार्य करता है। समिति वित्तीय, कार्यक्रम परामर्शकारी तथा प्रकाशन सलाहकारी समितियों के द्वारा कार्य करती है। कार्यकारी समिति के सदस्यों की एक सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

वर्ष के दौरान कार्यकारी समिति ने 6 बार, 6 अप्रैल, 11 जून, 13 दिसबर, 19 अक्तूबर तथा 8 जनवरी तथा 18 फरवरी, 1983 की अपनी बैठक आयोजित कीं।

वित्तीय समिति

अध्यक्ष ने संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता के अंतर्गत एक वित्तीय समिति नियुक्त की है। यह लेखा व बजट अनुमानों की जांच करती व नए व्यय के प्रस्तावों पर कार्यकारी समिति की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। वित्तीय समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट III में दी गई है।

वर्ष के दौरान वित्तीय समिति की 6 बार, 6 अप्रैल, 11 जून, 13 सितंबर, तथा 19 अक्तूवर, 1983 तथा 8 जनवरी और 18 फरवरी, 1983 को बैठकें की गईं।

कार्यक्रम सलाहकारी समिति

प्रशिक्षण व अनुसंधान से संबंधित सिफारिशें करने, सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का समन्वय करने तथा संस्थान के कार्य के अकादमिक पक्षों की जांच करने के लिए कार्यकारी समिति ने एक कार्यक्रम सलाहकारी समिति गठित की है। निदेशक इस समिति का अध्यक्ष है। संस्थान का रजिस्ट्रार इस समिति के सचिव का कार्य करता है। कार्यक्रम सलाहकारी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट IV में दी गई है।

वर्ष के दौरान कार्यक्रम सलाहकारी समिति ने चार बार, 6 अप्रैल, 28 जून, 10 सितंबर 1982 तथा 18 फरवरी, 1983 को अपनीं बैठकें आयोजित कीं।

प्रकाशन सलाहकार समिति

कार्यकारी समिति ने 6 अप्रैल 1982 को आयोजित अपनी 10वीं बैठक में संस्थान द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशनों से संबंधित सभी मामलों पर सिफारिशें करने तथा दूसरी संबंधित सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए एक प्रकाशन सलाहकार समिति का गठन किया। प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट V में दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मान

वर्ष के दौरान संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि, दिसंबर, 1980 में अदिशेशियाह समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर 1 अप्रैल, 1982 से संकाय के सदस्यों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना था। संकाय की लंबे समय से चली आ रही इस मांग की पूर्ति से आशा की जाती है कि संस्थान उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के योग्य सिद्ध होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करने पर अध्येता, सह-अध्येता अनुसंधान/प्रशिक्षण के पदों को वरिष्ठ अध्येता के पद के रूप में परिवर्तित किए जाने का निर्णय भी किया गया। इन स्थितियों के लिए नियत अहर्ताएं विश्वविद्यालय पद्धति में संकाय पदों के लिए नियत अहर्ताओं के समान अथवा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में प्रशासनिक काडरों से लिए गए कार्मिकों के लिए नियत की गई अहर्ताओं के समतुल्य मानी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों को लागू करने से पहले संकाय के पदों के वर्तमान उम्मीदवारों का उचित मूल्यांकन एक जांच समिति द्वारा किया गया।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

संस्थान के विनियमों के अंतर्गत सामान्यत: निदेशक तथा रजिस्ट्रार भारत सरकार के अंतर्गत क्रमश: विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करेंगे। अधिकांश प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले निदेशक के सामने रखे जाते हैं क्योंकि कार्यकारी निदेशक को कोई भी अधिकारी प्राप्त न थे तथा रजिस्ट्रार को दिए हुए अधिकार अत्यंत अपर्याप्त थे। संस्थान की कार्य प्रणाली को सुप्रवाही बनाने तथा निदेशकों को प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों से मुक्त करने के विचार से जून 1982 में कार्यकारी समिति के अनुमोदन से कार्यकारी निदेशक को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार फिर से प्राप्त करवाए गए तथा रजिस्ट्रार के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा प्रशासनिक अधिकारी को कुछ अधिकार फिर से प्राप्त करवाए गए जिससे अधिकांश प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले इन्हीं स्तरों पर निपटाए जा सकें तथा निदेशक नीति तथा अकादमिक संबंधी महत्वपूर्ण मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।

संस्थान-संगठन की उभरती हुई पद्धति से अधिक कार्यकारी तथा विकेंद्रित आधार पर शक्तियों (अधिकारों) के व्यापक विस्तृत पुनः प्रत्यायोजन की दिशा में फरवरी 1983 को कार्यकारी समिति के अनुमोदन से डीन प्रशिक्षण, अकादमिक यूनिटों के अध्यक्षों तथा प्रकाशन अधिकारों को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार (शक्तियां) देने का निर्णय किया गया। प्रशासन के विभिन्न स्तरों तथा अकादमिक स्टाफ को अधिकार प्राप्त करवाने से कार्य में अत्यधिक सरलता आई हैं, रुकावटें दूर हो गई हैं तथा इसके परिणामस्वरूप निर्णय शीघ्रता से लिए जाने लगे हैं।

सरकारी भाषा नीति का कार्यान्वयन

श्री चरणजीत लाल शर्मा, संसद सदस्य की अध्यक्षता में 9 दिसंबर, 1982 को सरकारी कार्यालय भाषा से संबंधित संसद की एक उप-समिति ने संस्थान का दौरा किया तथा संस्थान के कार्य में कार्यालय भाषा नीति के प्रभाविता से कार्यान्वयन करने के सुझाव दिए। उप-समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने संस्थान का दौरा किया :

1. श्री चरणजीत लाल शर्मा, संसद सदस्य
2. श्री ए एन नादर, संसद सदस्य
3. प्रो. के के तिवारी, संसद सदस्य
4. श्री शिवचंद्र झा, संसद सदस्य
5. प्रो. संतोष कुमार मित्रा, संसद सदस्य

संस्थान के अकादमिक क्रियाकलापों, प्रतिदिन के कार्यों तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से पत्राचार करने में हिंदी के प्रयोग का प्रसार करने के लिए वर्ष के दौरान एक हिंदी सेल की स्थापना की गई जिसमें एक हिंदी संपादक, एक हिन्दी अनुवादक तथा एक हिंदी टाइपिस्ट के पद उत्पन्न किए। पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों की अधिक खरीद किए जाने के भी प्रयत्न किए गए।

संस्थान में कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यालय भाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना की गई।

संकाय को सुदृढ़ किया जाना

वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए 6 माह का पाठ्यक्रम, पपुआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए 8 माह का पाठ्यक्रम

तथा श्री लंका के शैक्षिक कार्मिकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में 10 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में गहन शैक्षिक प्रबंध आगत की व्यवस्था करने के लिए शैक्षिक प्रशासन यूनिट को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की दीर्घकालिक तथा लघु-कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने की बढ़ती हुई मांगों पर विचार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यूनिट को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इससे अधिक यह देखते हुए कि ग्रामीण विकास भी एक अन्य क्षेत्र है जिसमें संस्थान के क्रियाकलापों की बहुत मांग है तथा हरियाणा तथा राजस्थान सरकार के सहयोग से गुड़गांव तथा अलवर जिलों में कार्य पहले से प्रारंभ हो चुका है तथा अन्य राज्य सरकारों ने भी इस क्षेत्र में अपनी रुचि दर्शायी है, संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास में शिक्षा के कार्य पर बल दिया गया।

वर्ष के दौरान संस्थान के अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक क्रियाकलापों तथा अनुसंधान को प्रशिक्षण से सबंद्ध करने पर मुख्य बल दिया गया। इसमें निदेशक के स्तर पर घनिष्ट समन्वय की आवश्यकता थी।

संकाय को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान संस्थान के क्रियाकलापों के उपरोक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित पद उत्पन्न किए गए :

पद का नाम	नं		वेतनमान	टिप्पणियां
वरिष्ठ अध्येता	2	रु०	1500-2500	शैक्षिक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास और शिक्षा दोनों में एक एक पद
अध्येता	1	रु०	1200-1900	अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के लिए
एस टी ए (समन्वय)	1	रु०	550- 900	

पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण तथा नवीकरण

पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाओं में सुधार करने तथा अनुसंधानकर्ताओं, पाठकों तथा संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर अन्य सभी छुट्टियों में पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त करवाने के विचार से वर्ष के दौरान पुस्तकालय के स्टाफ में एक अर्ध व्यवसायिक सहायक, एक पुस्तकालय सहायक तथा एक जैनिटर सहायक के पद उत्पन्न करके उसे सुदृढ़ किया गया।

51,000 रु. की लागत पर अध्ययन कक्ष, पठन मेजें व अन्य कारगर फर्नीचर की व्यवस्था करके वर्ष के दौरान पुस्तकालय को भी आधुनिक बनाया गया तथा नवीकरण किया गया।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास की नीति के अनुसरण में संस्थान के संकाय तथा अन्य स्टाफ को उनकी व्यवसायिक वृद्धि तथा विकास के लिए देश तथा विदेश में आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियुक्त किया गया। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- श्री आर पी सक्सेना, रजिस्ट्रार ने 29 मार्च से 24 अप्रैल, 1982 तक सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रबंध विकास कार्यक्रम में भाग लिया।
- डा. वाई पी अग्रवाल, सह-अध्येता, ने 5 मई से 28 मई 1982 तक फ्रांस (पेरिस) में कम्पूटर तथा शिक्षा पर एक अध्ययन सत्र में भाग लिया।

- श्री सी मेहता, सह-अध्येता ने 19 से 26 मई, 1982 को अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान में मानव शक्ति पूर्वानुमान पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- श्री मेहरवान सिंह, पुस्तकालय सहायक ने श्रमिक विद्यापीठ, दिल्ली (बहुमुखी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र), शिक्षा तथा संस्कृत मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित पुस्तकालय सहायक के 5 सप्ताह के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सें 7 जुलाई सें 2 सितंबर, 1982 तक भाग लिया।
- श्री हरदास, कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर ने श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली (बहुमुखी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित डुप्लिकेटिंग मशीन तथा इलैक्ट्रोनिक स्कैनर के रख रखाव तथा प्रचालन पर 12 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2-13 अगस्त, 1982 तक भाग लिया।
- डा. (सुश्री) सुष्मा भागिआ, सह-अध्येता, नीपा के संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय संचार एजेंसी तथा विदेश छात्रवृत्ति बोर्ड, वाशिंगटन द्वारा चुने जाने पर उन्होंने पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय पिट्सबर्ग में 14 सितंबर 1982 से 12 मार्च 1983 तक अपने शोध प्रबंध के बाद के अनुसंधान कार्य को पूरा किया।
- संस्थान के 12 आशुलिपिकों ने सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से 19 अक्तूबर से 25 अक्तूबर 1982 तक संस्थान में आयोजित कार्यालय प्रबंध तथा प्रक्रिया पर 12 दिन के विशेष सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- कुमारी निर्मल मलहोत्रा, पुस्तकालय अध्यक्षिका, नीपा ने एशिया तथा पैसिफिक सें शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक (थाईलैंड) में 30 नवंबर सें 14 दिसंबर 1982 तक प्रलेखन में शिशिक्षुता कार्यक्रम में भाग लिया।
- श्री के जी विरमानी, अध्येता, नीपा ने भारत सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत ड्रेसडन (जी डी आर) में जी डी आर अकादमी आफ पैडागोजीकल साइंसिज' के प्रबंध और संगठन संस्थान में 3 जनवरी से 18 फरवरी, 1983 तक वरिष्ठ प्रशासकों के कार्यक्रम में भाग लिया।

स्टाफ

वर्ष 1981-82 तक संस्थान में कोई पृथक परियोजना स्टाफ नहीं था तथा काडर संकाय स्टाफ द्वारा उनके अन्य प्रशिक्षण उत्तरदायित्वों के साथ अनुसंधान कार्य को भी सीमित पैमाने पर किया गया। 1981-82 से अनुसंधान क्रियाकलापों पर बल देने के लिए विविध समयबद्ध अनुसंधान अध्ययनों के लिए समेकित वेतन पर पृथक परियोजना स्टाफ की नियुक्ति की गई, 31 मार्च,1983 को काडर तथा परियोजना स्टाफ की कुल स्वीकृत संख्या क्रमश: 146 तथा 66 थी जबकि 31 मार्च 1982 को काडर तथा परियोजना स्टाफ की संख्या क्रमश: 139 तथा 28 थी।

काडर स्टाफ परिवर्तन

- डा. (सुश्री) राधा रानी शर्मा, सह अध्येता, नीपा को 23-6-1982 से अध्येता नियुक्त किया गया।
- श्री सी पी तिवारी—उपाचार्य, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलौंग ने 28-6-1982 की अध्येता के पद का भार संभाला।
- डा. ब्रह्म प्रकाश, उपाचार्य ने, टाटा सामाजिक विज्ञान, संस्थान, बंबई, 1-7-1982 को

वरिष्ठ अध्येता के पद का भार संभाला।

- श्री वी ए कलपंडे, शिक्षा उप-निदेशक, महाराष्ट्र सरकार ने 1-7-1982 को अध्येता के पद का भार संभाला।
- डा जी डी शर्मा, उपाचार्य, बंबई विश्वविद्यालय ने 17-8-1982 को वरिष्ठ अध्येता के पद का भार संभाला।
- योजना आयोग में सलाहकार (शिक्षा) के पद पर नियुक्त होने पर श्री जे वीरराघवन, कार्यकारी निदेशक, नीपा को 21 जनवरी, 1983 (एफ एन) को उनके पद से भार मुक्त किया गया, तथापि वह कार्यकारी निदेशक, नीपा के कार्य को भी देखते रहे।
- डा.(सुश्री) शक्ति आर अहमद, रसायन विज्ञान में उपाचार्य इंजीनियरिंग कॉलिज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 30-3-1983 को वरिष्ठ अध्येता के पद का भार संभाला।

परियोजना स्टाफ परिवर्तन

- श्री एस सी नून को 12-4-1982 को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताओं तथा भारतीय शिक्षा की मानचित्रावली से संबंधित परियोजना—अध्ययन के लिए परियोजना सह अध्येता के पद पर नियुक्त किया गया।
- श्री डी एच श्रीकांत को 26-6-1982 को अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास अध्ययन यूनिट के लिए सह-अध्येता के पद पर नियुक्त किया गया।
- प्रो. एस एन माथुर, भूतपूर्व निदेशक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को 17-7-1982 को शिक्षा नियमों के संहिताकरण तथा संशोधन से संबंधित अध्ययन पर परियोजना वरिष्ठ अध्येता के पद पर नियुक्त किया गया।
- श्री एम एल सोबती, भूतपूर्व वित्तीय अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा वित्तीय सलाहकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 4-8-1982 को विश्वविद्यालय पद्धति के लिए मॉडल वित्तीय कोड के विकास से संबंधित परियोजना अध्ययन में परियोजना वरिष्ठ अध्येता के पद पर नियुक्त किया गया।
- श्री जी खुराना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, गृह मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास से संबंधित अध्ययन यूनिट के लिए 2-11-1982 को परियोजना अध्येता के पद पर नियुक्त किया गया।
- श्री टी के डी नायर, सह-अध्येता, नीपा को अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास से संबंधित अध्ययन यूनिट में परियोजना अध्येता के पद पर नियुक्त किया गया।
- श्री जे के कल्याणकृष्णन, पिछले वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने अपने अध्ययन अवकाश के दौरान तथा समाप्ति तक अवैतनिक अध्ययन अध्येता के पद पर कार्य संभाला।
- प्रो. एस एम दुबे, समाज विज्ञान तथा सीमा पास के क्षेत्र के अध्ययन केंद्र के विभागाध्यक्ष, डिबरुगढ़ विश्वविद्यालय, डिबरुगढ़ (आसाम) के विभागाध्यक्ष ने अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास से संबंधित अध्ययन यूनिट में 10-12-1982 को परियोजना वरिष्ठ अध्येता का पद संभाला।

नीपा परिसर

आवासीय यूनिटों के निर्माण, छात्रावास के उच्च श्रेणीकरण तथा उनमें निवास करने वालों की बढ़ती हुई संख्या, वर्ष भर दी जाने वाली पुस्तकालय की सुविधा, बागवानी, स्थान विकास तथा

संवृद्धित परिवेश के कारण संस्थान पूर्ण रूप से नीपा परिसर के रूप में विकसित हुआ है तथा उसके क्रियाकलापों में संकाय तथा स्टाफ की अधिक से अधिक सहभागिता देखी गई।

आवासीय यूनिट

आवास स्थान के लिए नीपा के संकाय स्टाफ की लंबी समय से अनुभव की गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगस्त, 1982 की 16 टाइप ए क्वाटर तथा 8 ई टाइप क्वाटरों वाले पहले दो आवासीय यूनिटों का निर्माण किया गया तथा साथ ही साथ उन्हें बसाया गया। मुख्यत: परियोजना स्टाफ की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई टाइप क्वाटरों के साथ संबद्ध नौकर-क्वाटरों को एकल आवासीय यूनिटों में बदल दिया गया।

आवासीय यूनिटों के लिए पानी के प्रबंध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12,000 लिटर की क्षमता वाले दूसरे सम्प कुएं का निर्माण भी साथ ही साथ पूरा किया।

पेड़ों तथा फूल वाले पौधों के उगाने तथा अंदर की सड़कों के निर्माण आदि द्वारा आवासीय क्षेत्र की बागवानी ज्ञान तथा स्थान विकास पर भी ध्यान दिया गया।

छात्रावास

संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आवासीय होते हैं। भाग लेने वालों को 7 मंजिल वाले छात्रावास में रखा जाता है जिसमें संबद्ध स्नानागार सहित 40 पूर्ण रूप से सज्जित कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में दो बिस्तरों की व्यवस्था है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान छात्रावास की पहली मंजिल के आठ कमरों में वातानुकूल, गीज़र, कन्वेक्टर हीटर आदि की सुविधाएं की व्यवस्था करके उन्हें उच्चस्तरीय बनाया गया है जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभ्यागतों को रखा जा सके। रसोई-घर तथा खाने के हॉल को बड़ा करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सी पी डब्लू डी में एक लाख रुपये की राशि जमा की गई है। लाज में रंगीन टेलीविजन की व्यवस्था की गई है।

उच्च स्तरीय सुविधाओं वाले कमरों के लिए किराया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 रु. एकल निवास के लिए तथा दो व्यक्ति निवास के लिए 75 रु. प्रति व्यक्ति दिन के अनुसार नियत किया गया है। अन्य कमरों का किराया भाग लेने वाले प्रति व्यक्ति के लिए 6 रु. प्रतिदिन तथा भाग न लेने वाले निवासियों के लिए 15 रु. प्रति व्यक्ति के अनुसार नियत किया गया है।

वर्ष 1982-83 के दौरान उच्च स्तरीय कमरों में निवास करने वालों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई तथा अन्य कमरों में भी यह वृद्धि काफी अनुपात में देखी गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान छात्रावास से होने वाली आय पिछले वर्ष की आय 0.66 लाख की तुलना में अब रु. 2.56 लाख हो गई।

कार्यालय स्थान

संस्थान के क्रियाकलापों के विस्तार तथा कार्यालय स्थान की कमी के कारण टाइप V प्रकार के क्वाटरों के लिए बनाए गए 4 गराजों को कार्यालय स्थान में परिवर्तित कर दिया गया। टाइप V क्वाटरों में से एक क्वाटर को भी परियोजना स्टाफ के लिए अस्थाई रूप से कार्यालय स्थान में परिवर्तित कर दिया गया।

निर्माण कार्यक्रम

रु. 14,61 लाख की अनुमानित लागत पर निदेशक के निवास स्थान तथा टाइप II, तथा III के आठ आठ क्वाटरों के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। इन यूनिटों का निर्माण कार्य संस्थान के संशोधित योजना पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब के कारण रोक देना पड़ा जो संस्थान के वस्तुतः सीमा क्षेत्र तथा टाइप II और III क्वाटरों के लिए पादांग क्षेत्र हकदारी में सरकार द्वारा की गई कमी को फिर से बहाल करने के लिए आवश्यक हो गया था। संस्थान के संशोधित नक्शा योजना का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन हो चुका है। निदेशक के निवास स्थान तथा उपरोक्त आवासीय यूनिटों का डिज़ाइन दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। उसका अनुमोदन प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है।

दो ट्यूब वैलों की बोरिंग का कार्य भी प्रारंभ किया गया। एक ट्यूब वैल का पानी पेय योग्य पाया गया। यद्यपि दूसरे ट्यूब वैल का पानी पेय योग्य नहीं था, इसका प्रयोग नीपा कैंपस में बागवानी के लिए किया जाएगा। इन ट्यूब वैलों को लगाने का कार्य हाथ में लिया जा चुका है। आशा की जाती है कि उपरोक्त ट्यूब वैलों की स्थापना से संस्थान, छात्रावास तथा आवासीय यूनिटों में पानी की व्यवस्था में काफी सुधार होगा तथा नीपा परिसर की बागवानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

दूसरी मंजिल पर स्थित व्याख्यान हाल में वर्तमान 35 से 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की तुलना में 80 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए उसके नवीकरण तथा विस्तार का निर्णय लिया गया। हाल को स्थाई प्रेक्षागृह/कुर्सियों (कपड़ा चढ़ी हुई तथा बंद होने वाली), मंच, पूर्णतः वातानुकूलित, जन संबोधन पद्धति, स्लाइड तथा प्रोजेक्टरों आदि द्वारा सज्जित करने का प्रस्ताव किया गया है। सी पी डब्लू डी के वास्तुविद् द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार पर दूसरी संजिल पर व्याख्यान हाल के नवीकरण तथा विस्तार की स्वीकृति दी गई तथा इस कार्य को हाथ में लेने के लिए सी पी डब्लू डी में 4 लाख रुपए की राशि जमा की गई।

वित्त व्यवस्था

वर्ष 1982-83 के दौरान संस्थान ने 55.47 लाख रु. की राशि प्राप्त की (25.99 लाख रु. योजना इतर तथा 29.48 लाख रु. योजना के अंतर्गत)। रु. 61.96 लाख की कुल प्राप्ति, जिसमें रु. 2.50 लाख का इति शेष तथा छात्रावास से प्राप्त होने वाली आय तथा अन्य प्राप्तियां 3.96 लाख सम्मिलित हैं, वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय रु. 58.94 लाख है। 1982-83 के लेखों तथा सितंबर, 1983 में लेखा परीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त संस्थान ने अनुसंधान अध्ययन के संचालन के लिए गृह-मंत्रालय, आई सी एस एस आर तथा यूनेस्को आदि से निश्चित अनुदान प्राप्त किए। लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति परिशिष्ट VII में संबद्ध है।

उपसंहार

संस्थान अकादमिक संस्थानों का राष्ट्रीय पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय शिखर संस्थान के रूप में लगभग दो दशकों तक अपने अस्तित्व के दौरान इसमें अत्यधिक उपयोगिता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम

का विकास किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान ने परिप्रेक्ष्य योजना द्वारा प्राप्त निदेशों के संदर्भ में अपने कार्यक्रमों को पुन: संरचित तथा अधिक सुदृढ़ किया है। जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पहला 6 माह की अवधि वाला पूर्व-आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के एक राष्ट्रीय काडर को विकसित करने की दिशा में एक मुख्य चरण है।

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रशासन में अनुसंधान के क्षेत्र पर मुख्य रूप से बल दिया है। अपेक्षित आंकड़े-आधार के निर्माण तथा विविध योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिवीक्षण रंग पद्धति को डिजाइन करने की दृष्टि से संस्थान ने अनुसूचित जातियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान यूनिट की स्थापना की है।

संस्थान ने शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों तथा नई प्रगतियों से संबंधित सूचना के व्यापक प्रसार के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों का कार्यक्रम आयोजित किया तथा वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान प्रति वर्ष ऐसे दो दौरों का संचालन किया। राष्ट्रीय महत्व के शैक्षिक मामलों पर भी शृंखलाबद्ध सूचना प्राप्त परिचर्चाओं को प्रारंभ तथा प्रोत्साहित किया गया।

अपने बढ़ते हुए बहुमुखी क्रियाकलापों की समर्थता प्रदान करने के लिए संस्थान ने अपने संकाय तथा अकादमिक आधारिक संरचना को सुदृढ़ किया। उसमें एक प्रलेखन केंद्र, एक प्रकाशन यूनिट, इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग तथा रिप्रोग्राफिक यूनिट तथा इसके साथ साथ हिंदी सेल का निर्माण किया; तथा अपने पुस्तकालय, डेटा और कार्टीग्राफिक सेल को और अधिक सुदृढ़ किया। उप-राष्ट्रीय पद्धति सेल के घनिस्ट सहयोग से कार्य कर रहे प्रलेखन केंद्र ने संस्थान को सूचना और अनुभव के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करने के योग्य बनाया। केंद्र का प्रमुख प्रयास जिला स्तर पर, जो शिक्षा क्रियाकलापों का शीर्ष है, सूचना के संकलन, संग्रह तथा प्रसार करने की ओर है।

यू जी सी के वेतनमानों को लागू करने तथा नीपा परिसर में आवासीय यूनिटों के बंटन से यह आशा की जाती है कि संस्थान अपने प्रतिभाशाली संकाय को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा तथा योग्यता संपन्न नए उम्मीदवारों की भरती करेगा।

परिपेक्ष्य योजना शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में क्षेत्रीय तथा राज्यीय क्षमताओं के निर्माण तथा वृद्धि के लिए कार्यक्रमों का आवाहन करती है। यद्यपि ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, संस्थान को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक सीमा चिह्न बनाने के लिए सुनियोजित ढंग से ऐसे कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए अभी बहुत दूर तक चलना है। लागत बंटन आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय यूनिटों के विकास से संबंधित संस्थान की योजना में कुछ राज्यों ने अपनी रुचि दर्शायी है तथा अनेक राज्यों के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है।

संस्थान अपने क्रियाकलापों के विस्तार के कारण स्थान की अत्यधिक कमी का सामना निरंतर करता रहा है। यद्यपि स्टाफ को छोटे कमरों में भेज दिया गया है, वर्तमान कमरों को विभाजित कर दिया गया है, गराजों का भी प्रयोग किया गया है तथापि संस्थान अपने स्टाफ के लिए उचित स्थान की व्यवस्था कर पाने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव कर रहा है।

संस्थान आने वाले वर्ष को, देश में शैक्षिक योजना और प्रशासन के एक राष्ट्रीय शिखर संगठन के रूप में अपनी क्षमताओं को और अधिक दृढ़ करने की अवधि के रूप में देखने की आशा रखता है।

अनुबंध.

अनुबंध एक

प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षा योजना

1. शिक्षा योजना के संदर्भ में आगत-निर्गत तकनीकें (सितंबर 22-24, 1982)

शिक्षा योजना के संदर्भ में संस्थान ने आगत-निर्गत तकनीकों पर एक तीन-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 26 लोगों ने हिस्सा लिया।

उद्देश्य

(i) भाग लेने वालों को आर्थिक विश्लेषण में आगत-निर्गत तकनीकों का परिचय देना;
(ii) इस कार्यपद्धति को काम में लाते हुए अनुसंधान के क्षेत्र को बढ़ाना; और
(iii) आगत-निर्गत तकनीकों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग के बारे में भाग लेने वालों को जानकारी देना।

कार्यशाला के पहले दिन भाग लेने वालों की स्थैतिक आगत-निर्गत ढांचे के बारे में बताया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन वक्ताओं ने अपना व्याख्यान मुख्य रूप से गतिशील आगत-निर्गत ढांचे और शिक्षा में इसके अनुप्रयोग पर केंद्रित किया। कार्यशाला के अंतिम दिन शिक्षा के क्षेत्र (सेक्टर) में आगत-निर्गत तकनीकों के अनुप्रयोग पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श हुआ।

समापन सत्र में निदेशक ने शिक्षा के क्षेत्र में आगत-निर्गत तकनीकों की विश्वसनीयता और आवश्यकता स्पष्ट की। उसने अनुवर्ती-कार्रवाई की दिशा की ओर भी संकेत दिया।

कार्यशाला का प्रबंध

कार्यशाला का आयोजन आई सी एस एस आर द्वारा आंशिक रूप से दी गई वित्तीय सहायता से किया गया। इस संबंध में आगत-निर्गत संघ ने कार्मिक सहायता दी।

डाक्टर ब्रह्म प्रकाश ने कार्यक्रम समन्वयकर्ता के रूप में और श्री एन वी वर्गीज ने सह-कार्यक्रम समन्वयकर्ता के रूप में कार्य किया।

2. महानगरों में दीर्घकालिक शिक्षा योजना पर कार्यशाला (बंबई : दिसंबर 13-17-1982)

बंबई नगर निगम के शिक्षा विभाग की पहल पर राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान और बृहत बंबई के नगर निगम ने संयुक्त रूप से 'महानगरों में दीर्घकालिक शिक्षा योजना पर एक कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य

(i) महानगरीय शिक्षा तंत्रों के कार्य और भूमिका का विहंगावलोक उपलब्ध कराना,
(ii) भाग लेने वालों को महानगरों में शिक्षा अधिकारियों की भूमिका और कार्यों से परिचित कराना, और
(iii) भाग लेने वालों को महानगरीय शिक्षा तंत्र के लिए योजना तकनीकों के अनुप्रयोग के बारे में बताना।

विषय वस्तु

इस तथ्य को समझते हुए कि दृश्य लेख तैयार करने और पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य में मात्रात्मक विधियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं दीर्घकालिक शिक्षा योजना की मात्रात्मक विधियों और तकनीकों पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान ढांचे में आंकड़ा अंतराल को पहचानने में सहायक सिद्ध होने के कारण यह विशेष रूप से उपयोगी रही। नमूना तैयार करने और पूर्वानुमान लगाने में कम्प्यूटर की भूमिका पर विशेष ध्यान दिलाया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम जोशी ने किया और इसकी अध्यक्षता बंबई के महापौर डा. पी एस पाई ने की। टाटा सामाजिक संस्थान, बंबई के भूतपूर्व निदेशक प्रो. एम एस गोरे ने समापन भाषण दिया और उप निगमायुक्त श्री बडोई ने अध्यक्षता की

शैक्षिक प्रबंध

3. **शैक्षिक प्रबंध में केस विकास के लिए कार्यशाला** (**नवंबर** 22-26, 1982)
संस्थान ने शैक्षिक प्रबंध में केस विकास के लिए 22 से 26, 1982 तक एक पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में दिल्ली की विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं के 19 व्यक्तियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य

(i) व्यवसायियों में प्रायोगिक सीखने की विधियों के बारे में सामान्य रूप से और केस विधियों के बारे में विशेष रूप में संकल्पनात्मक समझ पैदा करना,
(ii) शैक्षिक प्रबंध में एक केस लिखने के लिए कुशलता का विकास करना,
(iii) शैक्षिक प्रबंध में छोटे केस और लघु केस तैयार करना जो कि प्रशिक्षक द्वारा इस क्षेत्र में काम में लाए जा सकें, और शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक सीखने के उपयोग का मूल्यांकन करना।

विषय वस्तु

कार्यशाला में निम्नलिखित मूल विषयों पर विचार हुआ।

(i) प्रयोगात्मक सीखने की विधियां
(ii) शैक्षिक प्रबंध में केस
(iii) केस लेखन की कला
(iv) केस का प्रस्तुतीकरण : कालेज, प्रिंसिपल, प्रोफेसर
(v) केस विचार-विमर्श मार्गदर्शन : प्रक्रिया और विधि

कार्यशाला का प्रबंध

प्रबंध दल में श्री के जी विरमानी, अधिसदस्य और टी के डी, नायर, सह-अधिसदस्य तथा डाक्टर प्रीति गांधी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक सम्मिलित थे।

स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन

4. शैक्षिक योजना और प्रबंध में चौथे पत्राचार पाठ्यक्रम का संपर्क कार्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान राज्यों/संघीय प्रदेशों और केंद्र में 1978-79 से वरिष्ठ शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। संस्थान द्वारा मई 24 से 27, 1982 तक चौथे पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए संपर्क कार्यक्रम का संचालन किया गया।

मुख्य उद्देश्य

(i) स्वातंत्र्योत्तर काल में भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास से भाग लेने वालों को परिचित करना,

(ii) उन्हें सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में अद्यतन प्रवृत्तियों से अवगत करना,

(iii) भाग लेने वालों में शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक के रूप में उनकी तकनीकी क्षमता और प्रभावशीलता को सुधारने के लिए उनमें अपेक्षित मनोवृति,कार्यकुशलता और ज्ञान का विकास करना, और

(iv) उनकी व्यावसायिक वृद्धि को जारी रखने के लक्ष्य से उन्हें स्व सीखने की प्रक्रिया से परिचित करना।

पाठ्यक्रम डिजाइन

पाठ्यक्रम में दो घटक थे :

(क) पाठ इकाइयां, और

(ख) व्यवहारिक कार्य

व्यवहारिक कार्य में निम्नलिखित तीन घटक थे :

(i) पाठ इकाइयों पर आधारित नियत कार्य,

(ii) सत्र प्रश्न-पत्र, और

(iii) पुस्तक-समीक्षा,

संपर्क कार्यक्रम

संपर्क कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य भाग लेने वालों को निम्नलिखित के लिए तैयार करना था :

(i) विभिन्न पाठ इकाइयों में विचारों का स्पष्टीकरण, विस्तार और व्याख्या ढूंढना, और

(ii) अपने नियत कार्यों और सत्र प्रश्न-पत्रों आदि के बारे में संकाय (फेकल्टी) से

पारस्परिक क्रिया करना।

कार्यक्रम का प्रबंध

डाक्टर सी एल सपरा कार्यक्रम समन्वयकर्ता थे। श्री एस एस दुदानी अधिसदस्य थे और सह अधिसदस्य श्रीमती सुषमा भागिया ने सह कार्यक्रम समन्वयकर्ता के रूप में कार्य किया।

5. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पहला छः महीने का आगमन कार्यक्रम (जुलाई 1 से दिसंबर, 31, 1982)

नए नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक आगमनपूर्व कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जून, 1981 में हुई राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार संस्थान ने जि शि अ के लिए छः महीने की अवधि का आगमन-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया। इस क्रम का पहला पाठ्यक्रम 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 1982 तक आयोजित किया गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोआ, दमन दीव, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से आए 29 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

1. भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंध से संबंधित मूलभूत संकल्पनाओं से परिचित कराना,
2. शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक के रूप में उनके कार्य के लिए आवश्यक मूलभूत कुशलताओं और तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी देना,
3. उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना और उनकी विवेचनात्मक तथा नव परिवर्तन लाने वाली विचारधारा को प्रोत्साहित करना, और
4. उनमें विकास के लिए प्रेरक समुचित प्रवृत्तियां पनप सकें इस बारे में उनकी सहायता करना।

विषय वस्तु

पाठ्यक्रम में निम्नलिखित दो घटक थे :

(i) संस्थान में तीन महीने का गहन पाठ्यचर्या संबंधी कार्य, और
(ii) भाग लेने वालों के नियुक्ति जिलों में तीन महीने की नौकरी—पर परियोजना कार्य,

संस्थान में तीन महीने के गहन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. भारतवर्ष में शैक्षिक विकास : विचार वस्तु और प्रवृत्तियां
2. शैक्षिक योजना : संकल्पनाएं और तकनीकें
3. शैक्षिक प्रबंध : संस्थाओं, मनुष्यों, धन, समय और सामग्री का प्रशासन एवं प्रबंध

निम्नलिखित मूल विषयों पर चर्चा हुई :

1. शिक्षा का सामाजिक संदर्भ
2. स्वतंत्रता के बाद से शैक्षिक विकास
3. स्कूल शिक्षा में वर्तमान समस्याएं

4. शिक्षा-योजना में संकल्पनाएं, आधार और प्रस्ताव
5. शैक्षिक योजना में गुणात्मक विधियां (भाग—1)
6. शैक्षिक योजना में गुणात्मक विधियां—(भाग II)
7. जिला स्तर पर शैक्षिक योजना
8. प्रबंध का संगठनात्मक पक्ष
9. प्रबंध का व्यवहार संबंधी पक्ष—नेतृत्व और मानवीय संबंध
10. निरीक्षण और पर्यवेक्षण
11. वित्तीय प्रबंध
12. उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षिक प्रबंध।

पाठ्यक्रम का प्रबंध

डा. सी एल सपरा कार्यक्रम समन्वयकर्ता थे, डा. (श्रीमती)सुधा राव सह कार्यक्रम समन्वयकर्ता थीं और श्री एस एल मीना और कुमारी मीना श्रीवास्तव में कार्यक्रम सहायक के रूप में कार्य किया।

6. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (दिसंबर 6-24, 1982)

तीसरे श्रेणी के एक भाग के रूप में नीपा ने वरिष्ठ प्रशासकों के लिए 6 से 24 दिसंबर, 1982 और 7 से 25 फरवरी, 1982 तक शैक्षिक योजना में दो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। विभिन्न राज्यों। संघीय प्रदेशों से 30 व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

1. भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना और प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं और तकनीकों से अवगत कराना,
2. उन्हें स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन के चालू मुद्दों से परिचित कराना, और
3. उन्हें शैक्षिक प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में व्यावसायिक क्षमता और प्रभाव अर्जित करने में मदद देना।

विषय वस्तु

कार्यक्रमों में निम्नलिखित मूल विषयों पर विचार हुआ :

परिचयात्मक

1. भारतवर्ष में शैक्षिक-नीति और सुधार : प्रक्रिया, समस्याएं और परिप्रेक्ष्य
2. भारतवर्ष में शैक्षिक योजना और प्रशासन का बहु-स्तरीय तंत्र
3. शिक्षा में समदृष्टि, समानता और गुणता
4. समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा
5. समवर्ती सूची में शिक्षा का आशय
6. शैक्षिक विकास के लिए अर्थेतर आगत
7. शिक्षा के सरकारी और गैर-सरकारी सेक्टर

स्कूल शिक्षा में चालू मुद्दे

1. प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनीकरण : समस्याएं और प्ररिप्रेक्ष्य
2. स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा
3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण
4. शैक्षिक प्रौद्योगिकी (टेक्नालोजी)
5. स्कूल काम्प्लेक्सेज
6. पाठ्यचर्या योजना (पर्यावरण-शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा) में नई प्रवृत्तियां

शिक्षा योजना की संकल्पनाएं और तकनीकें

1. शैक्षिक योजना के मूलभूत संकल्पनाएं और प्रस्ताव
2. शिक्षा तंत्र का निदान : सांख्यिकीय सूचक
3. शैक्षिक योजना में प्रक्षेप तकनीकें : नामदर्ज करना, अध्यापक, भवन और नामांत
4. योजना और योजना सूत्र की प्रक्रिया
5. योजना विस्तार प्रक्षेप प्रबंध प्रस्ताव
6. स्कूल मानचित्रण
7. शैक्षिक योजना में नमूना सर्वेक्षण तकनीकों का अनुप्रयोग
8. भारतवर्ष में शिक्षा का वित्तीय प्रबंध : एक विहंगावलोकन
9. शैक्षिक योजना के लिए लागत विश्लेषण
10. शैक्षिक विकास के लिए अतिरिक्त साधनों का संघटन
11. संस्थानात्मक योजना

शैक्षिक प्रबंध की संकल्पनाएं और तकनीकें

1. शैक्षिक प्रशासन में प्रवृत्तियां : एक विहंगावलोकन
2. मूल्यांकन और परिवीक्षण करना
3. समन्वय और संयोजन
4. संचार
5. शैक्षिक प्रशासन का संगठनात्मक पक्ष
6. नवीनता और परिवर्तन का प्रबंध
7. कार्यालय प्रबंध
8. अभिप्रेरण
9. निरीक्षण और पर्यवेक्षण
10. विभागीय पूछताछ
11. स्कूलों का कोटिकरण
12 प्रबंध सूचना तंत्र : संकल्पना और प्रस्ताव
13. भारतवर्ष में सूचना तंत्र

कार्यक्रम का प्रबंध

श्री सी. पी. तिवारी ने महासंबंधक, डाक्टर आर. एस. शर्मा ने सहकार्यक्रम समन्वयकर्ता और श्री एम. एम. कपूर ने कार्यक्रम समन्वयकर्ता के रूप में कार्य किया।

7. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रथम आगमन-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की दूसरी अवस्था (फेज) (24 से 28 जनवरी, 1983)

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए आगमन पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा फेज 24 से 28 जनवरी, 1983 तक हुआ। नौ राज्यों और चार संघीय प्रदेशों के सभी 29 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस फेज में प्रत्येक भाग लेने वाले/वाली ने अपने द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर आधारित मौलिक परीक्षण के लिए अपने आपको पेश किया। सत्रीय और पाठ्यक्रम कार्य में अंतिम मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षा के भी मूल्यांकन के आधार पर 28 भाग लेने वालों/वालियों को 28 जनवरी, 1983 को उपाधि-पत्र प्रदान किए गए। एक भाग लेने वाले से उसके द्वारा किए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कार्य के आधार पर अपनी परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने को कहा गया। उसे अपनी संशोधित परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1983 में नीपा को देने को और मई, 1983 में मौखिक परीक्षा के लिए पेश होने के लिए कहा गया। परियोजना रिपोर्ट और मौखिक परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त ग्रेड के आधार पर उसे उपाधि पत्र दिया जाएगा।

कार्यक्रम का प्रबंध

डा. सी एल सपरा कार्यक्रम समन्वयकर्ता थे, डा. (श्रीमती) के सुधा राव ने सह अधिसदस्य, श्री एस एल मीना और कुमारी मीना श्रीवास्तव ने कार्यक्रम सहायक के रूप में कार्य किया।

8. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (5 से 7 फरवरी, 1983)

कृपया इसका विस्तृत विवरण, क्रम संख्या 6 के अंतर्गत देखें।

संस्थानात्मक प्रबंध

9. स्कूल के अध्यक्षों के लिए स्कूल प्रबंध में कार्यशाला (मार्गाओ, गोआ 18 से 26 जून, 1982)

संस्थान ने राज्य शिक्षा संस्थान, गोवा, दमन एवं दीऊ सरकार के अनुरोध पर और उसके सहयोग से 18 से 26 जून, 1982 में मार्गाओ, गोवा में स्कूल के अध्यक्षों के लिए स्कूल प्रबंध में कार्यशाला आयोजित की। गोवा, दमन और दीऊ के स्कूलों के 37 अध्यक्षों ने कार्यशाला में भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

1. भाग लेने वालों को कार्मिक तथा वित्तीय प्रबंध सहित शैक्षिक प्रबंध में प्रमुख संकल्पनाओं से अवगत कराना,
2. एक प्रभावशाली संस्थानात्मक नेता के रूप में प्रिंसिपल/हेड मास्टर के लिए अपेक्षित समुचित भूमिका, कार्यकुशलता और ज्ञान को संकल्पनात्मक रूप देना, और
3. उन्नत स्कूल प्रबंध के लिए कार्य योजना का सूत्र तैयार करना।

विषय वस्तु

इन कार्यशालाओं में निम्नलिखित मूल विषयों पर विचार हुआ :

1. शैक्षिक प्रबंध और स्कूल के अध्यक्ष की भूमिका
2. प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व : एक लघु मामला

3. शैक्षिक योजना की संकल्पनाएं और तकनीकें
4. संस्थानात्मक स्तर पर शैक्षिक योजना की संकल्पनाएं
5. निर्णय लेना : एक लघु मामला
6. प्रभावशाली संचार कुशलता : एक भूमिका
7. सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों का प्रबंध : एक नामिका विचार-विमर्श
8. संघर्ष प्रबंध
9. नवाचारों का प्रबंध
10. कार्मिक प्रबंध
11. समूह में मानवीय संबंध : दल निर्माण के लिए एक अभ्यास
12. स्कूल और समुदाय संबंध
13. स्टाफ विकास
14. वित्तीय प्रबंध
15. अपने स्वयं के स्कूल का निदान
16. अभिप्रेरण
17. कार्य योजना

कार्यशाला का उद्घाटन गोवा, दमन और दीऊ सरकार के शिक्षामंत्री श्री हरीश जेंट द्वारा हुआ

कार्यशाला का प्रबंध

श्री के सी विरमानी ने सह-कार्यक्रम समन्वयकर्ता के रूप में और डा. आर एस शर्मा ने सह अधिसदस्य और श्री पाणेंकर, विषय-निरीक्षण राज्य शिक्षा संस्थान, गोवा ने सह-कार्यक्र समन्वयकर्ताओं तथा श्री बी दा क्रुज, निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान ने सलाहकार के रूप में का किया ।

10 और 11 : संस्थानात्मक योजना पर कार्यशाला

रा शे यो प्र सं (नीपा) ने नबंवर, 1982 में संस्थानात्मक योजना पर दो कार्यशालाओं क संचालन किया। एक कार्यशाला जयपुर में 2 से 6 नवंबर, 1982 तक और दूसरी 8 से 1 नवंबर, 1982 तक अजमेर में हुई।

इन दोनों ही कार्यशालाओं में राजस्थान के उपर्युक्त दो जिलों के उच्चतर माध्यमि स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं में 51 व्यक्तिय ने भाग लिया।

कार्यशालाओं के उद्देश्य

1. स्कूलों के प्रिंसिपल और अध्यापकों द्वारा संस्थानात्मक योजना के कार्यान्वयन में जि संक्रियात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें पहचानना, और
2. संस्थानात्मक योजना के कार्यान्वयन को सुधारने के लिए सुझाव देना।

कार्यशाला का प्रबंध

डा. सी एल सपरा वरिष्ठ अध्येता ने कार्यशाला समन्वयकर्ता के रूप में काम किया और ड टी बी माथुर, रीडर, क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, अजमेर ने सह-कार्यशाला समन्वयकर्ता के रूप कार्य किया।

12. पांडिचेरी के संघीय प्रदेश के स्कूलों के अध्यक्षों के लिए स्कूल प्रबंध में माध्यमिक अभिविन्यास कार्यक्रम (17 से 22 जनवरी, 1983)

कार्यक्रम कराईकल में 17 जनवरी, 1983 से छः दिन के लिए आयोजित किया गया। संघीय प्रदेश के कराईकल क्षेत्र और पांडिचेरी के 35 प्रधानाध्यापकों (हैडमास्टर) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे :

1. भाग लेने वाले प्रधानाध्यापकों में ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न करना कि वे विभागीय नियमों, विनियमों और निदेशों को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, मध्याह्न भोजन आदि के विशेष संदर्भ में समझ सकें,
2. प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंध में प्रधानाध्यापकों की क्षमता को बढ़ाना,
3. अच्छे शैक्षणिक नेता बनने में भाग लेने वालों की सहायता करना,
4. भाग लेने वाले प्रधान अध्यापकों को घनिष्ठ स्कूल समुदाय संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और
5. भाग लेने वालों को मूल्य शिक्षा की आवश्यकता समझाना, और

कार्यक्रम में निम्नलिखित मूल विषयों पर चर्चा हुई :

1. शैक्षिक तंत्र में माध्यमिक स्कूल का स्थान,
2. प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता,
3. समस्याएं और योजना,
4. मध्याह्न काल के भोजन कार्यक्रम का संगठन और प्रबंध
5. सेवा नियमावली, आचरण नियमावली, नगर भत्ता नियमावली आदि,
6. सामान्य परीक्षाओं का संचालन,
7. अभिलेखों, रजिस्ट्रों आदि का रख रखाव,
8. निकालने और संवितरण प्राधिकारियों के रूप में प्रधानाध्यापकों की भूमिका,
9. सरकारी और गैर सरकारी निधियों से संबंधित लेखा का रख रखाव,
0. स्कूल कॉम्पलेक्सेज में साधनों का जुटान और उपयोग,
1. अध्यापकों और छात्रों का अभिप्रेरण
2. स्कूल प्रबंध व्यावहारिक पक्ष (संचार, मानवीय संबंध, निर्णय लेना, समूह गतिकी),
3. पर्यवेक्षण,
4. सह-पाठ्यचर्या कायकलाप,
5. कला और शिल्प की पढ़ाई,
6. शिष्यों का आंतरिक निर्धारण,
7. स्कूल पुस्तकालयों का प्रबंध और उपयोग,
8. स्कूल, घर और समुदाय,
9. मूल्य शिक्षा—आवश्यकता और प्रस्ताव,
0. अंतरा विभागीय समन्वय,
1. मूलभूत अधिकार और कर्तव्य-शिक्षा से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं, और
2. संस्थानात्मक योजना, परिवीक्षण और मूल्यांकन मूल विषयों से संबंधित व्याख्यानों नामिका विचार-विमर्शों के अतिरिक्त कार्यक्रम में कुछ व्यावहारिक अभ्यास सम्मिलित थे जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कराईकल क्षेत्र में स्कूल काम्पलेक्सेज को शुरू करने का एक डिजाइन तैयार करना था।

कार्यक्रम का प्रबंध

कार्यक्रम का उद्घाटन गृहमंत्री डाक्टर एस स्वरिजन द्वारा किया गया। श्री एम चन्द्रिकासु विधान सभा सदस्य ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समापन अभिभाषण श्रीमती रेणुका अप्पादुराई, शिक्षामंत्री पांडिचेरी ने दिया और पांडिचेरी से लोकसभा सदस्य श्री शनमुखम ने भी इसमें भाषण दिया।

नीपा के परियोजना अधिसदस्य श्री टी के डी नायर ने कार्यक्रम का समन्वय किया। कराईकल के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री जान लुई सह कार्यक्रम समन्वयकर्ता थे जब कि श्री पी सुम्बानानम के महासंबंध के रूप में कार्य किया।

उच्चतर शिक्षा की योजना प्रशासन

13. हरियाणा के कालेज के प्रिंसिपलों के लिए शिक्षा योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम 14 से 23 जून, 1982)

संस्थान ने हरियाणा शिक्षा विभाग की सहायता से हरियाणा के गैर-सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपलों के लिए शिक्षा योजना और प्रशासन में 14 से 23 जून, 1982 तक एक दस दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के गैर-सरकारी कॉलेज के 18 प्रिंसिपलों ने भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

1. भाग लेने वालों को भारतवर्ष में और विशेष रूप से हरयाणा के संदर्भ में कॉलेज की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य और समस्याओं का विहंगावलोकन उपलब्ध कराना,
2. उन्हें शिक्षण, सीखने और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों से अवगत कराना,
3. उन्हें व्यक्तियों और संस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए कुशलता प्राप्त करने योग्य बनाना,
4. प्रभावशाली कॉलेज-समुदाय पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देना, और
5. भाग लेने वालों को कॉलेज के प्रशासन में योजना और आधुनिक प्रबंध तकनीकों के अनुप्रयोग बतलाना।

विषय वस्तु

वर्तमान कार्यक्रम में निम्नलिखित मूल विषय सम्मिलित किए गए :

(i) **पृष्ठभूमि**

1. भारत वर्ष में उच्चतर शिक्षा की समस्याएं और परिप्रेक्ष्य,
2. हरियाणा में उच्चतर शिक्षा का विकास,
3. कॉलेज प्रशासन की समस्याएं,
4. कॉलेज के वित्त का प्रबंध,
5. उच्चतर शिक्षा में स्तर का सुधार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
6. कॉलेज स्तर पर अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोत्साहन का प्रबंध,
7. उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की बदलती हुई भूमिका,

(ii) संस्थानात्मक योजना और प्रबंध

(क) संस्था

1. संस्थानात्मक योजना,
2. स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना,
3. संस्थानात्मक मूल्यांकन,

(ख) शिक्षक

1. संकाय विकास,
2. संकाय के कार्यकलाप का मूल्यांकन,

(ग) छात्र

1. छात्र सेवा का प्रबंध,
2. उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में छात्र संघों का कार्य,

(घ) शिक्षण, सीखना और परीक्षा

1. कॉलेज में शिक्षण की उन्नत तकनीकें,
2. छात्र मूल्यांकन कार्यविधि को सुधारना,
3. सुधारात्मक शिक्षण,

(च) कालेज और समुदाय

1. कॉलेज और इसका समुदाय,
2. राष्ट्रीय सेवा योजना,

(छ) आधुनिक प्रबंध : संकल्पनाएं और तकनीकें

1. उच्चतर शिक्षा में नवाचार और परिवर्तन का प्रबंध,
2. कॉलेज में कार्मिक प्रबंध,
3. शैक्षिक नेतृत्व की शैलियां,
4. परिवर्तन एजेंट के रूप में प्रिंसिपल की भूमिका,

(iii) सामान्य : नियत कार्य

कार्य योजना (संस्थानात्मक योजनाएं)

कार्यक्रम का प्रबंध

कार्यक्रम डा. आर पी सिंघल और डा. जे एन कौल के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में संचालित हुआ। डा. (श्रीमती) सुषमा भागिया ने कार्यक्रम का समन्वय किया और कुमारी रंजना श्रीवास्तव ने कार्यक्रम सहायक के रूप में कार्य किया।

14. **कालेज प्रिंसिपलों की एक दिवसीय संगोष्ठी** (15 **अक्तूबर**, 1882)

नीपा ने शैक्षिक योजना और प्रबंध की समस्याओं को पहचानने के लिए कॉलेज प्रिंसिपलों के

लिए 15 अक्तूबर, 1982 को कॉलेजों में एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। विभिन्न राज्यों/संघीय प्रदेशों के 12 व्यक्तियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।

संगोष्ठी ने कॉलेज योजना, प्रशासन और वित्त उच्चतर शिक्षा में स्वर की समस्या-संकाय सुधार कार्यक्रम, पाठ्यक्रम का पुनर्रचना, शिक्षक-छात्र पारस्परिक क्रिया, छात्र, समस्याएं, और अंतर-संस्थानात्मक संयोजन, समुदाय कॉलेज संयोजन और स्वायत्तता बनाम उत्तरदायित्व, मात्रा, गुणवत्ता और समता जैसे सामान्य मुद्दों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।

15. लोनावाला में बंबई विश्वविद्यालय के कालेजों के प्रिंसिपलों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (1 से 10 नवंबर, 1982)

बंबई विश्वविद्यालय की कॉलेज विकास परिषद् (का वि प) ने कॉलेज के प्रिंसिपलों की शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यासित करने के लिए एक शीतकालीन संस्थान का आयोजन किया। यह लोनावाला में के जो कॉलेज होलीडे होम में 1 से लेकर 10 नवंबर तक (दोनों दिन सम्मिलित) दस दिन के लिए हुआ। नई दिल्ली की राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (अ सा वि अ प)के वरिष्ठ अध्येता डा. जे एन कौल और संस्थान के सह अध्येता डा. (श्रीमती) राधा रानी शर्मा को मनोनीत करके का वि प को अभिविन्यास कार्यक्रम चलाने में सहयोग दिया।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. भाग लेने वालों को भारतवर्ष में और विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में कालेज शिक्षा की समस्याओं और परिप्रेक्ष्य का विहंगावलोकन देना,
2. भाग लेने वालों को शिक्षण, (सीखना) और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के वैकल्पिक प्रस्ताव से अवगत कराना,
3. भाग लेने वालों को व्यक्तियों और संस्थाओं के मूल्यांकन करने के लिए कुशलता प्राप्त करने योग्य बनाना,
4. भाग लेने वालों को प्रभावकारी कॉलेज-समुदाय पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने योग्य बनाना, और
5. भाग लेने वालों को योजना और आधुनिक प्रबंध तकनीक का कॉलेज प्रशासन के लिए अनुप्रयोग करना बता कर प्रिंसिपल प्रशासक, शिक्षक और छात्र के बीच सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित करना।

16, 17 और 18 कालेज प्रिंसिपलों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (नवंबर 8 से 27 और दिसंबर, 2 से 22, 1982 तथा मार्च 2 से 23, 1983)

राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान ने कॉलेज के प्रिंसिपलों के लिए नवंबर, 8 से 27 और दिसंबर, 2 से 22, 1982 तथा मार्च 2 से 23, 1983 तक शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। अंतिम कार्यक्रम महिला कॉलिज के प्रिंसिपलों के लिए हुआ। विभिन्न राज्यों/संघीय प्रदेशों के 70 व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

1. भाग लेने वालों को बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में उच्चतर शिक्षा के विकास और

परिप्रेक्ष्य का विहंगावलोकन देना,

2. भाग लेने वालों की निम्नलिखित विभिन्न तकनीकों/विधियों से अवगत करना।
   (क) संस्थानात्मक योजना,
   (ख) कॉलेज प्रशासन,
   (ग) स्तरों में सुधार,
   (घ) कॉलेज और समुदाय पारस्परिक क्रिया, और
   (ङ) मूल्यांकन
3. भाग लेने वालों को निम्नलिखित के लिए अवसर देना।
   (क) कॉलेज योजना और प्रशासन में एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठाना,
   (ख) देश के विभिन्न भागों के कॉलेज में संबंधित प्रिंसिपलों तथा संस्थान के संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों के बीच पारस्परिक क्रिया।

विषय-वस्तु

कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए :

पृष्ठ भूमि

1. बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में उच्चतर शिक्षा
2. उच्चतर शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
3. उच्चतर शिक्षा की वृद्धि और विकास
4. उच्चतर शिक्षा में मात्रा, गुणता और समता कुछ तथ्य और मुद्दे

नीति

1. उच्चतर शिक्षा नीति
2. समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रोत्साहन की भूमिका

संस्थानात्मक योजना

1. संस्थानात्मक योजना अभ्यासों का महत्व
2. संस्थानात्मक संयोजन

वित्त

1. वित्तीय प्रबंध में नए परिप्रेक्ष्य।
2. सरकारी और गैर-सरकारी कॉलेजों में वित्त संबंधी समस्याएं।
3. बजट बनाने की तकनीकें—पी जी बी ए।
4. इकाई लागत विश्लेषण।
5. विकास वित्त

महिला शिक्षा

1. महिलाओं की उच्चतर शिक्षा का विकास—एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।
2. महिलाओं के विकास में महिला कॉलेजों की भूमिका।
3. महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा की वृद्धि और विकास।

संबंधित वर्तमान स्थिति का जायजा लेना,

2. स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए और विशेष रूप से शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था करने में स्थानीय निकायों की भूमिका जानने के लिए अतिरिक्त साधनों के जुटाव की संभावना का पता लगाना,
3. शिक्षा पर व्यय के पूर्वानुमान सहित, भारत के वित्तीय आयोगों के संबंध में कार्यविधियों और मानदंडों पर विचार करना,
4. योजना बंटवारा/उपयोग से संबंधित मानदंडों पर विचार करना, और
5. वर्तमान साधनों के उत्तम उपयोग के लिए तुरंत तथा दीर्घकालीन क्रिया के लिए अवसर का निर्धारण।

विषय वस्तु

वर्तमान संगोष्ठी में निम्नलिखित मूल विषय सम्मिलित थे :

1. महासंघीय ढांचे में शैक्षिक वित्त,
2. गैर-योजना व्यय की समस्याएं और भारत के वित्त-आयोग,
3. स्थानीय निकायों में अतिरिक्त साधनों के जुटाव की समस्याएं, और
4. ग्रामीण प्रारंभिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था और प्रक्षेपित पण्यीय अधिशेष।

संगोष्ठी का प्रबंध

डा. सी बी पद्मनामन, वरिष्ठ अध्येता ने संगोष्ठी के कार्यक्रम समन्वयकर्ता और डा. जे बी जी तिलक अध्येता संगोष्ठी के सह कार्यक्रम समन्वयकर्ता थे। कुमारी वाई जोसेफीन, श्रीमती साफिया और कुमारी कल्पना पंत ने उनकी सहायता की।

21. **शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (नई दिल्ली : 8 से 14 जनवरी, 1983)**

संस्थान ने राज्यों में शिक्षा के वित्त विभागों में कार्यरत अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रशासन में 4 से 14 जनवरी, 1983 तक का एक दस दिन का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें भारत के 9 राज्यों और संघीय प्रदेशों के 12 व्यक्तियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. अधिकारियों में शिक्षा में वित्तीय प्रशासन के वर्तमान तंत्र को अच्छी तरह समझने की भावना का विकास करना और भारत में शैक्षिक तंत्र में परिवर्तन के विशेष संदर्भ में क्रमबद्ध समीक्षा करने की सुविधा देना।
2. भाग लेने वालों को इस योग्य बनाना कि वे भारतीय आर्थिक विकास और शैक्षिक गतिविधियों के आर्थिक पक्षों में शिक्षा की भूमिका को सराह सकें।
3. भारतीय शिक्षा में वित्त अधिकारियों की नई भूमिका और उत्तरदायित्वों को पहचानने और समझने और शिक्षण कार्यक्रमों में उनकी भूमिका आंकने में सहायता देना।
4. बजट, लेखा आदि तैयार करने में आधुनिक प्रबंध की तकनीकों के अनुप्रयोग के दृष्टिकोण से उन तकनीकों के प्रति जागृति फैलाना।

विषयवस्तु

वर्तमान कार्यक्रम में निम्नलिखित मूल विषयों पर विचार हुआ :

1. भारतवर्ष शैक्षिक व्यय की समीक्षा।

2. स्रोतों द्वारा भारतवर्ष में शिक्षा की व्यवस्था।
3. स्कूल शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था।
4. विश्वविद्यालय शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था।
5. शिक्षा के लिए अतिरिक्त साधनों का जुटाव और शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था करने में स्थानीय निकायों की भूमिका।
6. शिक्षा में गैर-आर्थिक आगतों की भूमिका।
7. लागत सुविधा विश्लेषण और मनुष्य शक्ति योजना पर जोर देते हुए शिक्षा के लिए निवेश प्रस्ताव तथा शिक्षा के लिए साधनों के बंटवारे के सिद्धांत।
8. वित्त शिक्षा में वित्त योजना आयोगों की भूमिका।
9. शिक्षा और योजना के लिए बजट बनाना तथा साधनों का बंटवारा।
10. बजट अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी के लिए कार्य विधि।
11. निष्पादन बजट बनाना।
12. उच्चतर शिक्षा में छात्रवृद्धि कार्यक्रम।
13. शिक्षा के अनुदान-सहायता और अन्य नियम।
14. शैक्षिक योजना में लागत विश्लेषण।
15. शिक्षा में वित्तीय प्रशासन के प्रति प्रबंधकीय प्रस्ताव।
16. लेखा विधि, लेखा रक्षण और लेखा परीक्षण।
17. शिक्षा में परियोजना सूचीकरण और मूल्य निर्धारण।

कार्यक्रम का प्रबंध

राष्ट्रीय शिक्षा योजना तथा प्रशासन संस्थान के शैक्षिक वित्त एकक के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिसदस्य डा. सी बी पद्मनामन कार्यक्रम के समन्वयकर्ता थे। डा. जे बी जी तिलक, अध्येता ने सहायक कार्यक्रम समन्वयकर्ता के रूप में कार्य किया। श्रीमती साफिया रजा, परियोजना सहायक और कुमारी वाई जोसेफीन, एस टी ए ने रोजमर्रा की रिपोर्टों की देखभाल की।

22. शिक्षा के लिए अतिरिक्त साधनों के जुटाव पर अनुसंधान अध्ययन के लिए कार्यशाला-दिल्ली के लिए एक आरंभिक परियोजना (9 फरवरी, 1983)

राष्ट्रीय शिक्षा योजना तथा प्रशासन संस्थान ने 'भारतवर्ष में शिक्षा के लिए अतिरिक्त साधनों के जुटाव पर 9-12-1983 को एक दिन की कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला रा शि यो प्र सं नई दिल्ली में हुई और इसमें 33 व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

1. शिक्षा के लिए अतिरिक्त साधनों के जुटाव पर रिपोर्ट के परिणाम पर विचार-विमर्श करना, दिल्ली के लिए एक आरंभिक परियोजना।
2. स्थानीय बोर्ड और स्थानीय समुदाय से भी शिक्षा के लिए साधन जुटाने की संभावना का पता लगाना।
3. कार्यशाला के उद्देश्य प्राप्ति के लिए संस्थान ने भाग लेने वालों में रिपोर्ट का सारांश परिचालित किया ताकि भाग लेने वाले कार्यशाला के अपने मूल्यवान सुझाव दे सकें।

कार्यशाला का प्रबंध

कार्यशाला श्री एस वीरराघवन, रा. शि. यो. प्र, सं. के कार्यपालक निदेशक और डा. सी बी

पद्मनामन परियोजना निदेशक के मार्गदर्शन में कुमारी कल्पना पंत और कुमारी साफिया रजा की सहायता से संचालित की गईं।

शैक्षिक नीति

23. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आई टी आई सुविधाएं प्रदान करवाने तथा आश्रम स्कूलों की कार्यप्रणाली पर कार्यशाला (10-18 मई, 1982)

संस्थान ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को आई टी आई की सुविधाएं प्राप्त करवाने तथा आश्रम स्कूलों के गहन अध्ययन पर 10-18 मई, 1982 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से छः परियोजना निदेशकों ने भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

उपरोक्त चार राज्यों में संस्थान द्वारा संचालित ऊपर दिए गए दो अध्ययनों की रिपोर्ट के प्रारंभिक परिणामों तथा फार्मेट पर चर्चा करना।

कार्यशाला का प्रबंध

डा. जी डी शर्मा, वरिष्ठ अध्येता की इस कार्यशाला के लिए बंबई से विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया गया था। डा. कुसुम प्रेमी अध्येता ने इस कार्यशाला में समन्वय का कार्य किया तथा सुश्री के सुजाता, सह-अध्येता ने सह कार्यशाला समन्वयक का कार्य किया। सुश्री मीना श्रीवास्तव तथा श्री के मोहन राय ने इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान की।

वंचित विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध

24. नेत्रहीनों की शिक्षा से संबंधित योजना और प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला (16-18 नवंबर, 1982)

संस्थान ने नेत्रहीनों से संबंधित शिक्षा की योजना प्रबंध की समस्याओं को पहचानने के लिए 3 दिन की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। उस समय जब कार्यशाला के संचालन का विचार उत्पन्न हुआ तो यह आवश्यक समझा गया कि इस कार्यशाला में भाग लेने वालों को केंद्रीय तथा राज्य सरकार स्तर पर तथा साथ ही संस्था से संबंधित स्तर पर नेत्रहीनों को शिक्षित करने की योजना तथा प्रबंध की समस्याओं को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु बाद में कार्यशाला के विस्तार को संस्था से संबंधित योजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में नेत्रहीनों के स्कूलों के अध्यक्षों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पहचानने तक ही सीमित रखा गया।

विशेष उद्देश्य

1. नेत्रहीनों के स्कूलों के अध्यक्षों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का उनकी जॉब अपेक्षाओं के संबंध में मूल्यांकन करना,
2. मूल्यांकित आवश्यकताओं पर आधारित उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना करना।
3. उन विषयों को पहचानना जिन पर पठन सामग्री तैयार की जानी चाहिए, तथा
4. पठन सामग्री के लेखकों के लिए रूपरेखा तैयार करना।

विषयवस्तु

कार्यशाला ने निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चा की :

1. निर्माण तथा सामग्री प्रबंध
2. वित्तीय प्रबंध
3. स्टाफ विकास
4. छात्रावास प्रबंध
5. संस्थान के बाहर के उपलब्ध साधनों का उपयोग
6. प्रबंध का मनो-सामाजिक पक्ष
7. पाठ्यचर्या तथा सह-पाठ्यचर्या क्रिया कलापों का संगठन
8. कार्यालय प्रबंध
9. अंतर्वैयक्तिक संबंध तथा द्वंद्व प्रबंध
10. अकादमिक पर्यवेक्षण
11. नेत्रहीनों के अध्यापन की नई तकनीकें
12. संस्था से संबंधी योजना ।

कार्यक्रम का प्रबंध

इस कार्यशाला की योजना तथा आयोजन स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा यूनिट ने किया था। इस कार्यशाला में श्री सी एल सपरा वरिष्ठ अध्येता ने समन्वयक का कार्य किया तथा डा. (सुश्री) के सुधा राव, सह-अध्येता ने सह-कार्यशाला समन्वयक का कार्य किया।

प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रशासन

25. वरिष्ठ स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय योजना प्रशासन में राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम (14-18 फरवरी, 1983)

संस्थान ने वरिष्ठ स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए योजना तथा प्रशासन में 14-18 फरवरी, 1983 को पांच दिन का राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रकाश में डिजाइन किया गया था जिसके सूत्र नं. 16 में प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम में 13 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से भाग लेने वालों की संख्या 30 थी।

प्रमुख उद्देश्य

1. प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम को समझबूझ का विकास करना,
2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रबंध संबंधी समस्याओं की पहचान करना, तथा
3. प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिला संस्था के लिए संक्रियात्मक योजना तैयार करना ।

विषयवस्तु

निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया :

1. छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा
2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की योजना का निर्माण
3. प्रौढ़ शिक्षा के प्रबंध संबंधी मामले

4. प्रौढ़ शिक्षा का वित्तीयन तथा बजट निर्माण
5. विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा
6. स्टाफ विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा में प्रशिक्षण
7. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंध के लिए परिवीक्षण तथा मूल्याकन
8. जॉब निष्पत्ति का निकष
9. शिक्षा का समवर्ती सूची में होने के प्रभाव
10. शैक्षिक विकास के लिए गैर-मौद्रिक आगत
11. शिक्षा के जन तथा निजी सैक्टर

स्कूल शिक्षा के वर्तमान मुद्दे

1. प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता : समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य
2. स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा
3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण
4. समेकित ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा
5. शिक्षा प्रौद्योगिकी
6. स्कूल कॉम्प्लेक्स
7. पाठ्यचर्या योजना में नई प्रवृत्तियां (पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा)।

शैक्षिक योजना की संकल्पनाएं तथा तकनीकें

1. शैक्षिक योजना की मूल संकल्पनाएं तथा उपागम
2. शैक्षिक पद्धति का निदान : सांख्यिकीय सूचक
3. शैक्षिक योजना में प्रक्षेपण तकनीकें : नामांकन, अध्यापक, भवन, लागत
4. योजना तथा योजना-निरूपण की प्रक्रिया
5. योजना विस्तार परियोजना प्रबंध उपागम
6. स्कूल मानचित्रण
7. शैक्षिक योजना में नमूना सर्वेक्षण की तकनीकों की प्रयोज्यता
8. भारत में शिक्षा का वित्तीय प्रबंध : एक विहंगावलोकन
9. शैक्षिक योजना के लिए लागत विश्लेषण
10. शैक्षिक विकास के लिए अतिरिक्त साधनों का जुटाव
11. संस्था संबंधी योजना।

शैक्षिक प्रशासन की संकल्पनाएं तथा तकनीकें

1. शैक्षिक प्रशासन में प्रवृत्तियां : एक विहंगावलोकन
2. परिवीक्षण तथा मूल्यांकन
3. समन्वय तथा संबद्धता
4. संचार
5. शैक्षिक प्रशासन के संगठनात्मक पक्ष
6. नवाचार तथा परिवर्तन का प्रबंध
7. कार्यालय प्रबंध

8. नेतृत्व व्यवहार
9. अभिप्रेरण
10. निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण
11. विभागीय जांच
12. स्कूलों का श्रेणीकरण
13. प्रबंध सूचना पद्धति : संकल्पना तथा उपागम
14. भारत में सूचना पद्धति

विशेष कार्यक्रम

26. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए जनसंख्या शिक्षा की योजना तथा प्रबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम—यूनेस्को / यू एन एफ पी ए सह प्रायोजित परियोजना (3-6 मई, 1982)

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने जनसंख्या शिक्षा की योजना तथा प्रबंध में 3-6 मई, 1982 को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 17 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से भाग लेने वालों की संख्या 19 थी।

मुख्य उद्देश्य

1. प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा की योजना, प्रशासन तथा प्रबंध के विभिन्न मुद्दों के विषय में जिला सहायक शिक्षा अधिकारियों को अधिक सुग्राही बनाना;
2. छठी पंचवर्षीय योजना के परिपेक्ष्य में जनसंख्या शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा में महत्वपूर्ण विकास आगत के रूप में समझने में विकास;
3. जिला स्तर पर जीवन की गुणता को सूचित करने में जनांकिकीय पैरामीटरों को पहचानने में कौशलों का विकास;
4. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध को जनसंख्या गतिकी के महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचानना;
5. जनसंख्या शिक्षा को समेकित करते हुए सूक्ष्म स्तर पर जिला प्रौढ़ शिक्षा की योजना बनाने के कौशल की अन्तर्दृष्टि का विकास;
6. प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की विविध मध्यवर्ती विमाओं के विषय में संकल्पनात्मक स्पष्टता का विकास।

विषय-वस्तु

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए :

1. जनसंख्या परिवर्तन और विकास
2. छठी पंचवर्षीय योजना के केंद्रीय मुद्दे
3. जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव
4. आर्थिक विकास
5. विकास के लिए जन सहयोग
6. विकास में अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका
7. विकास में जनांकिकीय पैरामीटर
8. जनांकिकीय प्रक्रियाएं तथा विकास
9. शहरीकरण

10. ग्रामीण/शहरी कार्य शक्ति

जनसंख्यागणना रिपोर्ट के प्रभाव

1. 1981 की जनसंख्या गणना की प्रवृत्तियां तथा प्रभाव
2. स्त्रियां तथा विकास
3. बच्चे तथा पार्श्वचित्र
4. साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा
5. जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य
6. परिवार कल्याण
7. समुदाय स्वास्थ्य
8. बच्चे का स्वास्थ्य
9. माता का स्वास्थ्य
10. परिवार जीवन शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा का समाकलन

1. प्रौढ़ शिक्षा की प्रशासन तथा आधारिक संरचना संबंधी सुविधाएं
2. शिक्षा परिपेक्ष्य
3. मानव साधनों का विकास
4. जनसंख्या शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के बीच संबद्धता

जनसंख्या शिक्षा के संवर्धन में जन-माध्यम की भूमिका

1. शिक्षा और विकास के लिए टेलीविजन
2. जन माध्यम को जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में प्रयोग करने की जन माध्यम रूप रेखाओं के लिए शैक्षिक अल्पस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं की योजना
3. जन शिक्षा के लिए स्थानीय तथा देशीय माध्यम
4. टी वी कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन

कार्यक्रम का प्रबंध

डा. (श्रीमती) सुष्मा मरह, परियोजना समन्वय, कार्यक्रम की प्रभारी अधिकारी थीं। श्रीमती आर एस शफी सह-अध्येता ने सह-कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया। डा. एस पी श्रीवास्तव तथा श्री एस एल मीना ने उनकी सहायता की।

27. **शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए तथा प्रगतिशील राज्यों में निरीक्षण पद्धति तथा अभ्यासों तथा प्रोफार्मा के अध्ययन के अंतर्गत संपर्क अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए संगोष्ठी तथा कार्यशाला** (19-21 जुलाई, 1982)

संस्थान ने 19-21 जुलाई, 1982 को संपर्क अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की एक योजना 'शैक्षिक नीति, योजना, प्रबंध तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में राज्यों की सहायता' के अंतर्गत नीपा को शैक्षिक रूप में प्रगतिशील तथा पिछड़े हुए राज्यों में प्रचलित निरीक्षण अभ्यासों तथा प्रोफॉर्मा पर एक अध्ययन की परियोजना का कार्य सौंपा गया। इस उद्देश्य के लिए चुने हुए राज्य इस प्रकार थे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम में चार

राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य उद्देश्य

1. भाग लेने वालों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में निरीक्षण अभ्यासों तथा प्रोफॉर्मा पर अनुसंधान अध्ययन के उद्देश्यों, विस्तार तथा कार्यप्रणाली से परिचित कराना;
2. भाग लेने वालों को स्कूल निरीक्षण के अभ्यासों तथा समस्याओं और उनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों के संबंध में चार राज्यों के अनुभवों से अवगत कराना;
3. राज्यों से प्राप्त निरीक्षण प्रोफॉर्मा की आलोचनात्मक जांच करना तथा निरीक्षण के एक मॉडल प्रोफॉर्मा का प्रारूप तैयार करना।

कार्यशाला का प्रबंध

डा. आर पी सिंहल, सलाहकार तथा डीन प्रशिक्षण इस कार्यशाला के सह-परियोजना निदेशक थे। डा. एन एम भागिया, वरिष्ठ अध्येता, डा. (श्रीमती) आर आर शर्मा अध्येता तथा श्री टी के डी नायर सह-अध्येता संबंध दल के सदस्य थे।

28. एस सी इ आर टी। एस आई ई के लिए जनसंख्या शिक्षा के प्रबंध तथा परिवीक्षण पर राष्ट्रीय अभिविन्यास संगोष्ठी (यूनेस्को/यू एन एफ पी ए परियोजना के अंतर्गत) (30 अगस्त-2 सितम्बर, 1982)

संस्थान ने राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य शिक्षा संस्थान के निदेशकों के लिए जनसंख्या शिक्षा के प्रबंध तथा परिवीक्षण पर एक राष्ट्रीय अभिविन्यास संगोष्ठी आयोजित की। संस्थान ने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा यूनेस्को/यू एन एफ पी ए के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना का कार्य हाथ में लिया है। इसके अंतर्गत संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन के मुख्य कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करता रहा है तथा वर्तमान संगोष्ठी एस सी इ आर टी। एस आई ई के निदेशकों के लिए आयोजित की गई थी। भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एस सी इ आर टी। एस आई ई के 19 निदेशकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

मुख्य उद्देश्य

1. भारतीय संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा की विकसित होती हुई विभाओं, संकल्पनाओं तथा विस्तार के प्रति भाग लेने वालों को सुग्राही बनाना तथा उनके सामने इनको प्रस्तुत करना,
2. भाग लेने वालों को राज्य स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के प्रबंध के परिप्रेक्ष्यों तथा समस्याओं से परिचित कराना,
3. जनसंख्या शिक्षा-कार्यक्रम का अपने-अपने राज्यों में कार्यान्वयन करते समय प्रबंध तथा परिवीक्षण तकनीकों को प्रयोज्यता को भाग लेने वालों के सामने प्रस्तुत करना,
4. भाग लेने वालों को कार्यक्रम के प्रभावी समन्वय के लिए एक उचित संगठनात्मक डिजाइन विकसित करने तथा उस पर चर्चा करने के अवसर प्रदान करना।

विषयवस्तु

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :

1. विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अकादमिक व्याख्यानों द्वारा जनसंख्या के

संकल्पनात्मक विचारार्थ विषय,

2. मानव-प्रकृति संबंध की प्रकृति
3. जनसंख्या तथा विकास
4. पर्यावरण : भविष्य विचार
5. जनसंख्या शिक्षा में राज्य स्तरीय परिवीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रबंध मामले।
6. भाग लेने वालों की संगोष्ठी द्वारा परिस्थिति रिपोर्ट
7. निम्नलिखित विषयों पर तकनीकी व्याख्यानों द्वारा जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के सन्दर्भ में परिवीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रबन्ध तकनीकें
8. परिवीक्षण तथा मूल्यांकन
9. प्रबंध मामले
10. कार्यक्रम का सामान्य प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंध : पेनल परिचर्चा
11. विभिन्न एजेंसियों से विभिन्न स्तरों पर समन्वय

कार्यक्रम का प्रबंध

डा. (श्रीमती) सुष्मा मरह, परियोजना समन्वयक, इस कार्यक्रम की प्रभारी अधिकारी थीं। डा एस पी श्रीवास्तव, सहायक परियोजना समन्वयक इस कार्यक्रम के आयोजक थे।

29. स्कूलों के लिए अधिकतम अध्यापक-छात्र अनुपात पर अनुसंधान परियोजना के लिए साधन विकसित करने पर कार्यशाला (29 सितंबर, 1982)

स्कूलों में अधिकतम अध्यापक-छात्र अनुपात पर अनुसंधान परियोजना के लिए मूल साधनों को अंतिम रूप देने के लिए 29 सितंबर 1982 को एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर-निगम द्वारा नामित स्कूलों के 23 अध्यक्षों, विभिन्न राज्यों के जिला शिक्षा अधिकारियों, गुड़गांव जिले (हरियाणा) के कुछ प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापिकाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

1. राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित और जैसा कि देश की वास्तविक स्थिति में देखा गया है अध्यापक-छात्र अनुपात के मानकों को निश्चित करना।
2. अध्यापकों के कार्यभार का निम्न संदर्भों में मूल्यांकन करना :
   (क) अध्यापन क्रियाकलापों पर दिया जाने वाला समय
   (ख) पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं,
   (ग) सम्मिलित विषय क्षेत्र, तथा
   (घ) अध्यापन इतर क्रियाकलापों को दिया जाने वाला समय,
3. निम्नलिखित पर अध्यापक-छात्र अनुपात के प्रभाव की जांच :
   (क) नामांकन,
   (ख) प्रतिधारण, तथा
   (ग) विद्यार्थियों की उपलब्धि (वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों द्वारा मापित)
4. लागत पक्ष समेत संभाव्यता पक्ष को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की विभिन्न स्थितियों तथा संदर्भों में लिए अधिकतम अध्यापक-छात्र अनुपात निर्धारित करना।

विषयवस्तु

आंकड़े एकत्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित साधनों का विकास किया गया :

1. पिछले तीन वर्षों में जिन स्कूलों का अध्ययन किया गया है उनसे संबंधित मूल सूचना को एकत्रित करने के लिए आधार आंकड़ों का कथन,
2. निम्नलिखित के लिए प्रश्नावलियां :
   एकल अध्यापक स्कूल (मुखिया/अध्यापक)
   प्राथमिक स्कूल अध्यापक (एकल अध्यापक वाले स्कूलों से इतर)

कार्यशाला का प्रबंध

डा आर पी सिंहल, परामर्शदाता तथा डी एन प्रशिक्षण इस कार्यशाला के सह-परियोजना निदेशक थे तथा डा. के एस शर्मा, सह-अध्येता परियोजना समन्वय से। श्री बी के पांडे, श्रीमती रश्मि दीवान तथा श्री सी राधाकृष्ण मूर्ति परियोजना सहायक थे।

30. राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा पर परामर्शकारी बैठक (7 अक्तूबर, 1982)

राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान में 7 अक्तूबर, 1982 को एक परामर्शकारी बैठक की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा सरकार, निजी नियोक्ता तथा लोक सेवा आयोग जैसे संबंधित सैक्टरों से 31 विद्वानों तथा प्रशासकों ने भाग लिया।

उद्देश्य

भाग लेने वालों को अग्रिम रूप से राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा के प्रस्ताव में निहित मुद्दों के विस्तार से अवगत कराने के लिए विषय पर एक संक्षिप्त स्थिति पत्र भेजा गया तथा विषय से संबंधित मुख्य मामलों को बैठक में प्रस्तुत किया गया।

बैठक की कार्यवाही श्री जी पारथसार्थी, अध्यक्ष भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, की अध्यक्षता में की गई, जिनके कहने पर यह बैठक बुलाई गई थी। अध्यक्ष ने भाग लेने वालों का निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित किया :

1. क्या डिग्रियों को जॉब से संबद्ध कर देना वांछनीय है, यदि है तो किस सीमा तक ?
2. राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा के कार्यान्वयन में जटिल मामले कौन से हैं ?
3. प्रो. ए आर किदवई, राज्यपाल, बिहार सरकार ने मुख्य भाषण किया।

इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. ब्रह्म प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता ने लिया।

31. अध्यापक—छात्र अनुपात पर पूना तथा दिल्ली में किए गए अध्ययन की अनुसंधान सहायता का अभिविन्यास कार्यक्रम (19-20 जनवरी, 1983)

भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में 19-20 जनवरी, 1983 को दो दिन का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। अनुसंधान दल द्वारा कुल 6 प्रश्नावलियों का विकास किया गया।

विभिन्न प्रश्नावलियों के प्रयोग तथा उचित प्रयोग की व्याख्या करने वाली एक सूचना विवरणिका पहले ही तैयार कर ली गई थी तथा उसे परियोजना सहायकों में वितरित किया गया।

प्रमुख उद्देश्य

आंकड़े संग्रह करने के उद्देश्य से भरती किए गए सहायकों को विभिन्न क्षेत्र परिस्थितियों तथा अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य के लिए विकसित प्रश्नावलियों के प्रचलन की विधियों से परिचित कराना था।

कार्यशाला का प्रबंध

नीपा, नई दिल्ली में आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम का संचालन डा. आर पी सिंहल, सह-परियोजना निदेशक तथा डॉ. आर एस शर्मा परियोजना-समन्वयक द्वारा किया गया और डा. बी के पांडे, श्री सी आर के मूर्ति तथा सुश्री रश्मि दीवान ने इसमें सहायता प्रदान की।

32. +2 अवस्था में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (12-15 फरवरी, 1983)

शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तमिलनाडु सरकार ने नीपा, नई दिल्ली के सहयोग से पी एस जी प्रौद्योगिकी कॉलिज, पिलामोडु, कोम्बतूर में 12-15 फरवरी 1983 को +2 अवस्था पर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। संगोष्ठी का आयोजन 3 तथा 4 जनवरी को नई दिल्ली में हुए शिक्षा-सचिवों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था, जिसमें यह अनुभव किया गया कि +2 अवस्था पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्षेत्र में तमिलनाडु का अनुभव उदाहरण प्रस्तुत करता है, अतः देश के अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को इस का भागी होना चाहिए।

प्रमुख उद्देश्य

1. शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्षेत्र में तमिलनाडु के अनुभव पर विचार करना जिससे अन्य सभी राज्य इस अनुभव से लाभ उठा सकें;
2. इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते समय आने वाली समस्याओं का समाधान करने के संभाव्य साधनों पर चर्चा करना;
3. जिन राज्यों में +2 अवस्था पर व्यवसायीकरण की योजना प्रारंभ नहीं की गई है उनके लिए उचित कार्यप्रणालियां विकसित करना;
4. लाभपूर्ण रोजगार पाने के लिए विविध उत्पादन यूनिटों से संबद्धता स्थापित करने के लिए नीतियों (युक्तियों) का विकास।

इस संगोष्ठी में भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों के सचिवों तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया संगोष्ठी में अत्यधिक व्यक्तियों ने भाग लिया तथा इससे व्यवसायीकृत शिक्षा के लिए उत्साह की उच्च लहर उत्पन्न हुई।

संगोष्ठी का प्रबंध

डा. सी एल सपरा, वरिष्ठ अध्येता ने कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया तथा डा. (सुश्री) के राधाराव, सह-अध्येता इस कार्यक्रम के सह कार्यक्रम समन्वय थे।

 33. उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की योजना और प्रबंध की समस्याओं पर राष्ट्रीय

संगोष्ठी + कार्यशाला (यूनेस्को / यू एन एफ पी ए परियोजना, नई दिल्ली के अंतर्गत)
(14-17 मार्च, 1983)

उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की योजना तथा प्रबंध की समस्याओं पर संगोष्ठी कार्यशाला नीपा की जनसंख्या शिक्षा परियोजना के मुख्य क्रियाकलापों में से एक है। उच्चतर शिक्षा के संस्थानों, विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा कार्मिक तथा शिक्षा विभागों के अध्यक्षों सहित इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 21 थी। कार्यक्रमों के उद्देश्यों, जो संबद्धता के कठिन क्षेत्रों पर फोक्स करते थे, के अनुसार चार दिन की संगोष्ठी में संकल्पनात्मक विषयों पर व्याख्यान परिचर्चाएं, सैद्धांतिक ढांचे के अंतर्गत संबद्धता के विभिन्न पक्षों पर नामिक परिचर्चाएं तथा समूह कार्य अभ्यास किए गए। समूह कार्य के दौरान तीव्र, बौद्धिक तथा सहभागिता वाले क्रियाकलापों के साथ सत्रों का समापन होना, अत्यंत संतोष का विषय था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न दिशाओं में उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रमों के संगठन तथा समन्वय की योजना तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

प्रमुख उद्देश्य

1. उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को मिला देने पर संकल्पनात्मक विचारार्थ विषयों को विकसित करना;
2. उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित योजना तथा प्रबंध युक्तियों को परिभाषित करना तथा उन पर चर्चा करना तथा संबंधित संगठनात्मक और संरचनात्सक मामलों की जांच करना;
3. अंतरा तथा अंतः पद्धति संबद्धता पर फोक्स करते हुए उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा के समन्वय तथा समाकलन के व्यापक डिजाइन के लिए रूपरेखाएं तैयार करना;
4. नीपा, यू जी सी तथा एफ पी ए आई जैसे संस्थानों के लिए क्रिया योजना विकसित करना;

कार्यक्रम के मुख्य विषय इस प्रकार थे :

5. उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा के प्रचलन के लिए संकल्पनात्मक विचारार्थ विषय;
6. परंपरागत आगतों, बहुस्तरीय योजना, प्रबंध कार्यक्रम के परिवीक्षण तथा मूल्यांकन के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा पर फोक्स करते हुए, संबद्धता की समस्तरीय तथा विषमस्तरीय पद्धति के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर जनसंख्या शिक्षा की योजना, संगठन तथा संरचना;
7. उच्चतर शिक्षा की विभिन्न संस्थानों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की वर्तमान परिस्थिति तथा इस कार्यक्रम में विविध सरकारी तथा ऐच्छिक एजेंसियों की भूमिका;
8. अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा में विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों की भूमिका; तथा
9. इस क्षेत्र में भविष्य क्रिया योजना की पहचान करना तथा रूपरेखा डिजाइन करना।

कार्यशाला का प्रबंध

डा. (श्रीमती) सुष्मा मरह इस कार्यक्रम की परियोजना समन्वयक थी तथा डॉ. एस पी श्रीवास्तव सहायक परियोजना समन्वयक।

अंतर्राष्ट्रीय

34. आई आई ई पी के एशियाई प्रशिक्षणार्थियों का अध्ययन दौरा (31 मई—6 जून, 1982)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान, पेरिस के अनुरोध पर 31 मई से 6 जून तक एशिया से भारत में आई आई ई पी के साथ प्रशिक्षणार्थियों के एक अध्ययन दौरे का संचालन किया।

प्रमुख उद्देश्य

1. केंद्र, राज्य तथा संस्था स्तर पर भारत में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के प्रतिरूप से एशियाई क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को परिचित कराना।
2. भाग लेने वालों को भारत में शिक्षा सुधार तथा नवाचारों सहित आधुनिक शैक्षिक विकास से परिचित कराना।

विषय वस्तु

अध्ययन दौरों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए :

1. भारत में शैक्षिक तथा राष्ट्रीय विकास
2. शैक्षिक असमानताएं तथा उनको कम करने के उपाय
3. भारत में वर्ष 1947 से शैक्षिक योजना
4. भारत शैक्षिक वित्त
5. भारत में शैक्षिक प्रशासन
6. शिक्षा राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रीय एकता—भारतीय अनुभव
7. स्कूल स्तर पर भारतीय शिक्षा की समस्याएं
8. निजी स्कूलों की भूमिका
9. प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता
10. माध्यमिक शिक्षा
11. स्कूल शिक्षा
12. निरीक्षण और पर्यवेक्षण में नई वृत्तियां
13. खुला स्कूल (ओपन स्कूल)

35. संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यक्रम-परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति की कार्यशाला (नई दिल्ली 1—16 जुलाई, 5-7 अगस्त, 1982)

संस्थान ने 1-16 जुलाई तक व 5-7 अगस्त, 1982 तक संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति की एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में संयुक्त राज्य अमरीका से पंद्रह सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों और पाठ्यक्रम परामर्शदाताओं ने भाग लिया।

प्रमुख उद्देश्य

 1. भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन;

2. भारत में शिक्षा की मुख्य प्रवृत्तियों तथा परिवर्तनशील प्रतिमानों के संबंध में भाग लेने वालों को परिचित कराना;
3. आधुनिक भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और प्रतिकूल प्रवृत्तियों को समझाने में सुधार करना जिससे विद्यालयों में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को सुधारने में सहायता मिलेगी; और
4. भारतीय विद्वानों की सहायता से आपसी समझ में वृद्धि करना।

विषयवस्तु

कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया :

1. भारत : देश और लोग
2. प्राचीन भारत : एक झांकी
3. भारतीय योजना के तीन दशक
4. स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष
5. राष्ट्रीय एकता की समस्या
6. भारत की मिली-जुली संस्कृति में धर्म का स्थान
7. भारतीय कृषि
8. औद्योगिक विकास
9. जनसांख्यिकी झांकी
10. भारतीय विद्यालयों में समाज विज्ञान की शिक्षा
11. विश्व में भारत की भूमिका
12. भारत में लोकतंत्र की सफलता
13. प्राचीन भारतीय साहित्य
14. भारत में नारी की बदलती भूमिका
15. दलित वर्गों की समस्या
16. भारतीय कला का संदेश
17. विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका
18. भारत : विकृत बिंब
19. भारत : एक विहंगायलोकन
20. भारतीय शिक्षा में नई प्रवृत्तियां
21. ग्रामीण भारत के परंपरा और परिवर्तन
22. भारतीय इतिहास में पाठ्यक्रम का विकास
23. भारत को समझना

कार्यशाला का उद्घाटन जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ए जे किदवई ने किया तथा प्रोफेसर एस सी दुबे, अध्येता, आई सी एस एस आर ने समापन भाषण दिया।

36. पपुआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम (13 अगस्त से 30 अक्तूबर, 1982 तक)

नवंबर, 1981 में पपुआ न्यू गिनी सरकार की ओर से तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि (सी एफ टी सी) ने नीपा से पांच शिक्षा अधिकारियों के प्रथम विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने की संभावना का पता लगाने के लिए संपर्क किया। इसमें तीन प्रशिक्षार्थी

राज्यीय स्तर से लिए गए थे, जब कि एक प्रशिक्षणार्थी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, पोर्ट मोर्स का था तथा एक चर्च एजेंसी, जो कि पी एन जी की स्वीकृत शैक्षिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है, का प्रतिनिधि था।

बीस गणता वाले कार्यक्रम के ढांचे की रूपरेखा निम्नलिखित रही :

पाठ्यक्रम	12 गणता
क्षेत्रवीक्षण (आउट स्टेशन)	4 गणता
क्षेत्रवीक्षण (स्थानीय)	1 गणता
भाग लेने वालों की संगोष्ठी	1 गणता
परियोजना-कार्य	2 गणता

पूरे कार्यक्रम की अवधि तीन महीने की थी जिसे दो और एक के अनुपात में अध्ययन और क्षेत्र कार्य में बांटा गया। कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार रहा कि इसमें चार दो-दो सप्ताह के अध्यापन ब्लाक और चार एक-एक सप्ताह के फील्ड-ब्लाक रखे गए थे। इन ब्लाकों को बारी-बारी से रखा गया और पहले अध्यापन-ब्लाक से शुरू किया गया।

पूरी पाठ्यचर्या में 12 पाठ्यक्रम थे, जिनमें निम्नलिखित पर बल दिया गया:

	पाठ्यक्रम	गणता	कुल संपर्क घंटे
सुग्राह्य पाठ्यक्रम	2	2	20
शैक्षिक योजना :			
धारणा और तकनीकी	4	4	40
शैक्षिक योजना : कार्यान्वयन	3	3	30
शैक्षिक प्रबंध	2	2	20
वित्त प्रबंध	1	1	10
	12	12	120

कार्यक्रम का प्रबंध

डा. ब्रह्म प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और श्री चरंजीवी मेहता, सह अध्येता (क्रमशः कार्यक्रम समन्वयकर्ता और संयोजक) द्वारा बनाए गए कार्यक्रम का आयोजन कार्य-दल के मार्गदर्शन में किया गया। इससे पूर्व डा. सी एल सपरा, वरिष्ठ अध्येता ने भाग लेने वालों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए पपुआ न्यू गिनी का दौरा किया। श्रीमती जयश्री जलाली परियोजना सहायक ने कार्यक्रम के आयोजन में सहायता की।

37. भारत में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की योजना में अध्ययन कार्यक्रम
(1-16 अगस्त, 1982)

यूनेस्को के अनुरोध और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से संस्थान ने श्री तये देमिस्यू अध्यक्ष, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन प्रभाग शिक्षा मंत्रालय, आदिस अबाबा, इथोपिया के लिए 1 से 16 अगस्त, 1982 तक भारत में सेवापूर्व तथा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की योजना में अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया।

मुख्य उद्देश्य

1. भारत में अध्यापक शिक्षा इसकी समस्याएं और संभावनाओं की झांकी प्रस्तुत करना;
2. भारत में अध्यापक शिक्षा की योजना के लिए प्रक्रिया और तंत्र से परिचित कराना;
3. भारत में अध्यापन शिक्षा के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन विभिन्न संगठनों की कार्यप्रणाली के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराना;
4. भारत में प्रभावकारी अध्यापन के लिए अध्यापन-साधनों के विकास से परिचित कराना; तथा
5. भारत सें अध्यापन शिक्षा कार्यक्रम को तकनीकी के विभिन्न स्रोतों से परिचित कराना।

विषय वस्तु

कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को लिया गया :

1. भारत में अध्यापक-शिक्षा
2. भारत में अध्यापक-शिक्षा की समस्याएं और संभावनाएं
3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण का प्रभाग
4. भारत में अध्यापन शिक्षा के लिए योजना की प्रक्रिया और तंत्र
5. सेवाकालीन शिक्षा : स्रोत और तरीके
6. सेवा-पूर्व अध्यापन शिक्षा में पाठ्यचर्या विकास और मूल्यांकन
7. भारत में अध्यापन शिक्षा के सुधार में एन सी इ आर टी की भूमिका
8. विद्यालय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यूनीसेफ सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाएं
9. विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका
10. प्रभावकारी अध्यापन के लिए विकसित अध्यापन-साधन
11. अध्यापक शिक्षा में सूक्ष्म अध्यापन-तकनीकें
12. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण
13. विज्ञान और गणित में सेवाकालीन शिक्षा
14. अध्यापक शिक्षा में नवीन पद्धतियां

कार्यक्रम का प्रबंध

प्रोफेसर मुनीस रजा, निदेशक, एन आई ई पी ए ने कार्यक्रम-निदेशक का कार्य किया। डा. एन एम भागिया ने कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य किया। डा. (श्रीमती) राधा रानी शर्मा, सह अध्येता ने सहायक कार्यक्रम-समन्वयक की भूमिका निभाई।

38. श्री सियोम जोशु, द्वितीय स्तर-विद्यालय के निर्माण के विशेषज्ञ तथा प्रबंधक, ई ई सी परियोजना, शिक्षा मंत्रालय इथोपिया का अध्ययन कार्यक्रम (9-21 अगस्त, 1982)

यूनेस्को के अनुरोध पर और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन सें शैक्षिक योजना और प्रशासन के राष्ट्रीय संस्थान ने 9 से 21 अगस्त, 1982 तक श्री सियोम गोशु, द्वितीय स्तर विद्यालयों के निर्माण विशेषज्ञ तथा प्रबंधक ई ई सी परियोजना, शिक्षा मंत्रालय आदिस अबाबा, इथोपिया के लिए भारत में द्वितीय स्तर शैक्षिक सुविधाओं के लिए परियोजना और वित्त-व्यवस्था में कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रमुख उद्देश्य

1. भारत में शैक्षिक योजना और प्रशासन की झांकी प्रस्तुत करना,
2. भारत में शैक्षिक सुविधाओं के मानदंडों से परिचित कराना,
3. भारत में विद्यालयों की भवन निर्माण परियोजना की योजना और वित्तीय व्यवस्था से उन्हें परिचित कराना, और
4. परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में व्यावसायिक समर्थता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना

विषयवस्तु

1. भारत में शैक्षिक योजना
2. भारत में शैक्षिक प्रशासन
3. भारत में विद्यालय शिक्षा : एक झांकी
4. भारत में शैक्षिक सुविधाओं के मानदंड
5. विद्यालय मान-चित्रण
6. विद्यालय भवन निर्माण की योजना
7. विद्यालय परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था
8. विद्यालय भवन निर्माण और रख-रखाव का प्रबंध
9. परियोजना तैयार करना
10. परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
11. परियोजना मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई की तकनीकें
12. शिक्षा में दीर्घकालीन योजना की तकनीकें

कार्यक्रम का प्रबंध

प्रो. मुनीस रजा, निदेशक, नीपा ने कार्यक्रम निदेशक तथा डा. आर पी सिंघल, परामर्शदाता और डीन (प्रशिक्षण) ने सह कार्यक्रम-समन्वयक के रूप में कार्य किया। श्री टी के डी नायर, सह अध्येता तथा श्री अरुण मेहता, सीनियर तकनीकी सहायक ने क्रमशः कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम सहायक की भूमिका निभाई।

39. **श्री लंका के शिक्षा कार्मिकों के लिए शिक्षा प्रबंध में प्रशिक्षण-कार्यक्रम (: 29 नवंबर, 1982 से 6 फरवरी, 1983 तक)।**

शिक्षा मंत्रालय, श्रीलंका के अनुरोध और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से नीपा ने 29 नवंबर, 1982 से 6 फरवरी, 1983 तक श्री लंका के सोलह शिक्षा कार्मिकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में 16 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले 16 कार्मिक तथा 8 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पर्यवेक्षक उपस्थित रहा।

प्रमुख उद्देश्य

1. भाग लेने वालों के लिए विद्यालयों के स्वरूप को राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़े वृहत्तर राष्ट्रीय समाज की उप-पद्धति तथा स्वयं एक सामाजिक पद्धति, दोनों ही रूपों में और अधिक सुग्राह्य बनाना;

2. विद्यालय संगठन और कार्मिक प्रबंध के सिद्धांत और व्यवहार से परिचित कराना;
3. संस्थागत योजना और विद्यालय की वित्त व्यवस्था के संबंध में मूलतः प्रवीर्ण बनाना;
4. शैक्षिक नेता के रूप में तथा विद्यालय पर्यवेक्षण, पाठ्यचर्या प्रबंध, और मूल्यांकन में तबदीली और नवीन पद्धतियों के प्रवर्त्तक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका को और अधिक समझना;
5. प्रशिक्षण पद्धति तैयार करने में आवश्यक विशेष योग्यता का विकास करने तथा विद्यालय प्रबंध में परामर्श विधि और तकनीकों का उपयोग करने में भाग लेने वालों की सहायता करना;
6. कुछ चुने हुए विद्यालयों तथा अधिविद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन के स्तरों को विवेचनात्मक ढंग से देखना।

40. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से डा. सांग जिन रीह सहायक प्रोफेसर, कोरिया गणतंत्र, लोक प्रशासन विभाग का अध्यक्ष दौरा** (1 नवंबर, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक)

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिन जू, दक्षिण कोरिया के लोक प्रशासन विभाग, विधि तथा व्यापार कॉलेज ज्यांग सांग के डा. सांग जिन रीह पी एच डी ने नीपा की 'सह-सदस्यता' प्रदान करने के कार्यक्रम के अनुसरण में भारत में कतिपय चुने विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में भारतीय उच्चतर शिक्षा में 'नीति-निर्माण' पर अपना शोध-पत्र लेख प्रस्तुत किया जो कि इस संस्थान की 'सह-सदस्यता' प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त है।

प्रमुख उद्देश्य

1. उच्चतर शिक्षा के नीति-निर्माण के तरीकों, कार्यान्वयन और उसके संबंध में विश्लेषण करना।
2. उच्चतर शिक्षा नीति-निर्माण विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर— में सुधार लाने के उपाय सुझाना।
4. भारत में नीति-निर्माण के तरीकों और प्रक्रिया के बारे में कोरियाई छात्रों की सूचना और जानकारी प्रदान करना।

41. **बैंकाक में थाईलैंड के अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज के प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रबंध और व्यवस्थित ढंग से साधनों के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** (13-24 दिसंबर, 1982)

नीपा ने शिक्षा मंत्रालय, थाईलैंड सरकार के अनुरोध और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से बैंकाक में थाईलैंड के अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज के प्रशासकों के लिए 10 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 से 24 दिसंबर, 1982 तक आयोजित किया।

मुख्य उद्देश्य

10 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सभी कॉलिज उपाचार्य निम्नलिखित विषयों में प्रदर्शन कर सकें;

(क) साधनों के उपयोग की योजना बना सकें;
(ख) प्रबंध की तकनीकों/तरीकों को प्रभावकारी ढंग से लागू कर सकें;
(ग) नियंत्रण और परिवीक्षण पद्धति को लागू कर सके;

(घ) साधनों के उपयोग के लिए मूल्यांकन की तकनीकें लागू कर सकें;

विषयवस्तु

मोटे तौर पर पाठ्यक्रम के निम्नलिखित विषय इस प्रकार हैं :

1. समस्यागत पहलू से साधनों के उपयोग की योजना,
2. साधनों के बंटवारे की तकनीकें,
3. साधनों के उपयोग का नियंत्रण, परिवीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई,
4. साधनों के उपयोग के लिए मूल्यांकन के तरीकें/तकनीकें ।

कार्यक्रम का प्रबंध

प्रोफेसर मुनीस रज़ा, निदेशक नीपा इस कार्यक्रम के मुख्य प्रबंधक और परामर्शदाता थे । डा. आर पी सिंघल डीन (प्रशिक्षण) ने कार्यक्रम के लिए भारत में आवश्यक तैयारियों में उनकी सहायता की । श्री बी सेल्वराज, प्रकाशन अधिकारी ने संबंधित प्रलेखों के प्रकाशन की सहायता की । श्रीमती रश्मि दीवान, परियोजना सहायक ने हस्त पुस्तिका तैयार करने में सहायता दी ।

42. 1980 के दशक में शैक्षिक भविष्य और शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की समस्याओं पर क्षेत्रीय संगोष्ठी (नई दिल्ली 27-31 दिसंबर, 1982)

शैक्षिक भविष्य और शैक्षिक योजना और प्रशासन की समस्याओं पर क्षेत्रीय संगोष्ठी, नई दिल्ली में 27 दिसंबर, 1982 से आयोजित की गई । नीपा नई दिल्ली में यह संगोष्ठी यूनेस्को की सहायता से आयोजित की ।

संगोष्ठी के उद्देश्य

1. वर्तमान दशक में शिक्षा की समस्याओं और चुनौतियों का पता लगाना;
2. इस क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना;
3. शैक्षिक योजना और प्रशासन में और आगे प्रगति, सुधार तथा पुनः नवीकरण के लिए निदेश देना और इस संबंध में उठाए जाने वाले उपाय बनाना;
4. इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करना और विकासशील देशों में शैक्षिक सहयोग (ई डी सी) की पद्धति का विकास करना ।

संगोष्ठी के प्रमुख विषय

संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :

1. **शैक्षिक भविष्य**

अगले दस वर्षों में इन देशों में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों तथा निदेशकों के बारे में नीति-परिप्रेक्ष्य/जिन मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया, वे इस प्रकार थे :

(क) आंतरिक परिवर्तन, जिसमें मानविक स्रोतों के उपयोग, समता, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, और पर्यावरण । परिस्थिति-समस्याओं पर विशेष जोर दिया जाए ।

(ख) बाह्य परिवर्तन, जिसमें ऐसी सामाजिक-आर्थिक ताकतों पर विशेष जोर दिया जाए जिनका शेष विश्व से टकराव होता है और देशों के बीच प्रौद्योगिकीय कड़ी होती है ।

2. **शैक्षिक योजना**

 (क) दीर्घ व मध्यवर्ती अवधि की योजनाओं की उलझनें;

(ख) कमजोर वर्गों, सामाजिक रूप से और या आर्थिक रूप से विलकांग, उदाहरणार्थ महिलाएं, बच्चे या सामाजिक रूप से भेद भाव वाले समूहों के लिए योजना;
(ग) शैक्षिक योजना में देशिक पहलू : आधारिक संरचना के विभिन्न क्षेत्र, जैसे पहाड़ियां, रेगिस्तान और अन्य आवासित क्षेत्र;
(घ) बहु-स्तरीय योजना का समन्वय।

3. शैक्षिक प्रशासन

(क) योजना कार्यान्वयन
(ख) पद्धतियों की प्रचलन दक्षता
(ग) निष्पति मूल्यांकन
(घ) स्टाफ विकास, अभिप्रेरण, समन्वय, संचार और सूचना
(ङ) गैर-मौद्रिक आगत

4. शैक्षिक वित्त

(क) स्रोत-जुटाव
(ख) स्रोत-आबंटन
(ग) स्रोत-उपयोगिता

5. दक्षिण-एशिया में क्षेत्रीय सहयोग

(क) सहयोग और प्रकारिताओं का क्षेत्र
(ख) ऐसे उपाय खोजना, जिससे शैक्षिक क्षेत्र सामाजिक परिवर्तनों के लिए तथा सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी हों।

संगोष्ठी का प्रबंध

संगोष्ठी की कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती उषा नायर थीं। श्रीमती इलादत्त लुई थुई और श्रीमती जयश्री जलाली ने कार्यक्रम सहयोगी के रूप में कार्य किया।

एशिया और पेसिफिक में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय डा. तुनल्विन को संगोष्ठी का प्रधान रिपोर्टर नियुक्त किया गया।

43. अफगानिस्तान से यूनेस्को के पांच अध्येताओं का अध्ययन दौरा (17-18 फरवरी, 1983)

एन सी ई आर टी, नई दिल्ली के अनुरोध पर अफगानिस्तान से यूनेस्को के पांच अध्येताओं का 15 से 16 फरवरी, 1983 तक एक दो-दिन का अध्ययन दौरा आयोजित किया।

प्रमुख उद्देश्य

1. शैक्षिक योजना में आंकड़ों के प्रयोग का अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक आंकड़ों पर काम करने वाले कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पद्धतियां तैयार करना था।

विषयवस्तु

अध्ययन दौरे के दौरान निम्नलिखित विषयों को लिया गया :

1. भारत में शैक्षिक योजना और प्रशासन में नीपा की भूमिका की एक झांकी
2. भारत देश और लोग
3. भारत में शैक्षिक योजना और प्रशासन के विकास पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
4. भारत में शैक्षिक नीति के विकास पर एक सरसरी दृष्टि नीति-निर्माण में निहित तत्वों के संदर्भ में
5. वृहत स्तर पर शैक्षिक योजना
6. भारत में सूक्ष्म स्तर योजना
7. शैक्षिक योजना में तकनीकें

44. **श्री गबायेहु कुमसा, अध्यक्ष, योजना विभाग, शिक्षा मंत्रालय, इथोपिया का अध्ययन दौरा** (10-16 **मार्च,** 1983)

नीपा ने यूनेस्को में इथोपिया के स्थायी प्रतिनिधि के अनुरोध पर 10 से 16 मार्च, 1983 तक श्री गबायेहु कुमसा, अध्यक्ष, शैक्षिक योजना सेवा, इथोपिया का अध्ययन दौरा आयोजित किया।

प्रमुख उद्देश्य

1. केंद्र, राज्य और संस्थागत स्तरों पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के प्रतिभा से वह परिचित हो सकें;
2. भारत में हाल के शैक्षिक विकासों से परिचित कराना; जिनमें शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में हुए सुधार भी शामिल हैं, और
3. प्रशिक्षण समर्थताओं के संदर्भ में नीपा के स्वरूप और कार्यप्रणाली से परिचित कराना;

विषय वस्तु

श्री कुमसा के अध्ययन दौरे के दौरान निम्नलिखित विषय लिए गए :

1 भारत : इसके प्रदेश और लोग तथा भारतीय शिक्षा का इतिहास
2. शिक्षा नीति के मामले
3. प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के संदर्भ में विद्यालयों में समस्याएं तथा अनौपचारिक शिक्षा
4. उच्चतर शिक्षा के मामले
5. भारतीय शिक्षा में योजना आयोग की भूमिका
6. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के विशेष संदर्भ में वृहत् स्तर पर शिक्षा योजना
7. भारत में बहुत स्तरीय योजना और सूचना पद्धति का प्रबंध
8. भारत में शैक्षिक प्रशासन
9. शिक्षा की वित्त-व्यवस्था
10. सन् 2001 ईसवी में शिक्षा एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य
11. प्रशिक्षण कार्यक्रम में परामर्श-कार्य
12. इथोपिया में शिक्षा

अध्ययन दौरे का प्रशिक्षण

श्रीमती उषा नायर, सह अध्येता ने कार्यक्रम समन्वयक तथा श्रीमती जयश्री जलाली ने कार्यक्रम सहयोगी के रूप में कार्य किया।

अनुबंध : दो

अनुसंधान अध्ययन
(चालू और संस्वीकृत)

चल रहे अध्ययन

1. **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक आयोजना, परिवीक्षण और सांख्यिकी के संगठनात्मक ढांचे और पद्धतियों का अध्ययन ।**

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर जनवरी, 1980 में संस्थान द्वारा इसका अध्ययन किया गया था । अध्ययन के उद्देश्य निम्न थे :

1. शैक्षिक आयोजना, संग्रह, संकलन और शैक्षिक सांख्यिकी और परिवीक्षण तथा मूल्यांकन के प्रसार के लिए वर्तमान संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करना;
2. प्रभावी आयोजना, सांख्यिकी, परिवीक्षण और मूल्यांकन के लिए जरूरी प्रबंधों के बारे में सुझाव देना; और
3. आयोजना, सांख्यिकी, परिवीक्षण और मूल्यांकन की कार्य-प्रणाली को सुदृढ़ करके कार्यक्रम बनाना ।

कार्य प्रणाली, आंकड़ों का आधार और वर्तमान स्थिति : इस अध्ययन के लिए सूचना भारत के समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एक प्रश्नावली के जरिए एकत्र की गई थी । यह प्रश्नावली शिक्षा मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके तैयार की गई थी । इस प्रश्नावली के द्वारा एकत्र की गई सूचना के आधार पर नीपा, योजना आयोग और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने चुने हुए राज्यों में यात्राएं कीं । केवल 24 राज्यों से सूचना प्राप्त हुई थी और जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा तथा महाराष्ट्र राज्यों में क्षेत्र-वीक्षण किए गए थे और इनके संबंध में रिपोर्टें तैयार भी की गई थीं । राज्य रिपोर्टों के आधार पर रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जा रहा है ।

2. **पुनर्विचार विकास**

आई सी एस एस आर द्वारा प्रयोजित यह अध्ययन जुलाई, 1980 में शुरू किया गया था ।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : यह निर्धनता पर अंतःविषयी अध्ययन है जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका से उदाहरण लिए गए हैं । अपेक्षित वृहद कार्य में लगभग उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जो कि एशियाई ड्रामा में है लेकिन इसे तृतीय विश्व के परिप्रेक्ष्य में रखा जाएगा । साथ ही, इसमें नौकरशाही, राजनैतिक प्रक्रियाओं और शिक्षा पर गहराई से विचार किया जाएगा ।

वर्तमान स्थिति : नवंबर, 1982 से अध्ययन के लेखक संयुक्त राष्ट्र एशियाई और प्रशांत केंद्र,

क्वालालंपूर, मलेशिया में विशेष सलाहकार थे। 'आधुनिकीकरण और विकास : वैकल्पिक प्रतिमानों की खोज' पर 275 पृष्ठ की पुस्तक तैयार कर ली गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र यूनीवर्सिटी प्रेस से अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनी में एक साथ प्रकाशित की जाएगी। इस शताब्दी के नवें दशक में विकास परिप्रेक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र एशियाई और प्रशांत विकास केंद्र के लिए एक मोनोग्राफ भी तैयार किया गया है। यह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है।

3. भारतीय राज्यों में उच्च शिक्षा के वित्तीयन का गहन अध्ययन

यह अध्ययन आई सी एस एस आर द्वारा प्रायोजित किया गया था और अप्रैल, 1981 में शुरू किया गया था। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य ये हैं :

1. केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं में निर्धारित योजनाबद्ध प्राथमिकताओं में पाए जाने वाले विरूपणों की पहचानना;
2. शैक्षिक विकास में पाई जाने वाली राष्ट्रीय और सामाजिक विषमताओं का विश्लेषण करना;
3. शैक्षिक विकास के आधार की गति को, विशेष रूप से समाज के असुविधा प्राप्त क्षेत्रों के बीच, तेज करने के लिए किए गए विशेष उपायों, दिए गए प्रोत्साहनों की प्रभाविता की मात्रा का अध्ययन करना; और
4. इस अध्ययन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर अगले 10-15 वर्षों के दौरान शैक्षिक विकास का कार्यक्रम बनाने के लिए सुझाव देना।

कार्य प्रणाली, आंकड़ों का आधार और वर्तमान स्थिति : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, उच्च शिक्षा के वित्तीयन के संबंध में कुछेक नीति विषयक आंकड़े अनुसूचियां और प्रश्नावलियों का एक सैट आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा राज्यों में स्थित लगभग 30 प्रतिशत कालिजों में भेजा गया था। उड़ीसा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से लगभग 50 प्रतिशत सूचना प्राप्त हो गई है। नवंबर और दिसंबर, 1982 के महीनों में जिन कॉलिजों के प्रधानाचार्यों ने एन आई ई पी ए कार्यक्रमों में भाग लिया था, प्रश्नावली उन्हें भी दे दी गई थी। आंकड़े सारणीबद्ध किए जा रहे हैं और विश्लेषण के लिए लगभग तैयार है।

उच्च शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के कुछेक कालिजों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। एक अन्य बैठक सिकंदराबाद में रजिस्ट्रार और उस्मानिया विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। आंकड़ों का प्रक्रमण कर लिया गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

4. जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आकांक्षाएं और कार्रवाई

यूनेस्को, पेरिस की प्रायोजना के अंतर्गत जनवरी, 1982 में संस्थान द्वारा इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया था। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारत में जीवन की गुणवत्ता पर लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान ठीक-ठीक एवं विस्तृत अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक चरों को ज्ञात करना था।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार—यह भारत में जीवन की गुणवत्ता के संबंध में प्रणाली-बद्ध अध्ययन है।

यह जीवन की गुणवत्ता पर दूसरा अध्ययन है। पहला पश्चिमी बंगाल में किया था।

अध्ययन के लिए एक विशेष तकनीक अपनाई गई जो उन दोनों के लगभग बीच की थी जो कि एक ओर प्राय: सामाजिक आर्थिक और मत-अभिवृत्ति सर्वेक्षणों के लिए और दूसरी ओर

वह जो कि विशेषज्ञ सहभागी पर्यवेक्षण और जीवन चरित्रात्मक वर्णनात्मक सर्वेक्षणों के लिए अपनाई जाती है। एक प्रश्नावली अनुसूची बनाई गई थी जो कि पूर्णतया संरचित है।

वर्तमान स्थिति : दिल्ली और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के तीन विभिन्न नृजातीय समूहों, यथा—गूजर, अनुसूचित जाति और मियो-से आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं। आयु, शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति को वर्गीकृत चरों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पहले चरण में जांचकर्ताओं को पहचाना गया था और उन्हें सर्वेक्षण करने के लिए अभिविन्यस्त किया गया था। दूसरे चरण में क्षेत्र कार्य मार्च से मई, 1982 तक किया गया था।

5. विश्वविद्यालय समुदाय की स्वायत्तता

आई सी एस एस आर द्वारा प्रायोजित यह अध्ययन फरवरी, 1982 में शुरू किया गया था। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

1. यह जांच करना कि क्या किसी भी समय किसी भी रूप में भारत में उच्च शिक्षा की प्राचीन और मध्य युगीन संस्थाओं में 'स्वायत्तता' अपने आंग्ल-अमेरिकी अर्थ में विद्यमान थी;
2. यह जांच करना कि अपने अस्तित्व (1857-1947) के प्रथम 90 वर्षों के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों को मिली स्वायत्तता की मात्रा क्या थी;
3. यह जांच करना कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में (जैसी कि थी) वर्ष 1947 से लेकर वर्तमान समय तक वृद्धि हुई है, वह स्थिर रही है या कम हुई है;
4. यह जांच करना कि क्या वर्तमान में भारत में विश्वविद्यालय समुदायों का विकास और संवर्धन करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और यह कि क्या विश्वविद्यालय शासन के लिए स्वायत्तता एक व्यावहारिक तरीका है, यदि विभिन्न समूह (छात्र, शिक्षक और प्रशासक) अलग-अलग या सामूहिक रूप में एक समुदाय का निर्माण नहीं करते हैं;
5. यह जांच करना कि क्या इस मान्यता का कोई आधार है कि 'यदि विश्वविद्यालयों को अपने दायित्वों और कार्यों को प्रभावी और कुशल रूप से निभाना है तो इसके लिए स्वायत्तता एक पूर्व शर्त है···' (विश्वविद्यालयों के शासन पर गजेंद्रगडकर समिति रिपोर्ट), और
6. यह जांच करना कि क्या भारत में वर्तमान संदर्भ में विश्वविद्यालय समुदाय और विश्वविद्यालय स्वायत्तता अप्रकायात्मक संकल्पनाएं हैं और क्या अन्य कोई ऐसे विचार हैं जिनका विश्वविद्यालय लाभ उठाते हुए प्रयोग कर सकते हैं।

कार्य प्रणाली आंकड़ों का आधार : प्रायोजना में पश्चिमी प्रजातांत्रिक समाजों में विकसित और बाद में ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों के समुदाय और स्वायत्तता का अध्ययन शामिल है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के बारे में जांच करने का प्रयत्न किया गया है। अध्ययन प्राक्कल्पना यह है कि विश्वविद्यालय स्वायत्तता और शैक्षिक समुदाय की संकल्पना विदेशी उपज है, कि वे भारतीय विश्वविद्यालय पद्धति के लिए असंगत थे और आज भी है, कि इन दोनों रुहानी संकल्पनाओं को अपनाने से भारतीय विश्वविद्यालयों के शासन की समस्याओं पर तर्क सम्मत विचार करने में विलंब हो रहा है।

वर्तमान स्थिति : प्रायोजना से संबंधित पुस्तकालय कार्य पूरा किया जा चुका है। अध्ययन के लिए जरूरी कुछेक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा चुका है। स्वायत्तता और अन्य संबंधित

मामलों पर विश्वविद्यालय समुदाय के विचारों को जानने के लिए। एक प्रश्नावली तैयार की गई थी और भारत में लगभग 400 शैक्षिक विद्वानों को भेजी गई थी। प्राप्त उत्तर उत्साहजनक हैं और उनका प्रक्रमण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता मापने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाएगा उसका निर्धारण कर लिया गया है।

अध्याय I-VIII के प्रारंभिक मसौदे तैयार कर लिए गए हैं और अन्य अध्यायों के मसौदे तैयार किए जा रहे हैं।

नए अध्ययन

1. शैक्षिक विकास क्षेत्रीय विषमताएं : भारतीय शिक्षा की मान चित्रावली

अप्रैल, 1982 में संस्थान द्वारा इसका अध्ययन शुरू किया गया था। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक विकास की आकाशीय विमा और क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया के साथ इसके द्वि-दिशात्मक संपर्कों को पहचानना और उसका विश्लेषण करना हैं।

कार्य प्रणाली और आकड़ों का आधार : द्वि-विचर के साथ-साथ बहुविचर सांख्यिकीय तकनीकों के आधार पर मानचित्रण किया जा रहा हैं। आंकड़ों के प्रमुख स्रोत चौथा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण और 1981 की भारत की जनगणना है।

वर्तमान स्थिति : खंड I से IV और खंड VI का मानचित्रण, यथा-सुलभता पर 26, उपलब्धता पर 16, मात्रा पर 47, गुणवत्ता पर 30 और समानता पर 22 मानचित्र सहित पूरा कर लिया है। सुलभता और समानता पर के खंडों के अध्यायों के मसौदे तैयार हैं। 'भारत में महिलाओं की शिक्षा : क्षेत्रीय विमा' पर एक मोनोग्राफ को भी अध्ययन के भाग के रूप में निर्मित कर लिया गया है।

2. शिक्षा मंत्रालय के संगठनात्मक इतिहास पर अध्ययन

संस्थान द्वारा यह अध्ययन मई, 1982 में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की दृष्टि से शुरू किया गया था।

1. ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा विभाग और वर्ष 1947 से शिक्षा मंत्रालय के विकास का अध्ययन करना;
2. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक दायित्वों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, वर्ष 1947 से जो विषय इसके लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हें और महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जांच करना;
3. शिक्षा मंत्रालय की, विशेष रूप से उसके अधीन विषयों के संबंध में, नीति निर्धारण और समन्वय के संबंध में पथ प्रदर्शक भूमिका का गहन विश्लेषण करना, और
4. इसके अधीन प्रत्येक विषय के संबंध में शिक्षा मंत्रालय की भूमिका की अनुक्रिया में उत्पन्न होने वाले संगठनात्मक परिवर्तनों की पहचान करना।

कार्य प्रणाली, आंकड़ों का आधार और वर्तमान स्थिति : अध्ययन के प्रथम चरण के दौरान नीपा (रा शै अ प्र प) जवाहरलाल विश्वविद्यालय, आई सी एस एस आर, योजना आयोग, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार और केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों एवं अन्य प्रकाशित रिपोर्टों से 1947-81 की अवधि के लिए शैक्षिक विकास से संबंधित मूल सामग्री एकत्रित कर ली गई है। वर्ष 1947-57 के दौरान शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो विषय थे उनके बारे में मिसिल संदर्भ भी एकत्र कर लिए गए हैं। प्रकाशित साहित्य से एकत्र की गई सामग्री की सहायता से निम्नलिखित अध्यायों के कच्चे मसौदे तैयार कर लिए गए हैं :

1. ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा विभाग का मूल्यांकन।
2. स्कूल शिक्षा में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की भूमिका।

प्रायोजना सलाहकार समिति की एक बैठक 13 जनवरी, 1983 को हुई थी। अध्ययन जिस तरीके से किया जा रहा है, उसका अनुमोदन करते हुए सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया कि अत्यधिक बल शैक्षिक आयोजना, सांस्कृतिक सहायता, प्रौढ़ शिक्षा आदि जैसे पहलुओं पर दिया जाना चाहिए।

3. स्कूल शिक्षकों पर लागू होने वाले स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियमावली के बारे में अध्ययन

संस्थान द्वारा जुलाई, 1982 में यह अध्ययन शुरू किया गया था। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

1. तीन राज्यों, यथा—हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में दो विषयों से संबंधित विद्यमान नियमों और कार्य प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना;
2. इन तीन राज्यों में शिक्षा कार्मिकों के संबंध में स्थानांतरण और अनुशासन से संबंधित मामलों को नियमित करने वाले मानदंडों को बनाना (स्थानांतरण अध्ययन केवल सरकारी स्कूल शिक्षकों के बारे में ही किया जाएगा),
3. यह ध्यान में रखते हुए कि जो कुछ भी नियम उपर्युक्त राज्यों के लिए बनाए जाएंगे, उनमें यह प्रयत्न किया जाएगा कि नियमों एवं कार्यप्रणालियों का सरलीकरण किया जाए।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : संबंधित राज्यों में स्कूल शिक्षा से संबंधित अधिनियम संहिता और मैनुअल के साथ-साथ कुछ विशिष्ट सांख्यिकीय और वर्णनात्मक सूचना को आंकड़ों के आधार के रूप में लिया गया है।

वर्तमान स्थिति : अध्ययन के प्रथम चरण के दौरान तीन राज्य (हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) जिनका अध्ययन किया जाना है, उनके शिक्षा सचिवों/स्कूल शिक्षा निदेशकों से यह अनुरोध किया गया था कि वे स्थानांतरणों और अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित विषयों और नियमों और अधिशासी आदेशों जैसी मूल सामग्री की आपूर्ति करें। राजस्थान सरकार से स्थानांतरणों के संबंध में अद्यतन मार्गदर्शन की प्रति प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार की सूचना केरल से मांगी गई थी जिसके तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य के लिए अधिशासी समिति ने सुझाव दिया था।

दूसरे चरण में तीन राज्यों में निजी स्थानीय निकायों और सरकारी स्कूल शिक्षकों पर लागू होने वाले अनुशासनिक नियमों से संबंधित सामग्री एकत्र की गई थी। रिपोर्ट के वास्तविक भाग से यह सामग्री प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अनुशासनिक कार्य प्रणाली पर कुछ अन्य सामग्री का भी अध्ययन किया गया है।

अगले चरण में शिक्षा निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और उपमंडलीय। खंड स्तर के

चुनिंदा अधिकारियों को प्रश्नावली भेजी गई थी। बीकानेर, इलाहाबाद और चंडीगढ़ जाकर इस अध्ययन के बारे में शिक्षा निदेशालयों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। अध्ययन का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जा रहा है।

4. स्कूलों के लिए इष्टतम शिक्षक-छात्र अनुपात पर अध्ययन

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ जुलाई, 1982 में संस्थान द्वारा अध्ययन शुरू किया गया था :

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और वास्तविक परिस्थिति में अनुभव किए गए शिक्षक-छात्र अनुपात के नियमों को निर्धारित करना;
2. शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्य-कलापों पर लगाए गए समय के संबंध शिक्षकों के कार्य-भार का मूल्यांकन करना;
3. नामांकन, छात्रों के स्कूल में पढ़ाई जारी रखने और वार्षिक परीक्षाओं में छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में शिक्षक-छात्र अनुपात के प्रभाव की जांच करना; और
4. व्यवहार्यता के पहलू और उसके साथ-साथ उसकी लागत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की विभिन्न परिस्थितियों के लिए इष्टतम शिक्षक-छात्र अनुपात को निर्धारित करना।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : स्तरित यादृच्छिक नमूना तकनीक के जरिए 58 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण क्षेत्रों से लगभग 600 स्कूल चुने गए हैं। ग्रामीण/शहरी, प्राथमिक/मिडिल/माध्यमिक, आदिवासी, एकल/बहुकक्षीय स्कूलों, और लड़कों/लड़कियों/सहशिक्षा स्कूलों के आधार पर स्तरण किया गया है।

प्रश्नावली और जांचपरक तकनीक वाली नियामक सर्वेक्षण प्रणाली को अध्ययन में लागू किया गया है। इसके साथ-साथ उपलब्ध साहित्य, शिक्षा सहिताओं, अधिनियमों, नियमों और सरकारी आदेशों के सर्वेक्षण से और नामांकन, उपस्थिति आदि के स्कूल रिकार्डों जैसे विभिन्न प्रलेखों के परीक्षण से इसमें सहायता ली गई है। शिक्षा के गुणात्मक पहलू का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों के वार्षिक स्कूल परिणामों को भी ध्यान में रखा गया है। (अप्रैल, 1978 से मार्च, 1982)

वर्तमान स्थिति : अनुसंधान परियोजना के लिए बुनियादी उपकरणों को अंतिम रूप देने के लिए 29 सितंबर, 1982 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य क्षेत्र परिस्थितियों की संगतता और क्षेत्र परिस्थितियों में उपकरणों की व्यवहार्यता का संकेत करना था। आंकड़ों संकलन के उद्देश्य से छह प्रश्नावलियां बनाई गई थीं, यथा-बुनियादी आंकड़ों पर, प्रधानाचार्यों के लिए; प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए, मिडिल/हाई स्कूल शिक्षकों के लिए एकल स्कूल शिक्षक के लिए/और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए।

उपर्युक्त उपकरणों को अंतिम रूप देने के पश्चात नमूने के रूप में चुने गए 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कुल मिला कर 58 क्षेत्रों में आंकड़ा संकलन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जब कि आंकड़ों का संकलन प्रगति पर था, 18 फरवरी, 1983 की कृतिक बल बैठक में आंकड़ों का विश्लेषण करने की कार्य प्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया। कूटीकरण कार्य प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया और आंकड़ों का संगठन किया जाए। आंकड़ा संकलन के लगभग पूर्ण हो जाने के साथ-साथ विभिन्न प्रश्नावलियों का कूटीकरण किया जा रहा है। आंकड़े 52 क्षेत्रों और 520 स्कूलों की शामिल करते हुए 20 राज्यों से संकलित किए गए हैं।

300 स्कूलों को शामिल करते हुए 30 क्षेत्र वाले लगभग 10 राज्यों के उपकरणों का कूटी-

 करण पूरा कर लिया गया है।

5. शिक्षा प्रशासन में तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्कूल प्रधान

यह अध्ययन शिक्षा कॉलिज, अयोवा विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर शुरू किया गया था। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

1. विभिन्न राष्ट्रों में विद्यालय प्रधान की व्यक्तिगत, व्यावसायिक और संस्थागत विशेषताओं का सर्वेक्षण करना (संस्थान का संबध भारतीय स्कूल प्रधानों के विशेष संदर्भ में नमूने बनाना और आंकड़ों को संकलित करना है) :
2. अध्ययन में भाग लेने वाले अन्य राष्ट्रों के स्कूलों के प्रधानों के साथ भारतीय स्कूल की विशेषताओं की तुलना करना;
3. (स्कूल प्रधानों सहित) शिक्षा प्रशासकों की भूमिका और व्यवहार पर भावी गहन अध्ययनों के लिए आंकड़ों का उपयोग करना।

कार्य प्रणाली, आंकड़ों का आधार और वर्तमान स्थिति : स्कूल के प्रधानों के लिए डाक से भेजी जाने वाली प्रश्नावली बनाई गई थी जिससे उनकी वैयक्तिक और व्यावसायिक विशेषताओं के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके। तत्पश्चात् यह प्रश्नावली यादृच्छिक नमूना के आधार पर 300 माध्यमिक स्कूलों के प्रधानों को डाक से भेजी गई थी। एक और प्रश्नावली तैयार करके भारत के पांच जानकार व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त किए गए थे जिससे कि उनकी पृष्ठभूमि और प्रेक्षणों का उपयोग माध्यमिक स्कूल प्रधानों की स्थिति के बारे में किया जा सके।

स्कूल के प्रधानों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया था। भारतीय माध्यमिक स्कूल के प्रधानों के बारे में सूचना को अलग से सारणीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जानकार व्यक्तियों से प्रश्नावली सूचना प्राप्त हो गई थी और उसे आयोवा विश्वविद्यालय भेज दिया गया है। रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जा रहा है।

6. मॉडल वित्तीय संहिता बनाने के लिए अध्ययन

अगस्त, 1982 में संस्थान द्वारा इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया था। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय संहिता का ऐसा ढांचा तैयार करना था जिसमें अलग-अलग विश्वविद्यालय अपनी स्थानीय व्यवस्था पद्धति और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार ढांचे के आधार पर अपनी संहिताओं का निर्माण कर सकें।

कार्य प्रणाली, आंकड़ों का आधार और वर्तमान स्थिति : प्रथम चरण के दौरान, कुछेक राज्यों और विश्वविद्यालयों के तत्काल उपलब्ध अधिनियमों, कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों और वित्तीय नियमों का अध्ययन किया गया था। सामान्य संदर्भ के रूप में भारत सरकार और कुछेक राज्य सरकारों के वित्तीय नियमों का भी अध्ययन किया गया था।

दूसरे चरण में, वित्तीय संहिता का विस्तृत डिजाइन और रूपरेखा तैयार की गई थी जिसके आधार पर अध्ययन किया जाना था। 75 विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से प्राप्त सुझावों का संहिता के विस्तृत डिजाइन और रूपरेखा में सम्मिलित किया था, जिसमें 12 विदेशी विश्वविद्यालय और शैक्षिक योजना के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, 16 राज्य सरकारें, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ शामिल हैं। विश्वविद्यालयों से विद्यमान नियमों और विनियमों की प्रति भेजने के लिए भी अनुरोध किया गया था। अपने उत्तरों में अधिकांश विश्वविद्यालयों ने यह सूचित किया कि उनके पास कूटबद्ध वित्तीय नियमावली नहीं है और कुल मिला कर वे राज्य सरकारों के वित्तीय नियमों का अनुसरण करते हैं।

अगले चरण में वित्त संहिता की विस्तृत डिजाइन और रूपरेखा तैयार की गई जो कि कुछेक केंद्रीय और चुने हुए विशेष राज्य विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रायोजना अध्येता के वैयक्तिक अनुभव पर, शिक्षण तथा अनुसंधान के प्रयोजन के पूरक के रूप में उन कुछेक संस्थाओं की कार्य प्रणालियों के अध्ययन पर, जिन्होंने अपनी पद्धतियों और शक्तियों के प्रत्यायोजन को पुर्न-अभिविन्यस्त किया है, और साथ ही बाद में कुछेक समितियों और लेखा परीक्षा द्वारा भेजी गई रिपोर्टों पर आधारित है। 31 जनवरी से 2 फरवरी, 1983 तक कानपुर में उन कुलपतियों के वार्षिक अधिवेशन में ये रिपोर्टें भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा नीपा के अनुरोध पर विचार-विमर्श के लिए कृषि विश्वविद्यालयों सहित सभी सदस्य विश्वविद्यालयों को परिचालित की गई थीं। वित्त संहिता की विस्तृत रूपरेखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, पांच महालेखापालों को और बीस विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों को भेजी गई थीं। वित्त संहिता के अध्याय I—XXIV के प्रारूप खंडों में प्रायोजना सलाहकार समिति के सदस्यों और 38 विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों के बीच परिचालित किए गए थे। कुछेक उन संस्थाओं विशेषज्ञों को भी भेजे गए थे जो इस विषय में विशेषज्ञ हैं।

7. भारत में 13 चुनिंदा विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में भारतीय उच्च शिक्षा के लिए नीति-निर्धारण

अध्ययन के व्यापक उद्देश्य निम्न हैं :

1. उच्च शिक्षा में नीति-निर्धारण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि की प्रणालियों का विश्लेषण करना,
2. उच्च शिक्षा में, विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर, नीति-निर्धारण में सुधार के लिए उपाय सुझाना, और
3. अन्य देशों के लोगों को, विशेष रूप से कोरिया के लोगों को, भारतीय उच्च शिक्षा के लिए नीति-निर्धारण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के बारे में जानकारी और सूचना प्रदान करना।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई गई थीं :

1. शैक्षिक नीति-निर्धारण के मामले में लगे हुए संगठनों की संरचना का अध्ययन ;
2. नीति विज्ञान उपागम को अपनाना ताकि नीति निर्धारण के नियमों और प्रणालियों को खोजा जा सके ;
3. राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर प्रकाशित सामग्री पर और संबंधित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके नीति-निर्धारण का अध्ययन ;
4. देश के विभिन्न भागों से चुने गए 13 चुनिंदा विश्वविद्यालयों के लिए नीति-निर्धारण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि का गहन विश्लेषण जिसमें तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय, तीन प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, यादृच्छिक रूप से लिए गए चार राज्य विश्वविद्यालय और तीन व्यावसायिक विश्वविद्यालय शामिल हैं।

विश्वविद्यालयों के कानूनों और विभिन्न निर्णायक निकायों के कलेंडर, कार्यसूची और कार्यवृत्त जैसे विभिन्न प्रकाशित स्रोतों से और नीति निर्धारण और कार्यान्वयन से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई प्रश्नावली के जरिए नीति-निर्धारण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि का विश्लेषण। ऐसा भी प्रस्ताव है कि इन विश्वविद्यालयों में जा कर संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार और विचार-विमर्श किया जाए।

वर्तमान स्थिति : इस अध्ययन के लिए प्रारंभिक सामग्री का सर्वेक्षण किया जा चुका है। अध्ययन की विस्तृत रूप रेखा और प्रश्नावली तैयार की जा रही है।

8. भारत में सामान्य शिक्षा के विधिक आधार

दिसंबर, 1982 में यह अध्ययन शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोक सेवा के रूप में शिक्षा के विकास के प्रबंध और इसके संगठन के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में कानूनों की समीक्षा विश्लेषण और मूल्यांकन करना था।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से सामग्री संस्थान के सब नेशनल सिस्टम पुस्तकालय की उस सामग्री से ली गई थी जो कि विभिन्न राज्यों के शैक्षिक अधिनियमों के साथ-साथ शैक्षिक प्रशासन के संगठन पर राज्यवार रिपोर्टों के रूप में उपलब्ध है। ये सर्वेक्षण वर्तमान शताब्दी के आठवें दशक के बीच में और बाद में तैयार किए गए थे। इन रिपोर्टों के अनुसार विद्यमान कानूनों के बारे में सूचना के इस अध्ययन के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में लिया गया है। जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बहुत छोटे हैं, उन्हें इस अध्ययन में नहीं लिया गया है। फिर भी, 18 प्रमुख राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली देश में संगठित शैक्षिक सेवा का 98 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनको शामिल करके किए गए अध्ययन का संपूर्ण देश की तत्वत: प्रतिनिधिक स्थिति मानी गई। इस अध्ययन में स्कूल और कॉलिज स्तर पर सामान्य शिक्षा को शामिल किया गया है। और (व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को छोड़ दिया गया है)।

वर्तमान स्थिति : विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना का पुनरीक्षण और अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन पर मोनोग्राफ तैयार करने के लिए इसका और अधिक विश्लेषण किया जाएगा।

9. भारत में सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान का निधीयन

आई सी एस एस आर के अनुरोध पर जनवरी, 1983 में यह अध्ययन शुरू किया गया था। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान के लिए विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी या निजी निकायों द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का विश्लेषण करना है।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : डा. जे एल आजाद द्वारा आई सी एस एस आर में तैयार किया गया छह खंडीय अध्ययन इस प्रायोजना के आंकड़ों का आधार है। इन खंडों में अनुसंधान संस्थाओं, अनुसंधान संगठनों, केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों, स्वायत्त अनुसंधान को प्रायोजित करने वाले निकाय, विभिन्न बैंकिंग और वित्त संस्थाएं, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संबंधित सूचना शामिल है।

वर्तमान स्थिति : यह अध्ययन भारत में सामाजिक विज्ञानों का निधीयन विषय पर आई सी एस एस आर द्वारा किए गए अध्ययन का परिणाम है जो पहले डा. जे एल आजाद द्वारा किया गया था। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सामाजिक विज्ञानों के निधीयन से संबंधित क्रोड आंकड़ों को कूटबद्ध किया और तत्पश्चात इन्हें टेपों पर उतारा गया था। आंकड़े अब संगणक केंद्र में प्रक्रमण के लिए तैयार हैं।

प्रस्तावित मोनोग्राफ भारत में सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान और विकास के मूल पहलुओं की जांच करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी और बहु-विचर विश्लेषण का उपभोग करेगा।

10. भारत में अवसरों की समता और शिक्षा अवसरों के समकरण के विशेष संदर्भ में शैक्षिक योजना का अध्ययन — केरल और उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा का केस अध्ययन

आई सी एस एस आर के अनुरोध पर मार्च, 1983 में अध्ययन शुरू किया गया था। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

1. समता और निष्पक्षता के ध्येयों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक वित्त के स्रोतों में हो रहे परिवर्तनों की जांच करना,
2. अनुदान सहायता पद्धति को मिला कर शिक्षा के वित्तीय तंत्र का और शैक्षिक अवसरों के वितरण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना, और
3. शिक्षा विशेष रूप से स्कूल शिक्षा पर होने वाली सार्वजनिक व्यय के निवल हिताधिकारियों की खोज करना।

कार्य-प्रणाली और आंकड़ों का आधार—अध्ययन प्रमुख रूप से आनुभविक व विश्लेषणात्मक है और केवल दो राज्यों—केरल और उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा तक ही सीमित है। सीमित अर्थ में, यह भारत में शैक्षिक रूप से प्रगतिशील और पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों की समता के विशेष संदर्भ में शैक्षिक वित्त का तुलनात्मक अध्ययन है। चूंकि शैक्षिक विकास के अधिकांश सूचकों से यह पता चलता है कि केरल चोटी की श्रेणी में आता है और इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी नीचे की श्रेणी में आती है। आंकड़ों के प्रमुख स्रोत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालयों की प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री है। सूचना एकत्र करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के योजना, प्रलेखों, बजट रिपोर्टों और सांख्यिकीय सार-पुस्तिकाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। इस अध्ययन के लिए रा शै अ प्र प के अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षणों जैसे प्रकाशनों के साथ नीपा के शिक्षा प्रशासन की रिपोर्टों जैसे प्रकाशनों से भी सूचना एकत्र की गई है। अंतिम उद्देश्य के अध्ययन के लिए समूह-विश्लेषण किया जाएगा। इस संबंध में जांच करने के लिए वर्तमान में आंकड़े प्राप्त करने के दो विकल्प हैं। वर्ष 1980-81 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) ने अपने 35वें राउण्ड में शिक्षा को मिला कर सामाजिक उपयोग पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है। यदि उपर्युक्त स्रोत से आंकड़े वांछित रूप में उपलब्ध न हो पाए, तो केरल और उत्तर प्रदेश के चुने हुए जिलों में सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, निजी लागतों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक छोटा क्षेत्र सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

स्कल शिक्षा में किस सीमा तक शैक्षिक अवसरों की समता के लक्ष्य में सफलता मिली है, इसकी जांच करने के लिए निम्न सूचकों का उपयोग किया हैं : नामांकन और नामांकन अनुपात की संवृद्धि दरें, समता का गुणांक, असमानता सूचकांक, आदि। शैक्षिक अवसरों की समानता की जांच शिक्षा तक पहुंच और लिंग, सामाजिक-समूहों, स्थान और जिला आदि के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न सामाजिक-आर्थिक शैक्षिक आगतों तक ही सीमित है। शिक्षा पर प्रति व्यक्ति और प्रति छात्र व्यय और शिक्षक-छात्र अनुपात आदि ने शिक्षा की गुणवता इंगित करने के लिए प्रतिनिधि चर का कार्य किया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केरल और उत्तर प्रदेश में शिक्षा वित्त पर एक कच्चा मसौदा तैयार किया गया है। साथ ही, केरल और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956-57 और 1979-80 की अवधि के लिए शिक्षा पर जन व्यय का प्रारंभिक विश्लेषण भी पूरा कर लिया गया है।

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर अध्ययन यूनिट

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर एक अध्ययन यूनिट गृह-मंत्रालय के अनुरोध पर

संस्थान में स्थापित किया गया और इसका निधीयन इसी मंत्रालय द्वारा निम्न उद्देश्यों के लिए किया गया था :

1. विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों के जरिए और उपयुक्त आंकड़ा / सूचना आधार का निर्माण करके अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की जांच करना;
2. गृह मंत्रालय के लिए इन योजनाओं के परिवीक्षण और मूल्यांकन पद्धति की रचना करना;
3. योजना के स्वरूप के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शैक्षिक विकास पर विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करके अनुसंधान अध्ययन करना;
4. इन योजनाओं के परिवीक्षण और मूल्यांकन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एकत्र किए जाने वाले आवश्यक मूल आंकड़ों के नमूने सुझाना। एकक द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान अध्ययनों के प्रयोजन के लिए आंकड़े नीपा द्वारा स्वतंत्र रूप से एकत्र किए जा सकते हैं;
5. शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय को उनके नियमित आंकड़ों संग्रहण प्रक्रिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहलुओं की शुरुआत करने के बारे में सुझाव देना, और
6. इस संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के शैक्षिक विकास के पहलुओं की शुरुआत करना।

वर्ष के दौरान अध्ययन एकक ने निम्न अध्ययन शुरू किए,

1. **उच्च शिक्षा (1964-1977) में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन की प्रवृत्तियां (पूरा हो गया है)**

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

1. राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर नामांकन की समग्र प्रवृत्तियों की खोज करना,
2. उच्च शिक्षा में नामांकन के क्षेत्र में समग्र असमानता का विश्लेषण करना,
3. नामांकन के दृष्टिकोण से अंतः राज्य असमानताओं को ढूंढ़ निकालना,
4. अनुसूचित जन जाति के पुरुषों और महिलाओं के नामांकन के बीच असमानता की खोज करना, और
5. विभिन्न राज्यों में समानता के स्तर की उपलब्धि का पता लगाना।

कार्यप्रणाली और आंकड़ों का आधार : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति संबंधी शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 1964-65 से 1977-78 तक के प्रकाशनों से उपलब्ध नामांकन आंकड़ों को नामांकन की प्रवृत्तियां जानने के लिए विश्लेषित किया गया है।

एक मोनोग्राफ तैयार किया गया है जिससे विभिन्न राज्यों और अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के बीच विद्यमान असमानताओं पर प्रकाश पड़ता है। इसमें उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए एक अवलोकन भी शामिल है जिसमें प्रतिगमन, सह-संबंधी, अवस्थिति गुणांकों, समानता के गुणांकों आदि के साथ-साथ कुछेक चार्टों और कार्टोग्राफों की सहायता से आंकड़ों की व्याख्या करने वाली सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया है।

निष्कर्ष : अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न हैं :

1. शिक्षा के समस्त क्षेत्रकों में वर्ष 1972-76 के दौरान अनुसूचित जाति नामांकन की

समृद्धि दर में गिरावट आई है। इसी प्रकार यही प्रवृत्ति गैर अनुसूचित जातियों के संबंध में देखी गई है।

2. व्यावसायिक एवं अन्य शिक्षा (कॉलिज की) में वर्ष 1972-76 के दौरान अनुसूचित जातियों के साथ-साथ गैर अनुसूचित जाति के नामांकन में समृद्धि दर नकारात्मक थी।
3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के नामांकनों की समृद्धि दरों में पर्याप्त असमानताएं हैं।
4. किसी विशेष क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनसंख्या के संकेंद्रण और उनके नामांकन संकेंद्रण के बीच कोई निकट का संबंध नहीं है।
5. अभी भी अनुसूचित जाति के लोग अन्य समुदायों की अपेक्षा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर काफी पिछड़े हुए हैं और अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जातियों के बीच शैक्षिक असमानताएं शिक्षा के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक और माध्यमिक से उच्च स्तर तक और अधिक गंभीर होती जा रही हैं।
6. शैक्षिक सोपानों को देखने से यह पता चलता कि ऊपर बढ़ने पर गतिरोध एवं स्कूल छोड़ने वालों की संख्या की दरें बढ़ती हैं और गैर अनुसूचित जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जातियों के गतिरोध की दर और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या पर्याप्त रूप से अधिक है।
7. तेरह वर्षों की अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में नामांकन की स्थिति के संबंध में अनुसूचित जातियों और अन्य समुदाओं के बीच समग्र असमानता कम हुई है।
8. नामांकन की दृष्टि से समानता की स्थिति प्राप्त करने में प्रत्येक राज्य को जो समय लगेगा, उसमें व्यापक भिन्नताएं हैं।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक मार्गदर्शी अध्ययन :

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

1. अनुक्रिया के दृष्टिकोण से मूल्यांकन के साधनों का परीक्षण करना, और
2. अध्ययन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले नए मदों को मिलाकर और पुनर्संरचना तथा संशोधन करके और अनावश्यक पाए गए मदों को निकाल कर सह-संबंधों को लागू करना।

कार्यप्रणाली और आंकड़ों का आधार : इस मार्गदर्शी अध्ययन को करने के लिए दिल्ली में स्थित चार व्यावसायिक संस्थाओं को चुना गया था। अनुसंधान साधनों के रूप में इस अध्ययन में विचार-विमर्श, साक्षात्कारों और अनुसूचियों को काम में लाया गया था। अनुसूची-I संस्थागत अनुसूची और अनुसूची-II हित लाभकारी अनुसूची।

वर्तमान स्थिति : प्रथम चरण के रूप में अध्ययन एकक ने दो अनुसूचियों का निर्माण किया था, यथा-अनुसूची I —संस्थागत अनुसूची और अनुसूची II हितलाभकारी अनुसूची। अनुसूची I को दो भागों में बांटा गया था। भाग I में संस्थाओं के बारे में सूचना थी और भाग II में योजना के संबंध में संस्थाओं के प्रधानों के विचारों को जानने के संबंध में प्रश्न थे। मार्गदर्शी अध्ययन चार संस्थाओं में किया गया था, यथा-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, और केंद्रीय विद्यालय, आई आई टी दिल्ली। अनुसूची I और अनुसूची II के आधार पर प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर लिया गया है।

 अध्ययन का प्रारंभिक प्रारूप लगभग तैयार हो गया है।

3. पुस्तक बैंक योजना की कार्यविधि : एक मार्गदर्शी अध्ययन

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से साधनों की प्रामाणिकता को जानने की दृष्टि से कुछेक संस्थाओं में पुस्तक बैंक योजना की कार्य विधि का मूल्यांकन करना है।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : मार्गदर्शी अध्ययन करने के लिए दिल्ली में स्थित दो व्यावसायिक संस्थाओं, यथा-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को चुना गया था। इस अध्ययन के लिए विचार-विमर्श, साक्षात्कारों और अनुसूचियों (अनुसूची I संस्थागत अनुसूची और अनुसूची II हितलाभकारी अनुसूची) का अनुसंधान साधनों के रूप में काम में लाया गया था।

वर्तमान स्थिति : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में पुस्तक बैंक की कार्यविधि पर सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्थागत अनुसूची बनाई गई थी। इसमें पुस्तक बैंक के इतिहास, संस्थाओं के कर्मचारी प्रतिमान, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता, सहायता के उपयोग प्रतिमानों, और सहायता के अन्य स्रोतों से संबंधित सामग्रियां हैं। दूसरे भाग में सुधार के लिए विचारों और सुझावों को आमंत्रित करने वाले कुछेक मुक्तोत्तर प्रश्न हैं। अनुसूची-II यथा-हितलाभकारी अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों के अनुभवों, विचारों, और सुझावों का पता लगाने का प्रयत्न करती है जो योजना का हितलाभ उठा रहे हैं। अनुसूचियां दो संस्थाओं में भेजी गई थीं और प्राप्त उत्तरों का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट का प्रारंभिक प्रारूप पूरा होने वाला है।

संस्वीकृत अध्ययन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अध्ययन संस्वीकृत किए गए :

1. केरल में शिक्षा विकास के इतिहास पर अध्ययन :

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

1. ट्रांवकोर-कोचीन और मालाबार प्रांतों की पहले वाली राजसी रियासतों के समय विकसित केरल में शिक्षा की संवृद्धि का विश्लेषण करना,
2. वर्ष 1956 से केरल राज्य के निर्माण के पश्चात शैक्षिक विस्तार की प्रकृति का अध्ययन करना,
3. विभिन्न स्तरों पर निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों और शक्तियों की पहचान करना, और
4. निर्णयों के कार्यान्वयन में रुकावट डालने वाले उन विभिन्न विघ्नों का वर्णन करना जिनकी पहचान से अन्य राज्यों को इन्हें दूर करने में सहायता मिल सकती है।

कार्य-प्रणाली और आंकड़ों का आधार : केरल में शैक्षिक विकासों का विश्लेषण दो विभाओं में किया जाएगा। पहले भाग में ट्रांवकोर-कोचीन और मालाबार की पहले वाली राजसी रियासतों के आधीन सन् 1820 से शिक्षा विकास के इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा। दूसरे भाग में सन् 1956 में केरल राज्य के पुनर्गठन के समय से शैक्षिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह अध्ययन विस्तृत अनुसंधान कार्य पर आधारित होगा।

पहला भाग जो कि वर्ष 1956 से पूर्व के शिक्षा के इतिहास से संबंधित है, वह ऐतिहासिक रिकार्डों पर आधारित होगा, जैसे कि भारत की जनगणना रिपोर्टें, मैनुअल, प्रशासन रिपोर्टें,

शक्षिक अभिलेख, सांख्यिकीय सार पुस्तिकाएं, सरकारी अभिलेख और देशी रिसायत परिषद कार्यवाहियां। दूसरा भाग भी इसी प्रकार की प्रकाशित सामग्री पर और इसके अलावा सरकारी अभिलेखों पर परामर्श करके तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ साक्षात्कारों पर आधारित होगा।

2. शैक्षिक कार्यकलाप पृष्ठभूमि के लिए क्षेत्रीय प्रावधानों पर अध्ययन

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

1. शैक्षिक कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय प्रावधान करने में विभिन्न शहर विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई जा रही विद्यमान नीतियों और पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना;
2. विभिन्न शैक्षिक और जनांकिकीय कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात् भिन्न-भिन्न प्रकार की बस्तियों/शहरों में विभिन्न शैक्षिक कार्यकलापों की भावी आवश्यकताओं का पता लगाना;
3. देश के पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बस्तियों में संस्थाओं के विभिन्न प्रकारों और स्तरों के शैक्षिक कार्यकलापों के लिए भवन और क्षेत्र नियमों का सुझाव देना;
4. सुझाए गए क्षेत्र और भवन नियमों तथा शैक्षिक कार्यकलापों की प्रक्षेपित आवश्यकताओं के आधार पर कुल क्षेत्र और भवन की भावी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना;
5. क्षेत्र आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से शैक्षिक कार्यकलापों के विभिन्न स्तरों और चरणों पर नई शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का अध्ययन करना, और
6. स्थानीय समुदाय के पास उपलब्ध सुविधाओं के साथ शिक्षा सुविधाओं को एकीकृत करने के तरीकों और तकनीकों के बारे में सुझाव देना।

कार्यप्रणाली और आंकड़ों का आधार : अध्ययन के लिए अनुसंधान प्रारूप के अनुसार आंकड़े एकत्र करने और वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए देश में व्यापक रूप से यात्रा करनी पड़ेगी।

3. कॉलिजों के प्रधानों की भूमिका निष्पादन का अध्ययन

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. कॉलिजों के प्रधानों की भूमिका की पहचान करना,
2. प्रधानों की विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करना,
3. उन विभिन्न कारकों की पहचान करना जो उनकी भूमिका निष्पादन को प्रभावित करते हैं, और
4. प्रधानों की भूमिका-निष्पादन के साथ विभिन्न कारकों के संबंधों का अध्ययन करना।

कार्य प्रणाली और आंकड़ों का आधार : वर्तमान अध्ययन के लिए दिल्ली के चारों ओर फैले 150 मील के व्यास के क्षेत्र के कॉलिजों की जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। इस परिधि में जो शहर आते हैं वे देहरादून, बरेली, आगरा, जयपुर, सिरसा और अम्बाला है। इस क्षेत्र में लगभग 250-300 कॉलिज हैं। इस क्षेत्र में से सामान्य/व्यावसायिक, लड़के/लड़कियां, ग्रामीण/शहरी और अंगीभूत/संबद्ध प्रकार के कॉलिजों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए लगभग 100 कॉलिजों के प्रधानों की सांख्यिकीय यादृच्छिक नमूने के लिए लिया जाएगा।

 आंकड़े एकत्र करने के लिए साक्षात्कार अनुसूचियों, प्रश्नावलियों और श्रेणी मापदंडों का

उपयोग किया जाएगा।

4. भारत में शिक्षा नीति और योजना का अध्ययन-योजना आयोग की भूमिका : वर्तमान स्थिति और भावी परिप्रेक्ष्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

1. योजना आयोग में योजनाओं के निर्माण और मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं की जांच करना और प्रयोग में लाई जाने वाली कार्यविधि और साधनों की प्रकृति को विस्तृत रूप से स्पष्ट करना;
2. भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में उपयोग में लाई जाने वाली प्रणालियों और साधनों की उपयोगिता या अनुपयोगिता के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करना;
3. मात्रात्मक समीक्षाओं और गुणात्मक अध्ययनों के औचित्य की और नीति आयोजना, कार्यक्रम निर्माण और प्रायोजना कार्यान्वयन पर उनके प्रभाव को स्पष्ट करना।
4. वित्त आयोग के निर्णयों, राजनीतिक निर्णयों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों और परिस्थितियों, विभिन्न केंद्रीय शिक्षा मंत्रियों की नीतियों और योजना आयोग में शिक्षा के प्रभारी सदस्यों तथा समय समय पर उनके द्वारा गठित निकायों और दलों ने किस प्रकार शिक्षा योजनाओं को प्रभावित किया, इसका पता लगाना,
5. यह संकेत करना कि किस प्रकार शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में गैर-सरकारी निकायों, संस्थाओं और संगठनों ने प्रभावित किया;
6. योजनाकारों द्वारा पूर्वानुमानित विकास और उनके परिचालन निहितार्थ किस सीमा तक ठीक थे उसकी समीक्षा करना और यदि कोई विकृतियां उत्पन्न हुई हों तो उन पर तथा उनके कारणों पर प्रकाश डालना, और
7. योजना आयोग की भूमिका के सुदृढ़ करने के लिए और साथ ही साथ यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा को हाल ही में समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है, आगामी दो दशकों यथा 1880-2001 के दौरान समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टिकोण में रखकर शैक्षिक योजनाएं बनाने उनका मूल्यांकन और परिवीक्षण करने की क्षमता के बारे में भी ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

कार्यप्रणाली और आंकड़ों का आधार : प्रकाशित और अप्रकाशित रूप में

पंचवर्षीय योजना रिपोर्टों के विभिन्न अध्यायों के प्रारूपों, और विभिन्न समितियों की सामग्रियों, सांख्यिकीय प्रोफार्मों, विवरणों, सारणियों, अनुसूचियों और रिपोर्टों के आंकड़ों को ध्यान में रख कर अध्ययन के लिए सामग्री तैयार की जाएगी।

अनुबंध तीन

संकाय का शैक्षणिक योगदान

पुस्तकों के रूप में

प्रो मूनीस रजा

(क) इंडियन इकोनामी : द रीजनल डायमेंशन, नई दिल्ली स्पेक्ट्रम, 1982 संयुक्त रूप से ए कुण्डु के साथ।

(ख) एन एटलस ऑफ इंडियन ट्राइब्ज, नई दिल्ली, कानसेप्ट (प्रेस में) संयुक्त रूप से ए अहमद के साथ।

श्री जे वीरराघवन

एजुकेशन एंड द न्यू इंटरनेशनल आर्डर, नई दिल्ली कानसेप्ट, 1983।

डा. आर पी सिंघल

रीवाइटेलाइजिंग स्कूल कंप्लेक्सिस इन इंडिया, नई दिल्ली, कानसेप्ट, 1983।

डा. जी डी शर्मा

इकोनॉमिक्स आफ कॉलेज एजुकेशन—ए स्टडी आफ हिन्दू कॉलेज, नई दिल्ली, भारतीय विश्वविद्यालय संघ 1982, संयुक्त रूप से एम सक्सेना के साथ।

पुस्तकों के अध्याय के रूप में

प्रो. मूनीस रजा

(क) रिफ्लेक्शनज आन द नेचर आफ रूरल-अर्बन इंटरएक्शंस इन एशियन कांटेकस्ट इन हुमे नाइजिंग डेवलपमेंट, सिंगापुर, यू एन सी आर डी, मेरुजन एशिया, 1982।

(ख) इंडिया : अर्बेनाइजेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इन अर्बेनाइजेशन, एंड रीजिनल डेवलपमेंट, सिंगापुर, यू एन सी आर डी मेरुजन, एशिया, 1982, ए हबीब, ए कुंडु और वाई पी अग्रवाल के साथ संयुक्त रूप से,

(ग) इंडस्ट्रीयल बेस आफ द रीजिनल इकोनामी एंड अर्बेनाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया 'इन प्रोब्लेम्ज डी क्रोएसेंस अर्बेन डेनज ले मोडे ट्रापिकल सी जी ई टी, बोर्डेक्स, 1982।

(घ) 'मैन इन द इकोसिस्टम', इन कन्ट्रीब्यूशन टु इंडियन जियोग्राफी कोनसेप्ट एंड एप्रोजि। आर पी मिश्र द्वारा संपादित, नई दिल्ली हैरिटेज 1983।

अनुसंधान लेख

प्रो. मुनीस रजा

(क) द इंडियन ओशियन रीजन : इट्स मिनेरल्ज एण्ड अदर रिसोर्सिस। पीस एंड सोलिडेरिटी, अप्रैल, 1982 डा. एन वी के रेड्डी के साथ संयुक्त रूप से,

(ख) रीजिनल डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड रेट्रोस्पेक्ट, रीजिनल डेवलपमेंट डायलोक, यू एन सी आर डी, 1982,

(ग) एग्लोमेरेटिड एंड डिस्पर्सड पैटर्नस ऑफ इंडस्ट्रीयलाइजेशन इन इंडिया, रीजिनल डेवेलपमेंट डायलोक : यू एन सी आर डी, नंगोया, 1982।

(घ) रेलवेज फ्रेट फ्लोज एंड द रीजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनामी द जियोग्राफर 2' (XXVIII) जुलाई 1981 वाई पी अग्रवाल के साथ संयुक्त रूप से।

(ङ) अर्बेनाइजेशन एंड रीडिस्ट्रब्यूशन आफ पापुलेशन इन रीजिनल स्पेस : ए केस स्टडी ऑफ इंडिया, यू एन सी आर डी, वर्किंग पेपर नं, 82-85 यू एन सी आर डी, नगोया असलम महमूद के साथ संयुक्त रूप से,

डा आर पी सिंघल

(क) 'प्रिंसिपल एज चेंज एजेंट' पत्रिका, मई, 1982।

(ख) बिल्डिंग अप कैपेबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल आफ एजुकेशनल डेवलपमेंट 3(1) ऑक्सफोर्ड 1983।

(ग) हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लिंकेजेज इन एजुकेशन। एजुकेशन क्वार्टर्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कलचर, 1983।

डा. सी बी पद्मनाभन

फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन सिक्सथ प्लान। फ्रंटियर्ज इन एजुकेशन, आल्टरनेटिव्ज इन एजुकेशन, न्यू फ्रंटियर्ज इन एजुकेशन 1(12), जनवरी-मार्च, 1983।

डा. सी एल सपरा

ए स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन इन रिलेशन टु द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया : 1947-1974, इंडियन एजुकेशन रिव्यू, अप्रैल 1982।

डा. ब्रह्मप्रकाश

द ग्रोथ रॉल कांसेप्ट एंड द रीजनल प्लानिग एक्सपीरिएंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज—'ए कमेंट' रीजनल डेवलपमेंट डायलॉग, यू एन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट 1982।

डा. एस एम दुबे

(क) सोशियोलॉजी ऑफ द प्रोफेशंश इन इंडिया : इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड नीडेड स्टडीज इन पी के बी नायर (सं.) सोशियोलॉजी इन इंडिया : रिट्रास्पेक्ट एंड प्रास्पेक्ट, बी आर पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, 1982।

(ख) इथनिक मोब्लाइजेशन, ट्राइबल मोवमेंट्स एंड रीकनसिलिएशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया,

इन के सुरेश सिंह (सं.) ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया (भाग 1), मनोहर पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली 1982।

डा. जे बी सी तिलक

(क) वेस्टेज इन एजुकेशन इन इंडिया, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, 2 (17), अप्रैल, 1982।
(ख) एजुकेशनल प्लानिंग एंड इंटरनेशनल इकोनामिक आर्डर कंपेरेटिव एजुकेशन, 2(18), जून, 1982।
(ग) 'एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट 'एस्पेट एंड इट्स एन्वायरेंज-2001 ई शताब्दी' पर कार्यशाला में लेख पढ़ा गया (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान बंगलौर), जुलाई, 1982 मैन एंड डेवलपमेंट के दिसंबर 1982 अंक में प्रकाशित।
(घ) सम इकोनामिक आस्पेक्ट्स आफ एजुकेशन इन दिल्ली नामक लेख दिल्ली में स्कूल-शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया (नई दिल्ली, कन्वर्वेशनल एंड द थिंकिंग ग्रुप, भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अगस्त, 1982) 11 अक्तूबर, 1982 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ और एजुकेशन खंड 63 में 2, फरवरी 1983 को पुनः प्रकाशित।
(ङ) 'इनएकुएलिटी इन एजुकेशन बाई सेक्स इन इंडिया इंडियन' जर्नल आफ इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, 3 (18), जनवरी, 1983।

श्रीमती उषा नायर

(क) एजुकेशनल फाइनांस इन द स्टेट आफ हरियाण, संस्थागत तथा प्रखंड स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के अध्ययन में, यूनेस्को का रिसर्च मोनोग्राफ, 1982।
(ख) 'द स्टडी आफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऐट द ब्लाक एंड इंस्टीच्यूशनल लेवेल, में एजुकेशनल कैसिलिटीज इन हरियाणा नामक लेख, यूनेस्को का रिसर्च मोनोग्राफ, 1982।

डा वाई पी अग्रवाल

(क) अर्बनाइजेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड : सम आस्पेक्ट्स आफ इंटरनेशनल इन इक्वलिटीज, 'अरबन इंडिया' (प्रो. मूनिस रजा तथा अन्यों के साथ)।
(ख) इंडिया : अर्बनाइजेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यू एन सी आर डी में (सं.), 'अर्बनाइजेशन एंड रीजनल डेपलपमेंट मारुजेना, एशिया, सिंगापुर, 1982। (प्रो. मूनिस रजा तथा अन्यों के साथ)।
(ग) रेलवे फ्रेट फ्लोज एंड द रीजनल स्ट्रक्चर आफ द इंडियन इकानमी, 'द ज्याग्राफर' 2 (XXVIII) जुलाई 1981, (प्रो. मूनिस रजा के साथ संयुक्त रूप में)।

डा सुषमा भाग्या

(क) सम थाट्स आन इन-सर्विस एजुकेशन आफ एजुकेशर्ज 'इन न्यू फ्रंटियर्स इन एजुकेशन, (उच्च शिक्षा की त्रैमासिक पत्रिका) जून, 1982।
(ख) 'एजुकेशनल टैक्नालोजी इन इंडिया : द प्रजेन्ट एंड द प्रोस्पेक्ट्स,' जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन, 5 (13) जनवरी, 1983।

4. विद्वानों की संस्थाओं में दिए गए व्याख्यान भाषण

प्रो. मूनिस रजा

(क) 26 जनवरी, 1982 को संजीवया सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में 'गवर्नमेंट रिजर्वेशन पालिसी' पर व्याख्यान दिया।

(ख) 30 अप्रैल, 1982 को पटना में ए एन सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान की वर्षगांठ पर 'आन रीजनल डिस्पेरिटीज इन लिटरेसी लैवेल्ज इन इंडिया' पर भाषण दिया।

(ग) 14 मई, 1982 को रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, बिलिंगडन में 'द थियूरी, डाक्टोरीइन एंड एवोल्यूशन आफ कम्यूनिज्म' पर एक विस्तृत भाषण दिया।

(घ) 17 मई, 1982 को एप्लाइड मैनपावर अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 'रोल आफ रेलवेज एज प्राइम मूवर इन इंडस्ट्रीयल एक्सपेंशन इन बैकवर्ड एंड हिंटर लैंड एरियाज' पर एक भाषण दिया।

(ङ) 18 मार्च, 1982 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला में उपाधिग्रहण समारोह के अवसर पर 'एजुकेशन एंड डेवलपमेंट शीर्षक पर दीक्षांत भाषण दिया।

(च) 12 जून, 1982 को भारतीय शिक्षा योजना और प्रशासन संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'टूवर्ड्स इम्प्रुवड एजुकेशनल प्लानिंग' शीर्षक पर मूल सैद्धांन्तिक भाषण दिया।

(छ) 13 जून, 1982 को नई दिल्ली में भारतीय समाज विज्ञान की सातवीं कांग्रेस के भूविज्ञान अनुभाग में 'इनइकुएलिटीज इन एजुकेशनल डेवल्पमेंट इन इंडिया—द रीजिनल डाइ-मेंशन' में अध्यक्षीय भाषण दिया।

(ज) 13 जून, 1982 को नई दिल्ली में सातवीं भारतीय सामाजिक कांग्रेस में 'पालिटिकल इकोनामी, आफ नेशनल इनटेग्रेशन' पर चर्चा की।

(झ) 15 अगस्त, 1982 और 20 सितंबर, 1982 को नई दिल्ली में यू एस ई एफ आई द्वारा अमरीकी दूतावास और आई सी ए के नए अधिकारियों के लिए आयोजित दिगविन्यास कार्यक्रम में भाग लेने वालों को 'इंडिया लेंड एंड पिपूप्ल' पर भाषण दिया।

(ञ) 20 अगस्त, 1982 की राष्ट्रीय प्रगतिशील विद्यालय सम्मेलन, नई दिल्ली में 'मैनेजमेंट चैलेंजिज इन प्रोग्रेसिव स्कूलज्' पर भाषण दिया।

(ट) 17 सितंबर, 1982 की दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा आयोजित 'रीजिनल डिस्पेरेटीज इन लेवेल्ज आफ लिटरेसी इन इंडिया 'परिचर्चा पर भाषण दिया।

(ठ) 11 नवंबर, 1983 को भारत में भू-वैज्ञानिकों का—राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित गोष्ठी में एन्वायरेनमेंट एंड डेवलपमेंट' पर एक लेख पढ़ा गया।

(ड) 27 जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रिय विकास केंद्र नगोया द्वारा 'छोटे नगरों और राष्ट्रीय विकास' पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में 'द थर्ड वर्ड अर्बनाइजेशन पर्सपेक्टिव्ज' पर भाषण दिया।

(ढ) 29 मार्च, 1983 में नई दिल्ली में यू एस ई एफ आई द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के स्कूलों में प्रयोग के लिए भारत में सामाजिक अध्ययन पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने के लिए आयोजित एक गहन संगोष्ठी में 'इंडिया : द टाइम एंड स्पेस कंटीन्यूम' पर भाषण दिया।

श्री जे वीरराघवन

अक्तूबर, 1982 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान द्वारा बजट, साधन-विनियोजन और शिक्षा नीति पर आयोजित संगोष्ठी में मैकैनिजम्स फार द एलोकेशन, आफ रिसोर्सिज टू एजुकेशन फ्रोम द फेडेरेशन (सेंट्रल गवर्नमेंट) टू द स्टेट्स (डपार्टमेंट/रीजन) नामक शीर्षक पर भाषण दिया।

डा. आर पी सिंघल

(क) 26 अप्रैल, 1982 को भारतीय विद्या भवन विद्यालय और बी एच इ एल विद्यालय, हैदराबाद के अध्यापकों को 'सेल्फ मोटिवेशन आफ टीचर्स पर भाषण दिया।

(ख) 10 अक्तूबर, 1982 को हैप्पी विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला में 'टीचर्स आन एन्वायरेन्मेंटल एजुकेशन' पर समापन भाषण दिया।

(ग) 26 जनवरी, 1983 को प्रौढ़ शिक्षा प्रबंध पर, दिल्ली शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को भाषण दिया।

(घ) 30 मार्च, 1983 को यू एस ई एफ आई में अमरीकी शिक्षकों को 'एजुकेशनल स्पेक्ट्रम : फार्मल' पर भाषण दिया।

डा. सी एल सपरा

(क) 9 नवंबर, 1982 को क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, अजमेर में 'एजुकेशवल प्लानिंग इन इंडिया —प्राब्लेम्ज एंड प्रोस्पेक्ट्स' पर भाषण दिया।

(ख) शिक्षा निदेशालय, चंडीगढ़ प्रशासन के निमंत्रण पर विद्यालयों के शैक्षिक पर्यवेक्षकों और प्रिंसिपलों के सम्मेलन में 31 मई, 1982 को चंडीगढ़ में एजुकेशनल इम्पलीकेशंज आफ द न्यू 20 प्वाइंट प्रोग्राम्ज' पर एक मूल सैद्धांतिक भाषण दिया।

(ग) 21 जुलाई, 1982 को पपुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय, (शिक्षा संकाय) में एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया' पर भाषण दिया।

(घ) 3 अगस्त से 20 अगस्त, 1982 तक पांचवें अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निरीक्षण कार्यक्रम (आई आई ई पी 82) में भाग लिया और नाइजीरिया में कार्यक्रम के सम्मेलन पक्ष में 'एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट द क्रास रोड्ज द इंडियन केस' पर लेख पढ़ा।

डा. एन एम भाग्या

(क) डिब्रूगढ़ एकेडेमिक काउंसिल के सदस्यों के समक्ष, 'मैनेजमेंट आफ रिसोर्सेज' पर व्याख्यान, 14-15 मई, दिब्रोई, 1982।

(ख) छठे एशियाई क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लेने वाले सदस्यों के समक्ष 'वर्ल्ड पीस थ्रू यूनेस्को क्लब्स एंड एनवायारनामेंटल एजूकेशन' विषय पर, विश्व युवक केंद्र, नई दिल्ली में सितंबर 25 तथा 28 1982 को व्याख्यान।

(ग) जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू के शिक्षा विभाग के स्टाफ सदस्यों और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के समक्ष 'डेवलपमेंट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर भाषण।

(घ) मार्च 21-23, 1983 को एन सी ई आर टी में 'नेशनल सेमिनार ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन' में एम एड प्रोग्राम के लिए 'फ्यूचरोलॉजी इन एम एड प्रोग्राम' पर पर्चा पढ़ा।

श्री एम एम कपूर

शिक्षा योजना, 1982 में उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग के रूप में आई आई ई पी पेरिस के लिए 'इंटेग्रटिड इंफोरमेशन सिस्टम फार एजुकेशनल मैनेजमेंट : ए सुजैस्टिड माडल फार इंडिया' पर लेख प्रस्तुत किया।

श्री के जी विरमानी

3 जनवरी से 14 फरवरी, 1983 तक ड्रेसडन, बाचीविट्जर वर्गस्ट्रेग्से, 5 जर्मन जनवादी गणराज्य में, जर्मन जनवादी गणराज्य की शिक्षा शास्त्रीय विज्ञान अकादमी के प्रबंध संस्थान और शिक्षा संस्था में हुए अन्तर्राष्ट्रीय वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासक-पाठ्यक्रम में 'प्रिंसिपल आफ डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम एंड आर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट' शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया।

डा. जे पी जी तिलक

(क) 31 अक्तूबर से 1 नवंबर, 1982 तक भारतीय अर्थ व्यवस्था संघ और अर्थशास्त्र विद्यालय, वाल्टेयर में भारतीय अर्थ व्यवस्था में उत्पादकता पर आयोजित संगोष्ठी में इकोनामिक विटर्न टू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एट द रीजिनल लेवल : एस्टीमेट्स फार द स्टेट आफ आंध्रप्रदेश' शीर्षक लेख प्रस्तुत किया।

(ख) मैट्रिक और ग्रेजुएट व्यक्तियों के लिए रोजगार संभावनाओं पर आयोजित संगोष्ठी में 'एजुकेशनल प्लानिंग एंड अनइंप्लायमेंट इन इंडिया' शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया। राज्ययोजना संस्थान, लखनऊ, जुलाई, 1982।

(ग) दिल्ली, नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा पर विशेषज्ञ चर्चा, संवाद विषयक और चिन्तन दल के लिए 'सम इकोनामिक आस्पेक्ट्स आफ एजुकेशन इन दिल्ली' पर लेख प्रस्तुत किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली, अगस्त, 1982।

श्रीमती उषा नायर

(क) 19-20 फरवरी, 1983 को 10 वें राष्ट्रीय अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन, नई दिल्ली में भाग लिया और 'कम्पीटीशन वर्सिस कोओप्रशन : हाऊ टू ब्रिंग हारमोनी बिटवीन द टू फार द डेवल्पमेंट आफ ह्युमैन पर्सीनिलिटी आफ द चाइल्ड' शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया।

(ख) भारत में शैक्षिक नियोजन और प्रशान पर कोलंबो, श्रीलंका में एजुकेशन सुपरविजन मैनेजमेंट डिवीजन के समक्ष व्याख्यान दिया, सितंबर 1982।

(ग) मुस्लिम लेडीज कॉलेज, कोलंबो, श्रीलंका में, विद्यार्थियों तथा अध्यापिकाओं के समक्ष व्याख्यान।

डा. वी ए कलपांडे

10 दिसंबर, 1982 को पुणे (महाराष्ट्र) में यूनीसेफ द्वारा स्कूल शिक्षा में नवीन परिवर्तन पर प्रायोजित संगोष्ठी में 'डेवलपमेंट' आफ ए टूल फार मैनेजमेंट आफ एजुकेशनल प्रोग्रेस आफ ब्लाक 'डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र' पर एक लेख प्रस्तुत किया।

डा. टी के डी नायर

(क) 18 जनवरी, 1983 को लायन्स क्लब, कैरकल में 'रोल आफ कम्युनिटी इन डेवलपमेंट आफ स्कूलज्' पर भाषण दिया।

(ख) 21 मार्च, 1983 को भारत निर्माण (विल्ड इंडिया) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित संगोष्ठी में 'रूरल डेवलपमेंट : सम बेसिक इशूज' पर परिचर्चा की।

डा. वाई पी अग्रवाल

दिसंबर, 1982 को नई दिल्ली में भारतीय जनसंख्यान अध्ययन संघ के हुए वार्षिक सम्मेलन में इम्प्लीकेशंज आफ रूरस अर्बन डिस्पेरिटीज इन एजुकेशन' पर लेख प्रस्तुत किया।

डा. एन वी वर्गीज

(क) 2-4 मई, 1982 को हैदराबाद में 2000 ई में ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी भविष्य पर आयोजित संगोष्ठी में 'एजुकेशन-टैक्नालोजी—डेवलपमेंट रिलेशनशिप : ए सिनोप्टिक वियू-शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया।

(ख) 4-7 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में तीसरे विश्व के विकास में श्रमिक समस्याओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'प्लानिंग फार एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अंडर कंडीशंज आफ चेंजिंग टक्नोलोजी (ब्रह्म प्रकाश के साथ मिलकर लिखा) शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया।

(ग) 12-15 फरवरी, 1983 पर कोयूम्बटूर में वोकेशनलाइजेशन आफ एजुकेशन एट +2 स्टेज पर राष्ट्रीय संगोष्ठी मे 'वोकेशनलाइजेशन एंड जाब मार्किट' शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया।

(घ) 10-12 मार्च, 1983 को राजस्थान आर्थिक संघ, जयपुर 13वें सम्मेलन में 'डेवलपमेंट स्ट्रेट्जी इन द सिक्स्थ प्लान' शीर्षक पर (एस एस यादव के साथ लिखा हुआ) लेख प्रस्तुत किया।

(ङ) 3-4-1982 को जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केंद्र में एजुकेशन एंड आर्निग्स' संगोष्ठी पर भाषण दिया।

डा. (श्रीमती) के सुधा राव

(क) इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आफिसर्स के समक्ष 'नीड्स आफ चिल्ड्रेन' विषय पर व्याख्यान दिया (स्थान : एन आई पी सी सी डी 29, जून 1982)।

(ख) इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आफिसर्स के समक्ष, 'स्टेज आफ चाइल्ड डेवलपमेंट' विषय पर व्याख्या (स्थान : एन आई पी सी सी डी, नवंबर 1982)।

डा. के सुजाता

(क) विज्ञान भवन नई दिल्ली में 2 अक्तूबर से 8 अक्तूर, 1982 में आयोजित इंटरनेशनल सिंपोजियम आन प्राब्लम्स आफ डेवलपमेंट आफ अंडरप्रिविलेज्ड कम्यूनिटीज में, 'स्ट्रेटेजीज आफ नान-फार्मल एजुकेशन फार ट्राइबल चिल्ड्रेन' विषय पर पर्चा पढ़ा।

(ख) चंडीगढ़ में 28 फरवरी—1 मार्च, 1982 क्वापरेटिव एजुकेशन सोसाइटी आफ इंडिया वार्षिक सम्मेलन में 'आंध्र प्रदेश के आश्रम विद्यालयों का गहन अध्ययन' शीर्षक से चर्चा प्रस्तुत किया।

श्रीमती जे जलाली

28 फरवारी, 2 मार्च, 1983 को चंडीगढ़ में भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और 'एकम्पेरेटिव स्टडी आफ द कनसैप्ट आफ वर्क एक्सपीरिएंस इन सैकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड इन द यू एस एस आर' शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया।

4. संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में भाग लेना

प्रो. मूनिस रजा

राष्ट्रीय

(क) 5-7 सितंबर, 1982 को भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे द्वारा 'एजुकेशन आफ द डिस्एड्-वाहंजड' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।

(ख) 11 अक्तूबर, 1982 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वतः रोजगार शिक्षा आयोग द्वारा 'एजुकेशन फार सेल्फ इम्प्लायमेंट' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

(ग) 9 नवंबर, 1962 को क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा सिम्पोजियम आन लेंगुएज एंड सोशल रीजिनल आइडेंटिटीजें इन इंडिया में 'लैंगुएज एंड ट्राइबल आइडेंटिटी इन इंडिया—पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।

(घ) 12-15 फरवरी, 1983 को राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन, नई दिल्ली के सहयोग से शिक्षा विभाग तमिलनाडु सरकार द्वारा 'वोकेशनलाइजेशन आफ एजुकेशन एट +2 स्टेज' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय

(क) 16-18 मार्च, 1983 तक बैंकाक में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यूनेस्को—आर ओ ई ए पी द्वारा 'रीजिनल टेक्नीकल को-आप्रेशन फार ट्रेनिंग एजुकेशनल पर्सनिल इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यूजिंग डिस्टेंस टीचिंग एंड अदर टेक्नीक्स' पर आयोजित मूल्यांकन कार्यशाला में भाग लिया।

(ख) 5 से 25 दिसंबर, 1982 तक यूनेस्को रीजितल आफिस फार एजुकेशन इन एशिया एंड द पेसिफिक, बैंकाक, थाईलैंड में कॉलेज रेक्टर्स इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आफ रिसोर्सिस की कार्यशाला में भाग लिया।

(ग) 23 से 26 फरवरी, 1983 तक यूनेस्को, बैंकाक में उच्चतर शिक्षा में नीति, योजना और प्रबंध तथा उच्च शिक्षा के विशेष अध्ययन और अनुसंधान पर हुई कार्यकारी दल की बैठक और कंसोर्टियम में भाग लिया।

(घ) विकास के लिए उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम की बैठकें 28 फरवरी से 5 मार्च, 198 तक यूनेस्को, बैंकाक में उच्चतर शिक्षा में नीति, योजना और प्रबंध पर कंसोर्टियम की बैठक और विकास के लिए उच्च शिक्षा के विशेष अध्ययन और अनुसंधान पर हुई 'कंसोर्टियम में साधन कुशल व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

(ङ) 28 फरवरी से 5 मार्च, 1983 तक राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद्, थाईलैंड द्वारा आयोजित ए ए एस एस आर ई सी परियोजना निदेशकों की बैठक में एशियाई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् संघ (ए ए एस एस आर ई सी) के समन्वकर्ता के रूप में भाग लिया।

(च) 9 से 15 मार्च, 1983 तक यूनेस्को, बैंकाक में 'इंन्क्रीजिंग एफीशिउंसी इन एजुकेशन थ्रू इंप्रूव्ड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग' पर हुई क्षेत्रीय संचालन समिति की बैठक में भारत

सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

(छ) 4 से 7 अगस्त, 1982 तक आर ओ ई ए पी, बैंकाक में 'कार्डर ट्रेनिंग आफ नेशनल आफिसर्ज एंड स्पेशलिस्ट्स' पर उप राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए योजना समिति की बैठक में भाग लिया।

डा. आर पी सिंघल

राष्ट्रीय

(क) 5 अप्रैल, 1982 को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा पापुलेशन एजुकेशन पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञ व्यक्ति के रूप में कार्य किया।

(ख) 20 सितंबर, 1982 को एक्सपर्ट सैमिनार आफ द मिनिस्ट्री आफ सोशल वेल्फेयर आन प्लानिंग फार इंप्लायमेंट आफ वोमेन में भाग लिया।

(ग) 25 जनवरी, 1983 को दिल्ली में डी ए वी कालेज, प्रबंध समिति द्वारा आयोजित सेमिनार आन रूरल डेवलपमेंट सेंटर्ज, में भाग लिया।

(घ) 23 फरवरी, 1983 को शिक्षा मंत्रालय में यूथ वेल्फेयर पर हुई बैठक में भाग लिया।

(ङ) 16 अप्रैल, 1982 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आग्जामिनेशन रिफोर्म्ज एंड इंप्लीमेंटेशन समिति की बैठक में भाग लिया।

(च) 24 अप्रैल, 1982 को 'एडवाइज़री कमिटी आफ द ओपेन स्कूल आफ इंडिया' की बैठक में भाग लिया।

(छ) 13 जुलाई, 1982 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की पसेपेक्टिव प्लानिंग आफ स्कूल बिल्डिंग पर हुई बैठक में भाग लिया।

(ज) 2 नवंबर, 1982 को नेशनल कौंसिल आफ साइंस म्यूजियम एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाग लिया।

(झ) 24 दिसंबर, 1982 को ओपन स्कूल्ज प्लानिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया।

(ञ) केंद्रीय विद्यालय संगठन की बैठक में 14 जनवरी 1983 को भाग लिया।

(ट) 16 फरवरी, 1983 को शिक्षा मंत्रालय में सी वी एस ई अग्जामिनेशंज के संबंध में हुई बैठक में भाग लिया।

(ठ) कमेटी आफ एक्सपर्टस आफ सी एस आई आर टू एडवाइंज आन र न्यू आल इंडिया अग्जामिनेशन टू बी कंडक्टिड फार जूनियर रिसर्च फैलोशिप के सदस्य के रूप में कार्य किया।

(ड) 24 जनवरी, 1983 को 'रॉयल एजुकेशन कमिशन' नेपाल की बैठक में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय

(क) 24 जनवरी, 1983 को नेपाल के 'रॉयल एजुकेशन कमीशन' के साथ हुई बैठक में भाग लिया।

डा. जी डी शर्मा

अंतर्राष्ट्रीय

4 से 7 जनवरी, 1983 तक लेबर मैनेजमेंट ईशू, इन थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

डा. सी एल सपरा

21 से 23 मार्च, 1983 में एन सी ई आर टी द्वारा आयोजित, 'नेशनल सेमिनार ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन' में हिस्सा लिया।

डा. एन एम भाग्या

राष्ट्रीय

(क) जून 12-13, 1982 में नई दिल्ली में नीपा की प्रथम राष्ट्रीय कानफरेंस में भाग लिया और 'लीडरशिप इन स्कूल्स' समूह की बैठक के कार्यवाही लेखक के रूप में कार्य किया।

(ख) सितंबर 23, 1982 में स्टैंडिंग एकेडेमिक कमिटी आन सेकेंडरी एंड कालेज टीचर एजुकेशन आफ द नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन एन सी ई आर टी की उपसमिति की अध्यक्षता की।

(ग) अप्रैल 22-24, 1981 में आई आई पी ए में आयोजित वर्कशाप आन केस स्टडीज में भाग लिया।

(घ) अक्तूबर 1, 1982 में भारतीय विद्या भवन में आयोजित 'वर्किंग ग्रुफ आन प्लानिंग एंड कानफरेंस आन एटीच्यूडिनल चेंज इन स्कूल एजुकेशन की बैठक की अध्यक्षता की।

(ङ) 5-14 अप्रैल, 1982 में, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली में यूनेस्को, रीजनल सेमिनार फार एशिया एंड पैसिफिक के तहत ट्रेनिंग आफ टीचर एजुकेटर्स इन द इंट्रोडक्शन आफ प्रोडक्टिव वर्क इंटू एजुकेशन में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया।

डा. ब्रह्म प्रकाश

राष्ट्रीय

(क) 11 से 12 अक्तूबर, 1982 तक 'एजुकेशन फार सेल्फ इंप्लायमेंट' पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

(ख) 11 से 13 नवंबर, 1982 तक रोल आफ यूनिवर्सिटीज़ इन रुरल डेवलपमेंट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यशाला में भाग लिया।

(ग) 19 से 21 जुलाई तक, प्रबंध संस्थान, बैंगलौर द्वारा इंप्रूविंग द जियोग्राफिकल एस्सेबिलिटी आफ रुरल सर्विसिस' पर आयोजित ग्रामीण सेवा सम्मेलन में भाग लिया।

श्री एम एम कपूर

राष्ट्रीय

(क) 22 जुलाई, 1982 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में एलिमेंटरी एजुकेशन आफ उड़ीसा पर आयोजित कार्य बल की बैठक में भाग लिया।

(ख) 29 जुलाई, 1982 को भोपाल में 'टास्क फोर्स आन एलिमेंटरी एजुकेशन आफ उत्तर प्रदेश की बैठक में भाग लिया।

(ग) 2 अक्तूबर, 1982 को लखनऊ में 'टास्क फोर्स ऑन एलिमेंटरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश' की बैठक में भाग लिया।

(घ) नवंबर और दिसंबर, 1982 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में योजना आयोग में एजुकेशन सेक्टर पर हुई वार्षिक योजना चर्चाओं में भाग लिया।

(ङ) 5 जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों के, एजुकेशन सेक्रेट्रीज़ एंड डायरेक्टरज आफ एजुकेशन की बैठक में भाग लिया।

(च) 9 मार्च, 1983 तो सिस्टम आफ मोनिटरिंग आफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स विद् स्पेशल रेफरेंस टू एलेमेंटरी एजुकेशन पर चर्चा करने के लिए योजना आयोग में बैठक में भाग लिया।

डा. कुसुम के प्रेमी

31 दिसंबर, 1982 मे नाथन ग्लैक्सर द्वारा आयोजित सप्रू हाउस की सेमिनार 'रिजर्वेशन इन यू एस ए' में भाग लिया।

डा. जे बी जी तिलक

राष्ट्रीय

(क) 11 से 13 नवंबर, 1983 तक 'रोल आल यूनिवर्सिटीज़ इन रुरल डेवेल्पमेंट' (दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क एंड कौंसिल फार सोशल डेवलपमेंट, दिल्ली) पर आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

(ख) 22 दिसंबर, 1982 की अमरीकी केंद्र, नई दिल्ली में टी डब्ल्यू शुल्स द्वारा लिखित 'एन्वेस्टिंग इन पीपल्ज' पर पुस्तक परिचर्चा में भाग लिया।

(ग) 24 जनवरी, 1983 को मैक्स म्यूलर भवन, नई दिल्ली में सिलवर ओक सोसायटी फार एजुकेशन एंड रिसर्च के तत्वावधान में एजुकेशनल रिफार्म एक्ट्स एंड कंस्ट्रेंट्स आफ सोशल स्ट्रक्चर : जर्मनी एंड इंडिया पर हुई परिचर्चा में भाग लिया।

श्रीमती उषा नायर

4 से 5 दिसंबर, 1983 तक मैक्स म्यूलर भवन और द सित्वा ओक सोसायटी फार एजुकेशन एंड रिसर्च दिल्ली द्वारा फोरेन एंड : हेल्प आर हिंडरेंस ?' पर आयोजित कार्यशाला में शिक्षा के लिए विदेशी सहायता शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया।

डा. सुषमा भार्गवा

(क) जनवरी 8 तथा फरवरी 11, 1983 में टी एस ए एस एस सी टिट्सवर्ग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमिनार क्रमशः 'मैनेजमेंट स्टाइल्स' और 'न्यू टेक्नालोजीज बन पब्लिक स्कूल विदिन नेक्सट फिड इयर्स' में हिस्सा लिया।

(ख) आई डी ई पी स्कूल आफ एजुकेशन, पिट्स वर्ग विश्वविद्यालय, यू एस ए द्वारा आयोजित 14 फरवरी से मार्च तक के सेमिनार में, भाग लिया इसका विषय था 'इंटरनेशन वर्कशाप फॉर एजुकेशनल प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड ऐडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑन नॉनफार्मल एजुकेशन स्ट्रेटेजीज फार पॉलिसी मेकर्स'।

श्री सी पी तिवारी

राष्ट्रीय

(क) 8 सितंबर, 1982 को भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।

(ख) 25 फरवरी, 1983 को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर हिमालय सेवा संघ, नई दिल्ली के सम्मेलन में भाग लिया ।

श्री डी एच श्रीकांत

पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में 28 फरवरी से 2 मार्च, 1983 में होने वाली कोंऑपरेटिव एजुकेशन सोसायटी आफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में जिसका विषय, 'एजुकेशन डेवलपमेंट इंक्विटी एंड सोशल चेंज' था, भाग लिया ।

6. शैक्षिक और सरकारी समितियों, संगठनों, प्रतिनिधि मंडलों की सदस्यता

प्रो. मुनिस रजा

(क) प्रधान, राष्ट्रीय भूगोलवेत्ता, संघ, भारत
(ख) सदस्य, इंडियन नेशनल कमेटी फार इंटरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, नई दिल्ली ।
(ग) सदस्य, सलाहकार समिति, संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय विकास केंद्र, नगोया, जापान ।
(घ) सदस्य, न्यासी बोर्ड, भारवीय शिक्षा संस्थान, पुणे
(ङ) अध्यक्ष, प्रबंध समिति, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
(च) संयोजक, कार्यक्रम सलाहकार समिति, डा. जाकिर हुसैन शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
(छ) निम्नलिखित संस्थाओं के प्रबंध न्यासी बोर्डों के सदस्य :
  (i) आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली
  (ii) गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद
  (iii) राजस्थान विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर और
  (iv) भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे ।
(ज) सदस्य, कार्यकारी परिषद्, कानपुर विम्वविद्यालय, कानपुर
(झ) सदस्य, मेवात विकास बोर्ड, हरियाणा राज्य
(ञ) सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति, पश्चिमी घाट, 1981 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, योजना आयोग, नई दिल्ली
(ट) राष्ट्रीय एकीकरण को ध्यान में रखते हुए भाषा और ऐतिहासिक पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष
(ठ) कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की विशेषज्ञ समिति के सदस्य
(ड) सदस्य, प्रबंध समिति, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली
(ढ) सदस्य, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
(ण) सदस्य, यूनेस्को के सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
(त) शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय का सदस्य
(थ) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली की विशेष योग्यता छात्रवृत्ति संचालन करने की योजना के सलाहकार बोर्ड के सदस्य

(द) भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, नई दिल्ली के लिए विश्वविद्याल अनुदान आयोग—आई सी एस एस आए संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्य।

(ध) विश्वविद्यालयों में योजना मंचों की योजना की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के सदस्य।

(न) मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति के सदस्य।

(प) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए नए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थाई समिति के सदस्य।

(फ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रौढ़ शिक्षा 20 सूत्री कार्यक्रम पर मद संख्या 16 के लिए गठित यू जी सी कार्यकारी दल के सदस्य।

(ब) सदस्य, अनुसंधान सलाहकार समिति, योजना आयोग, नई दिल्ली।

(भ) ऐसी कार्यवाइयों के लिए सिफारिश करने हेतु कार्यकारी दल के सदस्य जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास, योजना आयोग, नई दिल्ली में लाभकारी संबंध स्थापित करने में सहायता करें।

(म) सदस्य, पर्यवेक्षण अनुसंधान समिति, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

(य) आदिम जातियों और आदिम जन जन जातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए 'यू जी सी कमेटी टू इवोल्व मैकेनिक्स फार इंट्रोडक्शन आफ बुजरी स्कम्ज़ के सदस्य।

(र) सदस्य, अनुसंधान समिति, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली।

(ल) अनुसंधान के लिए भविष्य की कार्यसूची पर विचार करने के लिए आई सी एस एस आर, नई दिल्ली दल के सदस्य।

गेंबर, एम फिल् कोर्स कमेटी इन ज्याग्राफी, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला।

(व) सदस्य, भू-विज्ञान पाठ्यक्रम एवं अध्ययन-समिति, जोधपुर विश्वविद्यालय।

(श) इंडियन एसोशिएशन आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य।

श्री जे वीरराघवन

(क) लिटेरेसी, हाउस लखनऊ की समस्याओं पर विचार करने की समिति के अध्यक्ष,

(ख) प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष,

(ग) अध्यक्ष, प्रबंध समिति, देशबंधु कॉलेज,

(घ) सांख्यिकी पर शिक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष,

(ङ) सदस्य, शैक्षणिक सलाहकार समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन,

(च) सदस्य, प्रबंध, समिति, रामलाल आनंद कॉलेज,

(छ) सदस्य, वित्त समिति, एन सी ई आर टी,

(ज) दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के मामलों पर परिवर्द्धित समिति के सदस्य,

(झ) वेतन मानों के युक्तिकरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के सदस्य।

डा. आर पी सिंघल

(क) सदस्य, केंद्रीय विद्यालय संगठन

(ख) राज्य में स्कूली शिक्षा के गिरते हुए स्तर के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की समिति के सदस्य
(ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यालयों में 10 + 2 पद्धति को लागू करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के सदस्य
(घ) अध्यक्ष, प्रबंध समिति, केंद्रीय विद्यालय, सादिक नगर, नई दिल्ली
(ङ) सदस्य, भारतीय शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक संघ, नई दिल्ली
(च) सदस्य, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
(छ) अध्यापन रोजगार के उद्देश्य और शिक्षकों की भूमिका पर शिक्षक दल पर गठित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य-संयोजक
(ज) सदस्य, सलाहकार समिति, ओपन स्कूल आफ इंडिया।

डा. सी बी पद्मनाभन

(क) सदस्य, इंडियन एसोशिएशन ऑफ एजुकेशनल,प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
(ख) सचिव, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज एल्यूमुनी एसोशिएशन
(ग) सदस्य, इंडियन इकनामिक एसोशिएशन।

डा. सी एल सपरा

(क) सदस्य, इंडियन एसोशिएशन आफ टीचर एजुकेटर्स !
(ख) सदस्य, कामनवेल्थ काउंसिल फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन।
(ग) महासचिव इंडियन एसोशिएशन आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
(घ) सदस्य, प्रबंध समिति, सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली !
(ङ) सदस्य, पैनेल आफ इवैल्युएटर्स फॉर एन सी ई आर टी सेमिनार रीडिंग प्रोग्राम फार टीचर एजुकेशन फार 1982-83

डा. एन एम भाग्या

(क) आजीवन सदस्य तथा कोषाध्यक्ष, इंडियन एसोशिएशन आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
(ख) आजीवन सदस्य, इंडियन एसोशिएशन आफ टीचर एजुकेटर्स।
(ग) सदस्य, बोर्ड आफ स्टडीज आफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैकेल्टी आफ एकेजुशन, एम एस यूनिवर्सिटी बड़ौदा !
(घ) सदस्य; बोर्ड आफ स्टडीज, हिमाचल यूनिवर्सिटी, शिमला।

प्रो. एस एम दुबे

(क) सदस्य, विजिटिंग टीम फार द सिक्स्थ फाइव इयर प्लान टु द यूनिवर्सिटी आफ भोपाल, यू जी सी, नई दिल्ली।
(ख) सदस्य, यू जी सी कमिटी आन रूरल डेवलपमेंट (1978-83)

श्री एम एम कपूर

सभी स्तरों पर राज्य शिक्षा विभाग की मान्यता से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए अध्ययन-दल के सदस्य के रूप में 14 जनवरी से 19 जनवरी,

1983 तक जम्मू में गए और फरवरी, 1983 में राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दी।

डा. कुसुम के प्रेमी

(क) सदस्या, कम्पैरेटिव एजुकेशन सोसाइटी आफ इंडिया।
(ख) सदस्या, इंडियन एसोशिएशन आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड ऐडमिनिस्ट्रेशन।

श्रीमती ऊषा नायर

(क) सदस्य, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी,
(ख) भारतीय महिला अध्ययन संघ।
(ग) भारतीय शैक्षिक योजना ओर प्रशासक संघ

डा. जे बी जी तिलक

(क) सदस्य कैम्परेटिव एजुकेशन सोसाइटी आफ इंडिया।
(ख) सदस्य, सोसाइटी फार द स्टडी आफ रीजनल डिस्पेरिटीज।

श्री टी के डी नायर

सदस्य, केरल शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली।

श्रं वी ए कलपांडेय

सदस्य, इंडियन एसोशिएशन आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।

डा. सुषमा भाग्या

(क) आजीवन सदस्या, इंडियन एसोशिएशन आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
(ख) आजीवन सदस्या, इंडियन एसोशिएशन आफ टीचर एजुकेटर्स।

डा. के सुजाता

(क) सदस्या, इंडियन एंथ्रोपोलोजिकल सोसाइटी।
(ख) सदस्या, कम्परेटिव एजुकेशन सोसाइटी आफ इंडिया।
(ग) सदस्या, इंडियन एसोशिएशन आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन!

कु. मीना श्रीवास्तव

(क) सदस्या, नेशनल एलाएंस आफ यंग इंटरपेन्योर्स!
(ख) सदस्या, वीमेन्स एसोशिएशन आफ स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़

श्रीमती जे जलाली

(क) सदस्या, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी।
(ख) एल ए एलांइसे फ्रांसिस डे ,दिल्ली।

7. प्रसिद्ध लेख

श्री टी के डी नायर

(क) 'नो टैकर्स फार प्लस टू शीट्स इन केरल'
द हिंदू मद्रास, 22 जून, 1982

) 'ग्रेडिंग आफ स्कूल्स महाराष्ट्र सिस्टम'
द हिंदू मद्रास, 28 सितंबर, 1982

) यूनिवर्सिलाइजेशन आफ एलीमेंट्री एजुकेशन—हाऊ टू गो
अबाउट द जाब
द हिंदू, 24 मार्च, 1983

8. संकाय सुधार

सुषमा भार्ग्या

काउंसिल आफ इंटरनेशल एक्सचेंज आफ स्कूल्स एंड इंटरनेशल कम्यूनिकेशन एजेंसी, वाशिंगटन, के फेलोशिप कार्यक्रम में पोस्ट-डाक्टोरल शोध के लिए हिस्सा लिया तथा पिट्स बर्ग विश्वविद्यालय यू एस ए के व्याख्यान में कार्य 1983 में भाग लिया।

पी अग्रवाल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, 'रेलवे फ्रेड फ्लो, ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट्स एंड द रीजनल स्ट्रक्चर आफ द इंडियन इकानमी' विषय पर लिखे शोध प्रबंध पर पी-एच डी की उपाधि प्राप्त किया।

एन वी वर्गीज

'मैनपावर प्लानिंग इन ए डेवलपिंग इकोनामी' ए स्ट्डी इन एजुकेशन इम्प्लायमेंट लिकेजिज' शीर्षक पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जुलाई, 1982 में पी एच-डी का शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया।

प्रीतिगांधी

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से, 'एकेडिमिक अचीवमेंट इन रिलेशन आफ अचीवमेंट्स, एफिलिएशन एंड पावर मोटिव्स' विषय पर लिखे शोध प्रबंध पर जनवरी 1983 में पी-एच डी की उपाधि प्राप्त किया !

अनुबंध चार

अभ्यागत गण

समीक्षा अवधि के दौरान संस्थान में निम्नलिखित प्रतिनिधि/प्रतिष्ठित अभ्यागत आए :

विदेश से आनेवाले व्यक्ति

1. प्रो. जे एच ए वालिन, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, चानकौर, कनाडा
2. डा. सिक्लेयर, सुसेक्स विश्वविद्यालय, यू के
3. श्री एम डी जमे, अवर सचिव, नेपाल हाई कमीशन फॉर यूनेस्को, नेपाल
4. प्रो. आर पी मिश्र, उप निदेशक, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र, जापान
5. प्रो. एच एम गुणशेखर, सामाजिक एवं प्रशासानिक अध्ययन संस्थान, साउथ पैसिफिक विश्वविद्यालय, फिजी
6. श्रीमती होस्टन, ब्रिटिश परिषद्, लंदन
7. श्री हिडेहिको सजानामी, निदेशक, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्री विकास परिषद्, नगोया
8. श्रीमती स्क्रिपीन चंटानोंट, शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी, थाईलैंड
9. डा. फ्रेंक्लिन सी साउथरेस्थ, प्रोफेसर, दक्षिण एशियाई भाषा विज्ञान, दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग
10. डा. योगेश अटल, एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्रीय सलाहकार, यूनेस्को, बैंकाक
11. डा. वार्डली हतलि, सहायक प्रोफेसर, समाज विज्ञान, विर्जिनिया स्टेट विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरीका
12. डा. टुन लिवन, कार्यक्रम विशेषज्ञ, यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक
13. श्री एल डी पी जयसिंह, प्रिंसिपल, शिक्षा एवं प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, श्रीलंका
14. प्रो. राम पन्नु, अल्बर्थ विश्वविद्यालय, कनाडा
15. श्री हेलेन फ्रीडमैन और मिस हार्ल्ड फ्रीडमैन, शिक्षा विद्यालय, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, अम्हुर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका
16. श्री ए के साजद, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस
17. प्रो. एम एल होडा, टोरेंटो विश्वविद्यालय, कनाडा
18. श्री सी कुम्सा, अध्यक्ष, शैक्षिक योजना, शिक्षा मंत्रालय, इथोपिया

ब्रिटिश काउंसिल नई दिल्ली

1. डा. गर्थ मावेल, उप प्रतिनिधि, ब्रिटिश परिषद्, नई दिल्ली
2. श्री जून रोविंसन ब्रिटिश परिषद्, नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

1. श्रीमती शीला कौल, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार
2. श्री पी के थुंगल, केंद्रीय उपमंत्री, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
3. श्री क्रीट जोशी, शिक्षा सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
4. श्री एस सी विसवास, निदेशक, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्रालय

1. श्री टी एन चतुर्वेदी, सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. श्री एस के सरकार, संयुक्त सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. श्री एस एन कौल, उपायुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

1. प्रो. एस नुरुल हसन, भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् के उप प्रधान, एन आई ई पी ए परिषद नई दिल्ली।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

1. श्री सी पार्थसारथी, अध्यक्ष, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

राज्य सरकारें

1. डा. ए आर किदवाई, बिहार के गवर्नर,
2. प्रो. सत्य भूषण, शिक्षा आयुक्त तथा मुख्य शिक्षा सलाहकार, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार
3. डा. आत्म प्रकाश, अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
4. श्री गोपाल कृष्णन, कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रधान सचिव, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार

राज्य शिक्षा विभाग, बड़ौदा

बड़ौदा नगर निगम प्राइमरी विद्यालय बोर्ड के बारह सदस्यों ने नीपा का दौरा किया। उन्हें संस्थान के उद्देश्यों प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान गतिविधियों से अवगत कराया गया।

भारत स्थित संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान

1. श्रीमती शारदा नायक, भारत स्थित संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।

विश्वविद्यालय

1. प्रो. के एम बहाऊद्दीन, कुलपति, अलीगढ़, विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. प्रो. ए जे किदवई, कुलपति, जामिया मिलया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
3. श्री के एन जोशी, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई।
4. प्रो. बिपिन चंद्र, ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

5. प्रो. श्रीप्रकाश, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।
6. प्रो. एम एस अनास, भूविज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
7. डा. आर के पोद्दार, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
8. डा. एन अब्राह्म, निदेशक, कॉलेज विकास परिषद, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।
9. डा. आर जी टकवाले, कुलपति, पूना ।
10. प्रो. एम रेड्डी, कुलपति, आन्ध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय ।
11. प्रो. डी सुंदरम प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, समाज विज्ञान विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास ।
12. प्रो. जियाउद्दीन अहमद, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, समाज विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
13. प्रो. एस एल शर्मा, अध्यक्ष, समाज विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ।
14. प्रो. एन वेदमुनि मेनुअल, प्रोफेसर, तथा विभागाध्यक्ष केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम ।
15. डा. ए सुकुमारन नायर, प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।
16. डा. एस एल श्रीवास्तव, रीडर, समाज विज्ञान तथा नृ-विज्ञान संभलपुर विश्वविद्यालय संभलपुर ।
17. डा. के एल शर्मा, सह आचार्य, सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
18. डा. निर्मल सिंह, सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1. प्रो. केस अहमद, कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

अन्य अभ्यागत व्यक्ति

1. प्रो. वाई के अलघ, सरदार पटेल आर्थिक तथा सामाजिक विज्ञान परिवर्तन संस्थान अहमदाबाद ।
2. प्रो. पी एन श्रीवास्तव, निदेशक, सेंटर फार सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलोजी, हैदराबाद
3. डा. एम पी छाया, प्रिंसिपल, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली ।
4. डा. प्रेम, कृपाल, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा (सहायता) संघ नई दिल्ली ।
5. श्री बैंक्ट एकमैन, स्वीडन दूतावास, नई दिल्ली ।
6. डा. टी वी राव, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ।
7. डा. वी के शुक्ला, सचिव, दिल्ली समाज शास्त्रीय समाज, रीडर, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

परिषद के सदस्य (31-3-1983)

अध्यक्ष

प्रोफेसर एस नूरुल हसन

उप-सभापति

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

प्रोफेसर मुनीस रजा

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

पदेन सदस्य

डा. (श्रीमती) माधुरी शाह	अध्यक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
श्रीमती सरला ग्रेवाल	सचिव, भारत सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
श्री मनमोहन सिंह	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
श्री के बी सेशाद्रि	अतिरिक्त सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार आयोग, नई दिल्ली।
श्री जे वीरराघवन	सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, नई दिल्ली।
डा. टी एन धर	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।

शिक्षा सचिव

श्री हरिदास मुखर्जी	शिक्षा सचिव, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।

श्री एस के महापात्र	आयुक्त और सचिव, युवक विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।
श्रीमती किरण अग्रवाल	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा चंडीगढ़।
श्री अशोक बाजपेयी,	शिक्षा सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
श्री एम मोहन कुमार	शिक्षा आयुक्त, विशेष सचिव।
आई ए एम	सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार, त्रिवेंद्रम।
श्रीमती आदर्श मिश्रा	सचिव, शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

शिक्षा/निदेशक जन/शिक्षा निदेशक

श्री टी दुदखमाह	जन शिक्षा निदेशक तथा तकनीकी शिक्षा निदेशक मेघालय सरकार, शिलांग।
श्री मधुसूदन सिंह	शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, नया सचिवालय, गंगटोक 737101।
श्री पी के चौहान	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ।
श्री वी बी चिपलुंकर	शिक्षा निदेशक (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा) महाराष्ट्र सरकार, पुणे।
श्री फिलिपोज मथाई	जन शिक्षा आयुक्त, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
श्री राकेश मोहन	शिक्षा निदेशक, गोआ, दमन व दिऊ सरकार पानाजी (गोआ) 403001।

प्रतिष्ठित शिक्षाविद

डा. मेलकाम एस आदिसेशैया	अध्यक्ष, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, 79, सेकेंड मेन रोड, अडयार, मद्रास-600006।
श्री पी जी कुलकर्णी	टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भामा रोड, बंबई।
श्रीमती ज्योति त्रिवेदी	उपकुलपति, एस एन बी टी विश्वविद्यालय, बंबई।
प्रो सय्यद अनवरुल हक्की	प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़।
डा. वाई नयदम्मा	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, अडयार, मद्रास-600020
डा. (श्रीमती) विमला अग्रवाल	अध्यक्षा, मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्य को (31-3-1983)

श्री एस रामामूर्ति	संयुक्त सचिव (योजना), शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।

श्री जे वीराघवन	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।

संकाय सदस्य

डा. आर पी सिंघल	परामर्शदाता व डीन, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सचिव

श्री आर पी सक्सेना	कुल सचिव राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।

परिशिष्ट दो

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

परिषद के सदस्य (31-3-1983 को)

सभापति

प्रोफेसर मूनिस रज़ा

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली

सदस्य

श्री मनमोहन सिंह	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
श्री एस रामामूर्ति	संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
डा. वाई नयुदम्मा	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, अडयार, मद्रास—6000020।
श्री जे वीरराघवन	सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
श्री जे वीरराघन	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

सचिव

श्री आर पी सक्सेना	**कुलसचिव** राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन।

परिशिष्ट तीन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

(वित्त समिति के सदस्य 31-3-1983 को)

सभापति

प्रो. मूनिस रज़ा

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

सदस्य

श्री मनमोहन सिंह	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
श्री एस रामामूर्ति	संयुक्त सचिव (योजना), शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
श्रीमती किरण अग्रवाल	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
श्री जे वीररघावन	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
श्री आर पी सक्सेना	कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन, संस्थान नई दिल्ली।

परिशिष्ट चार

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य (31-3-1983 को)

सभापति

प्रो. मुनिस रज़ा

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

सदस्य

श्री एस रामामूर्ति	संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
श्री एस सत्यम	संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
डा. अमरीक सिंह	2/26 सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली।
श्री जे वीरराघवन	सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग, नई दिल्ली।
श्री आर के छाबड़ा	सी-102, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।
श्री अशोक बाजपेयी	सचिव, शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
श्री बी वी चिपलुंकर	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे।
प्रो. रईस अहमद	उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
प्रो. नितीशडे	निदेशक, पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान, 36, सेक्टर 5-ए, चंडीगढ़।
डा. डी डी नरुला	सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय, समाज-विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
श्री जे वीरराघवन	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान।
डा. आर पी सिंघल	परामर्शदाता व डीन, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान।
डा. सी बी पद्मनाभन	वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान।

सचिव

श्री आर पी सक्सेना	कुल सचिव राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान।

परिशिष्ट पांच

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य (31-3-1983 का)

सभापति

प्रो० मूनीस रजा

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान,

नई दिल्ली

सदस्य

श्री मनमोहन सिंह	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
श्री सेम्यूल इजराइल	प्रकाशन परामर्शदाता द्वारा नरोसा पब्लिशिंग हाउस, अन्सारी रोड, नई दिल्ली।
डा. (श्रीमती) एस सरस्वती	उप निदेशक (प्रकाशन) आई सी एस एस आर, नई दिल्ली।
श्री जे वीरराघवन	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
डा. सी एल सपरा	वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
डा. एन एम भागिया	वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन, संस्थान, नई दिल्ली।
डा. ब्रह्म प्रकाश	वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

सहयोजित सदस्य

श्रीमती डी आर उनीठन	शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।
डा. बाक्र मेहदी	प्रोफेसर (शिक्षा) पाठ्यचर्या एकक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

सदस्य सचिव

श्री बालकृष्ण सेल्वाराज	प्रकाशन अधिकारी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

परिशिष्ट छः

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

संकाय और प्रशासनिक स्टाफ (31-3-1983 को)

प्रो. मुनीस रज़ा, निदेशक,

आर पी सिंघल, परामर्शदाता एवं डीन, प्रशिक्षण
एम वी माथुर, प्रतिष्ठित अवकाश प्राप्त प्रोफेसर
मीना श्रीवास्तव वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक प्रशासन यूनिट

एन एम भागिया, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष
प्रीति गांधी, परियोजना सहायक
के जी विरमानी, अध्येता

शैक्षिक वित्त यूनिट

जे एल आजाद, वरिष्ठ अध्येता, आइ सी एस एस आर
वाई जोसफीन, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
जे ए कल्याणकृष्णन, अवेतनिक विजिटिंग अध्येता
सी पी पद्मनाभन, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष
जे बी जी तिलक, अध्येता

शैक्षिक योजना यूनिट

वाई पी अग्रवाल, सह अध्येता
चिरंजीव मेहता, सह अध्येता
ब्रह्म प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष
पी एन त्यागी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
एन वी वर्गीज, सह अध्येता

शिक्षा नीति एकक

एस जी दुबे, राष्ट्रीय अध्येता, आई सी एस एस आर
कुसुम प्रेमी, अध्येता
के सुजाता, सह अध्येता
इजलाल अनीस जैदी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उच्चत्तर शिक्षा एकक

एस अहमद, वरिष्ठ अध्येता

सुषमा भागिया, सह अध्येता
जे एन कौल, वरिष्ठ अध्येता, आई सी एस एस आर
एम एम रहमान, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष
जी डी शर्मा, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष

अन्तर्राष्ट्रीय एकक

जे जलाली, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
उषा नायर, सह अध्येता

विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक

एस एस डुडानी, अध्येता
जेड हबीब, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
एस एल मीना, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
के सुधा राव, सह अध्येता
सी एल सपरा, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष
आर एस सफी, अध्येता

उप-राष्ट्रीय पद्धतियां और प्रलेखन एकक

वी ए कालपांडे, अध्येता
एन डी कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी
एम एम कपूर, अध्येता व अध्यक्ष
अरुण सी मेहता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
आर एस शर्मा, सह अध्येता
सी पी तिवारी, अध्येता

अनुसंधान परियोजना स्टाफ

रीता बासु, परियोजना सह अध्येता
जी के भट्ट, परियोजना सह अध्येता
एस एम दुबे, वरिष्ठ परियोजना अध्येता
आफताब हादी, परियोजना सहायक
रश्मि दीवान, परियोजना सहायक
जगन्नाथ, परियोजना सहायक
जी खुराना, परियोजना अध्येता
ए के मैथ्यु, परियोजना सह अध्येता
एस एन माथुर, वरिष्ठ परियोजना अध्येता
सुषमा मेढ, परियोजना अध्येता
सी आर के मूर्ति, परियोजना सहायक
अनिता नूना, परियोजना सहायक
एस सी नूना, परियोजना सह अध्येता
टी के डी नायर, परियोजना अध्येता
विजय पंडा, परियोजना सहायक

कल्पना पंत, परियोजना सहायक
साफिया रज़ा, परियोजना सहायक
बी शिव रेड्डी, परियोजना सह अध्येता
विपुल शर्मा, परियोजना सहायक
मंजु नरुला, परियोजना सहायक
आर के शर्मा, परियोजना सहायक
डी एच श्रीकांत, परियोजना सहायक
एम एल सोबती, वरिष्ठ योजना अध्येता
ओ डी त्यागी, परियोजना सहायक
अरुणिमा वत्स, परियोजना सहायक
प्रमिला यादव, परियोजना सहायक

पुस्तकालय

निर्मल मलहोत्रा, पुस्काध्यक्ष
एन डी कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी
दीपक मकोल, कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष

प्रकाशन एकक

बी सेल्वराज, प्रकाशन अधिकारी
एम एम अजवानी, वरिष्ठ प्रकाशन सहायक

कार्यालय प्रशासन

आर पी सक्सेना, कुल सचिव
एस सुंदरराजन, वित्त अधिकारी
के एल दुआ, प्रशासन अधिकारी
टी आर ध्यानी, कार्यालय अधीक्षक
एम एल शर्मा, कार्यालय अधीक्षक
चेरियन थामस, लेखापाल

वार्षिक लेखा और अंकेक्षण रिपोर्ट

प्राप्ति			भुगतान		
ब्याज			यात्रा भत्ता		31,511-35
निवेश पर ब्याज	28,180-70		अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (कार्यक्रम व्यय		
बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,896-37		योजनेतर	2,20,000-00	
ब्याज वाली पेशियों पर ब्याज	24-90		योजना	2,18,358-06	
		31,101-97			4,38,358-06
नाकारामदों से बिक्री			कार्यालय व्यय (अन्य प्रभार)		
गाड़ियों की बिक्री		28,973-00	पानी-बिजली	1,82,417-30	
वापिसी			बीमा	2,362-00	
अं, म नि के अंशदान			टेलीफोन व ट्रंक काल प्रभार	71,610-23	
का नियोक्ता अंश		464-60	डाक खर्च व तार-प्रभार	36,006-40	
जमा			मुद्रण व लेखन सामग्री	70,000-00	
अग्रिम धन जमा		2,500-00	मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण	32,490-79	
तदर्थ सहायता		892-00	वर्दियां	16,527-74	
आइ सी एस एस आर से प्राप्त			फुटकर आकस्मिकताएं	63,020-08	
शैक्षिक योजना के प्रसंग में आगत-			लेखा परीक्षा फीस	12,150-00	
निर्गत तकनीक		2,850-00	किराया, दरें व कर	69,624-43	
जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार			भूमि व भवन का अनुरक्षण	1,56,639-65	
संस्थानों द्वारा अनुदानों की			मनोरंजन का आतिथ्य	8,665-20	
वापिसी		114-70	उपस्करों का अनुरक्षण	36,174-94	
वसूली योग्य पेशगियां			फर्नीचर व जुड़नार का अनुरक्षण	1,665-75	
साइकिल पेशगी	960-00		पेट्रोल, तेल व स्नेहक	56,566-67	
त्योहार पेशगी	11,500-00		कुली, ढुलाई खर्च और उत्पादन		
स्कूटर पेशगी	100-00		शुल्क	25,916-10	
विविध पेशगियां	350-00				

प्राप्ति			भुगतान		
मकान-निर्माण पेशगी	18,000-00		गर्म-सर्द मौसम के संबंध में प्रभार	1,885-50	
विविध कर्जदार		31,410-00	अखबार व पत्रिकाएं	39,002-65	
		278-63	उद्यान का अनुरक्षण	9,557-40	
उचंत लेखा		3,668-05	स्टाफ क्वार्टर्स का अनुरक्षण	375-38	
अनुसंधान परियोजना शीर्षक (i)					8,92,658-23
आश्रम विद्यालयों के संबंध में गहरे			आवर्ती व्यय	62,262-81	
अध्ययन और (ii) भारत सरकार			पूंजीगत व्यय		
से तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक			फर्नीचर और जुडनार	95,637-24	
प्रशिक्षण अनुदान के संबंध में अनुसूचित			के लो नि वि के पास जमा	1,00,000-00	
जाति । अनुसूचित जनजाति के सदस्यों					2,57,900-05
की अवस्थिति		15,000-00	वसूली योग्य पेशगियां		
अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास			साइकिल पेशगी	1,650-00	
का अध्ययन एकक			त्योहार पेशगी	12,440-00	
के स स्वा योजना वसूलियां		20-00	मकान निर्माण पेशगी	1,23,413-05	
नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े			विविध पेशगियां	2,300-00	
और उन्नत राज्यों में निरीक्षण पद्धति			यात्रा भत्ता पेशगी का आंतरण	4,420-00	
और व्यवहार (शिक्षा मंत्रालय, भारत					1,44,223-05
सरकार)		20,000-00	विविध कर्जदार		3,150-06
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद			उचंत लेखा		168-00
राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रो एस सी दूबे		30,542-00	योजना		
वरिष्ठ अध्येतावृत्ति डा जे एल आजाद		20,900-00	अधिकारियों का वेतन	1,22,548-25	
वरिष्ठ अध्येतावृत्ति डा जे एन कौल		20,900-00	स्थापना का वेतन	1,15,153-70	
भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान के			भत्ते और मानदेय	2,42,525-65	

प्राप्ति		भुगतान		
लिए अनुसंधान परियोजना वित्त-		समयो परिभत्ता	7,357-55	
व्यवस्था के लिए इकट्ठे किए गए		छुट्टी यात्रा रियायत	5,522-85	
आंकड़ों के आधार पर विश्लेषणात्मक		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,644-00	
मोनोग्राफ को तैयार करना	15,000-00			4,97,752-00
पपुआ-न्यू गिनी अनुदान से 5		सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम		30,423-00
अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना		अध्येतावृत्ति और पंचाट		2,322-85
तथा प्रशासन का प्रशिक्षण		डाटा बैंक		4,485-35
कार्यक्रम	1,18,765-58	अंतर्राज्यीय दौरे		8,559-10
श्रीलंका शिक्षा कर्मिकों के लिए		परामर्श		12,376-10
प्रशिक्षण कार्यक्रम-अनुदान	1,92,570-00	प्रकाशन व्यय		55,478-93
यूनेस्को		जमा		
एपीड प्रकाशनों का अनुवाद	1,081-84	प्रतिभूति जमा	3,850-00	
शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में अनुभवों		भवन निर्माण आदि के लिए के लो		
का अंतर्देशीय विनिमय	5,632-18	नि वि के पास जमा	10,37,596-00	
दीर्घकालीन शिक्षा योजना और				10,41,446-00
प्रशासन की क्षेत्रीय कार्यशाला	15,370-71	पूंजीगत व्यय		
दो राज्यों में शैक्षिक वित्त-व्यवस्था		स्टाफकार	12,898-80	
तथा समता पर अध्ययन	11,253-59	फर्नीचर और जुडनार	1,52,736-79	
ब्लाक तथा संस्थागत स्तर पर शैक्षिक		टाइपराइटर	71,216,64	
प्रशासन की समस्याओं और तरीकों		अन्य कार्यालय उपस्कर	2,26,748-04	
का अध्ययन	9,770-39	पुस्तकालय की पुस्तकें	1,24,918-32	
वैकल्पिक भविष्य और शिक्षा पर अध्ययन	2.869-40			5,88,518-59
शैक्षिक व्यय की प्रवृत्तियों पर अध्ययन	19,772-60			

प्राप्ति		भुगतान		
ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के अवयव और संबंधों में अनुभवों पर अध्ययन	11,863-55	जिला गुड़गांव में शिक्षा की लागत पर अध्ययन		
		अधिकारियों का वेतन	7,040-00	
		भत्ते और मानदेय	16,002-85	
		स्थापना का वेतन	36,453-60	
		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	37-05	
		यात्रा भत्ते	1,168-60	
		आकस्मिक व्यय	118-50	
				60,820-60
		भारत में शिक्षा के लिए संसाधन संग्रहीत करने पर अध्ययन		
		वेतन और भत्ते	25,523-55	
		समयोपरि भत्ते	84-05	
		यात्रा भत्ते	1,874-00	
		आकस्मिक व्यय	769-60	
				28,251-20
		भारत में शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमताओं और भारतीय शिक्षा की एटलस पर अध्ययन		
		वेतन और भत्ते	34,811-60	
		लेखन सामग्री और रिपोर्ट का प्रकाशन	1,076-10	
		यात्रा भत्ता	251-40	
		आकस्मिक व्यय	6,930-63	
				43,069-73

प्राप्ति	भुगतान		
	शिक्षा मंत्रालय के संगठनात्मक इतिहास पर अध्ययन		
	वेतन और भत्ते	15,700-00	
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति आकस्मिक व्यय	555-65	16,255-65
	विद्यालयों में अध्यापक-विद्यार्थी के इष्टतम अनुपात पर अध्ययन		
	वेतन और भत्ते	33,652-10	
	आकस्मिक व्यय	7,628-05	
	यात्रा भत्ता	9,058-00	
			50,338-15
	शिक्षा नियमों के संहिताकरण और संशोधन पर व्यय		
	वेतन और भत्ते	17,414-20	
	आकस्मिक व्यय	98-80	
	यात्रा भत्ते	800-00	
			18,313-00
	मॉडल वित्तीय संहिता में अध्ययन		
	वेतन और भत्ते	17,550-30	
	समयोपरि भत्ता	15-50	
	आकस्मिक व्यय	380-55	
	यात्रा भत्ता	548-10	
			18, 494-45
	व्यक्तित्व अभिलक्षण व्यय पर अध्ययन		150-00

प्राप्ति	भुगतान		
	प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद को सहायता अनुदान		7,500-00
	नियत कार्यक्रम/अध्ययन		
	अनुसंधान परियोजना : शीर्षक-आश्रम विद्यालयों के संबंध में गहन अध्ययन और तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण में अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अवस्थिति		
	वेतन और भत्ते	9,934-45	
	यात्रा भत्ता	4,535-75	
	आकस्मिक व्यय	40-00	
	क्षेत्र लागत	560-00	
			15,070-20
	अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का अध्यय एकक (गृह-मंत्रालय भारत सरकार)		
	वेतन और भत्ते	1,08,737-00	
	प्रकाशन / लेखन सामग्री	10,000-00	
	आकस्मिक व्यय	23,406-60	
	यात्रा भत्ता	4,846-80	
	संगणकीकरण (कम्यूट्राइजेशन)	7,605-96	
	उपस्करों की खरीद	40,945-99	
	छुट्टी यात्रा रियायत	135-50	
			1,95,67 /-85

प्राप्ति			भुगतान		
			ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के अवयव और संबधों में अनुभवों पर अध्ययन		99-05
			दीर्घकालीन शिक्षा योजना और प्रशासन में यूनेस्को प्रायोजित क्षेत्रीय कार्यशाला व्यय		5,173-00
			शैक्षिक योजना और प्रशासन के शैक्षिक भविष्य और समस्याओं पर संगोष्ठी व्यय		93,370-68
			जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य-अभिलाषा पर अध्ययन व्यय		13,759-45
			प्रेषण		
			अतिरिक्त महंगाई भत्ता	4,774-10	
			पानी बिजली प्रभार	30,971-60	
			मकान किराया भत्ता ।		
			नगर प्रतिकर भत्ता ।	47,971-60	
					55,814-20
—शैक्षिक योजना और प्रशासन के शैक्षिक भविष्य और समस्याओं पर संगोष्ठी		93,370-68	यूनेस्को कूपनों की खरीद		6,370-00
प्रेषण			अंत शेष		
अतिरिक्त महंगाई भत्ता	5,921-10		हस्तगत रोकड़	3,668-05	
पानी-बिजली	3,791-15		अग्रदाय	1,000-00	
मकान किराया भत्ता ।					
नगर प्रतिकर भत्ता	53,934-55	63,646-80	यूनेस्को कूपन	316-75	
यूनेस्को कूपनों की खरीद		6,370-00			

प्राप्ति		भुगतान		
		बैंक में रोकड़	2,04,476-43	
				2,09,461-23
जोड़	70,41,094-90			70,41,094-90

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान को उन्हें प्रयोजनों के लिए व्यय किया गया जिसके लिए वे मंजूर दिए गए थे और इनसे संबंद्ध शर्तों को यथावत पूरा किया है।

हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)
वित्त अधिकार
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे वीरराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(मूनीस रजा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

अंत शेष का ब्यौरा (31 मार्च, 1983 को)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	अर्थ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्तियां	कुल भुगतान	शेष
अ	ब	स	द	य	र	ल
1.	योजनेतर कार्यालय प्राप्ति	2,00,821-33	25,99,000-00			
			1,40,152-87	29,39,974-20	26,88,553-03	2,51,421-17
2.	योजना	51,855-33	29,48,000-00			
	कार्यालय प्राप्ति	—	393-33	30,00,248-66	29,47,070-99	53,177-67
	होस्टल		2,55,505-00	2,57,505-00	2,57,900-05	(—)2,395-05
3.	शिक्षा के लिए स्थानीय सहायता का प्रबन्ध	4,549-90	—	4,549-90		4,549-90
	विद्यालय नामांकन को दर्शाने के तरीकों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी	12,107-51	—	12,107-51	—	12,107-51
	ए पी ड प्रकाशनों का अनुवाद	(—)1,081-84	1,081-84	—	—	—
	शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में अनुभवों का अंतर्देशीय विनिमय	(—)5,632-18	5,632-18	—	—	—
	दीर्घकालीन शैक्षिक योजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला	(—)10,197-71	15,370-71	5,173-00	5,173-00	—

अ ब	स	द	य	र	ल
जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य अभिलाषा (ए ए की क्यू ओ एल)	17,528-00	—	17,528-00	13,759-45	3,768-55
दो राज्यों में शैक्षिक वित्त व्यवस्था और समता पर अध्ययन	—	11,253-59	11,253-59	—	11,253-59
ब्लाक और संस्थागत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की समस्याओं और तरीकों पर अध्ययन	—	9,770-39	9,770-39	9,770-39	—
वैकल्पिक भविष्य और शिक्षा पर अध्ययन	—	2,869-40	2,869-40	1,124-95	1,744-45
शैक्षिक व्यय की प्रवृत्तियों पर अध्ययन	—	19,772-60	19,772-60	19,772-60	—
ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के अवयव और संबंधों में अनुभवों पर अध्ययन		11,863-55	11,863-55	99-05	11,764-50
शैक्षिक योजना और प्रशासन के शैक्षिक भविष्य और समस्याओं पर संगोष्ठी	—	93,370-68	93,370-68	93,370-68	—
4. पपुआ न्यू गिनी से पांच अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	1,18,765-58	1,18,765-58	1,18,765-58	—

अ व	स	द	य	र	ल
5. श्रीलंका शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	1,92,570-00	1,92,570-00	1,77,259-70	15,310-30
6. अनुसंधान परियोजना : शीर्षक आश्रम विद्यालयों के संबंध में गहन अध्ययन और तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अवस्थिति (भारत सरकार, गृह मंत्रालत्र) (—)	21,799-25	15,000-00	6,799-25	15,070-20	(—)21,869-45
7. अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर अध्ययन	1,20,000-00	20-00	1,20,020-00	1,95,677-85	(—)75,657-85
8. नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा उन्नत राज्यों में निरीक्षण पद्धति और व्यवहार (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)	25,000-00	20,000-00	45,000-00	34,664-45	10,335-55
9. जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन सी ई आर टी)	15,766-05	—	15,766-05	1,11,819-90	(—)96,053-85
10. आई सी एस एस आर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-प्रो एस सी दुबे	4,485-39	30,542-00	35,027-39	43,465-35	(—)8,437-96

अ	ब	स	द	य	र	ल
	वरिष्ठ अध्येता-वृत्ति					
	डा जे एल आजाद	2,033-45	20,900-00	22,933-45	18,234-05	4,699-40
	वरिष्ठ अध्येतावृत्ति डा जे एन कोल		20,900-00	20,900 00	16,471-55	4,428-45
	भारत में समाज विज्ञान					
	अनुसंधान के लिए अनुसंधान परियोजना की वित्त-व्यवस्था के लिए इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषणात्मक मोनाग्राफ को तैयार करना ।		15,000-00	15,000-00	1,258 05	13,741-95
11.	प्रेषण	— 894-15	63,646-80	62,752-65	55,814-20	6,938-45
12.	उचंत लेखा	5,134-50	3,668-05	8,802-55	168-60	8,633-95
	जोड़					2,09,461-23

ब्यौरा

हस्तगत रोकड़	3,668-05
अग्रदाय	1,000-00
यूनेस्को कूपन	316-75
बैंक में रोकड़	2,04,476-43
	2,09,461-23

हस्ताक्षर
(एस सुंदर राजन)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे वीरराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(मूनिस रजा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली

वर्ष 1982-83 का आय तथा व्यय लेखा

आय				व्यय			
भारत सरकार से सहायता अनुदान				योजनेत्तर			
योजनेतर	25,99,000-00			अधिकारियों का वेतन	3,66,251-50		
योजना	29,48,000-00			स्थापना का वेतन	2,82,898-45		
		55,47,000-00		भत्ते और मानदेय	739,177-10		
घटाएं : पूंजीकृत अनुदान				छुट्टी यात्रा रियायत	18,511-05		
पुस्तकालय की पुस्तकें	1,24,918-32			समयोपरि भत्ता	54,057-00		
फर्नीचर और जुड़नार	1,52,736-79			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	36,834-35		
टाइपराइटर	71,216-64			के स स्वा योजना अंशदान	963-00		
कार्यालय उपस्कर	2,26,748-04			भविष्य निधि अंशदान			
स्टाफकार	12,898-80			नियोक्ता का अ भ नि का अंश			
		5,88,518-59		और सा भ नि । अं भ नि			
			49,58,481-41	पर ब्याज तथा प्रोत्साहन बोनस)	62,314-26		
होस्टल प्राप्तियां		2,55,505-00		भविष्य निधि में जमा, महंगाई			
घटाएं : पूंजीकृत प्राप्तियां		95,637-24		भत्ते । मकान किराए भत्ते । नगर			
			1,59,867-76	प्रतिकार भत्ते पर ब्याज	4,877-80		
तदर्थ सहायता	892-00			छुट्टी वेतन और पेंशन	31,290-05		
लाइसेंस फीस	19,695-55			अंशदान			
के स स्वा योजना की				पेंशन व उपदान	43,994-07	15,41,168-61	
वसूलियां	465-00			यात्रा भत्ता		31,511-35	

आय			व्यय		
पानी-बिजली प्रभार	8,255-30		अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय :		
विविध प्राप्तियां	13,546-05		योजनेतर	2,20,000-00	
		42,853-90	योजना	2,18,358-06	
ब्याज					4,38,358-06
निवेश पर ब्याज	28,180-70		कार्यालय व्यय (अन्य प्रभार)		
बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,896-37		योजनेतर	6,50,000-00	
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज	24-90		योजना	2,42,658-23	8,92,658-23
		31,101-97	होस्टल		62,262-81
नाकारा मदों की बिक्री :			योजना		
गाड़ियों की बिक्री		28,973-00	अधिकारियों का वेतन	1,22,548-25	
वापिसी :			स्थापना का वेतन	1,15,153-70	
जब्त अं भ नि के अंशदान का नियोक्ता अंश	464-00		भत्ते और मानदेय	2,42,525-65	
जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा खर्च से बची राशि की वापिसी	114-70	578-70	समयोपरि भत्ता	7,357-55	
कार्यक्रम-प्राप्तियां			छुट्टी यात्रा रियायत	5,522-85	
शैक्षिक योजना के प्रसंग में आगत-निर्गत तकनीक (आई सी एस एस आर)		2,850-00	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,644-00	
					4,97,752-00
			सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम		30,423-00
			अध्येतावृत्ति और पंचाट		2,322-85
			डाटा बैंक		4,485-35
			अंतर्राज्यीय दौरे		8,559-10
			परामर्श		12,376-10
			प्रकाशन व्यय		55,478-93

आय		व्यय		
		योजना		
		अनुसंधान अध्ययन		
		जिला गुड़गांव में शिक्षा की लागत		
		पर अध्ययन	60,820-60	
		संसाधन संग्रहण पर अध्ययन	28,251-20	
		क्षेत्रीय विषमताओं पर अध्ययन	43,069-73	
		संगठनात्मक इतिहास पर अध्ययन	16,255-65	
		इष्टतम अध्यापक शिक्षक पर अध्ययन	50,338-15	
		शैक्षिक नियमों के संहिताकरण		
		पर अध्ययन	18,313-00	
		मॉडल वित्त संहिता पर अध्ययन	18,494-45	
		व्यक्तित्व अभिलक्षणों पर अध्ययन	150-00	
				2,25,692-78
		राज्य सरकारें/संस्थानों को		
		सहायता अनुदान :		
		प्रशासनिक स्टाफ		7,500-00
		कालेज, हैदराबाद		
			व्यय से अधिक आय	13,04,157-55
जोड़	52,24,706-74		जोड़	52,24,706-74

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)	(जे वीरराघवन)	(मूनिस रजा)
वित्त अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन सस्थान	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली

31 मार्च - 1983 को तुलन-पत्र

देयताएं			परिसंपत्तियां		
पूंजीकृत अनुदान :			भूमि व भवन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	48,10,232-19		पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	20,01,586-09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,88,518-59		समायोजन द्वारा परिवर्धन	35,86,796-42	
समायोजना द्वारा परिवर्धन	35,86,796-42				55,88,382-51
		89,82,547-30	उपस्कर और मशीनें, फर्नीचर		
पूंजीकृत होस्टल प्राप्तियां		95,637-24	और जुडनार, स्टाफ कार सहित		
व्यय से अधिक आय :			गाड़ियां, टाइपराइटर आदि :		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	50,55,437-49		पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	19,50,426-28	
घटाएं : समायोजन द्वारा	38,58,065-27		वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,59,237-51	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,04,157-55				25,09,663-79
		25,01,529-76	निपटाई गई परिसम्पतियों का मूल्य		57,655-00
नियत कार्यक्रम			पुस्तकालय की पुस्तकें		
शिक्षा मंत्रालय	10,335-55		पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	8,52,385-61	
ए ए बी क्यू ओ एल	3,768-55		वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,24,918-32	
आई सी एस एस आर	14,431-84				9,77,303-93
यूनेस्को	41,419-95				
श्रीलंका कार्यक्रम	15,310-30		भविष्य निधि में से निवेश		
		85-266-18	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,98,357-50	

देयताएं			परिसंपतियां		
भविष्य निधि			वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,00,127-50	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	4,04,045-00				3,98,485-00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,90,539-90		नियत कार्यक्रमों पर वसूली योग्य		
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली राशि	1,54,900-90		राशि गृह-मंत्रालय (भारत सरकार)		
		6,39,684-00	एन सी ई आर टी	97,527-30	
उचंत लेखा				96,053-85	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार परिवर्धन	5,134-50				1,93,581-15
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,668-05		जमा		
घटाएं : वर्ष के दौरान समाशोधन	168-60		प्रतिभूति जमा		
		8,633-95	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	5,140-00	
उपहार और दान			वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,850-00	
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	910-52				8,990-00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	—		के लो नि वि		
		910-52	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	46,96,602-03	
बट्टे खाते डाला पूंजीनिवेश		57,655-09	घटाएं : समायोजन	38,58,065-28	
जमा			वर्ष के दौरान परिवर्धन	11, 37,596-00	
अग्रिम धन		2,500-00			19,76,132-75
प्रेषण			वसूली योग्य पेशगियां		
अतिरिक्त महंगाई भत्ता	1,147-00		त्योहार पेशगी	7,720-00	
मकान किया भत्ता। नगर प्रतिकर भत्ता (भ नि)	5,962-95	7,109-95	साइकिल पेशगी	1,265-00	
			मोटर साइकिल / स्कूटर पेशगी	1,100-00	
		जोड़ 1,23,84,474-00	मकान निर्माण पेशगी	2,03,493-05	
			विविध पेशगियां	2,300-00	
			तबादला यात्रा भत्ता पेशगी	4,420-00	
					2,20,298-05

टिप्पणी—(1) के लो नि वि द्वारा दिए व्यय-ब्यौरे के आधार पर पिछले वर्षों में के लो नि वि के पास जमा रु. 38,58,065-28 की राशि 1982-83 में समायोजित की गई।

देयताएं		परिसंपत्तियां		
(2) यूनेस्को द्वारा उपहारस्वरूप दी गई उन पुरानी गाड़ियों को अभी बट्टे खाता नहीं डाला है, जिन्हें 1981-82 व 1982-83 में बेच दिया गया; शिक्षा मंत्रालय मे भारतीय रुपयों में इनकी कीमत प्राप्त होने पर ऐसा किया जायेगा।		विविध कर्जदार		3,150-00
		प्रेषण		
		वसूली योग्य पानी-बिजली प्रभार		171-50
(3) उपस्कर और मशीनें आदि शीर्ष के अधीन 1982-83 में रु. 5,24,120-40 की पूंजीकृत राशि में रु. 2,00,000-00 की राशि शामिल है, जो हिन्दुस्तान कम्पयूटर्स लि० को माइक्रो-प्रोफेसर के लिए पेशगी दी गई थी। यह प्राप्त हो गया था और इसे अप्रैल 1983 में चालू कर दिया।		रोकड़ शेष :		
		हस्तगत	3,668-05	
		अग्रदाय	1,000-00	
		यूनेस्को कूपन	316-75	
		बैंक में : चालू खाता	2,04,476-43	
		बचत बैंक खाता	2,41,199-00	
				4,50,660-23
			जोड़	1,23,84,474-00

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)	जे वीरराघवन	मूनिस रजा
वित्त अधिकारी	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और	निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासक संस्थान	प्रशासन संस्थान	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
नई दिल्ली	नई दिल्ली	प्रशासन संस्थान
		नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

वर्ष 1982-83 के दौरान नियत कार्यक्रमों/अध्ययनों/अध्येतावृत्ति के लिए प्राप्त अनुदानों का प्रोफार्मा लेखा

प्राप्तियां			भुगतान		
1. गृह मंत्रालय (भारत सरकार)			व्यय		15,070-20
अनुसंधान परियोजना			अंत शेष	—	21,869-45
(i) आश्रम विद्यालयों का गहन अध्ययन और					
(ii) तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की अवस्थिति					
अर्थ शेष	—	21,799-25			
वर्ष के दौरान प्राप्त		15,000-00			
	—	6,799-25			
जोड़	—	6,799-25	जोड़	—	6,799-25
अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास पर अध्ययन			व्यय		1,95,677-85
			अंत शेष	—	75,657-85
अध शेष	1,20,000-00				
वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य				
विविध प्राप्तियां	20-00	1,20,0..0-00			
	जोड़	1,20,020-00	जोड़		1,20,020-00

प्राप्तियां			भुगतान		
2. शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार)			व्यय:		34,664-45
नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से			अंत शेष		10,335-55
पिछड़े तथा उन्नत राज्यों में					
निरीक्षण पद्धति और व्यवहार					
अर्थ शेष	25,000-00				
वर्ष के दौरान प्राप्त	20,000-00				
	45,000-00				
जोड़	45,000-00			जोड़	45,000-00
3. जनसंख्या परियोजना (एन सी ई			व्यय:		1,11,819-90
आर टी)			अंतशेष	---	96,053-85
अर्थ शेष	15,766-05				
वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य				
		15,766-05			
	जोड़	15,766·05		जोड़	15,766-05
4. भारतीय समाज विज्ञान अनु-			व्यय:		
संधान परिषद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रो. एस सी दुबे			राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति		
अर्थ शेष	4,485-39		प्रो. एस सी दुबे	43,465-35	
वर्ष के दौरान प्राप्त	30,542-20	35,027-39	वरिष्ठ अध्येतावृत्ति		
वरिष्ठ अध्येतावृत्ति			डा. जे एल आजाद	18,234-05	
डा जे एल आजाद			वरिष्ठ अध्येतावृत्ति		
अर्थ शेष	2,033-45		डा. जे एन कौल	16,471-55	
वर्ष के दौरान प्राप्त	20,900-00	22,933-45 ---	विश्लेषणात्मक	1,258-05	

प्राप्तियां			भुगतान		
वरिष्ठ अध्येतावृत्ति			मोनोग्राफ की तैयार करना		79,429-00
डा जे एन कौल			अंत शेष		
अर्थ शेष	शून्य		राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति		
वर्ष के दौरान प्राप्त	20,900-00	20,900-00	प्रो. एस सी दुबे (—)	8,437-96	
भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान			वरिष्ठ अध्येतावृत्ति		
के लिए अनुसंधान परियोजना की			डा जे एल आजाद	4,699-40	
वित्त व्यवस्था के अधीन इकट्ठे			वरिष्ठ अध्येतावृत्ति		
किए गए आंकड़ों के आधार पर			डा. जे एन कौन	4,428-45	
विश्लेषणात्मक मोनोग्राफ को तैयार			विश्लेषणात्मक	13,741-95	
करना			मोनोग्राफ को तैयार करना		14,431-84
अर्थ शेष	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त	15,000-00	15,000-00			
	जोड़	93,860-84		जोड़	93,860-84
5. यूनेस्को			व्यय		
शिक्षा के लिए स्थानीय सहायता			दीर्घकालीन शैक्षिक योजना और		
का प्रबंध			प्रशासन कार्यशाला	5,173-00	
अर्थ शेष	4,549-90		ब्लाक स्तर और संस्थागत स्तर पर		
वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य	4,549-90	शैक्षिक प्रशासन की समस्याओं और		
विद्यालय नामांकन को दर्शाने के			तरीकों पर अध्ययन	9,770-39	
तरीकों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी			वैकल्पिक भविष्य और शिक्षा पर		
अर्थ शेष	12,107-51		अध्ययन	1,124-95	
वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य		शैक्षिक व्यय की प्रवृत्तियों पर		
		12,107-51	अध्ययन	19,772-60	

प्राप्तियां			भुगतान		
एपोड प्रकाशनों का अनुवाद			ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के		
अर्थ शेष	— 1,081-84		अवयव और संबंधों में अनुभवों पर		
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,081-84		अध्ययन	99-05	
शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में अनुभवों			शैक्षिक योजना और प्रशासन के		
का अंतर्देशीय विनिमय			शैक्षिक भविष्य और समस्याओं पर		
अर्थ शेष	—5,632-18	शून्य	अध्ययन	93,370-68	
वर्ष के दौरान प्राप्त	5,632-18	शून्य			1,29,310-67
दीर्घकालीन शैक्षिक योजना पर			अंत शेष		
कार्यशाला			शिक्षा के लिए स्थानीय सहायता		
अर्थ शेष	—10,197-71		का प्रबंध	4,549-90	
वर्ष के दौरान प्राप्त	15,370-71	5,173-00	तरीकों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी	12,107-51	
दो राज्यों में शैक्षिक वित्त और			शैक्षिक वित्त-व्यवस्था पर अध्ययन	11,253-59	
समता पर अध्ययन			शिक्षा के वैकल्पिक भविष्य पर		
अर्थ शेष	शून्य		अध्ययन	1,744-45	
वर्ष के दौरान प्राप्त	11,253-59	11,253-59	ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के अवयव		
ब्लाक और संस्थागत स्तर पर शैक्षिक			और संबंधों में अनुभवों पर अध्ययन	11,764-50	
प्रशासन की समस्याओं और तरीकों					41,419-95
पर अध्ययन,					
अर्थ शेष	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त	9,770-39	9,770-39			
शिक्षा के वैकल्पिक भविष्य पर अध्ययन					
अर्थ शेष	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त	2,869-40	2,869-40			

प्राप्तियां			भुगतान	
शैक्षिक व्यय की प्रवृत्तियों पर अध्ययन				
अर्थ शेष	शून्य			
वर्ष के दौरान प्राप्त	19,772-60	19,772-60		
ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के अवयव और संबंधों के अनुभवों पर अध्ययन				
अर्थ शेष	शून्य			
वर्ष के दौरान प्राप्त	11,863-55	11,863-55		
शैक्षिक योजना और प्रशासन के शैक्षिक भविष्य और समस्याओं पर संगोष्ठी				
अर्थ शेष	शून्य			
वर्ष के दौरान प्राप्त	93,370-68	93,370-68		
	जोड़	1,70,730-62	जोड़	1,70,730-62
6. जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए			व्यय	13,759-45
कार्य-अभिलाषा			अंत शेष	3 768-55
(ए ए बी क्यू ओ एल)				
अर्थ शेष	17,528-00			
वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य	17,528-00		
	जोड़	17,528-00	जोड़	17,528-00

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

वर्ष 1982-83 के लिए सामा. भ नि अ भ नि लेखों का प्रोफार्मा लेखा

प्राप्तियां			भुगतान		
अर्थ शेष	96,289-50		वर्ष के दौरान भुगतान		
वर्ष के दौरान प्राप्त	3,90,539-90		राशि	1,54,900-90	
मंत्रालय से अंतरण प्राप्ति	9,398-00	4,96,227-40	निवेश	1,00,127-50	
					2,55,028-40
			अंत शेष		2,41,199-00
	जोड़	4,96,227-40		जोड़	4,96,227-40

हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जेवीरराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(मूनिस रज़ा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

प्राप्तियां			भुगतान		
7. प्रशिक्षण परियोजना :			व्यय		1,18,765-58
पपुआ न्यू गिनी के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम			अंत शेष		शून्य
अर्थ शेष	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,18,765-58	1,18,765-58			
	जोड़	118765-58		जोड़	1,18,765-58
8. श्रीलंका शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम			व्यय		1,77,259-70
			अंत शेष		15,310-30
अर्थ शेष	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त	1.92.570-00	1.92.570-00			
	जोड़	1,92,570-00		जोड़	1,92,570-00

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(एस सुंदरराजन)	(जे वीरराघवन)	(मूनीस रज़ा)
वित्त अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली	नई दिल्ली	नई दिल्ली

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (जो पहले नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता था) के लेखा और बैलेंसशीट का मैंने परीक्षण किया है। जिस सूचना या जिन स्पष्टीकरणों की मुझे आवश्यकता थी वह सब मैंने प्राप्त कर लिया है तथा उस पर अपनी टिप्पणी परिपूरक अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्ज कर दी है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे विचार में एकाउंट तथा बैलेंस शीट्स की सही तरीके से दर्शाया गया है इससे संस्थान की गतिविधियों का मेरी जानकारी के मुताबिक तथा मुझे दी गई सफाई के लिहाज से तथा संस्थान के खाते में जैसा कि उन्हें प्रदर्शित किया गया है, सही चित्र मिलता है।

नई दिल्ली	हस्ताक्षर
दिनांक 9 दिसंबर, 1983	निदेशक लेखा परीक्षा

राष्ट्रीन शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

नई दिल्ली के विषय में वर्ष 1982-83 के लिए ऑडिट रिपोर्ट

1. सामान्य

संस्थान की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान है। इसको वर्ष 1982-83 के दौरान 55.47 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। 25.99 लाख रुपये गैर-योजना के तहत तथा 29.48 लाख रुपये योजना के तहत।

2. बिना उचित अनुमान के डिपाजिट

2.1 : 21 मार्च 1983 को सी पी डब्ल्यू डी द्वारा दिए गए 1.62 रु खर्चे मोटे अनुमान के आधार पर डाइनिंग हाल के सुधार, किचेन, रिक्रिएशन हाल तथा कुछ अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 31 मार्च 1983 को संस्थान ने अग्रिम तिथि के खर्चे में सी पी डब्ल्यू डी को/लाख रु. दिए, प्रस्तावित सुधार निर्माण कार्य के लिए विस्तृत डिजाइन तथा खर्चे की वास्तविक अनुमान न तो अग्रिम जमा करने के समय प्राप्त हुए और न वे

संस्थान की आडिट रिपोर्ट पूरी होने के समय (अगस्त 1983) तक प्राप्त हो पाए हैं। संस्थान बताए कि (नवंबर 1983) भुगतान के लिए स्वीकृति वित्तीय सलाहकार और सह सचिव (योजना) शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त की गई थी। ढांचे में परिवर्तन संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता की वजह से इसे क्रियान्वित करने में विलंब हुआ। चूंकि अब इस मामले पर वास्तुकाल तथा अभियंता से बातचीत हो चुकी है अत: अब से जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

2.2 : भविष्य में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंसों, सेमिनार (गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के लिए अपने भाषण कक्षों का विस्तार करना और उन्हें फर्निश करना संस्थान ने आवश्यक समझा। 1982-83 के दौरान अनुमानित बजट में इस तरह के कार्य के लिए कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी 1982-83 के रिवाइज्ड अनुमान में कर्मचारियों के आवास आदि के निर्माण आदि के लिए 10 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया था। इसके तहत मार्च 1983 में संस्थान ने 2.75 लाख रुपये की राशि सी पी डब्ल्यू डी के नाम जमा किया। संस्थान ने बताया। (नवंबर 1983) 1982-83 के लिए भूमि तथा भवन संबंधित बजट का प्रावधान कर्मचारी आवास निर्माण के साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया। बदली हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल को फिर से डिजाइन किया गया इसलिए इसके कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

आगे सी पी डब्ल्यू डी द्वारा मोटी ड्राइंग (रूपरेखा) मोटी अनुमानित (5,05 लाख की राशि) जमा करने के बाद (जिसमें भाषण कक्ष में किए जाने वाले कतिपय कार्यों के साथ, नकली सीलिंग अडिटोरियम में स्थाई कुर्सियां, टेबुल एक दीवार से दूसरी दीवार तक कारपेट, पर्दे आदि मद शामिल थे (14 नवंबर 1983 को सी पी डब्ल्यू डी को 4 लाख रुपये दिए गए, फिर भी आइटम का रेट और आवश्यक पूरी मात्रा का अनुमान नहीं दिया गया था।

सी पी डब्ल्यू डी ने विद्युत उपकरणों को लगाने के लिए (एयर कंडिशनिंग तथा पी ए सिस्टम का प्रावधान) अस्थायी अनुमान भी नहीं प्राप्त हुआ था। अगस्त 1983 तक विस्तृत तकनीकी विवरण तथा ढांचे संबंधी अन्य समस्याओं को निपटाया नहीं जा सका था और न तो सी पी डब्ल्यू डी ने काम हाथ में लिया ही था। संस्थान ने बताया (नवंबर 1983) कि अक्टूबर 1983 की एक बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था जिसमें साक्षी तकनीकी और अन्य समस्याओं को सुलझा लिया गया है तथा 1983-84 में रिवाइज्ड/अंतिम अनुमान प्राप्त होने का कार्य आरंभ किया जाएगा।

वर्ष के अंत में बिना उचित नियोजन/तकनीकी विस्तार के खर्च का सी पी डब्ल्यू डी को 6.75 लाख रुपये का भुगतान ठीक नहीं था।

3. मनोरंजन

3.1 : **निःशुल्क भोजनादि के रूप में अनधिकृत खर्च** : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से इस आशय के आदेश (जून 1982) जारी किए गए कि किसी भी तरह से सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों को किसी भी स्वायत्त संस्थान द्वारा भारत सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के निःशुल्क भोजन/जलपान आदि नहीं दिया जाएगा। फिर भी सरकार से बिना पूर्व स्वीकृति के वर्ष 1982-83 के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में हिस्सा लेने वालों/प्रशिक्षार्थियों के मनोरंजनादि पर रुपये 30,041 खर्च किया गया। संस्था की ओर से बताया गया कि इस प्रकार के सरकारी आदेश संस्था पर लागू नहीं होते क्योंकि

संस्थान के जन्म काल से ही भाग लेने वालों के मनोरंजन व्यय को वहन करने की प्रथा चली आ रही है।

4. कर्मचारी आवासों की सर्विस कनेक्शन प्रदान करना

204 कर्मचारी आवासों के लिए (102 नीपा तथा 102 एन सी ई आर टी) देने के लिए, जो संस्थान परिसर में ही स्थित है, मार्च 1982 में डेसू से रु 8.12 लाख की अनुमानित लागत सी पी डब्ल्यू डी के माध्यम से प्राप्त हुई। इसका विवरण नीचे दिया गया है :

कार्य	डेसू का हिस्सा	पार्टी का हिस्सा	योग
	रुपए में		
उप-संस्थान	1,49,518	1,58,476	3,07,994
एल टी/यू जी मुख्य	1,14,950	1,20,175	2,35,125
सर्विस कनेक्शन	—	1,80,550	1,80,550
स्ट्रीट लाईटिंग	—	88,550	88,550
कुल योग	2,64,468	5,47,751	8,12,219

अनुमानित लागत अग्रेषित कर समय संस्थान से (मार्च 1982) सी पी डब्ल्यू डी ने निवेदन किया था कि डेसू को तत्काल पैसा जमा किया जाना चाहिए।

रुपए 5.48 लाख में से संस्थान का हिस्सा रुपए 2.74 लाख था क्योंकि इसमें एन सी ई आर टी तथा संस्थान को आधा-आधा खर्च वहन करना था। इस काम के लिए संस्थान ने प्रशासनिक स्वीकृति लेने में अनावश्यक रूप से विलंब किया और जून 1982 तक अपना हिस्सा (डेसू) जमा नहीं किया जब कि डेसू ने रुपए 8.17 लाख की संशोधित अनुमानित लागत (मई 1982 में) दे दिया था जिसमें पार्टियों का हिस्सा रुपए 6.68 लाख आधे-आधे के आधार पर एन सी ई आर टी तथा संस्थान को जमा करना था।

अपने पहली अनुमानित लागत में खर्च रुपए 2,32,125 बताया गया था जिसमें से रुपए 1,14,950) डेसू को वहन करने थे। किंतु इसके संशोधित अनुमानित लागत में इस मद का खर्च बढ़कर रुपए 2,40,350 हो गया और यह सारा खर्च इस रूप में प्रस्तुत किया गया जैसे इसे पार्टी को ही वहन करना है। फिर भी संशोधित मांग को संस्थान ने स्वीकार कर लिया और इसके द्वारा अपना हिस्सा रु 3,34 लाख डेसू के खाते में 4 मार्च 1983 को जमा कर दिया गया॥

संस्थान ने इस पूरे खर्चे में हुए परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है कि रुपए 1,20,175 के बजाय (जो कुल खर्च का हिस्सा था) जो एल टी/ एल जी मेंस के कारण रुपए 2,40,350 हो गया जैसा कि मूल रूप से पहले प्रदर्शित किया गया था।

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9363
Date 5-12-96

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली 110016 के लिए बालकृष्ण शेल्वराज द्वारा हिंदुस्तान प्रिंटर्स, शाहदरा दिल्ली 110032 में मुद्रित.